

भारतीय शिक्षा
तथा
आधुनिक विचारधाराएँ

विद्यावती मलैया



राजकमल प्रकाशन

मूल्य ५.५०

प्रथम संस्करण, सितंबर १९६१

© १९६१, राजकमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

मुद्रक : श्रीमन्मोहन कपूर, शानमण्डल लिमिटेड, धाराणगी (बनारस) ५७१

विषय-सूची

भाग १

भारतीय-शिक्षा

१ : : पूर्व-प्राथमिक-शिक्षा ९-१६

अर्थ—आवश्यकता—महत्त्व—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का विकास—
भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विकास के बाधक कारण—पूर्व-
प्राथमिक शिक्षा-प्रकार के उपाय—मध्यप्रदेश में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा।

२ : : प्राथमिक-शिक्षा १७-३७

प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षा—मध्यकाल में भारतीय प्राथमिक
शिक्षा—अंग्रेजी शासन-काल में भारतीय प्राथमिक शिक्षा—यूरोपीय
कम्पनियों तथा मिशनरियों के प्रयत्न—१८१३ का एक्ट—१८३०
का नीति-पत्र—लॉर्ड मैकाले की अध्यापक नीति—१९वीं सदी के
प्रथम ५० वर्षों में प्राथमिक शिक्षा का विकास न होने के कारण—
१८५४ का दुइ शिक्षा-महाविधान—सन् १८८२ का भारतीय शिक्षा
आयोग—१८८२ से १९०६ तक—लॉर्ड कर्टन—१९०२ से
१९२१-२२ तक—१९२१ से १९४७ तक—हाटांग ममिति—
प्राथमिक शिक्षा के प्रकार में बदलाव—मुबार के सुझाव।

स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा (१९४७ से वर्तमान तक) —
मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा—अवधि—पाठ्यक्रम—शालाओं तथा
विद्यार्थियों की संख्या—प्राथमिक शिक्षकों का वेतन-मान तथा अन्य
व्यवस्थाएँ—बालक-शिक्षक-अनुपात—प्रशासन ।

३ : : पूर्व-माध्यमिक शिक्षा

३८-४२

पूर्व-माध्यमिक शालाओं के उद्देश्य—भारत में पूर्व-माध्यमिक शिक्षा ।

४ : : माध्यमिक शिक्षा

४३-७३

प्रारम्भ—माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य—चरित्र-गठन—व्यावसायिक
धर्मता का विकास—व्यक्तित्व-विकास—नेतृत्व—भारतीय माध्यमिक
शिक्षा का संगठन—भारतीय माध्यमिक शिक्षा का विकास—१८५४
का महाविधान—१८८२ का इंटर कमिशन—१९०२ का विश्व-
विद्यालय आयोग—कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग १९१७—
द्विविध शासन तथा माध्यमिक शिक्षा—हार्टाग समिति—केन्द्रीय
शिक्षा सलाहकार परिषद—सप्रू समिति—१९३५ का संविधान—
बुड तथा ऐवट रिपोर्ट—साजेंगट रिपोर्ट—केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार
परिषद तथा डा० तारानन्द समिति—विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग
(१९४८)—माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२)—माध्यमिक शिक्षा
के दोष—माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य—माध्यमिक शिक्षा का
संगठन—शिक्षा का माध्यम तथा मापाओं की शिक्षा—पाठ्यक्रम—
पाठ्य-पुस्तक—शिक्षण की गतिशील विधियाँ—चरित्र निर्माण—
शिक्षा-निर्देश तथा परामर्श—शारीरिक स्वास्थ्य-शिक्षा—शिक्षक तथा
शिक्षक-प्रशिक्षण—परीक्षा—प्रशासन—अर्थ-व्यवस्था—समीक्षा—

मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा—गंगटन—शिक्षा-विकास—माध्यमिक शिक्षा परिषद या बोर्ड—पाठ्यक्रम—शिक्षक-प्रशिक्षण तथा चुनाव ।

५ : : औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा

७४-९७

मद्व—उद्देश—भारत में औद्योगिक व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा का विकास—प्राचीनकाल—मध्यकाल में व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा—अंग्रेजी शासन-काल में औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा—१८८२ का हष्टर आयोग—लॉर्ड कर्जन—१९१९ का मविधान—१९३५ का शासन-विधान—मालेण्ट रिपोर्ट—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् प्राविधिक, औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा—राधाकृष्णन् विन्यविद्यालय आयोग (१९४८-१९४९)—माध्यमिक शिक्षा आयोग (सुदाल्कर आयोग १९५२-५३)—प्रथम या द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ—मध्यप्रदेश में व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा—उच्च तांत्रिक शिक्षा—राज्य-स्वीय प्राविधिक शिक्षा बोर्ड

६ : : उच्च शिक्षा

९८-१३१

प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा—मध्ययुग में उच्च शिक्षा—वर्तमान काल में उच्च शिक्षा—अंग्रेजी शासन-काल में उच्च शिक्षा : कलाकला, मद्रास तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना—अंग्रेजी पार्लियामेंट की बहस : १७९३—गालो हाष्ट का लेन—रुमार्ड मिशन—अंग्रेजी माध्यम बनाने तथा विन्यविद्यालय स्थापने के प्रयास—विश्वविद्यालय बनाने तथा इंजीनियरिंग शिक्षा—१८५४ का सुद शिक्षा मविधान—नये विन्यविद्यालयों की स्थापना—१८८२ का हष्टर आयोग—लॉर्ड

करने—१९०४ का विश्वविद्यालय एक्ट—सन् १९१३ का प्रस्ताव
 —कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग—नये विश्वविद्यालयों की स्थापना
 —अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड—१९१९ तथा १९३५ के संविधान—
 साजेंट रिपोर्ट—स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा—विश्वविद्यालयीन
 शिक्षा के दोष—विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (१९४८)—सन्दर्भित
 निर्देश (terms of reference)—विश्वविद्यालयीन शिक्षक वर्ग
 —शिक्षण का स्तर—पाठ्यक्रम—स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा नये शोध
 का कार्य—प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा—धार्मिक शिक्षा—
 शिक्षा का माध्यम—परीक्षा—विद्यार्थी—स्त्री-शिक्षा—विधान तथा
 अधिकार—अर्थ—बनारस, अलीगढ़ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय—
 नये विश्वविद्यालय—ग्रामीण विश्वविद्यालय—आयोग की सिफारिशों
 की समीक्षा—केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (१९५०)—विश्व-
 विद्यालय विधेयक (१९५२)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—
 प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा—मध्यप्रदेश
 में उच्च शिक्षा—नये विश्वविद्यालयों की स्थापना—नये महाविद्यालयों
 की स्थापना—नये विषयों के शिक्षण की सुविधाओं की वृद्धि—त्रिव-
 र्णीय स्नातक पाठ्यक्रम की कार्यान्विति—गैर-सरकारी महाविद्यालयों
 में विज्ञान-शिक्षण की सुविधाएँ ।

७ : : शिक्षक-प्रशिक्षण

१३२-१४७

विश्व के विभिन्न देशों में शिक्षकों का प्रशिक्षण—प्राचीन काल में—
 मध्यकाल में—वर्तमान काल में शिक्षकों का विधिवत प्रशिक्षण—
 भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण—मध्यप्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण—प्राथमिक
 तथा पूर्व-प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों का प्रशिक्षण—उच्चतर

माध्यमिक शालाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था—उच्चतर तथा उच्च माध्यमिक एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था—शिक्षकों के शैक्षणिक मार्गदर्शन के हेतु विस्तार-कार्यों की व्यवस्था—शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था—शिक्षकों की नियुक्ति में मनोवैज्ञानिक ढंग आयोजित करने के हेतु जिला तथा सम्भाग स्तर पर चुनाव समितियों की स्थापना आदि—अल्पकालीन बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना—शिक्षा-संगोष्ठियों की व्यवस्था—भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्याएँ—भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण-समस्याओं के समाधान के उपाय ।

८ : : अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

१४८-१७५

सन् १८१३ में १८८२ तक—बुड डिस्पैच (१८५४)—भारतीय शिक्षा आयोग १८८२—सन् १८८२ से १९१० तक—सन् १९१० से १९१८ तक—सन् १९१८ में १९३० तक—सन् १९३० से १९५० तक—१९५० से वर्तमान काल तक—अनिवार्य शिक्षा के विकास के साधक कारण—भौतिक कारण—सामाजिक कारण—सांस्कृतिक कारण—आर्थिक कारण—राजनैतिक कारण—प्रशासनात्मक कारण—अनिवार्य शिक्षा के विकास के लिए मुद्दाव—सरकार द्वारा धन जुटाने के उपाय—भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राज-नैतिक कठिनाइयों का हल—प्रशासन तथा मंगटन-सम्बन्धी कठिनाइयों का हल—मध्यप्रदेश में अनिवार्य शिक्षा ।

९ : : बुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति

१७६-२०४

बुनियादी शिक्षा का स्वरूप—बुनियादी शिक्षा जीवन की तथा जीवन द्वारा शिक्षा है—उत्पादक उद्योग शिक्षा का माध्यम—उत्पादक

मूलोद्योग की बुनियादी शाला में स्थिति—उत्पादक मूलोद्योग का
 चुनाव—समवाय—पुस्तकों का स्थान—शाला तथा समाज का सम-
 न्वय—बालकों का स्थायक शासन—बुनियादी शिक्षा केवल ग्रामों के
 लिए ही नहीं—बुनियादी शिक्षा का विकास तथा प्रगति—केन्द्रीय
 शिक्षा सलाहकार परिषद् के अन्तर्गत समितियाँ—सर्जेंट रिपोर्ट
 (१९४४)—अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन—बुनियादी
 शिक्षा की नई परिभाषा—स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा—
 बुनियादी शिक्षा मूल्यांकन समिति (१९५५-५६)—अखिल भारतीय
 बुनियादी शिक्षा प्रदर्शनी तथा परिषद्—प्रथम पंचवर्षीय योजना—
 द्वितीय पंचवर्षीय योजना—मध्यप्रदेश में बुनियादी शिक्षा—नई
 बुनियादी शालाएँ खोलना—प्रचलित प्राथमिक शालाओं को
 बुनियादी में परिवर्तित करना—शिशुओं तथा कार्यकर्ताओं का
 बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण ।

१० :: बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रयोगों में विश्वभारती, हिन्दु-
 स्तानी तालीमी संघ, गाँधीग्राम तथा जामिया मिलिया का
 योगदान २०५-२१५

विश्वभारती—जामिया मिलिया दिल्ली—स्नातकों के लिए उच्च पाठ्य-
 क्रम—मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए निम्न पाठ्यक्रम—हिन्दुस्तानी तालीमी
 संघ—गाँधी-ग्राम । २१६-२२५

११ :: प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा
 अर्थ—प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा की आवश्यकता—प्रौढ़ तथा
 समाज शिक्षा के उद्देश्य—विश्व में प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा—मागत की

समस्या—ग्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा विधियाँ—भारत में ग्रौढ़ तथा समाज शिक्षा—प्राचीन काल—मध्यकाल—वर्तमान-काल—मध्यप्रदेश में ग्रौढ़ और समाज-शिक्षा—समाज-शिक्षा तथा यूनेस्को ।

१२ : : प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा २३०-२४१

प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा—प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-योजना के लक्ष्य—शिक्षा-योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम—प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य-स्तर पर शिक्षा-योजना कार्यक्रम—प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों की विवेचना—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-योजना के लक्ष्य—द्वितीय योजना-काल में शिक्षा-योजना पर व्यय—द्वितीय योजना-काल में शिक्षा-योजना-सम्बन्धी कार्यक्रम—प्राथमिक शिक्षा—बुनियादी शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा—उच्च शिक्षा—शिक्षा के अन्य कार्यक्रम—द्वितीय योजना-काल की शिक्षा-योजना की विवेचना ।

भाग २

आधुनिक विचारधाराएँ

१३ : : कर्मीनियम का शिक्षा-दर्शन	२४१-२४७
१४ : : रूमो का शिक्षा-दर्शन	२४८-२५१
१५ : : पेस्टालोजी का शिक्षा-दर्शन	२५२-२५५

- १६ :: फ्राब्येल का शिक्षा-दर्शन
१७ :: मैडम मांटेसरी का शिक्षा-दर्शन
१८ :: ड्युई का शिक्षा-दर्शन
१९ :: गाँधीजी का शिक्षा-दर्शन
२० :: टैगोर का शिक्षा-दर्शन

२५६-२५९
२६०-२६३
२६४-२७३
२७४-२७९
२८०-२८७

प्रकृतिवाद—मानवतावाद—विश्ववन्द्यत्व—टैगोर आदर्शवादी—
शिक्षा जीवन से सम्बन्धित—बालक पूर्ण जीवन व्यतीत करें—
बालक विभिन्न तथा पूर्ण स्वतंत्र—सत्यका एकत्व—शिक्षा स्वाभाविक
होनी चाहिए—मन की स्वतंत्रता—शिक्षक कैसे हों ?

- २१ :: विनोबाजी का शिक्षा-दर्शन

जीवन ही शिक्षा—शिक्षक—शिक्षा का आधार—शिक्षण-पद्धति—
छुट्टियाँ, दण्ड आदि—परीक्षा-पद्धति—मूलोद्योग अभ्यास—बुनियादी
शिक्षा का तत्व तथा आदर्श—बुनियादी शाला ।

२८८-२९४

अध्याय १

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

अर्थ

सामान्यतः पूर्व-प्राथमिक बालक से अभिप्राय १८ महीने या २ वर्ष से ६ वर्ष की आयुवाले बालक से रहता है। इस दृष्टि से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत नर्सरी तथा किंडरगार्टन, दोनों प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनेवाले बालकों का समावेश हो जाता है। नर्सरी शालाओं में छोटे बालक तथा किंडरगार्टन शालाओं में ४ या ५ वर्ष तक की आयु के बालक भरती होते हैं। परन्तु आजकल यह अन्तर कम होता जा रहा है, क्योंकि किंडरगार्टन शालाओं में २ से ३ वर्ष की आयुवाले बालक भरती होने लगे हैं। साथ ही नर्सरी शालाओं में भी ५ वर्ष तक की आयु के बालक-वाशिकार्य रहने लगे हैं। अतः अब प्राथमिक शिक्षा की आयु के पूर्व के बालकों की शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कहना ही उचित होगा। भारत में तो इन दोनों प्रकार की शालाओं का अभी आरम्भ सा ही है। भारतीय परिस्थितियों ही ऐसी हैं कि यहाँ बहुत छोटे बच्चों की शालाओं की अलग से आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो प्राइमरी शालाओं में ही बच्चों की बच्चाएँ, जोड़ने से काम चल सकता है। इससे एक तो शिक्षा का खर्च कम हो जायेगा तथा छोटे बच्चों को अपने बड़े भाई-बहनों से अलग पढ़ने भी न जाना पड़ेगा। वे उन्हीं के साथ तथा देखभाल में शिक्षा पा सकते हैं। हमारे देश में गाँवों की संख्या भी बहुत अधिक है। अनेक गाँव इतने छोटे हैं कि अलग से छोटे बच्चों की शाला के लिए काफी संख्या में बच्चे भी नहीं मिल सकते। कई गाँवों को मिलाकर छोटे बच्चों की शाला स्थापित करने में भी बड़ी कठिनाई है, क्योंकि छोटे बच्चे वैदल चलकर शाला नहीं जा सकते। अतः पूर्व-प्राथमिक शालाएँ शहरों में तो अलग से स्थापित की जा सकती हैं पर गाँवों में इन्हें अलग से स्थापित न करके प्राथमिक या बुनियादी शालाओं में बच्चों की

१० :: भारतीय शिक्षा तथा धातुनिक विचारधारणें

कक्षाएँ जोड़कर चलाना ही अधिक उपयुक्त होगा। इन कक्षाओं में तीन या इससे अधिक आयु से लेकर ६ वर्ष तक के बच्चे भरती किये जा सकते हैं।

आवश्यकता

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को यूरोप, इंग्लैंड तथा अमेरिका में तो बहुत ही अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। रूस में किंडरगार्टन, क्लेश तथा नर्सरी शालाओं की बहुत अच्छी तथा प्रचुर व्यवस्था है। पर भारत में अभी इसे इतना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है। इधर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ही इसे उपयोगी तथा आवश्यक माना जाने लगा है। वास्तव में यह भारतीय जनता का दुर्भाग्य है कि बालक की सबसे महत्त्वपूर्ण आयु, जिसमें सरलता से छाप अंकित की जा सकती है, प्रायः अज्ञान के कारण उपेक्षित रह जाती है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का संसार के सम्य देशों में प्रसार होने के निम्न कारण हैं :

१. इस आयु के बालकों की संख्या का अधिक होना।
२. एक बालकवाले कुटुम्बों की संख्या में वृद्धि।
३. कुटुम्बों में माँ का प्रमुख होकर काम में अधिक व्यस्त रहना।
४. माँ का दिन के अधिक समय तक घर के बाहर काम पर रहना।
५. मनोवैज्ञानिक तथा शरीर-विज्ञानवेत्ताओं की खोजों से इस आयु का बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण निरूपित होना।
६. नर्सरी तथा किंडरगार्टन शालाओं की अच्छी व्यवस्था से समाज को इनके महत्त्व तथा उपयोगिता का ज्ञान होना। इससे समाज सभी बालकों को इससे लाभान्वित करने की बात सोचने लगा।

महत्त्व

संसार के सम्य देशों में भी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का महत्त्व बहुत देर से मान्य किया गया। इसी लिए इगका इतिहास २०० या ३०० वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। वेगें तो १६वीं शताब्दी में ही कमीनिवस ने बच्चों की शाला की उपयोगिता बतलाई थी। पर इसकी प्रगति पिछले १०० वर्षों में ही अधिक हुई है।

व्यक्ति के जीवन में, उसके सर्वोत्तम विकास की दृष्टि से, आरम्भ के ६

वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये प्रथम ६ वर्ष न केवल उसके शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वरन् उसके मानसिक, सवेगात्मक तथा भावात्मक विकास की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर-विज्ञान-शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के शोध-कार्यों से भी इन वर्षों की सफलता का प्रतिपादन होता है। ब्रेकनरिल तथा किन्सेट ने इसी लिए लिखा है कि बच्चे प्रथम पाँच वर्षों में अपने शेष सम्पूर्ण जीवन की अपेक्षा अधिक सीखते हैं। गेसेल (Gesell) का भी कथन है कि व्यक्ति के विकास के अपूर्व, अनोखे तथा महत्वपूर्ण पक्ष उसके जीवन के प्रथम पाँच वर्षों में केन्द्रित रहते हैं। जरमील्ड महोदय तथा उनके साथी भी मानते हैं कि छः वर्ष की आयु तक बालक मानव के जीवनकाल में होनेवाले अधिकांश महत्वपूर्ण अनुभवों से परिचित हो जाता है। मानव-विकास-सम्बन्धी प्रयोगों तथा शोध-कार्यों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि बालक के प्रथम पाँच या छः वर्ष उसके व्यक्तित्व के विकास में बड़े प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके कारण ही यह सुसमजित (adjusted) या विचटित (असमजित) जीवन व्यतीत करता है।

संगर के प्रायः सभी विद्वान् इस मत से सहमत हैं। इसी लिए इस आयु के बालकों को उचित शिक्षा-व्यवस्था की ओर अर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का विकास

येने तो प्लेटो ने सामुदायिक नर्सरी की स्थापना बालकों के उचित विकास के लिए उपयोगी बतलाई थी तथा आदर्श राज्य के लिए इसे आवश्यक माना था पर कमीनियस (१५९२-१६७०) ही छोटे बच्चों की शाला खोलने के विचार का प्रारम्भकर्ता समझा जाता है। कमीनियस के बाद लाके (१६३१-१७०४) ने बालकों की आदर्श दालने के लिए प्रारम्भ से ही उन्नत प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बतलाया। रुमो (१७१२-१७८८) ने बालक की स्वतन्त्रता तथा उन्नत विद्या-कला को महत्वपूर्ण माना तथा पेरटालाजी (१७४६-१८२७) ने शिक्षण-विधि में सुधार किया।

सबसे प्रथम नर्सरी स्कूल १७६९ में बोवरलीन ने फ्रांस के पारिसे

(Walbach) नगर में खोला। इसके लगभग ४७ वर्ष बाद स्काटलैंड में नर्सरी शाला खोली गई। फ्रोकैल (१७८२-१८५२) ने किंडरगार्टन शालाएँ खोलीं तथा इसके बाद तो यूरोप, इंग्लैंड तथा अमेरिका में, १९वीं सदी के अन्तिम चरण में, नर्सरी तथा किंडरगार्टन शालाओं का प्रचलन हुआ। इस में भूमिक समाज अधिक होने तथा अधिक संख्या में महिलाओं के बाहर काम पर जाने के कारण किंडरगार्टन, क्रेच तथा नर्सरी शालाओं का बहुत अधिक विकास हुआ है।

प्रारम्भ में नर्सरी तथा किंडरगार्टन शालाएँ समाज के उस वर्ग के बच्चों के लिए ही खोली जाती थीं तथा यह समझा जाता था कि ये शालाएँ उच्चवर्ग के बच्चों के लिए ही हैं। अमेरिका में तो सन् १९३३ तक यह विचार प्रचलित रहा। वहाँ १९३३ में फेडेरल इमरजेन्सी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन ने समाज के निम्न-वर्ग के लोगों के लिए भी नर्सरी शालाएँ खोलने के नियम बनाये। द्वितीय महायुद्ध में नर्सरी तथा किंडरगार्टन शालाओं की संख्या अधिक बढ़ी। और जब माटेसरी शालाएँ भी खुलीं तो सभार के अनेक देशों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में एक कड़ी और जुड़ गई। परन्तु माटेसरी शालाएँ मद्धंगी होने के कारण इनका प्रचार धनी देशों में ही अधिक हुआ।

भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का इतिहास बहुत अर्वाचीन है। प्राचीन तथा मध्यकाल में कुटुम्ब तथा मन्दिर या मस्जिद आदि ही इस जिम्मेदारी को पूर्ण करते थे। आज भी अनेक कारणों से भारतीय कुटुम्ब ही इस शिक्षा की जिम्मेदारी वहन कर रहा है। भारत में सन् १९५०-५१ तक पूर्व-प्राथमिक शालाओं की संख्या, जिनमें पूर्व-युनिवादी शालाएँ भी सम्मिलित हैं, २७ ही थीं। सन् १९५१-५२ में यह संख्या ३३ हो गई। पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बहुत नगण्य थी। ऐसी प्रशिक्षण संस्थाएँ बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश और मैगूर में ही थीं। माटेसरी विधि का ४ महीने का प्रशिक्षण माटेसरी इन्टरनेशनल अगोमिनेशन की ओर से हैदराबाद में होता था। इसके बाद पूर्व-प्राथमिक तथा पूर्व-युनिवादी शालाओं की अच्छी प्रगति हुई। सन् १९५३-५४ में इनकी संख्या ४२६ हो गई। इनमें से ११ प्रतिशत शालाएँ सरकारी, ३१ प्रतिशत गैर-सरकारी स्वायत्त संस्थाओं की, तथा शेष ८५.९ प्रतिशत शालाएँ सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जाती थीं। इन सभी में छात्रों

की कुल दर्जसंख्या ४२,७५१ (२२,९१९ बालक तथा १९,८३२ बालिकाएँ) थी। इन शालाओं पर कुल व्यय १६,८९,३०० रुपये था।

सन् १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् की सिफारिशों के आधार पर बच्चों की शिक्षा की एक अखिल भारतीय समिति का गठन किया। इस समिति की प्रथम बैठक २८ तथा २९ अप्रैल सन् १९५३ को दिल्ली में हुई। इसकी सिफारिशों केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के समस्त अगली बैठक में रती गई।

सन् १९५४-५५ में पूर्व-प्राथमिक शालाओं की संख्या ५१३ हो गई तथा ५५-५६ में बढ़कर ६३०। पुराने मध्यप्रदेश में भी जबलपुर तथा नागपुर में महिलाओं के लिए पूर्व-प्राथमिक मटेसरी प्रशिक्षण संस्थाएँ अक्टूबर १९५४-५५ में खोली गई। सन् १९५३-५४ में पुराने मध्यप्रदेश के सबसे बड़े मटेसरी अध्यापन मन्दिर पूर्व-प्राथमिक शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिए खोला गया। इसके साथ-साथ बम्बई तथा मद्रास में भी एक-दो प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ। पर सामान्यतः स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ।

भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विकास के बाधक कारण

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विकसित न हो सकने का सबसे बड़ा बाधक कारण अंग्रेजी शासन की इस ओर उन्मेषा रहा है। अंग्रेजी शासन की उन्मेषापूर्ण नीति के साथ-साथ भारतीय जनता की गरीबी भी इसका दूसरा कारण रहा है। गरीबी के कारण जनता अपने बड़े बच्चों को ही शालाओं में नहीं भेज सकती थी तो छोटे बच्चों को भेजने का प्रश्न कहीं उठता था।

इसका तीसरा कारण भारतीय जनता का अज्ञान तथा अविश्वसित होना भी था। अज्ञान तथा अविश्वास के कारण ये बालक के जीवन के इन प्रथम छः वर्षों के महत्व से परिचित न थे तथा बालकों की शिक्षा के प्रति उन्हें कोई रुचि न थी।

भारतीय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का चौथा बाधक कारण भारत के गाँवों की अविश्वसिता है। गाँव संख्या में अधिक होने के साथ-साथ इतने छोटे हैं कि स्वतन्त्र शाला इनमें चल ही नहीं सकती है।

इसका पाँचवाँ कारण भारतीय माँ का अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक

लाइ-प्यार भी है। इस लाइ-प्यार के कारण वे यह सहन नहीं कर सकतीं कि उनके इस उत्तरदायित्व को कोई और वहन करे। इतना ही नहीं, वे ऐसा मानती हैं कि उनसे अधिक अच्छी तरह अन्य कोई इस कार्य को कर नहीं सकता।

छठवाँ कारण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का मँड़गा होना है। प्राथमिक-शिक्षा से भी अधिक खरचीली पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अभी तक रही है। अतः इसे केवल उच्च-वर्ग के बच्चों के योग्य ही समझा गया है। जब भी यदि इसे, पूर्व-बुनियादी के समान, सस्ता नहीं किया जायेगा तो भारत में माटेसरी, किंडरगार्टन आदि विधियों का प्रचार देश के उच्च वर्ग तक ही सीमित रहेगा।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा-प्रसार के उपाय

१. इसे सस्ता बनाया जाये। सस्ता बनाने के लिए इसे माटेसरी या किंडरगार्टन विधियों के पदचरणों पर चलाने की अपेक्षा पूर्व-बुनियादी के ढाँचे में टाला जाये।
२. जनता को शिक्षित करके बालक के प्रथम पाँच या छः वर्षों के महत्व को समझाया जाये।
३. गाँवों में तथा आस-पास के आवागमन के साधनों को सुधारकर गाँवों के जीवन को सरस, मधुर तथा उन्नत बनाया जाये। इससे पूर्व-प्राथमिक शालाओं की शिक्षिकाएँ गाँवों में रहना पसन्द करेंगी।
४. पूर्व-प्राथमिक शिक्षिकाओं को गाँवों में रहने के लिए आवास आदि की सुविधाएँ दी जायें। उनका वेतन तथा सेवा की शर्तें भी आकर्षक बनाई जायें।
५. स्थापन शासन संस्थाओं को बाल-मन्दिर खोलने के लिए प्रेरित किया जाये।
६. बाल-मन्दिरों को प्राथमिक शाला तथा गाँव के शिक्षा-कल्याण-केन्द्र से गंलन किया जाये। ये तीनों प्रायः एक ही जगह स्थापित होना चाहिए। ऐसा करने से एतत् भी कम पड़ेगा।
७. प्रशिक्षण के लिए शहरों की अपेक्षा गाँवों की पढी-लिखी महिलाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाये, जिससे वे जाकर अपने गाँवों में बाल-मन्दिरों का कार्य कर सकें।

८. पहिले शहरों तथा बाद में गाँवों में इसका अधिक प्रसार किया जाये।
९. महिलाओं की शिक्षा की सुविधा-व्यवस्था अच्छी तथा अधिक की जाये। इससे उनकी दशा सुधरेगी। महिलाओं की दशा सुधारना पूर्व-प्राथमिक शिक्षा-विकाश के लिए आवश्यक है।
१०. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हो।
११. लिखने पढ़ने की ओर अधिक ध्यान न देकर सामाजिक अनुभव, भोजन करने, सोने, स्वच्छ दवा में घूमने-खेलने आदि की स्वस्थ आदतों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

मध्यप्रदेश में छः बरों से कम आयु के बालक-बालिकाओं को सामाजिक शिक्षा तथा खेल-कूद के माध्यम से उपयोगी और स्वस्थ आदतों के निर्माण के लिए पूर्व-प्राथमिक शालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सन् १९५६ तक राज्य में केवल ९६ पूर्व प्राथमिक शालायें थीं। अब इनकी संख्या १६९ हो गई है। इस शिक्षा के प्रसार के लिए कम शुल्क लेने की व्यवस्था भी की गई है। राज्य में इस शिक्षा के लिए महिलायें ही उपयुक्त समझी गई हैं। अतः इन्हीं को शिक्षिका का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इनके उचित प्रशिक्षण के लिए जबलपुर में एक शासकीय पूर्व-प्राथमिक माटेसरी प्रशिक्षण संस्थान सन् १९५५-५६ से चल रही है। इसके सिवाय इन्दौर में भी एक अशासकीय प्रशिक्षण संस्था बाल-निर्देशन चल रही है।

राज्य की पूर्व-प्राथमिक शालाओं का नियंत्रण तथा निर्देशन महापक जिला शाला निरीक्षिकाओं द्वारा होता है। राज्य की विभिन्न इकाइयों की पूर्व-प्राथमिक शालाओं में जो विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे थे उनका एकीकरण १९६०-६१ तक से किया जा रहा है। इसी प्रकार पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम के एकीकरण का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इसने स्वीकृत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। परीक्षा-प्रणाली का एकीकरण भी हो गया है।

राज्य ने निजी प्रयासों से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का विकास करने की नीति

१६ :: : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

अपनाई है। इस हेतु आर्थिक अनुदान देने के नियम भी बनाये गए हैं, जिनकी प्रमुख बातें निम्न हैं :

१. प्रशिक्षित शिक्षिकाओं पर किये गए व्यय का ९० प्रतिशत तथा अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं पर किये गए व्यय का ३३ प्रतिशत;
२. आकस्मिक व्यय के हेतु प्रत्येक शाला के लिए दो सौ रुपए; और
३. शाला के लिए उपकरण आदि पर किये गए व्यय का ७५ प्रतिशत शासन की ओर से अनुदान के रूप में दिया जाता है।

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा से साधारणतः शिक्षा-काल के प्रथम ५, ६ या ७ वर्षों की शिक्षा का तात्पर्य ही समझा जाता है। विभिन्न देशों में आवश्यकता, तथा सुविधानुसार इसकी अवधि भिन्न-भिन्न रहती है। एक ही देश में विभिन्न समयों में प्राथमिक शिक्षा की अवधि भी भिन्न-भिन्न रहती है। इस अवधि में बालक-बालिका को प्रारम्भिक आवश्यक ज्ञान देने की व्यवस्था रहती है।

प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षा

भारत की प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैदिक-साहित्य के अतिरिक्त सूत्र-ग्रन्थों आदि में भी ब्राह्मण विद्यालयों का ही उल्लेख मिलता है। भारतीय समाज-संगठन का आधार मनु की समाज व्यवस्था ही है, जिसके अनुसार घरों की व्यवस्था की गई थी। इसमें बेटों के लिए व्यापार, नाप-जोत आदि कार्य निश्चित किये गए थे। इन कर्तव्यों का ज्ञान विधिवत शिक्षा द्वारा दिया जाता था या कुटुम्ब में ही, यह निरन्तरपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। पर 'के' महोदय ने अपनी पुस्तक 'Indian Education in Ancient and Later Times' में लिखा है कि "मनु के बहुत पूर्व भी भारत में लिपिना-पढ़ना प्रचलित था।" भारत में लिपिना तो प्रागैतिहासिक काल से प्रचलित रहा है, क्योंकि प्राचीनतम मिट्टी के बर्तनों आदि पर ब्राह्मी लिपि की लिखावट मिलती है। मोहन-जो-दड़ो में भी लिपियुक्त गमती मिली है। ईसा पूर्व ४५० के लगभग की एक बौद्ध मुद्रा में भी बालकों के खेलों का विवरण पाया गया है। इनमें एक खेल "अकारिका" है जो बाल या शायी की पीठ पर अक्षरों को बनाकर पहिचानने की विधि द्वारा खेला जाता था। इससे यह पता चलता है कि उस काल में भी लिपिना-पढ़ना भारत में प्रचलित था। भारत का अन्य देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल

से रहा है। हिसाब-किताब तथा लिखना-पढ़ना व्यापार का आवश्यक अंग है। मेगस्थनीज आदि विदेशी यात्रियों के विवरण से भी यह पता चलता है कि भारत में बहुत प्राचीन काल में भी लिखने-पढ़ने की शिक्षा व्यवस्था रही है। पर यह शिक्षा किस विधि से दी जाती थी इसके सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। हो सकता है कि यह शिक्षा व्यापार से सम्बद्ध होकर अनौपचारिक रूप से दी जाती रही हो या इसके लिए व्यापारियों द्वारा अलग से प्राथमिक शालाएँ स्थापित की गई हों।

ब्राह्मण-शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा को स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त न थी, क्योंकि यह उच्च धार्मिक शिक्षा से ही संलग्न रही है। साथ ही ब्राह्मण-शिक्षा मौरिक ही रहती थी। अतः ब्राह्मण उच्च धार्मिक शिक्षा से संलग्न प्राथमिक शिक्षा भी मौरिक ही रही होगी। इस काल में प्राथमिक-शिक्षा के रूप में वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, स्वर, मात्रा संधि आदि मौखिक उच्चारण के विभिन्न अवयवों का समुचित ज्ञान कराया जाता था।

वैसे तो ईसा के १००० वर्ष पूर्व ही भारत में लेखन-कला का प्रचार हो चुका था, पर चूँकि वैदिक मंत्र ईश्वरीय वाक्य कहे जाते थे, अतः इनके लिपिबद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया गया। फलस्वरूप ब्राह्मण-काल में वेदमंत्रों, व्याकरण, छन्द आदि की शिक्षा मौखिक ही रही।

उपनिषद् काल में व्यक्तिवाद का प्रभाव अधिक रहा। अतः प्राथमिक शिक्षा का इस काल में समुचित विकास हुआ। छद्मोपनिषद् में एक राजा के कथन का उल्लेख है, "मेरे राज्य में फोड़े भी गिरधर नहीं हैं।" इससे पता चलता है कि उपनिषद्-काल में प्राथमिक शिक्षा का समुचित प्रचार रहा होगा।

दा० अश्वेथर के अनुसार तो सूत्र काल में ८० प्रतिशत भारतीय साधर रहे होंगे। सूत्र-काल में वैश्य, ब्राह्मण तथा धर्मियों के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार इस काल में अग्रय हुआ होगा।

बौद्ध-काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास और भी अधिक हुआ, क्योंकि इस काल में लोकतन्त्रात्मक भावनाओं का प्रावण रहा। बौद्धधर्म बोलचाल की

भाषा तथा मञ्चनों के विकास को प्रभव देता था। अतः स्वाभाविक ही था कि इस काल के विहार और मठ शिक्षा-केन्द्रों में परिपत हों। अशोक के शिलालेखों सेवता चलता है कि ईसा पूर्व तीसरी सदी में जनता कान्ची संस्था में शिक्षित रही होगी। मौर्य-काल में देश में शान्ति तथा उन्नति रही। अतः शिक्षा की ओर जनता का ध्यान भी अवश्य जाना चाहिए। व्यापार आदि से भी शिक्षा को प्रभव मिला होगा। डा० अलेक्जर महोदय का कथन है कि भारत में ईसापूर्व दूसरी सदी में प्राथमिक शिक्षा ने स्वतन्त्र रूप ले लिया था तथा अक्षर-ज्ञान की शिक्षा बालकों को दी जाती थी।

पर जैसा कि डा० अलेक्जर महोदय ने कहा है पाँचवीं सदी के लगभग उप-नयन सरकार की अनिच्छा न रही तथा स्त्रियों पर अनेक सामाजिक प्रतिबन्ध लगने लगे। शूद्रों को तो खुले रूप से शिक्षा-प्राप्ति की स्वतन्त्रता रही ही नहीं थी। अतः इस काल में भारत में प्राथमिक शिक्षा का हास होने लगा। डा० अलेक्जर महोदय के अनुसार इस काल में साक्षरता लगभग ४० प्रतिशत रही होगी जब कि गुरु-काल में यह लगभग ८० प्रतिशत थी।

भारतीय प्राथमिक शिक्षा का यह हास-क्रम चञ्चलता ही रहा तथा ८०० से १२०० ई० की अवधि में तो इसकी दशा बहुत ही शोचनीय हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि बारहवीं सदी के अन्त में भारत में केवल १० प्रतिशतसे अधिक प्राथमिक शिक्षा का प्रकार न रहा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा की स्वतन्त्र मता उपनिषद्-काल में ही स्थापित हुई होगी। बौद्ध-काल में इसमें सांसारिक तथा भौतिक विषयों का समावेश होने लगा था। वैदिक-काल में प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप व्यावहारिक तथा धार्मिक ही रहा होगा। पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि गुरु ४०० तक शिक्षा की व्यवस्था राज्य की ओर से नहीं की जाती थी। वैयक्तिक रूप से ही शिक्षक शिक्षा दिया करते थे तथा समाज इन शिक्षकों का भरण-पोषण करता था। पाँचवीं सदी के बाद कुछ शासकीय संस्थानें अवश्य स्थापित हुईं पर इनमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था ही अधिक होती थी। कहीं-कहीं धनी-मानी व्यक्ति भी पाठशालाएँ स्थापित करते थे। कहीं-कहीं शास्य आदि के गर्व के लिए कर लगाने की व्यवस्था भी थी। इन प्राचीन पाठशालाओं

में गाँव के पुरोहित ही शिक्षक का काम करते थे। ये प्राथमिक शालाएँ बहुधा मन्दिर आदि से संलग्न होती थीं। इन शिक्षकों के निर्वाह के लिए मन्दिर से संलग्न जमीन आदि की आमदनी का उपयोग भी किया जाता था। श्री जान मथाई ने अपनी पुस्तक 'Village Government in British India' में लिखा है कि "इन ग्रामीण शालाओं का इतिहास ग्राम-समुदाय से संलग्न है तथा इन पाठशालाओं का उद्भव उतना ही प्राचीन है, जितना कि ग्राम-समुदाय का।" पर अनेक विद्वानों का विचार है कि प्राथमिक शालाओं का विकास ग्राम-समुदाय के विकास के बाद में हुआ। भारतीय ग्राम-समुदाय के विकास के विभिन्न कारण हैं पर यह तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि भारतीय प्राथमिक शालाएँ अधिकांशतः निजी तथा गैर-सरकारी होती थीं, इनके खर्च आदि की व्यवस्था समाज करता था तथा ये लोकतन्त्रात्मक होती थीं; साथ ही ये व्यावसायिक ही अधिक होती थीं, धार्मिक कम।

मध्यकाल में भारतीय प्राथमिक शिक्षा

मध्यकाल में भारतीय प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप प्राचीन काल के समान ही रहा। हाँ, भारत में मुसलमानों के आ जाने से मुसलमान बच्चे मस्जिदों से संलग्न मकतबों में पढ़ने जाते थे तथा हिन्दू बच्चे मन्दिरों से संलग्न पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त करते थे। इस काल में भारतीय शिक्षा सम्राट् तथा राजाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं से पूर्णतः प्रभावित रही तथा राज्य की ओर से आर्थिक सहायता पर निर्भर करती थी। जमींदार तथा धनी व्यक्ति भी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देते थे। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस काल में सर्वसाधारण की प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। पल्लवस्वरूप शिक्षित व्यक्तियों की संख्या दिन-पर-दिन घटती जाती थी।

मध्यकाल में संसार के प्रायः सभी देशों में धर्म तथा चर्च या मन्दिर का प्रभाव कम होने लगा था। मशीनों का आविष्कार होने लगा था। पल्लवः भौतिक दृष्टिकोण शिक्षा में भी आने लगा था। भारतीय शिक्षा में भी इस भौतिक शिक्षा के महत्त्व के कारण शैक्षिक विषयों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी नये-नये विषयों का समावेश होने लगा था। प्राथमिक शिक्षा में मानीटोरियल विधि का भी उपयोग होने लगा था।

क्योंकि कक्षा में बालकों की संख्या बहुत होने लगी थी तथा लौकिक विषयों के ज्ञान पर अधिक महत्व दिये जाने के कारण गुरु-शिष्य सम्पर्क धार्मिक शिक्षा के समान इतना अधिक तथा घनिष्ठ होना आवश्यक नहीं था। देश में राजनैतिक तथा धार्मिक हलचल के कारण शिक्षालयों की व्यवस्था भी गड़बड़ाने लगी थी जिससे अनुशासन की समस्याएँ उपस्थित होने लगीं। फलस्वरूप मार-पीट को अधिक प्रोत्साहन दिया जाने लगा। पर फिर भी यह कहा जा सकता है कि शिक्षा सर्वथा निष्प्राण नहीं हुई थी, उसमें जीवन था जो राजनैतिक, धार्मिक, तथा आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप भी शिक्षा-व्यवस्था को प्रायः ज्यों-का-त्यों रखे था। इसलिए 'के' महोदय ने लिखा है कि "संसार के बहुत कम राष्ट्रों ने, तथा पश्चिम के तो किसी भी राष्ट्र ने, ऐसी शिक्षा-व्यवस्था का विकास नहीं किया था जैसी कि भारतीय शिक्षा-व्यवस्था थी और जिसका इतना लम्बा इतिहास हो तथा जो इतने लम्बे समय तक, इतने कम परिवर्तनों के साथ जीवित हो। इतनी लम्बी सदियों के जीवन से यह प्रतीत होता है कि इस शिक्षा में कुछ मूल्यवान् तत्व अवश्य थे तथा वे उस समाज की आवश्यकताओं के उपयुक्त थे जिन्होंने उनका विकास किया था।"

अंग्रेजी शासन-काल में भारतीय प्राथमिक शिक्षा

मुगल-काल से ही यूरोपियों का आगमन भारत में व्यापार के लिए होने लगा था। १६वीं तथा १७वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों, डचों,

इंग्लैंड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा डेन लोगोंने अपनी यूरोपीय कम्पनियों में कार्य करनेवाले कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए शालाएँ स्थापित की थीं। इनके साथ-साथ मिशनरियों के प्रयत्न ने भी भारतीयों के बच्चों के लिए प्राथमिक शालाएँ खोलीं।

इन मिशनरियों की प्रेरणा से इंग्लैंड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने, जो धीरे-धीरे अठना प्रभाव बढ़ती जा रही थी, भारतीयों की शिक्षा के लिए शालाएँ खोलीं। सन् १७८४ में तंजीर के रेजिडेंट सालीवार ने उस जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए एक योजना प्रस्तुत की। इसे सन् १७८७ में कोर्ट आफ् डाइरेक्टर्स ने मंजूर किया तथा अंग्रेजी, गणित, तामिळ, हिन्दी और इंग्लिश गत की शिक्षा के लिए १०० पौण्ड प्रति शाला प्रति वर्ष खर्च के लिए

२२ : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

भंगूर किया। इस काल में कुछ निजी प्रयत्नों के अतिरिक्त अन्य जो भी प्रयत्न किये गए वे उच्च शिक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण थे।

इसके बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में १८१३ का एकट ही महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार कम्पनी को भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन करने

तथा उनकी शिक्षा पर एक लाख रुपये व्यय करने का आदेश

१८१३ का एकट दिया गया। पर सन् १८२३ तक इस दिशा में कोई कार्य

न हो सका क्योंकि एक लाख रुपयों की धनराशि को व्यय

करने के लिए जो लोक शिक्षा-समिति बनी थी उसमें दो दल हो गये। एक दल प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहता था तथा दूसरा दल पाश्चात्य शिक्षा की।

१८३० में कम्पनी के सचालकों ने गवर्नर जनरल के नाम एक नीति-पत्र भेजा। इसके अनुसार भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना तथा

पाश्चात्य विज्ञान का ज्ञान देना हितकर माना गया। इसके

१८३० का नीति- अनुसार परिमित भारतीयों को शिक्षा देने का मुद्दाव पत्र भी था। इसका फल यह हुआ कि सार्वजनिक शिक्षा का

प्रश्न टलता ही गया।

एक लाख रुपयों के व्यय के झगड़े का निपटारा करने तथा जाँच करके उस धन-राशि का उचित व्यय करने के हेतु मुद्दाव देने के लिए लार्ड मैकाले

को इस लोक शिक्षा-समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

लार्ड मैकाले की सन् १८३५ में इस विवाद को शान्त करने के लिए लार्ड मैकाले अध्याधार नीति ने एक नई शिक्षा नीति का श्रीगणेश किया। इस नीति के

फलस्वरूप पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के प्रसार तथा परिमित

संख्या में भारतीयों को शिक्षित करने की अध्याधार की नीति को मान्य किया गया। भारतीयों ने इसका विरोध किया पर कोई लाभ न हुआ तथा प्राथमिक

शिक्षा की कोई विरोध प्रगति न हो सकी। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का विकास अवदत हुआ क्योंकि १८३७ में अंग्रेजी राज्य-भाषा घोषित की गई तथा अंग्रेजी

पदे-लिये लोगों को अच्छी नौकरियों दी गई। इस प्रकार अध्याधार की नीति के आधार पर सन् १८५४ तक शिक्षा का कार्य चलता रहा। १८५४ तक के इस काल को हम प्राथमिक शिक्षा की उदोषा का काल पद सकते हैं।

इस काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार न हो सकने के निम्न कारण थे

१. कम्पनी का ध्यान अंग्रेजी की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की ओर ही रहा ।
२. स्थानीय देशी शालाओं की उपेक्षा की गई ।
३. अत्याधार की नीति के कारण समाज के कुछ उच्च वर्ग का विकास न के लोगों को ही शिक्षित करना श्रेयस्कर समझा गया ।
४. जनता की आर्थिक दशा गिरती ही गई तथा उसके सुधार के कोई प्रयत्न न किये गए । फलतः जनता प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने में असमर्थ रही ।

५. देश की आय का केवल ०.८८ प्रतिशत ही शिक्षा पर व्यय किया जाता था । इतना ही नहीं, इसका अधिकांश भाग उच्च माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हो जाता था ।

६. अंग्रेजी शासन ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीकरण करना अधिक उपयोगी समझा । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि प्राचीण शिक्षा के रूप में प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित ही रह गई ।

इन सब कारणों का परिणाम यह हुआ कि भारत, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्र राशियों की अनेक आगे समझा जाता था, धीरे धीरे निरुत्थता गया तथा कालान्तर में यह एक पिछड़ा हुआ देश ही माना जाने लगा । इस नीति का दुष्परिणाम भारत आज भी भोग रहा है ।

१८५४ के कुछ शिक्षा महाविधान में भी, जो कि उस काल का एक महत्वपूर्ण प्रयास कहलाता है, इस बात का उल्लेख किया गया कि अभी तक भारतीयों की उपयोगी तथा व्यावहारिक शिक्षा की अनेक ही की गई है तथा इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है । इस महाविधान में शिक्षा-विभाग की स्थापना, दसवार विभाग राजकीय विद्यालयों की स्थापना, आर्थिक अनुदान की व्यवस्था आदि के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विकास के प्रयत्न किये जाने के उल्लेख थे । शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करने की

	१८८१-८२	१९०२	१९१०-११
प्राथमिक शालाओं की संख्या	८२,९१६	९३,६०४	१,१८,२६२
बालक-बालिकाओं की संख्या	२०,६१,५४१	३०,७६,६७१	४८,०६,७३६

इस प्रकार हम देखते हैं कि १८८१-८२ से १९०२ तक के बीच से १९०२ से १९१०-११ तक की अवधि के बीच प्राथमिक शालाओं की संख्या प्रायः दुगुनी हो गई।

प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लार्ड कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था, पाठ्यक्रम में सुधार करके कृषि, वस्तुपाठ, किडर-गार्टन प्रणाली का उपयोग, शारीरिक शिक्षा आदि जोड़ने तथा आर्थिक अनुदान परीक्षा-फल के आधार पर देने की प्रथा को बन्द करने तथा इसके लिए एक सुदृढ़ तथा उपयोगी संगठन बनाने सम्बन्धी कार्य किये।

लार्ड कर्जन के सुधारों के फलस्वरूप १९०५ से १९१२ तक की अवधि में प्राथमिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई। पर इसके बाद सरकारी नीति प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने की ओर ही केन्द्रित हो गई।

१९०२ से इसका परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा की परिमाण-१९२१-२२ तक तक प्रगति बहुत ही मन्द हो गई। इस अवधि में बड़ौदा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई तथा भी गोखले और अन्य भारतीय नेताओं ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के अतुलनीय प्रयत्न किये। भी गोखले का सन् १९१० में केन्द्रीय विधान सभा में अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव तथा १९११ में पुनः उसका दुहराना और इसके लिए जो विचार उन्होंने व्यक्त किये वे तो देश के प्राथमिक तथा अनिवार्य शिक्षा के इतिहास में स्वर्णशरीरों से लिये जाने योग्य हैं।

भी गोखले तथा अन्य भारतीय नेताओं के अत्यधिक दबाव डालने के फलस्वरूप १९१३ का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के प्रयत्न ही अधिक किये गए हालाँकि प्रस्ताव में यह कहा गया था कि "भारत सरकार को यह आशा तथा आशा है कि निकट भविष्य में मार्चजिनिक प्राथमिक शालाओं की संख्या २,००,००० से बढ़कर २,९९,००० हो जायेगी तथा इन शालाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ४२,५०,०००

में बदल कर दुगुनी हो जायेगी।” पर यह आकांक्षा पूर्णभूत न हो सकी। यह अवसर किया गया कि इस प्रस्ताव के अनुसार बम्बई, पंजाब, यू. पी. मध्यप्रान्त, आन्ध्रप्रान्त, पश्चिमोत्तर गौमाप्रान्त में प्राथमिक शिक्षा बोर्डों के हाथ में सौंप दी गई। इस कार्यकाल में अनेक प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून भी पास किये गए। पर फिर भी बंगला देश के प्रथम चरण में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति बहुत ही कम हुई। संख्या तथा स्तर-सुधार दोनों ही दृष्टियों में शिक्षकों के वेतन तथा पाठ्यक्रम में भी सुधार इस काल में न किया जा सका। हाँ, प्राथमिक प्रान्तों के लिए भवन-निर्माण तथा अन्य सामान दिये जाने के मद्दय में कुछ प्रगति अवसर हुई। गतिहीनता तथा व्यर्थता के आँकड़े भी प्रायः वैसे ही रहे।

भारत में इस काल में निम्न तीन कानून उत्तरदायी शासन के विभाग के द्वारा पास किये गए :

- १९२१ में १९४७ (१) १९१९ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट
 तथा (२) १९३५ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट
 (३) इण्डियन इण्डिपेंडेंस एक्ट १९४७

प्रथम कानून ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की, द्वितीय ने प्रान्तीय शासन में पूर्ण स्वशासन दिया तथा तृतीय ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता दी।

१९१९ के एक्ट के अनुसार प्रान्तों में दोहरा शासन प्रारम्भ हुआ। शिक्षा तथा कुछ अन्य विषय भारतीय अधिकारों को सौंपे गए। इससे प्राथमिक शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा की मात्रा अल्प शिक्षा, पर शिक्षा-विभाग में पुगाने आई. ई. एम. स्तरों के कारण शिक्षा-प्रणाली में बड़ी अड़चनें जाती थीं। हालाँकि १९२४ में आई. ई. एम. स्तर के अन्तर्गत भारती बन्द हो गई थीं, पर फिर भी अनेक पुगाने अस्मय में जो संवैधानिक वृद्धि के न्याय पर स्तर-सुधार को अधिक मद्दतपूर्ण समझते थे तथा भारतीय अधिकारों के मन के अनुसार कार्य न होने देने थे। साथ ही साथ अर्थ विभाग अधिकारों के हाथ में था, जिससे आवश्यक धन की शिक्षा संरचनाओं को न मिल पाता था। इन सब अड़चनों तथा कठिनाइयों के होने हुए भी प्राथमिक शिक्षा का अच्छा विकास हुआ, जिसका पता निम्न आँकड़ों में पता चलता है :

२८ :: भारतीय शिक्षा तथा भाषुनिक विचारधाराएँ

	१९२१-२२	१९२६-२७
प्राथमिक शाळाएँ	१,५५,०१७	१,८४,८२९
शाळाको की संख्या	X	८०,१७,९२३

सन् १९२८ में भारतीय विकास आयोग ने शिक्षा-व्यवस्था के पुनःसंगठन के मुशाव देने के लिए एक सहायक-समिति की स्थापना की। इस सहायक समिति के अध्यक्ष सर क्लिप हाटॉंग थे, अतः इसे हाटॉंग समिति समिति कहते हैं। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सन् १९२९ में ही दे दिया। इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के दोषों तथा कठिनाइयों को बतलाया, साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी मुशाये।

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में निम्नलिखित कठिनाइयाँ थीं :

१. भारतीय जनता का ग्रामवासी होना।
२. भारतीय जनता का निरक्षर तथा रुढ़िवादी होना।
३. जनसंख्या के घनत्व की कमी, यातायात के साधनों का अभाव, प्राकृतिक कठिनाइयों आदि।
४. ऐसे क्षेत्रों की अधिकता जहाँ के निवासी अत्यन्त पिछड़े हैं।
५. धर्म, जाति तथा भाषा आदि की विभिन्नताएँ।

समिति ने निम्नलिखित निकाला कि इन कठिनाइयों के होते हुए भी प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ है, पर इसमें अनेक दोष हैं। इसमें व्यर्थता तो प्राथमिक शिक्षास्तर पर बहुत ही अधिक है। इस व्यर्थता के निम्न कारण हैं :

१. प्राथमिक शिक्षा का गतिहीन तथा निष्फल होना।
२. प्राथमिक शिक्षा-प्राप्त बालकों का पुनः निरक्षर हो जाना।
३. प्रौढ-शिक्षा का अभाव।
४. प्राथमिक शाळाओं का अनियमित तथा अमनोवैज्ञानिक वितरण।
५. एक शिक्षकीय शाळाओं की अधिकता।
६. पाठ्यक्रम का अनुपयोगी तथा मनुचित होना।
७. शिक्षण का प्रभावहीन होना।
८. निरोधों की कमी।

इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए निम्न सुझाव दिये :

१. प्राथमिक शालाओं का छिटपुट विस्तार न करके उनको सुधार के सुझाव मसिष्ट किया जाये ।
२. प्राथमिक शिक्षा कम-से-कम ४ वर्ष की हो ।
३. प्राथमिक शिक्षा का स्तर उच्च किया जाये । इसके लिए शिक्षक-प्रशिक्षण को उन्नत बनाया जाये । समय-समय पर अल्पकालिक शिक्षक-प्रशिक्षण आयोजन किया जाये । साथ-ही-साथ शिक्षकों का पद आकर्षक बनाया जाये जिससे योग्य व्यक्ति आकृष्ट हों ।
४. प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार किये जाये ।
५. शाला लगाने के समय तथा छुट्टियों को स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाये ।
६. प्राथमिक शाला की सब से निचली कक्षा पर सब में अधिक ध्यान दिया जाये तथा प्राथमिक शालाओं में व्यर्थता तथा गतिहीनता की सख्या कम की जाये ।
७. प्राथमिक शालाओं को ग्रामोत्थान का केन्द्र बनाया जाये ।
८. प्राथमिक शिक्षा का मारा अधिकार स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को न दिया जाये । निरीक्षण तथा प्रमाणन के आवश्यक अधिकार सरकार स्वयं अपने पास रखे ।
९. निर्देशकों की गणना बढ़ाई जाये ।
१०. अनिवार्य शिक्षा के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की जाये तथा इसे लागू करने में शीघ्रता न की जाये ।

इस प्रकार द्वादश समिति ने प्राथमिक शिक्षा के संगठन, संयोजन तथा मर-सुधार पर ही अधिर बल दिया । सरकारी कर्मचारियों को तो ये सुझाव अच्छे लगे, पर भागीनों ने इनका विरोध किया । अनिवार्य शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की परिभाषात्मक प्रगति की मौंग पुनः बलवता हो उठी । इसी समय विश्वज्यायी मन्दी में भी गणपूर्व देश प्रभावित रहा । फलतः प्राथमिक शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी रही, जिनका पता निम्न आंकड़ों में पता है :

१९२६-२७

१९२६-२७

प्राथमिक शास्त्राणें १,८४,८२९

१,९२,२४४

इसी प्रकार छात्रों की संख्या में भी बहुत कम वृद्धि हुई ।

सन् १९२७ से १९४७ के बीच भी प्राथमिक शिक्षा की बहुत कम प्रगति हुई । सन् १९२७ में १९२५ का भारतीय विधान लागू हुआ । पल्लस्वल्प प्रान्तों को आन्तरिक शासन में स्वतन्त्रता मिली । देश के सात प्रान्तों में कांग्रेस के मंत्रिमण्डल भी बने । कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार तथा उसे अनिवार्य बनाने के प्रयत्न किये । पर चूँकि अनिवार्य शिक्षा निजी साधनों पर ही आधारित थी तथा निजी साधन तथा प्रयत्न प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की अन्तिम सीमा स्पर्श कर रहे थे अतः सरकारी सहायता के अभाव में इस दिशा में कोई विशेष विकास न हो सका । केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ की जा सकी ।

इस अवधि में, हार्टोग समिति की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय स्वायत्त मन्शाओं में प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी अनेक अधिकार सरकार ने वापिस ले लिये । इसमें बम्बई अप्रणी रहा ।

इस अवधि में प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में अवश्य सुधार हुआ । द्वितीय महायुद्ध के कारण शिक्षकों की दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी । कई म्गानों में तो वेतन-वृद्धि तथा मँहगाई के लिए हड़ताल आदि का सहारा भी लिया गया । सन् १९४९ में बम्बई प्रान्त में यह हड़ताल लगभग ४५ दिनों तक चली । पल्लस्वल्प लगभग सभी प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षकों का वेतन बढ़ा तथा मँहगाई भत्ता भी दिया जाने लगा । पर जिन अनुपात में मँहगाई बढ़ी थी उस अनुपात में वेतन-वृद्धि नहीं हुई ।

इस काल में प्राथमिक शिक्षा के विद्वान्तों तथा विधियों में सुधार के हेतु अनेक नये प्रयोग तथा प्रयत्न किये गए, जिनमें महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा-योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसने सम्बन्ध में अन्यत्र विस्तार में बर्ना की गई है ।

सम्प्रान्त में "विद्या मन्दिर योजना" तथा बम्बई में "स्व-संचालित स्कूलों की योजना" भी इसी दिशा में किये गए प्रयोग थे ।

युद्ध के बाद भारत सरकार ने देश की शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए सरकार गजेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति का प्रतिवेदन १९४६ में प्रकाशित हुआ। गजेट रिपोर्ट भारतीय शिक्षा के मध्यम में अपने वृहद रूप में बनाने के प्रथम महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। इसने बुनियादी शिक्षा को कुछ मुद्दों के साथ मान्य किया। इसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा उद्योग और कृषि के माध्यम से शिक्षा देने के विद्वानों को मान्य किया गया। केवल स्वावलम्बन के विद्वानों को इसमें मान्यता नहीं दी गई है। इसने अनुसार प्राथमिक शिक्षा ६ से १४ वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से की जायेगी तथा इसके दो भाग होंगे :

६ से ११ वर्ष तक बुनियादी बौद्धिक

११ से १४ वर्ष तक मौनियर बौद्धिक

गजेट रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में २०० करोड़ रुपये का व्यय तथा ४० वर्ष की अवधि लगाने का अनुमान लगाया गया था। आज के बच्चों के अनुसार तो यह खर्च लगभग चौगुने से भी अधिक होगा। ४० वर्ष की अवधि भी बहुत अधिक होती है; जिसे बाद में, भारतीय संविधान में, संविधान लागू होने से १० वर्ष कर दिया गया।

स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा (१९४७ से वर्तमान तक)

१५ अगस्त १९४७ भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के अंकित किया जायेगा, क्योंकि १५ दिनांक की लगभग २०० वर्षों की सुनहली तथा पराधीनता के बाद भारत पूर्ण स्वतन्त्र हुआ। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद गजेट रिपोर्ट में अनेक परिवर्तन किये गए।

सन् १९४८ में जनवरी में भारत सरकार ने सभी राज्यों के शिक्षा-सचिवों, विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों तथा बुने हुए शिक्षा-शास्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। इसमें भारत के सभी राज्यों के लिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था-मन्त्रियों निर्णय किया गया। सरकार समिति ने भी, जो १९४७ में गठित हुई थी, अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का मुद्दा दिया। सरकार समिति ने १६ वर्ष की अवधि में बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य बनाने का मुद्दा दिया। इसके लिए १६ वर्ष की अवधि को तीन चरणों में विभाजित किया गया। पहला तथा दूसरा चरण

५-५ वर्ष का तथा तीसरा चरण ६ वर्ष का रखा गया। इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि राज्य इसके लिए ७० प्रतिशत व्यय तथा केन्द्र ३० प्रतिशत व्यय का भार-बहन करे। इस समिति ने अनुमान लगाया कि अनिवार्य बुनियादी शिक्षा में लगभग ३६६ करोड़ रुपये व्यय होंगे।

इस प्रकार राष्ट्र ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में स्वीकार किया तथा इसे अनिवार्य करने के सक्रिय प्रयास किये गए।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को निम्न दो उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सहायता देना निर्दिष्ट किया गया :

१. चुने हुए क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए चातक परियोजना (pilot project) प्रचलित करना।
२. वर्तमान प्राथमिक शालाओं को इस रूप में विकसित करना कि अन्ततः वे बुनियादी शालाओं में परिवर्तित की जा सकें।

इस योजना में बुनियादी शिक्षा को सभी के लिए शीघ्र-से-शीघ्र मुख्य करने का उद्देश्य भी था। बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए यह आवश्यक था कि शिक्षण-विधियों आदि में भी समुचित उन्नति की जाये। इस हेतु प्रत्येक 'अ' तथा 'ब' श्रेणी के राज्य में बुनियादी शालाओं के सघन क्षेत्र योजना के अन्तर्गत समूह स्थापित किये गए। 'स' श्रेणी के लिए ऐसा समूह दिल्ली में स्थापित किये जाने का मुझाव था। इस क्षेत्र में पूर्व-बुनियादी, बुनियादी, उत्तर-बुनियादी, शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय तथा कालेज स्थापित किये जाने की योजना थी। इसमें यह आशा की जाती थी कि इस क्षेत्र-विशेष में बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ जन-समुदाय में भी स्वावलम्बन तथा सहयोग की भावनाओं का विकास होगा एवं आसामर की गैर-बुनियादी शालाएँ इनमें समाहित होंगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के ६३ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष के २३ प्रतिशत बालकों को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए ५३,००० नये जूनियर प्राथमरी तथा ३,५०० (मिडल) सीनियर स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई। इसके साथ-साथ प्राथमिक शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने, माहिन शिक्षकों को अधिक संख्या में प्रशिक्षित करने, शाला भवनों का निर्माण, आभ्यन्तर निर्माणा को कम करने आदि पर धन देने का प्राय-

धान भी है। साथ-ही-साथ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की वृद्धि के लिए मितव्ययता—सस्ते भवन-निर्माण, सहशिक्षा, टुहरी पाली आदि के द्वारा—करने का विचार भी मान्य किया गया।

सरकारी साधनों में अधिकतम त्याग उठाने के लिए इन साधनों को सामुदायिक प्रयासों द्वारा वित्तृत करने तथा सामुदायिक संस्थाओं को शिक्षा उप-कर लगाने का अधिकार देने की व्यवस्था भी है।

तृतीय योजना काट में ६ से ११ वर्ष के देश के लगभग ७० प्रतिशत बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के हेतु शिक्षा पर किये जाने वाले खर्च का लगभग ५१ प्रतिशत व्यय प्राथमिक शिक्षा पर ही किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा का प्रकार समुचित हुआ है तथा इसे अनिवार्य करने की दिशा में भी टोस बढ़त उठाये जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा के विकास में बाधक कारणों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का विस्तृत विवेचन अनिवार्य शिक्षा के अध्याय में किया गया है अतः इस पर यहाँ विचार नहीं किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा

सन् १९५८ के पूर्व महाकोशल क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की अवधि ४ वर्ष की थी। राज्य के अन्य क्षेत्रों में यह अवधि ५ वर्ष की थी। अतः राज्य के प्राथमिक शिक्षा-स्तर की एकस्यता के लिए महाकोशल क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में भी सन् १९५८ में ५वीं कक्षा जोड़ दी गई। इस प्रकार सारे राज्य में प्राथमिक शिक्षा की अवधि पाँच वर्ष हो गई।

सन् १९५६ में राज्य पुनर्गठन के पूर्व राज्य के चारों क्षेत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रम चलते थे। सन् १९५८-५९ तक में समूचे राज्य की प्राथमिक तथा पूर्व-माध्यमिक शालाओं में एकीकृत नया पाठ्यक्रम लागू किया गया। यह पाठ्यक्रम हिन्दुस्तानी टापीसी संघ के अद्यतन पाठ्यक्रम में मेल खाता हुआ बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों

३४ :: मारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

पर आधारित है। यह पाठ्यक्रम अन्तरिम काल के लिए ही है। इससे आगे चलकर गैर-बुनियादी शालाओं का बुनियादी में परिवर्तन सरल हो जायेगा। इस पाठ्यक्रम में शिक्षा की सुगुबद्ध योजना की गई है। इसमें कक्षा १ से ८ तक बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों को विशेषरूप से स्थान दिया गया है तथा आशा व्यक्त की गई है कि यह पाठ्यक्रम क्रियाओं के आधार पर पूर्ण किया जायेगा। पाठ्यक्रम में शिक्षकों के मार्गदर्शन के हेतु आवश्यक निर्देश तथा गैर-बुनियादी शालाओं में बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी ऐसे कार्य-कलाप भी दिये गए हैं जो बिना किसी कठिनाई तथा विस्तृत साधन-व्यवस्था के एकदम प्रारम्भ किये जा सकते हैं। राज्य में २३ राष्ट्रीयकृत पुस्तकें भी प्रचलित हैं।

नवीन मध्यप्रदेश राज्य के निर्माण के समय सम्पूर्ण राज्य में प्राथमिक शालाओं तथा शालाओं की संख्या लगभग २१,५५९ थी। प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थियों की को प्राथमिकता देने के कारण इसकी जो प्रगति हुई उमका संख्या पता निम्न आंकड़ों से लगता है :

क्रमांक	शाला	१९५५-५६	१९५६-५७	५७-५८	५९-६०
१	प्राथमिक शालाएँ (बुनियादी)	१,१११	१,६४१	१,८३१	X
२	प्राथमिक शालाएँ (गैर-बुनियादी)	१९,८३६	२१,९२१	२३,७१७	X
		२०,९४७	२२,७३२	२५,५४८	२९,६१५

इसी प्रकार प्राथमिक शालाओं में बालकों की भी अधिक वृद्धि हुई है। निम्नका पता निम्न आंकड़ों से लगता है :

क्रमांक	शाला	१९५५-५६	५६-५७	५७-५८	५९-६०
१	बुनियादी प्राथमिक शालाओं में	८६,५३२	१,१८,८९३	१,२७,८००	
२	गैर बुनियादी प्राथ- मिक शालाओं में	९,९५,९९९	११,५२,४८३	१२,४२,४८८	
		१०,८२,५३१	१२,७१,३७६	१३,७०,२८८	१७,६३,३५८

इस प्रकार वायस्क-बालिकाओं की संख्या सन् १९५६ की सख्या में लगभग ७० प्रतिशत अधिक है।

राज्य के एकीकरण के समय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन-मान में भिन्नता थी। अब विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों करके शिक्षकों की अर्हता (योग्यता) के आधार पर का वेतन-मान तथा एकीकृत वेतन-मान स्वीकार किया गया है। राज्य में अन्य व्यवस्थाएँ १ अप्रैल १९५८ से प्राथमिक शिक्षकों का वेतन-मान निम्न प्रकार है :

१. मिडिल शिक्षा-प्राप्त प्रशिक्षित—र० ४५-२३-६० अर्हता रोध ५-१००
२. मिडिल शिक्षा-प्राप्त अप्रशिक्षित—र० ४०-१-५०-२-७०
३. मेट्रिक पास प्रशिक्षित—र० ५०-२३-६० अर्हता रोध ४-१००-५-१२५
- ४ मेट्रिक पास अप्रशिक्षित—र० ४५-२३-६० अर्हता रोध ५-१००

इसके साथ-साथ शिक्षकों को महंगाई भत्ता भी मिलता है। १९५९ में गामहोप तथा न्यानीय नियमों द्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षाओं के शिक्षकों को ५) अतिरिक्त भत्ता भी स्वीकृत किया गया है।

प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी आवश्यक नियम बनाये गए हैं जिनमें उनका चुनाव योग्यता तथा अनुभव के आधार पर किया जा सके।

राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या-वृद्धि भी हुई है जिनके आकड़े निम्न हैं :

प्रकार शाखा	१९५५-५६	५६-५७	५७-५८
१. बुनियादी प्राथमिक शिक्षक	२,८९९	४,३३६	४,८२६
२. उच्च-बुनियादी प्राथमिक शिक्षक	३८,२४२	४०,१६३	४२,०८५
योग	४१,१४१	४४,५९९	४६,९११

इसके साथ-साथ ६०-६१ में वर्तमान प्राथमिक शाखाओं में ८०० अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करने के लिए एक ५ लाख रुपये का प्रावधान है। १९६०-६१ में बेकारी नियंत्रण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की मददता में १८५० शिक्षकों तथा ३७ गणपक जिला शाखा निर्देशकों की नियुक्ति की जायेगी।

राज्य में यह अनुभव किया जा रहा है कि महिला शिक्षकों को गाँवों में स्थान न मिलाने के कारण वे गाँवों में नौकरी करना या स्थानान्तर कराना स्वीकार नहीं करती हैं। अतः इसके लिए प्राथमिक क्षेत्रों में भारत सरकार की सहायता से १,०९४ गाँवों के बनाने की योजना १९६०-६१ तक पूर्ण होने की आशा है। एक ही गाँव में दो निवासगृह बनाने की योजना है जिससे दोनों शिक्षिकाएँ पास-पास रह सकें।

सन् १९५७ में योजना आयोग के शिक्षाविद् अपनी घूना की बैठक में इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि प्राथमिक शिक्षा के द्रुत विस्तार के लिए शिक्षक-विद्यार्थी-अनुपात बढ़ाना आवश्यक होगा। उन्होंने शिक्षक-बालक-शिक्षक-विद्यार्थी-अनुपात १ : ५० रखा था। अर्थात् एक शिक्षक पीछे ५० बालक। सशर के अन्य उत्तम देशों में भी एक शिक्षक के पीछे ६० या ७० तक बालकों का अनुपात स्वीकार किया गया था। अतः भारत में तो यह स्वीकार किया ही जा सकता है। पर राज्य में स्थान आदि के अभाव के कारण शिक्षक-विद्यार्थी-अनुपात १ : ४५ रखा गया है, पर २ कक्षाओं से अधिक बाली शाळा में एक अनिश्चित शिक्षक देने की सुविधा रची गई है।

भोपाल तथा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्रों की अधिकांश प्राथमिक तथा पूर्व-माध्यमिक शाळाएँ सरकार के अन्तर्गत हैं। मध्यभारत क्षेत्र में सरकार के अन्तर्गत शाळाओं की गल्ला भी अधिक है, पर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं तथा प्रशासन निजी प्रयागों में भी शाळाएँ चलाई जाती हैं। महाबोपाल क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक शाळाएँ कम तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं, मिशन, निजी संस्थाओं द्वारा ही अधिकांश प्राथमिक शाळाएँ चलाई जाती हैं। इसके लिए संस्थाओं की सरकारी आर्थिक सहायता या अनुदान दिया जाता है।

सरकार ने प्राथमिक शाळाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण, पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों की मंत्री, शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि अधिकार अपने हाथ में रखा है। निर्देशन के लिए महाबोपाल जिला शाळा निरीक्षक तथा निर्देशिकाएँ नियुक्त की जाती

ई। इनके पाम लगभग ५० या ५५ सालाएँ होती हैं। शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य में समय-समय पर शिक्षा-संगोत्रियों का आयोजन किया जाता है।

अनिवार्य तथा बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी विवेचन इसी पुस्तक के अन्य सम्बन्धित अध्यायों में किया गया है।

पूर्व-माध्यमिक शिक्षा

पूर्व-माध्यमिक शिक्षा का विचार स्वतन्त्र रूप से कब से प्रारम्भ हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर यह २०वीं सदी की ही देन होनी चाहिए। रूस के अन्य देशों में भी इस प्रकार की शालाएँ २०वीं सदी के प्रारम्भ में थीं जो बाद में जूनियर हाई स्कूल कहलाने लगीं। इस प्रकार की शालाओं के प्रारम्भ करने के कारणों में प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में न्यून की कमी हो प्रमुख रही है। पूर्व-माध्यमिक शालाओं में निम्न लाभ की अपेक्षा रही है :

१. प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के बीच सम्बन्ध की स्थापना।
 २. प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में जाना एकदम न होकर बालक की आयु तथा विकास के अनुसार करने में सहायता।
 ३. शाला में अधिक संख्या में बालकों को दर्ज करके रखना।
- प्रारम्भ में पूर्व-माध्यमिक शालाएँ केवल मंगटन तथा प्रबन्ध की सुविधा में ही गई थीं। पर अब शैक्षणिक महत्व पर ही अधिक बल दिया जाने लगा है। मंगटन तथा प्रबन्ध की अधिक महत्व देने के माध्यमिक कारण पूर्व-माध्यमिक शालाओं में विषयवार शिक्षक रखने, लाभों के बहिष्कार शाला में प्रायः एक-ही आयु के बालकों का समूह बनाने रखने आदि का ही ध्यान रखा जाता था। परन्तु स्वल्प, तन्मिक अवस्था में, पूर्व-माध्यमिक शाला के निम्न उद्देश्य प्रमुख थे :
१. उन्हीं तक ही एक-ही, समन्वित शिक्षा की व्यवस्था करना।
 २. बाल्य-यात्रियों की ताल्यात्मिक आयुव्यक्तियों का पता लगाना तथा उनकी पूर्ति करना।

३. बालक-बालिकाओं की शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों की सम्भावनाओं में परिचित करना ।
४. बालक-बालिकाओं की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा कामनाओं का पता लगाना ।
५. बालकों को प्रारम्भिक चुनाव के आधार पर विषयों का चुनाव करके ऐसी शिक्षा देना जिसे बालक तथा बालिका अपने भविष्य के विशेष लाभदायक ज्ञान-प्राप्ति में उपयोगी समझे ।

अब धीरे-धीरे पूर्व माध्यमिक शालाओं के उद्देश्यों तथा कार्यों में परिवर्तन होता जा रहा है । 'ब्रूड' महोदय ने १९२० में एक वीक्षणिक सर्वेक्षण किया था, जिसमें उन्होंने पूर्व-माध्यमिक शाला तथा जूनियर हाई स्कूलों के निम्न कार्यों तथा उद्देश्यों का पता लगाया :

१. बालक-बालिकाओं की अधिक संख्या में भरती रखकर, समय की बचत कर के, बालकों के वैयक्तिक क्षेत्रों को मान्यता देकर, जॉब तथा निर्देशन करके तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रारम्भ करके लैबलन्स्रात्मक शाला में लैबलन्स्रात्मक व्यवस्था आरम्भ करना ।
२. उन्नत शिक्षण की परिस्थितियों की व्यवस्था करना ।
३. शाला में सामाजिकता तथा अनुशासन-सम्बन्धी परिस्थितियों को सुधारना ।
४. बालक की मुख्य अवस्था के स्वरूप में परिवर्तन होना ।
५. ज्ञान की अधिक टोंग प्राप्ति कराना ।

मिथ तथा अन्य विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किये हैं तथा वे भी प्रायः इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं । कुछ विद्वानों ने अभिन्यास शिक्षा के बाद भी बालक-बालिकाओं की शालाओं में भरती रखना इन पूर्व-माध्यमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों का उद्देश्य तथा कार्य बतलाया है । कुछ विद्वानों का विचार है कि ये पूर्व माध्यमिक शालाएँ, माध्यमिक शालाओं की अतिशय बालक-बालिकाओं के हिस्से-लौकन के लिए अधिक उन्नत वातावरण प्रस्तुत करती हैं ।

भारत में पूर्व-माध्यमिक शालाएँ अंग्रेजी शिक्षा की ही देन हैं। आज

भारत में पूर्व-माध्यमिक शालाओं की निम्न तीन प्रकार की

भारत में पूर्व-माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है :

माध्यमिक शिक्षा १. स्वतन्त्र पूर्व-माध्यमिक शालाएँ ।

२. प्राथमिक शालाओं में सलग्न-पूर्व-माध्यमिक शालाएँ ।

३. माध्यमिक शालाओं में सलग्न पूर्व-माध्यमिक शालाएँ ।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में प्राथमिक-शिक्षा तथा माध्यमिक-शिक्षा का प्रसार कम था। अतः उस समय स्वतन्त्र रूप में पूर्व-माध्यमिक-शालाओं की स्थापना आवश्यक थी। फलस्वरूप इन्हें स्वतन्त्र रूप में अनेक स्थानों में स्थापित किया गया। धीरे-धीरे, जब प्राथमिक शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ तथा गाँवों में अधिक मंगिया में बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने लगे तब बड़ी-बड़ी प्राथमिक शालाओं से पूर्व-माध्यमिक कक्षाएँ सलग्न की जाने लगीं। इसमें अनेक बालक अपने गाँव या आसपास के गाँवों में रहकर और अधिक शिक्षा प्राप्त करने लगे। शहरों की माध्यमिक शालाओं में वहाँ की प्राथमिक शालाओं से पाठ वाचक अंग्रेजी पढ़ने जाते थे। पर हर स्थान में तो माध्यमिक शाला नहीं हो सकती थी; अतः जहाँ माँग अधिक होती वहाँ माध्यमिक शाला प्रारम्भ की जाती तथा उसमें मीथे ४थी कक्षा पास बालक-बालिकाओं को भरती किया जाता था। इस प्रकार शहरों की माध्यमिक शालाओं में पूर्व-माध्यमिक कक्षाएँ सलग्न रहतीं। सन् १९३७ में गांधीजी की सुनियोजित शिक्षा-योजना में भी गाठ बंधे की शिक्षा का स्वरूप था। बाद में इसे अष्टवर्षीय बना दिया गया। अतः सुनियोजित शिक्षा के प्रसार के प्रयासों ने भी पूर्व-माध्यमिक शिक्षा का काफी विस्तार किया।

आजकल स्वतन्त्र रूप में पूर्व-माध्यमिक शालाएँ स्थापित करने का चलन कुछ कम होता जा रहा है, क्योंकि यह मँडगी पड़ती है। स्थान भी अधिक मंगला है। अतः अब इसे प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति मंगार के अनेक देशों में परिलभित हो रही है। इसके अनेक कारण हैं :

१. प्रायः सभी उन्नत तथा मध्य देशों में अनिवार्य शिक्षा १४, १५, १६ वर्ष की आयु तक रानी जाती है।

२. माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकताएँ मिलाईं तथा इस शिक्षा को सभी तक पहुँचाना अभी उपयोगी नहीं समझा जा रहा है।
३. प्राथमिक शिक्षा के साथ मेलन करने में यह सभी तक बिना किसी अधिक व्यय के साथ पहुँचाई जा सकती है।
४. पूर्व-माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देश के सभी नागरिकों के लिए प्राप्त करना देशहित में विशेष उपयोगी तथा आवश्यक माना जाने लगा है।

भारत में अब बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप दिया गया है।

अतः अब पूर्व-माध्यमिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा से समन्वित करने की प्रवृत्ति प्रगति कर रही है। देश के प्रायः प्रत्येक राज्य में ऐसे पाठ्य-क्रम तैयार किये गए हैं जो बुनियादी शिक्षा से मेल खाते हैं। जब तक पूर्ण रूप से बुनियादी शिक्षा सभी जगह लागू नहीं हो जाती तब तक ऐसे पाठ्यक्रमों की उपयोगिता अधिक है। क्योंकि इनमें बुनियादी में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है।

इसके साथ-साथ प्रायः प्रत्येक राज्य में पूर्व-माध्यमिक स्तर तक का शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाने, पुस्तकें मजूर करने, शिक्षकों के बंटन, सेवा-शर्तें आदि अनेक प्रशासकीय बातों पर शिक्षा-विभाग का अधिकार रखने की प्रवृत्ति परिगमित हो रही है। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को केवल माध्यमिक स्तर के शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार दिये जाते हैं।

भारतीय पूर्व-माध्यमिक शिक्षा-भार पर प्रायः सभी विषयों का ज्ञान अनिवार्य रूप में प्राप्त किये जाने पर बल दिया जाता है। केवल उद्योगादि में चुनाव आदि का प्रावधान है। इसका कारण यह है कि इस आयु के बच्चों को आन्दरक सभी बातों का ज्ञान मिल जाना चाहिए, जिसमें उनका समुचित विभाग हो सके तथा इसके आधार पर वे आगे अपनी आवश्यकता तथा व्यक्तिगत रुचि आदि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकते हैं। मनो-विश्लेषकों का कथन है कि १३-१४ वर्ष की आयु के पूर्व तक बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों आदि के सम्बन्ध में निश्चित रूप में निर्णय दिया जाना भी कठिन ही होता है। इस आयु में बालक का अनेक प्रकार का विभाग लेना ही होता रहता है। अतः इस आयु के बाद ही चुनाव आदि ठीक ठीक किया जा सकता है। इस उम्र में सभी विषयों का आवश्यक ज्ञान दिया जाना ठीक ही है। इसके

साथ-साथ एक बात और है। हमारे देश में १३ या १४ वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात चल रही है। अतः इस आयु तक देश के बालक-बालिकाएँ शालाओं में रहेंगे। अतः इस आयु तक उन्हें कम-से-कम इतना आवश्यक ज्ञान तो मिल ही जाना चाहिए जो देश की लोकतन्त्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल तथा उसके लिए आवश्यक हो। ऐसा ज्ञान इसी स्तर पर दिया जा सकता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा तो देश के चुने हुए अच्छी बुद्धिवाले बालक ही प्राप्त करेंगे।

पूर्व-माध्यमिक स्तर पर विषयों के खण्ड-खण्ड करके न पढ़ाकर उन्हें समन्वित करके पढ़ाने की प्रवृत्ति भी परिलक्षित हो रही है। ज्ञान तो एक ही है। बालक का मस्तिष्क भी समुचित ज्ञान ही ग्रहण करता है। अतः गणित, बीजगणित, रेखागणित; या नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल ऐसे अलग-अलग विषयों में ज्ञान न देकर समन्वित करके ज्ञान दिया जाना अधिक उपयोगी होगा।

पूर्व-माध्यमिक स्तर की समानता तथा स्तर उन्नत करने की दृष्टि से राज्य, सम्भाग या जिला-स्तर पर परीक्षाओं के लिए समितियों भी गठित होती हैं। इससे स्तर-सुधार तथा उसे समान करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो रही है। पहिले जब माध्यमिक शालाएँ कम थीं तब प्रायः हर राज्य में पूर्व-माध्यमिक स्तर के आठवीं वर्ष में बोर्ड द्वारा परीक्षा होती थी। पर बीन में इस पद्धति का त्याग कर अधिकांशों को ही ये अधिकार दे दिये गए। पर अब देश के बहुत कम स्थानों में बोर्ड की परीक्षा ली जाती है। अब तो स्थानीय, जिला, सम्भागीय स्तर को स्वतन्त्र बोर्ड लेकर पूर्व-प्राथमिक स्तर के आठवीं वर्ष की परीक्षा देने का चयन है। अन्य कक्षाओं को परीक्षा प्रथानाज्यापक ही लेता है।

प्रायः प्रत्येक राज्य में पूर्व-माध्यमिक स्तर को तीन वर्षों का करने की प्रवृत्ति है। पहिले जब प्राथमिक शिक्षा ४ वर्ष की दी जाती थी तब पूर्व-माध्यमिक शिक्षा की अवधि ४ वर्षों होती थी। पर अब विद्वान् इसको अवधि ३ वर्षों ही रखने के पक्ष में हैं। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी, जिसे मुदान्वित आयोग (१९५२) भी कहते हैं, पूर्व-माध्यमिक शिक्षा की अवधि ३ वर्षों ही सुझाई है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा वर्तमान काल की ही विशेषता है। प्राचीन काल में जब समाज का संगठन सरल तथा सीधा था तब समाज के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना ही उपयोगी समझा जाता था। उस काल में प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक के ज्ञान से जीवन के सभी आवश्यक कार्य चल जाते थे। पर विज्ञान के विकास तथा जीवन की जटिलता के कारण यह आवश्यक हो गया कि बालकों की प्राथमिक शिक्षा के स्तर से आगे का ज्ञान भी दिया जाये। आजकल वास्तव में प्राथमिक स्तर तक का ज्ञान तो बहुत कम समझा जाने लगा है। प्राचीन काल में शिक्षा का सम्बन्ध धर्म से था। जो व्यक्ति प्राथमिक स्तर से अधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे वे धर्म-सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी सभी प्राथमिक शिक्षा के रूप में साधारण शिक्षा प्राप्त करके अपना व्यवहार करने लगते थे। पर आज सामाजिक गार्हस्थ्य जीवन मनुष्यित रूप में स्वीकृत करने तथा देश के स्वतन्त्रता-सक जीवन में सक्रिय योग देने के लिए, यह आवश्यक हो गया है कि जन-साधारण को और भी अधिक शिक्षा मिले।

पाश्चात्य देशों में माध्यमिक शाखाओं का उच्चतर मूल्यांकन के "मेट्रिक" तथा "ऐकेडेमिक" हार्ड स्टाफ के रूप में मिला है। मूल्यांकनों ने जन-जीवन को उल्ला तथा मनुष्य बनाने के लिए इन दो प्रकार की शाखाओं को उपयोगी माना था। रोम ने भी इती के आधार पर अपनी माध्यमिक शाखाओं का संगठन किया। सन् १८२१ में रोमन में "एकेडेमी" के स्थान पर हार्ड स्टाफ स्थापित किया गया। अमेरिका में १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में माध्यमिक शिक्षा की शाखाएँ खुली। पर शब्द इसके पूर्व भी प्रयोग रूप से माध्यमिक स्तर का ज्ञान विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा दिया जला रहा होगा।

४४ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

इंग्लैंड की लेटिन ग्रामर शालाएँ भी माध्यमिक शालाओं का ही प्रारम्भिक रूप हैं। भारतीय वर्तमान माध्यमिक शिक्षा का प्रारम्भ १९वीं सदी के प्रारम्भ से ही मानना चाहिए। १८१३ के एक्ट के अनुसार १ साल रुपया भारतीयों की शिक्षा के लिए कम्पनी को खर्च करने का आदेश दिया गया था। इस धन की व्यवस्था के लिए एक लोक-शिक्षा-समिति बनाई गई थी। अनेक कारणों से इस समिति में दो दल हो गए। एक दल प्राच्य शिक्षा तथा साहित्य को प्रोत्साहित करना चाहता था तो दूसरा दल पाश्चात्य शिक्षा को। यह झगड़ा अनेक वर्षों तक चरता रहा, जिसके फलस्वरूप इस समिति का कार्य ही ठप हो गया। अन्त में लार्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बनाये गए। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा तथा अंग्रेजी के प्रसार की नीति अपनाने का मुझाव सरकार को दिया। परिणाम-स्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सरकार द्वारा अंग्रेजी तथा यूरोपीय शिक्षा के प्रसार की नीति अपनाने के निर्णय की घोषणा थी। वैसे इस आदेश में भारतीय देशी शालाओं तथा शिक्षा को चान्द्र रखने-सम्बन्धी मुझाव भी था। पर लार्ड मैकाले के मुझाव, तथा उनके मुझाव के आधार पर १८३५ का सरकारी निर्णय ही यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान की शालाओं को भारत में प्रारम्भ कराने में प्रमुख रूप से सहायक हुए। इस प्रकार की शालाएँ राजा राममोहन राय तथा अन्य भारतीयों के प्रभाव के कारण शीघ्र ही व्यापक हुईं। इन शालाओं में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने पर कम्पनी में अच्छी नौकरियाँ भी मिलती थीं, क्योंकि सन् १८४४ में लार्ड हार्डिज ने यह घोषित किया था कि अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जायगी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो अंग्रेजी शिक्षा, यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान के प्रसार के लिए भारत में प्रारम्भ की गई थी, उसका उद्देश्य अब केवल नौकरी दिलाने तक ही सीमित तथा संकुचित मान लिया गया। पाश्चात्य शिक्षा के लिए जो माध्यमिक शालाएँ थीं उनमें अंग्रेजी तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान धराये जाने पर बल दिया जाता था, पर विज्ञान की व्यावहारिक शिक्षा उद्योगित ही रहती थी। इस प्रकार एक दूजित तथा संकुचित आधार को लेकर भारत में पाश्चात्य शिक्षा की माध्यमिक शालाओं की स्थापना हुई।

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य

प्रारम्भ में ही माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को उपभोगी तथा सुखी नागरिक बनाना रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि माध्यमिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न ही किया जाता है। संसार के विभिन्न देशों में माध्यमिक शिक्षा के ढंग में विभिन्नता होने हुए भी प्रायः सभी प्रकार की माध्यमिक शिक्षा का यही प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके साथ-साथ महाविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश पाने योग्य बनना भी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य रहा है। वैसे लैटिन ग्रामर स्कूल या एंग्लो-इण्डियन तथा उच्च शिक्षा के महाविद्यालयों के विषयों में बहुत कम सम्बन्ध रहता था; पर फिर भी माध्यमिक शिक्षाएँ उच्च शिक्षा में प्रभावित होती रही हैं। मध्यकाल में जो उच्च शिक्षा के योग्य बनाना ही माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। बोगरी सदी के प्रथम तथा द्वितीय चरण में भी माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा में प्रभावित होती रही है।

भारतीय माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति की शान्ति-सी रही है तथा अंग्रेजी शासन के लिए अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त लोगों की आवश्यकता थी। अतः अंग्रेजी शासन-काल में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना तथा महाविद्यालय में प्रवेश करने योग्य बनाना ही रहा है। सामाजिक क्षमता बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था।

अब हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है तथा आज की परिवर्तित परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा संशुचित ढाँचे में निरन्तर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। अतः माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आवश्यक है। मुद्रान्तर आयोग ने (१९५२-५३) अपने प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या की है। वर्तमान भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हुए मुद्रान्तर आयोग ने लिखा है कि भारत राजनैतिक दृष्टि में एक भूमिनिवेश जनवादी गणतन्त्र बन गया है; अतः यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा बालकों में उच्च आदर्शों, प्रवृत्तियों तथा चरित्र का विकास करने योग्य हो, जिसमें देश के नागरिक लोकतन्त्र के उत्तरदायित्वों में परिचित हो तथा उन सभी सुखी प्रवृत्तियों में अभ्यस्त रहें जो

एक विस्तृत, स्वस्थ, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में बाधक हो सकती हैं।

भारत प्राकृतिक साधनों से समृद्ध है पर इन साधनों के समुचित रूप से उपयोग न किये जा सकने के कारण भारतीय जनता गरीब है तथा देश के अधिकांश व्यक्ति निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः भारत की सबसे बड़ी समस्या देश की उत्पादन-क्षमता तथा कौशल को बढ़ाने की है। इससे देश में धन की वृद्धि होगी, जिससे भारतीयों का जीवन-स्तर उभरेगा।

व्यापक दरिद्रता तथा शिक्षा-सुविधाओं की कमी के कारण देश की अधिकांश जनता अपना पेट भरने की समस्या हल करने में ही जुटी रहती है। फलस्वरूप सांस्कृतिक गतिविधियाँ तथा कार्यों की ओर वे ध्यान नहीं दे पाते हैं।

देश की इन आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में भारतीय माध्यमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य निश्चित किये जा सकते हैं :

देश के बालकों को धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र के उत्तरदायित्वों को वहन करने के योग्य बनाने तथा उनके नैतिक उत्थान के लिए चरित्र-गठन आवश्यक है।

शैक्षणिक चरित्र-गठन में नागरिकता की बड़ी अपेक्षाएँ होती हैं। नागरिक चरित्र-गठन में उचित विवेक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास अपने-आप नहीं आ सकता है। उचित विवेक, समझ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए यह आवश्यक है कि बालकों को स्वतन्त्रतापूर्वक सुलेखित से सोचने-विचारने का अभ्यास हो। वे पुगनी परम्पराओं में न एकदम अविश्वसनीय रहें और न जो नया है उसमें अनास्था। विचारों की स्पष्टता से सम्बद्ध बोलचाल तथा लिखने की स्पष्टता है। ये दोनों प्रकार की स्पष्टताएँ न केवल सामाजिक क्षमता की वृद्धि करती हैं बल्कि व्यक्ति के जीवन को सुगम, सम्पन्न तथा प्रभावशाली भी बनाती हैं।

शैक्षणिक आधारभूत धर्म तथा सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का आदर है। यह तभी सम्भव है जब कि व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास हो। सर्वोत्तम विकास सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के परिचय तथा उनके जीवन-साधन के फायदों से ही सम्भव है। हमारा तात्पर्य यह हुआ कि स्वस्थ सामाजिक जीवन में ही व्यक्ति का समुचित विकास हो सकता है। अतः हमारी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सामाजिक जीवन को सुगम, सुख, उपयोगी तथा समुचित

दंग से जीने के लिए आवश्यक गुणों, जैसे, अनुशासन, सदकारिता, धैर्य, मदन-मौलता आदि का विकास होना चाहिए। बालकों में सामाजिक न्याय की भावनाओं का उदय तथा उमड़े लिए एत तदुप-भी होनी चाहिए। सामाजिक न्याय ही अच्छे चरित्र का आधार है। सामाजिक न्याय के अभाव में हमारे चरित्र के सभी गुण या तो प्रभावी न होंगे या निम्न ध्येयों की ओर गतिशील होंगे। अतः सामाजिक न्याय की भावना आवश्यक है।

राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी हमारे सांख्यिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पर वह राष्ट्रीयता मनुचित न हो। हमें तो, ईसा गांधीजी तथा विनोबा भावे का कथन है, "मनोदय" का दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमने विश्व-कल्याण होगा तथा विश्व शान्ति स्थापित होगी।

भारत के अतुल्य गांधीयों के मनुचित उपयोग तथा विकास के लिए श्रम-शील होना अत्यन्त आवश्यक है। श्रमशील होने के लिए हमें श्रम के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। हमारे लिए न फोर्ड काम स्थायसाविक छोटा या निम्न तथा न फोर्ड काम बड़ा होना चाहिए। सभी क्षमता का विकास काम सरके योग्य है। इसके साथ-साथ हमें निजी काम की हाथ में लेने के बाद बटिनाद्यों आदि के आने पर भी उसे अच्छी तरह पूर्ण करने की आदत डालनी चाहिए। हमारी सांख्यिक शिक्षा के में उद्देश्य तो होना ही चाहिए। साथ ही इस शिक्षा के द्वारा बालक-बालिकाओं की स्वायत्ताविक तथा प्राथमिक क्षमता का विकास भी करना चाहिए। इसके लिए उन्नतक उपयोग तथा विषयों की भिन्नता पर अधिक महत्व देना आवश्यक है।

बालकों की रचनात्मक शक्ति का उचित उपयोग करके उसे अपनी मूर्तुति के तन्त्रों में परिणित करने तथा उनमें साहित्यिक, सांख्यिक, कलात्मक और सूक्ष्मात्मक भावनाओं एवं शक्तियों का विकास भी भारतीय व्यक्तिपर विद्यमान सांख्यिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। हमें उनके व्यक्तित्व या पूर्ण विकास सम्भव होगा तथा देश का सांख्यिक उन्नयन भी। ए प्रकटिणीय मूर्तुति के प्रादुर्भाव के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

भारतीय माध्यमिक शिक्षा न तो राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा में अलग और न उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार होना चाहिए। यह स्वयं अपने में पूर्ण तथा सम्पन्न होनी चाहिए। लोकतन्त्र की नेतृत्व संरचना के लिए यह आवश्यक है कि देश के सभी नागरिक अपने उत्तरदायित्वों का वहन करना जानते हों। इसके लिए अनुशासन तथा नेतृत्व के गुणों का विकास आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में तो देश के कुछ चुने हुए लगभग २० प्रतिशत छात्र ही जायेंगे। अतः नेतृत्व तथा अनुशासन के गुणों का विकास माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर करने से ही भारतीय लोकतन्त्र की सफलता सम्भव है। नेतृत्व की भावना के उचित विकास के लिए अच्छी शिक्षा, विचारों की गहनता तथा स्पष्टता, विवेक, सामाजिक समस्याओं का स्पष्ट तथा समुचित ज्ञान, प्राविधिक क्षमता आदि आवश्यक हैं। अतः हमारी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऊपर उल्लिखित गुणों का विकास होना चाहिए, जिससे उचित क्षमता के व्यक्ति विरुद्ध परिस्थितियों तथा अवसरों में गंभीर तथा प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें।

भारतीय माध्यमिक शिक्षा का संगठन

माध्यमिक शिक्षा एक स्वयं-पूर्ण तथा सम्पन्न इकाई होनी चाहिए तथा इसे उच्च शिक्षा की तैयारी की इकाई ही न मानी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा ४ या ५ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद तथा उच्च शिक्षा के पूर्व की इकाई है; अतः इसमें प्रायः ११ से १७ वर्ष की आयु के बालक-बालिकाएँ ही आती हैं। यदि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा नियोजन ठीक तथा ठोस हो तो ७ वर्ष की शिक्षा बालक-बालिकाओं में समुचित ज्ञान, विवेक, गमता का विकास कर सकती है। इसके आधार पर वे अपने जीवन को समुचित तथा प्रमानी ढंग में व्यतीत कर सकते हैं। इस आयु के अन्त तक (१७ वर्ष) वे जीवन के उत्तरदायित्वों को वहन करने के योग्य बन सकते हैं तथा उन्हें निगो उपयोग की समुचित शिक्षा दी जा सकती है।

अभी तक भारत में शिक्षा में सम्बन्धित सभी विद्वानों का यह विचार रहा है कि माध्यमिक शिक्षा अभी अच्छी योग्यता के बालक नहीं विकसित कर रही

है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिए भी इनमें अनुचित ज्ञान, परिपक्वता, विवेक आदि का विराम नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि कम आयु के बालक हमसे निरन्तर हैं। माध्यमिक शिक्षा-स्तर पर विविधता लाने के लिए भी यह आवश्यक होगा कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि बढ़ाई जाय क्योंकि अनेक प्रकार के व्यावहारिक तथा प्राविधिक पाठ्यक्रमों को आवश्यकताओं को देखते हुए यह आवश्यक है। पर शिक्षा की सम्पूर्ण अवधि को बढ़ाने में राष्ट्र तथा पाठक दोनों को अधिक धन व्यय करना होगा। आज की परिस्थितियों में इतना अधिक धन व्यय करना सम्भव नहीं है। अतः माध्यमिक शिक्षा आयोग (सुदालियर आयोग १९५२-५३) ने माध्यमिक-शिक्षा का निम्न गगटन सुझाया है :

१. ४ या ५ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद पूर्व-माध्यमिक या गौनियर ब्रेगिक स्तर ३ वर्ष।
२. उच्चतर माध्यमिक स्तर ४ वर्ष।

इस मुझाय के अनुसार वर्तमान माध्यमिक शालाओं को उच्चतर तथा बहुउद्देशीय बनाने के लिए एक वर्ष की शिक्षा और जोड़ना आवश्यक होगा। इन्टरमीडिएट कक्षाएँ अलग कर दी जायेगी तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा ३ वर्ष की होगी। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा अस्तर में पूर्ण होगी।

माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा के गगटन में सम्बन्धित तालिका पृष्ठ ५० पर दी जा रही है।


चूँकि अभी देश में विभिन्न अवधि वाली माध्यमिक शालाएँ चल रही हैं जिनमें ६ या ७ वर्ष की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद दी जाती है तथा इन शालाओं के लिए एहदम एक वर्ष की अधिक शिक्षा की व्यवस्था करना सम्भव न होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दो प्रकार की माध्यमिक शालाएँ कुछ समय तक चलने रहने का मुझाय दिया है :

१. माध्यमिक शालाएँ—वर्तमान में प्रचलित माध्यमिक शालाएँ;
२. उच्चतर माध्यमिक शालाएँ, जिनमें एक वर्ष की शिक्षा की और व्यवस्था की जायेगी।

केन्द्रीय शिक्षा-गणद्वार-परिषद ने मन् १९५५ में १२ में १८ जनररी तक आनी २२वीं बैठक में भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग की इस विन्यासित

५० :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा का संगठन



एक विशेष रूप में विचार किया तथा उन्होंने विचार-विमर्श के बाद यह निश्चय किया :

१. स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम ३ वर्ष का हो, जिसमें १७ वर्ष से अधिक आयु के बालक भरती हों ।
२. १७ वर्ष की आयु तक माध्यमिक शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए । इस शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि बालक तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम में अच्छी तरह चल सकें ।
३. स्नातक को पूरा करने के उद्देश्य से स्कूल की अन्तिम परीक्षा का सर्वांगीण पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाने की प्रार्थना की जाये ।
४. माध्यमिक स्तर की शिक्षा की अवधि १० वर्ष हो तथा आगिरि तथा ११वां हो । माध्यमिक शिक्षा में लगने वाले वर्षों का निश्चय प्रत्येक राज्य अपनी परिस्थिति के अनुसार करेगा ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राज्यों पर एक छोड़ दिया था कि वे अपनी सुविधानुसार ११ वर्षों की पढ़ाई या १२ वर्षों की पढ़ाई माध्यमिक शिक्षा के लिए आवश्यक मानें । पर केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय-परिषद् ने इस अनिश्चितता को दूर करके ११ वर्ष की अवधि इसके लिए निश्चित की । इसमें सम्पूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा का एक-सा ढांचा संगठित हो गेगा ।

भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का स्तर दिया है । पूर्ण बुनियादी शिक्षा १४ वर्ष की आयु तक चल्नी है अतः यह स्वाभाविक है कि माध्यमिक शिक्षा की कुछ अवधि उमरे मिलनी-जुगली हो । राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा में एकलपत्था तथा समरमता लाने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह निश्चय किया कि माध्यमिक शिक्षा, या पूर्व-माध्यमिक तक पाठ्यक्रम का स्तर एक-सा रहना चाहिए ।

इसके साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने भारतीय अन्तः प्रसार की माध्यमिक शिक्षाओं के संगठन के सम्बन्ध में भी सुझाव दिये, जो नीचे में निम्न है :

१. माध्यमिक शिक्षा ४ या ५ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद प्रारम्भ

- हो तथा उसमें (अ) ३ वर्ष की ग्रीनियर बेसिक या पूर्व-माध्यमिक शिक्षा तथा (ब) ४ वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा दी जाये।
२. मन्धिकाल में पुरानी माध्यमिक शालाएँ चालू रखी जायें तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं का संगठन जैसा ऊपर बतलाया गया है उसके अनुसार हो।
 ३. वर्तमान इन्टरमीडिएट कक्षाएँ अलग करके ४ वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा चालू की जाये। वर्तमान इन्टरमीडिएट कक्षाओं का एक वर्ष उच्चतर माध्यमिक शालाओं में जोड़ दिया गया है।
 ४. विश्वविद्यालयीन स्नातक पाठ्यक्रम ३ वर्ष का हो।
 ५. वर्तमान माध्यमिक शालाओं से पास होनेवाले छात्रों के लिए २ वर्षीय प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स की व्यवस्था की जाये।
 ६. व्यावसायिक महाविद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पास या प्री-यूनिवर्सिटी कार्य पास छात्र भरती किये जायें।
 ७. व्यावसायिक महाविद्यालयों में एक वर्ष का प्री-प्रोवेशनल कोर्स चलाया जाये या यदि इनमें सुविधा न हो तो अन्य स्नातक महाविद्यालयों में मन्धिकाल तक इस प्रकार का एकवर्षीय शिक्षण दिया जाये।
 ८. जहाँ भी सम्भव हो बहुउद्देशीय माध्यमिक शालाएँ स्थापित की जायें जिले छात्रों को उनकी विभिन्न रुचियों, क्षमताओं तथा उद्देश्यों के अनुसार विविधतापूर्ण शिक्षा मिल सके।
 ९. जो छात्र इस प्रकार की बहुउद्देशीय माध्यमिक शालाओं की परीक्षा पास कर चुके हों उन्हें विशेषीकृत अध्ययन के लिए पोल्टेक्निक या टेक्नालाजीकल संस्थाओं में भरती की सुविधाएँ प्रदान की जायें।
 १०. गरीब राज्य कृषि शिक्षा की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में करे।
 ११. बहुउद्देशीय माध्यमिक या स्वतन्त्र शालाओं के रूप में टेक्नीकल या प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाये।
 १२. बड़े शहरों में केन्द्रीय टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट खोले जायें, जो स्थानीय अनेक शालाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
 १३. जहाँ तक सम्भव हो टेक्नीकल संस्थाएँ औद्योगिक केंद्रों के सजिस्ट

ही स्थापित की जाये। इनका कार्य भी उद्योगों के सहयोग से चले।

१४. उद्योग के माशिकों के लिए इन टेकनीकल संस्थाओं के बालकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना कानून द्वारा अनिवार्य किया जाये।
१५. सभी स्तरों की व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा के नियंत्रण के समय व्यवसाय तथा उद्योगों से प्रतिनिधि अवश्य लिये जायें।
१६. प्राविधिक शिक्षा के विकास के लिए उद्योगों पर एक "औद्योगिक शिक्षा उपकर" लगाया जाये।
१७. माध्यमिक स्तर पर प्राविधिक शिक्षा के उपयुक्त मसाले के लिए एक अग्रिम भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाये।
१८. वर्तमान "पब्लिक स्कूल" कायम रहे, पर इनके पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा के सामान्य ढांचे में समन्वित किया जाये। इन्हें क्रमशः स्वाव-तन्त्री भी बनाया जाये।
१९. राज्य तथा केन्द्र कुछ छात्रवृत्तियाँ इन पब्लिक स्कूलों के योग्य छात्रों के लिए रखें।
२०. आकाशिक स्कूलों, निरीक्षक प्रामोद क्षेत्रों में, अधिक माल्या में खोली जायें।
२१. अंग, शिक्षण, मजदूर बालकों के लिए अधिक माल्या में शाखाएँ खोली जायें।
२२. बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा में कोई भेद न रखा जाये, पर बालिकाओं के लिए मह-शास्त्र की शिक्षा को बढ़ाकर मह-शिक्षावाली तथा बालिकाओं की शाखाओं में की जाये।
२३. आवश्यकतानुसार बालिकाओं के लिए अलग में शाखाएँ भी खोली जायें।
२४. मह-शिक्षावाली शाखाओं में बालिकाओं तथा महिला शिक्षिकाओं को विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखकर मह-नुसार सुविधाएँ उपार्द्ध जायें।

भारतीय माध्यमिक शिक्षा का विकास

जैसा कि प्रारम्भ में बताया जा चुका है, सर्व-समावेशी नीति के अन्तर्गत

५४ :::: भारतीय शिक्षा तथा भाषुनिक विचारधाराएँ

१८३५ से भारत में अंग्रेजी शालाओं की वृद्धि हुई। इन्हां से हमारी वर्तमान माध्यमिक शालाओं का प्रारम्भ होता है। १८४४ में लार्ड हार्डिज द्वारा सरकारी नौकरी में अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने की नीति से भी इसे प्रोत्साहन मिला।

१८५३ तक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ उठ खड़ी हुई थीं। इसके लिए विस्तृत जाँच आवश्यक थी। अभी तक की प्रगति की जाँच के आधार पर

१८५४ का महाविधान

१८५४ में ब्रुड डिस्चैच या शिक्षा-महाविधान के रूप में शिक्षा क्षेत्र में की गई प्रगति तथा वर्तमान समस्याओं के हल के मुद्दाव प्रस्तुत किये गए थे। १८५४ के शिक्षा-महाविधान की प्रमुख सिफारिशें शिक्षा-विभाग स्थापित करने, विश्वविद्यालय-स्थापना,

क्रमवार राजकीय विद्यालयों की स्थापना, निजी सस्थाओं को आर्थिक सहायता, शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित थीं। १८५४ के शिक्षा-महाविधान के फलस्वरूप बम्बई, कलकत्ता आदि विश्वविद्यालय खुलने में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, क्षेत्र आदि पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण माध्यमिक शिक्षा स्वयं स्वतन्त्र तथा पूर्ण न रह सकी। १८५४ के बाद अगले २०-२५ वर्षों में भारतीय माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनाई गई नीति के कारण अनेक दोष परिलक्षित होने लगे थे, जिनमें निम्न प्रमुख थे :

१. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना।
२. शिक्षा का जीवन की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों से विरुद्ध होना।
३. माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई उत्तम व्यवस्था न होना।
४. मेट्रिक परीक्षा का सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा के साथ प्राथमिक शिक्षा पर भी अधिक प्रभाव होना।

सन् १८८२ में भारतीय शिक्षा की प्रगति तथा समस्याओं के हल के हेतु इंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में इस कमीशन को स्तर तथा स्वरूप-सम्बन्धी जाँच और सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। इस कमीशन ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था आर्थिक अनुदान के आधार पर की जाये तथा जहाँ तक बने सरकार माध्यमिक शिक्षा की

व्यवस्था अपने हाथ में न ले।

माध्यमिक शिक्षा को दृष्टि में हंटर कमिशन की कुछ सिफारिशों यही महत्वपूर्ण थी, जैसे माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को बहुउद्देश्यीय बनाया जाये, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाये, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखना आवश्यक नहीं है, शिक्षकों के प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था की जाये आदि। पर इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा में अनेक दोष बने रहे। पर १९०२ तक भारत में माध्यमिक शिक्षा का अधिक प्रसार हुआ, जो निम्न आँकड़ों से प्रतीत होता है :

	१८८१-८२	१९०१-२
१. माध्यमिक शालाएँ	२,९१६	५,१२६
२. माध्यमिक शालाओं में छात्र	२,१४,०७७	५,९०,१२९

सन् १९०२ तक इस अभूतपूर्व प्रगति के दो कारण मुख्य थे—(१) निजी प्रयागों का उत्साह एवं वृद्धि तथा (२) आर्थिक अनुदान प्रणाली का अयनाया जाना।

लार्ड बर्जस ने भारत में आने पर शिक्षा में सुधार करने के अनेक प्रयत्न किये। विन्डविद्यालयीन शिक्षा के सुधार के लिए उसने १९०२ में विन्डविद्यालय आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने विन्डविद्यालयीन १९०२ का विश्व-शिक्षा के निर्यात तथा संगठन के लिए अनेक महत्वपूर्ण विस्तार आयोग मुद्राण प्रस्तुत किये। फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा विन्डविद्यालयीन शिक्षा में और भी अधिक प्रभावित होने लगी, क्योंकि १९०४ का जो विश्वविद्यालयीन कानून बना उसके अनुसार माध्यमिक शालाओं को विश्वविद्यालयों में मान्यता प्राप्त करना आवश्यक हो गया। लार्ड बर्जस ने माध्यमिक शिक्षा के निर्यात के लिए विभागीय मान्यता पाने, आर्थिक तथा व्यावहारिक सहायताएँ देने, अग्रणी शालाओं के छात्रों के स्वीकृत शालाओं में भर्ती किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने आदि कई काम किये।

माध्यमिक शिक्षा के स्तर के मुद्धार के लिए उमने प्रत्येक जिले में सरकारी माध्यमिक शाला स्थापित की तथा गैर-सरकारी शालाओं को आर भी अधिक आर्थिक सहायता दी । शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी बढ़ाई । मिडिल कक्षाओं तक मातृभाषा को माध्यम बनाया गया ।

इस समय तक यह अनुभव किया जाने लगा था कि विश्वविद्यालय माध्यमिक शिक्षा पर बहुत अधिक नियन्त्रण रखते हैं । अतः उन्हें इस नियन्त्रण से मुक्ति दिलाने तथा स्वतन्त्र करने के लिए माध्यमिक शिक्षा प्रमण्डलों की स्थापना भी कई प्रान्तों में की गई । ये प्रमण्डल माध्यमिक शालाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाते, अन्तिम परीक्षा लेते तथा पुस्तकें निर्धारित करते थे ।

सर सैडलर की अध्यक्षता में सन् १९१७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा-समन्वधी जॉन तथा मुस्ताफ के हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई । इसे सैटलर आयोग भी कहते हैं । इस कलकत्ता विश्व-आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर भी विचार किया तथा यह मत विद्यालय आयोग व्यक्त किया कि माध्यमिक शिक्षा में मुद्धार विश्वविद्यालयीन शिक्षा के विज्ञान तथा मुद्धार के लिए आवश्यक है । सैटलर आयोग ने इस सम्बन्ध में निम्न मुस्ताफ दिये :

१. माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा के बीच की कड़ी मैट्रिक परीक्षा न होकर इण्टरमीडिएट परीक्षा होती चाहिए ।
२. अतः इण्टरमीडिएट गस्थाएँ सोंटी जायें । ये चाहे स्वतन्त्र हों वा माध्यमिक शालाओं से चलाने रहें ।
३. माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड स्थापित किये जायें ।
४. विश्वविद्यालयों में प्रवेश इण्टरमीडिएट के बाद दिया जाये ।

सैटलर आयोग की सिफारिश कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में ही थी पर अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों ने इन मुस्ताफों के अनुकार कार्य करना प्रारम्भ किया । इसके बाद ही माध्यमिक शिक्षा का बहुत अधिक प्रसार हुआ । पर पाठ्यक्रम में विविधता, व्यावहारिक शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, उनका वेतन ताम्य वेतन की शर्तें, माध्यम आदि की सम्स्थाएँ, टपोन्धी र्तों र्तों तथा इनमें कोई मुद्धार न हो गया ।

द्विचित्र शासन तथा माध्यमिक शिक्षा

१९२१ में भारतीय शासन में सुधार हुआ तथा प्रान्तों में दुसरे शासन का आरम्भ हुआ। इसके शिक्षा तथा कुछ अन्य विषय भागतीयों के हाथ में रहे। पर अर्थ-विभाग अप्रैजों के हाथ में था तथा शिक्षा-विभाग के अनेक उच्च अधिकारी शिक्षा के उन्नत स्तर के पक्ष में थे। पर भारतीय जनता तो शिक्षा-प्रकार चाहती थी। इस प्रकार एक दूनू चल पड़ा।

सन् १९२९ में भारतीय शिक्षा को जांच करने तथा सुधार के मुझाव देने के हेतु सर हार्टांग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने भी यह मत व्यक्त किया कि अभी भी विश्वविद्यालयीन शिक्षा हार्टांग समिति का बहुत अधिक प्रभाव माध्यमिक शिक्षा पर है। इसके सुधार के लिए हार्टांग समिति ने पाठ्यक्रम को विविधता तथा अधिकार वालों को पूर्व-माध्यमिक स्तर तक शिक्षा देने की निवारण की। साथ ही हार्टांग समिति ने बालकों को औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख करने का मुझाव भी दिया। इस समिति ने शिक्षकों की दशा तथा प्रशिक्षण को अग्रतःपत्रनक बताया। पर इसके सुधार के कोई ठोस उपाय नहीं मुझाये।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्

१९२३ में भारत सरकार को शिक्षा-सम्बन्धी मामलों में सलाह देने के हेतु केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् की स्थापना की गई।

सन् १९३४ में मयुक्त प्रान्त की सरकार ने अपने प्रान्त की बेकारी के कारणों की जानकारी प्राप्त करने तथा उसे दूर करने के उपाय मुझाने के हेतु मयू मसौदा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति ने मयू समिति शिक्षा को केवल परीक्षा पास कराने वाली ही निरूपित किया। इसके सुधार के लिए समिति ने निम्न मुझाव दिये :

१. माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षणवाले पाठ्यक्रम बनाये जायें।
२. वर्तमान इन्टरमीडिएट स्तर अलग करके माध्यमिक स्तर में इच्छा एक वर्ष छोड़ दिया जायें।

३. व्यावसायिक तथा प्राविधिक कौर्स मिटिल स्तर के बाद प्रारम्भ किये जायें ।

४. विश्वविद्यालयीन डिग्री कौर्स ३ वर्षीय रहे ।

सन् १९३७ तक माध्यमिक शिक्षा के दोष स्पष्ट हो गए थे । जहाँ-तहाँ बेकारी फैलने लगी थी । राष्ट्रीय आन्दोलन भी बलवाने लगा था । जहाँ-तहाँ माध्यमिक शालाओं तथा विश्वविद्यालयों से निकलने की आवाजें आने लगी थी । अनेक राष्ट्रीय संस्थाएँ भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि को बनाये रख दिशा के प्रयोग प्रारम्भ कर रही थीं । अतः शिक्षा में आमूल परिवर्तन तथा सुधार आवश्यक हो गया था । इसी समय १९३५ के भारतीय संविधान के अनुच्छेद देश के अनेक प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल स्थापित हुए । फलस्वरूप शिक्षा में सुधार के प्रयत्न किये जाने लगे, पर शीघ्र ही युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण तथा अनेक राजनीतिक कारणों से कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया । इसके इग दिशा में अधिक काम न हो सका ।

सन् १९३६-३७ में भारत सरकार ने श्री बुड तथा भी ऐवट नाम के दो सज्जनों को शिक्षा के पुनर्गठन, विशेषतः औद्योगिक शिक्षा युद्ध तथा ऐवट के पुनर्गठन, के लिए आमंत्रित किया । इन दो सज्जनों की समिति को निम्न कार्य सौंपे गए :

१. प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर औद्योगिक शिक्षा के स्वरूप तथा उसे प्रारम्भ करने सम्बन्धी मुझाव देना ।
२. तात्कालिक व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के पुनर्गठन तथा विकास के मुझाव देना ।

इस समिति ने देश में माध्यमिक स्तर की औद्योगिक तथा व्यावसायिक शालाएँ खोलने का मुझाव दिया । इस समिति के मुझावों के फलस्वरूप देश में औद्योगिक, कृषि, व्यावसायिक शालाएँ तथा पोलिटिकल शिक्षा संस्थाएँ स्थापित हुई ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद सन् १९४४ में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने युद्धोत्तर काल में शिक्षा के विकास के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की ।

हसे साजेंण्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में अनिवार्य साजेंण्ट रिपोर्ट निःशुल्क बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था (६ से १४ वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए) तथा माध्यमिक शिक्षा को एक पूर्ण स्वतन्त्र अंग के रूप में रखा गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए इसमें दो प्रकार की शालाएँ सुझाई गईं : (१) गृहस्थिक तथा (२) व्यावसायिक। इन दोनों प्रकार की शालाओं का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना तथा बालकों को शाला छोड़ने पर किसी एक उद्योग चुनने तथा करने में सहायक सिद्ध होना है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सन् १९४८ में अपनी १४वीं बैठक में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया। फलस्वरूप डा० ताराचन्द्र की अध्यक्षता में, जो उच्च केन्द्रीय शिक्षा समन्वय केन्द्रीय शिक्षा-विभाग के शिक्षा-सचिव थे, एक समिति सलाहकार परिषद गठित की गई। इस समिति ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा डा० के लिए अनेक सुझाव दिये। इन सुझावों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति सलाहकार परिषद ने १९४९ में श्लाघावाद में हुए अपनी १५वीं बैठक में विचार किया। इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए, जैसे विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ४ वर्षीय माध्यमिक शिक्षा आवश्यक हो। अंग्रेजी माध्यम समझा करके मातृभाषा को माध्यम बनाया जाये तथा राष्ट्रभाषा की शिक्षा अनिवार्य की जाये, प्रान्तीय शिक्षा बोर्ड स्थापित किये जायें आदि के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सुझाव देने के हेतु एक उच्चस्तरीय माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की जाये। केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-परिषद ने अपनी १९५१ की बैठक में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को पुनः सुरक्षित। फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने २३ दिसम्बर १९४२ को एक माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष डा० मुदान्दिर थे। अतः इसे मुदान्दिर आयोग भी कहते हैं।

इसी बीच में केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयीय शिक्षा के पुनर्गठन-सम्बन्धी सुझाव देने के लिए सन् १९४८ में डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालयीय शिक्षा आयोग की स्थापना की। विश्वविद्यालयीय शिक्षा-सम्बन्धी

विचार करते समय इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (१९४८) विचार किया तथा माध्यमिक शिक्षा को इण्टरमीडिएट कक्षा स्तर का बनाने का मुझाव दिया। इस आयोग ने स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया कि "भारतीय शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा सबसे कमजोर कड़ी है। अतः इसमें तत्काल ही सुधार आवश्यक है।"

इस आयोग की स्थापना २३ सितम्बर १९५२ को हुई। इसके अध्यक्ष

डा० मुदालियर के अतिरिक्त निम्न सदस्य थे :

माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२)

१. प्रिंसिपल जॉन रिस्ट, आक्सफोर्ड

२. डा० केनेथ रास्ट विलियम्स (यू० एल० ए०)

३. श्रीमती हंसा मेहता

४. श्री तारापोरवाला

५. डा० के० एल० श्रीमाली

६. श्री टी० एम० व्याम

७. श्री के० जी० सैय्यदेन

८. प्रिंसिपल ए० एन० बसु

इस आयोग का उद्घाटन भारत के तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री मौलाना आजाद ने ६ अक्टूबर १९५२ को किया। आयोग ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन जून १९५३ को केन्द्रीय सरकार को अर्पित कर दिया। इस प्रतिवेदन में भारतीय मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की दृष्टिभूमि में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के मुझाव प्रस्तुत किये गए हैं।

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्न दोष बतलाये हैं :

१. वर्तमान माध्यमिक शिक्षा अयोग्य, इतिम है। यह माध्यमिक शिक्षा लचीली भी नहीं है।

के दोष २. यह बालक-बालिकाओं की विभिन्न रुचियों या एक ही बालक-बालिका की विभिन्न रुचियों तथा आवश्यकताओं

की पूर्ति नहीं करता।

३. यह छात्रों को सुनागरिक नहीं बनाती। यह उनमें सुनागरिक के

लिए आवश्यक गुणों, जैसे अनुशासन, विनय, सहयोग, स्वावलम्बन नेतृत्व आदि का विकास नहीं करती।

८. यह परीक्षा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानती है। परीक्षा-प्रणाली भी दूषित है क्योंकि इसके द्वारा छात्रों के ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं हो पाती है।
९. यह पुस्तकीय है। फलस्वरूप यह बालक-बालिकाओं को उपयोगी व्यवसाय दिलाने में असमर्थ रहती है।
१०. इसका पाठ्यक्रम योशिल तथा पाठ्य-पुस्तकें बालक-बालिकाओं की रुचि, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होतीं।
११. इसमें शिक्षण नीरस तथा भारस्वरूप होता है। इसमें शिक्षक तथा बालक दोनों अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय नहीं दे पाते।
१२. माध्यमिक शालाओं में बालकों की संख्या भी बहुत अधिक रहती है, जिससे शिक्षक-विद्यार्थी-सम्पर्क तथा गम्भीर घनिष्ठ रूप में स्थापित नहीं हो पाता है।
१३. शिक्षा के अत्यधिक विनाश के कारण योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों की कमी है।
१४. माध्यमिक शालाओं में अनेक छात्र ऐसे भरती होते हैं जिनके घर का वातावरण शाला की शिक्षा का पूरक तथा उम्रमें महायुक्त नहीं होता। अतः माध्यमिक शालाओं को इस उत्तरदायित्व का बहन भी करना चाहिए। पर आज ये इस उत्तरदायित्व का बहन नहीं कर रहे हैं।
१५. माध्यमिक शालाओं में ऐसी मह-पाठ्यक्रमगामी क्रियाओं को व्यवस्था नहीं है जो बालक के सर्वांगीण विकास में महायुक्त हों। तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क, शरीर, रुचि, शारीरिक विनाश तथा सामाजिकता के गुणों का विकास करनेवाली मह-पाठ्यक्रमगामी क्रियाओं का वर्तमान माध्यमिक शालाओं में अभाव है।
१६. खेल तथा मनोरंजनात्मक क्रियाओं की सुविधाओं की कमी भी अत्यधिक है।

आयोग ने इन उपयोग दशांश दोषों को निम्न छः कारणों में निम्न

६२ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

किया है :

१. माध्यमिक शिक्षा का भावी जीवन से विलगाव ।
२. माध्यमिक शिक्षा का एकाकीपन तथा सकीर्णता ।
३. शिक्षा का माध्यम अनेक स्थानों में अग्रेजी तथा अग्रेजी को महत्त्वपूर्ण स्थान की प्राप्ति ।
४. शिक्षण-पद्धतियाँ स्वतन्त्र चिन्तन तथा कार्य करने की क्षमता के विकास में सहायक नहीं ।
५. शिक्षक-विद्यार्थी-सम्पर्क तथा सम्बन्ध की कमी ।
६. परीक्षा पर महत्त्व अधिक होने से चरित्र-निर्माण में सहायक न होना ।

आयोग ने इन दोषों के दूर करने तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए निम्न सुझाव दिये हैं :

इनके संबंध में विस्तार से चर्चा इसी अध्याय में की जा चुकी है। अतः यहाँ संक्षेप में संकेत-मात्र ही किया जाता है। भारत एक माध्यमिक धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र है। भारत प्राकृतिक शिक्षा का उद्देश्य साधनों से समृद्ध है पर देशवासी इनके उपयोग न होने से गरीब हैं तथा उनका जीवन-स्तर निम्न है। गरीबी आदि के कारण देशवासियों का ध्यान सांस्कृतिक तथा सामाजिक गति-विधियों की ओर नहीं रहता ।

इन परिस्थितियों तथा मान्यताओं के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य होना चाहिए :

१. आदर्श नागरिकों का निर्माण करना, जिससे वे भारतीय धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के उत्तरदायित्वों का वहन कर सकें ।
२. छात्रों की व्यावहारिक तथा व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, जिससे देश का अधिक उत्पन्न सम्भव हो ।
३. मानवीय गुणों का विकास करना, जिससे देश का सांस्कृतिक उत्थान हो सके तथा एक प्रगतिशील राष्ट्रीय गंठरूति का विनाश सम्भव हो ।
४. नेतृत्व की भावना का विकास करना जिससे छात्र देश के नागरिक जीवन में समाज के श्रेष्ठ नेता बन सकें ।

इसके संबंध में भी इसी अध्याय में अन्यत्र विस्तार से चर्चा की गई है। संक्षेप में माध्यमिक शिक्षा का संगठन निम्न प्रकार मुझाया गया है :

(अ) ४ या ५ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा।

माध्यमिक शिक्षा (ब) पूर्व-माध्यमिक या सीनियर बेलिक स्तर की शिक्षा ३ या संगठन वर्ष।

(स) उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ४ वर्ष।

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मानुभाषा या प्रादेशिक भाषा रखने का मुझाव दिया। अंग्रेजी पढ़ने के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद रहा।

आयोग ने अंग्रेजी को वैकल्पिक रूप में पढ़ाने की शिक्षा का माध्यम सिफारिश की। राज्य में विभिन्न भाषा बोलनेवाले अल्पसंख्यक भाषाओं की संघों के लिए आयोग ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार शिक्षा परिषद द्वारा १९४९ की बैठक में दिये गए मुझावों के अनुसार सुविधा देने की सिफारिश की।

मिडिल या पूर्व-माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को कम-से-कम दो भाषाएँ पढ़ाई जायें पर एक ही वर्ष में दो भाषाएँ न सिखाई जायें। अंग्रेजी तथा हिन्दी सीनियर बेलिक स्तर के अनिवार्य वर्ष में प्रारम्भ की जायें।

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम-से-कम दो भाषाओं का ज्ञान दिया जाये, जिनमें से एक मानुभाषा या प्रादेशिक भाषा हो।

आयोग ने पाठ्यक्रम में निम्न गुण होना अनिवार्य बतलाया :

१. पाठ्यक्रम बालों की विभिन्न प्रवृत्तियों का विमर्श करने-पाठ्यक्रम वाला हो।

२. परिवर्तनशील हो जिनमें बालों की आवश्यकतानुसार उम्रमें परिवर्तन किया जा सके।

३. सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो।

४. समय का सदुपयोग सिफारिश वाला हो।

५. विषयों में बैदा हुआ न होकर जन-धर्मों में बैदा हुआ हो।

इन आवश्यक सिद्धान्तों पर आधारित पाठ्यक्रम में निम्न विषय निर्धारित दिये गए हैं :

६० :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

विचार करते समय इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर भी विधविद्यालय शिक्षा आयोग (१९४८) विचार किया तथा माध्यमिक शिक्षा को इण्टरमीडिएट कक्षा स्तर का बनाने का सुझाव दिया। इस आयोग ने स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया कि "भारतीय शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा सबसे कमजोर कड़ी है। अतः इसमें तत्काल ही सुधार आवश्यक है।"

इस आयोग की स्थापना २३ सितम्बर १९५२ को हुई। इसके अध्यक्ष डा० मुदान्णियर के अतिरिक्त निम्न सदस्य थे :

माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२)

१. प्रिंसिपल जॉन रिस्ट, आक्सफोर्ड
२. डा० केनेथ रास्ट विलियम्स (यू० एम० ए०)
३. श्रीमती हंगा मेहता

४. श्री तायपोरवाला
५. डा० के० एल० धीमाली
६. श्री टी० एम० व्यास
७. श्री के० जी० सैण्डेन
८. प्रिंसिपल ए० एन० वसु

इस आयोग का उद्घाटन भारत के तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मन्त्री मौलाना आजाद ने ६ अक्टूबर १९५२ को किया। आयोग ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन सन् १९५३ की केंद्रीय सरकार को अर्पित कर दिया। इस प्रतिवेदन में भारतीय मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की दृष्टि में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं।

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्न दोष बतलाये हैं :

१. वर्तमान माध्यमिक शिक्षा अंग्रेज़क, इतिव है। यह माध्यमिक शिक्षा स्वदेशी भी नहीं है।
- के दोष २. यह बालक-बालिकाओं की विभिन्न रुचियों या एक ही बालक-बालिका की विभिन्न रुचियों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती।
३. यह छात्रों को सुनात्मक नहीं बनाती। यह उनमें सुनात्मक के

लिए आवश्यक गुणों, जैसे अनुशासन, विनय, सहयोग, स्वावलम्बन नेतृत्व आदि का विकास नहीं करती।

४. यह परीक्षा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानती है। परीक्षा-प्रणाली भी दूषित है क्योंकि इसके द्वारा छात्रों के ज्ञान की वास्तविक परीक्षा नहीं हो पाती है।
५. यह पुस्तकीय है। फलस्वरूप यह बालक-बालिकाओं को उत्तमोगी व्यवसाय दिलाने में असमर्थ रहती है।
६. इसका पाठ्यक्रम बौद्धिक तथा पाठ्य-पुस्तकों बालक-बालिकाओं को रुचि, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होती।
७. इसमें शिक्षण नीरस तथा भारस्वरूप होता है। इससे शिक्षक तथा बालक दोनों अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय नहीं दे पाते।
८. माध्यमिक शालाओं में बालकों की संख्या भी बहुत अधिक रहती है, जिससे शिक्षक-विद्यार्थी-सम्बन्ध तथा सम्बन्ध घनिष्ठ रूप में स्थापित नहीं हो पाता है।
९. शिक्षा के अत्यधिक विराग के कारण योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों की कमी है।
१०. माध्यमिक शालाओं में अनेक छात्र ऐसे भरती होते हैं जिनके घर का सातावरण शाला की शिक्षा का पूरक तथा उगमें सहायक नहीं होता। अतः माध्यमिक शालाओं को इस उत्तरदायित्व का बहन भी करना चाहिए। पर आज ये इस उत्तरदायित्व का बहन नहीं कर रही हैं।
११. माध्यमिक शालाओं में ऐसी सद-शास्त्रसम्बन्धी शिक्षाओं की व्यवस्था नहीं है जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हों। तात्पर्य यह है कि क्लिष्ट, मंदांग, रुचियों, शारीरिक विराग तथा सामाजिकता के गुणों का विकास करनेवाली सद-शास्त्रसम्बन्धी शिक्षाओं का वर्तमान माध्यमिक शालाओं में अभाव है।
१२. गैर तथा मनोरंजनात्मक शिक्षाओं की सुविधाओं की कमी भी अत्यधिक है।

आयोग ने इन उल्लेख्य दशांशों को निम्न छः मार्गों में त्रिस्त:

किया है :

१. माध्यमिक शिक्षा का भावी जीवन से विलगाव ।
 २. माध्यमिक शिक्षा का एकाकीपन तथा सजीर्णता ।
 ३. शिक्षा का माध्यम अनेक स्थानों में अंग्रेजी तथा अंग्रेजी को महत्वपूर्ण स्थान की प्राप्ति ।
 ४. शिक्षण-पद्धतियाँ स्वतन्त्र चिन्तन तथा कार्य करने की क्षमता के विकास में सहायक नहीं ।
 ५. शिक्षक-विद्यार्थी-सम्पर्क तथा सम्बन्ध की कमी ।
 ६. परीक्षा पर महत्व अधिक होने से चरित्र-निर्माण में सहायक न होना ।
- आयोग ने इन दोषों के दूर करने तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए निम्न सुझाव दिये हैं :

इनके संबंध में विस्तार से चर्चा इसी अध्याय में की जा चुकी है । अतः यहाँ संक्षेप में संकेत-मात्र ही किया जाता है । भारत एक माध्यमिक धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र है । भारत प्राकृतिक शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रों से समृद्ध है पर देशवासी इनके उपयोग न होने से गरीब हैं तथा उनका जीवन-स्तर निम्न है । गरीबी आदि के कारण देशवासियों का ध्यान सांस्कृतिक तथा सामाजिक गति-विधियों की ओर नहीं रहता ।

इन परिस्थितियों तथा मान्यताओं के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य होना चाहिए :

१. आदर्श नागरिकों का निर्माण करना, जिनसे वे भारतीय धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के उत्तरदायित्वों का बहन बर सकें ।
२. छात्रों की व्यावहारिक तथा व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, जिनसे देश का अधिक उत्थान सम्भव हो ।
३. मानवीय गुणों का विकास करना, जिनसे देश का सांस्कृतिक उत्थान हो सके तथा एक प्रगतिशील राष्ट्रीय सभ्यता का विकास सम्भव हो ।
४. नेतृत्व की भावना का विकास करना जिससे छात्र देश के नागरिक जीवन में समाज के गन्धे नेता बन सकें ।

हमके संबंध में भी इसी अध्याय में अन्यत्र विस्तार से चर्चा की गई है। संक्षेप में माध्यमिक शिक्षा का संगठन निम्न प्रकार सुझाया गया है :

(अ) ४ या ५ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा।

माध्यमिक शिक्षा (ब) पूर्व-माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्तर की शिक्षा ३ का संगठन वर्ष।

(ग) उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ४ वर्ष।

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मानृभाषा या प्रादेशिक भाषा रखने का सुझाव दिया। अंग्रेजी पढ़ने के सखन्ध में बड़ा मतभेद रहा।

आयोग ने अंग्रेजी को वैकल्पिक रूप में पढ़ाने की शिक्षा का माध्यम सिफारिश की। राज्य में विभिन्न भाषा बोलनेवाले अल्प-तथा भाषाओं की संख्याओं के लिए आयोग ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार शिक्षा परिषद द्वारा १९४९ की बैठक में दिये गए सुझावों के अनुसार सुविधा देने की सिफारिश की।

मिडिल या पूर्व-माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को कम-से-कम दो भाषाएँ पढ़ाई जायें पर एक ही वर्ष में दो भाषाएँ न सिखाई जायें। अंग्रेजी तथा हिन्दी जूनियर बेसिक स्तर के अगिरी वर्ष से प्रारम्भ की जायें।

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम-से-कम दो भाषाओं का ज्ञान दिया जाये, जिनमें से एक मानृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो।

आयोग ने पाठ्यक्रम में निम्न गुण होना उपभोगी बतलाया :

१. पाठ्यक्रम बालों की विभिन्न प्रवृत्तियों का विचार करने-पाठ्यक्रम बाल हो।

२. परिवर्तन क्षीम हो जिनमें बालों की आवश्यकतानुसार उम्रमें परिवर्तन किया जा सके।

३. सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो।

४. समय का सदुपयोग सिगानेवाला हो।

५. सिनों में पैटा हुआ न होकर जन-क्षेत्रों में पैटा हुआ हो।

इन उपरोक्त सिदधान्तों पर आधारित पाठ्यक्रम में निम्न विषय निर्धारित किये गए हैं :

६४ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

मिडिल क्लासों के लिए (सभी अनिवार्य)

१. भाषा २. समाजिक-अध्ययन ३. सामान्य विज्ञान ४. गणित ५. कला और संगीत ६. उद्योग ७. शारीरिक शिक्षा ।

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए :

(अ) अनिवार्य विषय :

१. भाषा २. सामान्य विज्ञान ३. सामाजिक अध्ययन ४. उद्योग ।

(ब) विविधतावाले वैकल्पिक विषयों के समूह :

१. मानवीय विषय २. विज्ञान ३. टेकनीकल ४. व्यापारिक ५. कृषि ६. ललित-कलाएँ ७. गृह-विज्ञान ।

ये विविधतावाले विषय माध्यमिक स्तर के द्वितीय वर्ष से प्रारम्भ किये जायें ।

पाठ्य-पुस्तकों का शिक्षा-स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है । अतः आयोग ने

पाठ्य-पुस्तकों के उपस्तर बनाये रखने के लिए एक “उच्च

(घ) पाठ्य-पुस्तक शक्ति प्राप्त समिति” गठन करने का मुद्दाय दिया । इस समिति में निम्न सदस्य रहेंगे :

१. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ।

२. राज्य जन-सेवा-आयोग का सदस्य ।

३. राज्य के सिंगी एगु विश्वविद्यालय का उपकुलपति ।

४. राज्य का एक प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका ।

५. शिक्षा-सचालक ।

इसके साथ-साथ पुस्तक-विक्रय-संग्रह के विकास के लिए विविध संस्था गोलने, केन्द्र तथा राज्य सरकार के अष्टे विज्ञों के व्याकरण के संग्रहालय गोलने तथा इनसे प्रस्तावों को व्याकरण उधार देने, सिंगी विषय के लिए केवल एक ही पुस्तक निर्धारित न करने आदि के मुद्दाय रखे ।

सिगी की पाठ्यक्रम की गहनता के लिए उत्तम शिक्षण-विधियों का होना आवश्यक है । अच्छी शिक्षण-विधि में निम्न गुण होना

(ङ) शिक्षण की धारिए :

गतिशील विधियाँ १. बच्चों के प्रति रुचि बढ़ाने तथा उन्हें अच्छे-से-अच्छे ढंग से पूर्ण करने की अभिलाषा जाहल करे ।

२. ज्ञान को सार्थक तथा याम्बविक बनाये ।
३. जीवन, शाला तथा समाज के बीच की दूरी को कम करे ।
४. स्पष्ट चिन्तन की प्रेरणा दे ।
५. अभिव्यक्तियों का वृत्त विलुप्त करे ।

आज की शिक्षण-विधियों में उपरोक्त गुण नहीं होते हैं । अतः उनमें निम्न सुधार किये जाने चाहिए :

१. शब्दों द्वारा ज्ञान देने पर बल न देकर क्रिया के आधार पर या योजना बनाकर ज्ञान दिया जाये ।
२. शाला कार्यक्रम में "अभिव्यक्ति-कार्य" को प्रोत्साहित किया जाये ।
३. छात्रों को स्वयं अन्वेषण करके व्याख्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की रीतियों में प्रशिक्षित किया जाये ।
४. छात्रों को "समूह में कार्य" करने के अवसर अधिक दिये जायें ।
५. अच्छे पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाये ।

आयोग ने चरित्र-निर्माण पर अधिक महत्व दिया है । चरित्र-निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि "विद्यार्थियों की सभी अन्तर्निहित (१) चरित्र-निर्माण क्षतियों अधिनतम मात्रा में विकसित हों तथा समाज का कल्याण भी हो ।" इसके लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिये :

१. शालाओं को समाज के दोषों को दूरकर उसके विनाश तथा उत्थान के प्रयत्न करना चाहिए ।
२. चरित्र निर्माण में समाज, शिक्षक, पालक सभी का सहयोग प्राप्त करना चाहिए ।
३. चरित्र निर्माण की शिक्षा सिंगी घण्टे-विशेष तक सीमित नहीं होनी चाहिए ।
४. अनुशासनहीनता दूर होना आवश्यक है । इसके लिए सभी को सम्मिलित प्रयत्न करना चाहिए ।
५. धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है । पर धर्मनिरपेक्ष संदर्भ होने से शालाओं में सिंगी धर्म विज्ञान की शिक्षा

- नहीं दी जा सकती, पर नैतिक प्रशिक्षण अवश्य दिया जा सकता है। धर्म की शिक्षा स्वच्छता पर शाला के घण्टों के बाद दी जा सकती है।
६. सह-पाठ्यक्रमगामी क्रियाओं का बाहुल्य तथा उचित व्यवस्था की जाये। इन्हे शाला पाठ्यक्रम का अंगगो समझा जाये।
 ७. १७ वर्ष से कम आयु के बालकों का उपयोग राजनैतिक प्रचार में न करने के लिए कानून बनाया जाये।
 ८. राज्य में कैम्प आदि का आयोजन किया जाये। पूर्व-प्राथमिक चिकित्सा, सेंट जॉन एम्बुलेंस आदि के प्रशिक्षण को समुचित व्यवस्था की जाये।
 ९. राष्ट्रीय छात्र सेमिनरदल की व्यवस्था (एन० सी० सी०) केन्द्रीय सरकार द्वारा हो।

अच्छे शिक्षा प्रणाली की सफलता के लिए छात्रों की रुचियों तथा क्षमताओं का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। अतः प्रत्येक माध्यमिक शाला में छात्रों को उचित शैक्षणिक निर्देश तथा परामर्श मिलना चाहिए।

(७) शिक्षा-निर्देश बालकों को विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों की आवश्यकताओं, तथा परामर्श धामनाओं, कार्यों, महत्त्वों आदि से परिचित कराने के लिए क्लिप्स, औद्योगिक स्थानों के भ्रमण आदि की व्यवस्था करना चाहिए। शालाओं में शैक्षणिक तथा व्यावहारिक परामर्शदाताओं की नियुक्तियों की जाये। इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रत्येक राज्य में की जाये।

छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में मुख्यवर्षित "शाला चिकित्सा सेवा" संगठित की जाये। छात्रों की पूर्ण जॉब तथा बीमारियों की चिकित्सा

(८) शारीरिक की व्यवस्था की जाये। छात्रावासों में अच्छा फीटिक भोजन स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाये। छात्रों के शारीरिक कार्यों का मेला रखा जाये, शाला के आगमन गर्माई रखी जाये तथा बालकों से इसमें सहभाग्य ली जाये, शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित करने की सुविधाएँ बढ़ाई जायें, शिक्षकों को पूर्व प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाये तथा शारीरिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाये।

आयोग ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि किसी भी शाला का नाम शिक्षक की योग्यता, शाला तथा समाज में उनका स्थान, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि पर निर्भर करता है। आयोग ने शिक्षकों तथा (९) शिक्षकतया उनके प्रशिक्षण की स्थिति को असन्तोषजनक निरूपित किया शिक्षक-प्रशिक्षण तथा इसमें पर्याप्त सुधार करना आवश्यक बताया। इसके लिए उसने निम्न सुझाव दिये :

१. माध्यमिक शालाओं में स्नातक तथा शिक्षक-प्रशिक्षण-प्राप्त शिक्षक रहें। प्राविधिक विषयों की शिक्षा देनेवाले शिक्षक प्राविधिक में स्नातक हों।
२. एक-सी योग्यता तथा समान श्रेणी के कार्य करनेवाले शिक्षकों का वेतन समान हो।
३. शिक्षकों को उचित वेतन देने की व्यवस्था की जाये।
४. शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए त्रिमुत्री योजना अर्थात् पेन्शन, प्राविटेण्ट फण्ड तथा बीमा प्रारम्भ की जाये।
५. शिक्षकों की कठिनाइयों तथा प्रार्थनाओं को सुनने के लिए निर्णायक मण्डल या समितियों बनाई जायें।
६. शिक्षकों के मारनुक्त होने की अवधि शिक्षा-निर्देशक के परामर्श पर ६० वर्ष रानी जाये।
७. शिक्षकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सम्पूर्ण विद्यार्थी जीवन-भर दी जाये।
८. शिक्षकों तथा उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जाये।
९. ट्यूशन-व्यापार रिल्जुग बन्द कर दी जाये।
१०. माध्यमिक शालाओं के प्रधानाचार्य का पद महत्वपूर्ण समझा जाये तथा इसके लिए अच्छे वेतन की व्यवस्था की जाये।

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय दो प्रकार के हों (१) स्नातकों के लिए एक वर्ष के तथा विधविज्ञानों में सम्बद्ध और (२) माध्यमिक शिक्षा-प्राप्त शिक्षकों के लिए दो वर्ष के। शिक्षक प्रशिक्षण-संस्थाओं में प्रशासनिक कौशल आयोजित किये जायें

६८ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

तथा सभी प्रशिक्षण विद्यालय आवास की सुविधाओं सहित हो, जिसमें मानुदायिक जीवन व्यतीत किया जा सके।

आयोग ने परीक्षा तथा योग्यता-निर्धारण को प्रमुख तथा महत्वपूर्ण बताया। इससे अनेक लाभ हैं, जैसे :

- (१०) परीक्षा १. छात्रों के माता-पिता तथा शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का पता लगता रहता है।
२. छात्रों को स्वयं अपनी योग्यता तथा स्तर का ज्ञान हो जाता है।
३. समाज को शाला द्वारा वहन किये जा रहे उत्तरदायित्व का ज्ञान हो जाता है। इसके सन्तोषप्रद या असन्तोषप्रद होने का ज्ञान भी समाज को होता है। पर परीक्षा-प्रणाली में सुधार आवश्यक है। इसके लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिये :
१. बालक के बर्ष-भर के कार्य का विवरण रखा जाये तथा उम्र पर जाँच के समय उचित ध्यान दिया जाये।
२. अर्थों के बदले सार्वजनिक चिह्न प्रयुक्त किये जायें।
३. आन्तरिक परीक्षाओं तथा लेखों का गारान भी अन्तिम परीक्षा-फल में अन्तित किया जाये।
४. लेख-प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए वस्तुरूप प्रश्न-प्रणाली को अपनाया जाये।
५. माध्यमिक शिक्षा के अन्त में एक सार्वजनिक परीक्षा ली जायें।
- शिक्षा-मन्त्रियों के उचित मार्गदर्शन तथा संगठन के लिए उचित प्रशासन आवश्यक है। इसके लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिये :
- (११) प्रशासन १. शिक्षा मन्त्री को लोक-शिक्षा-निर्देशक या संचालक ही लगभग दे तथा इसका पद संयुक्त शिक्षा-मन्त्रिय के समरूप समझा जाये।
२. माध्यमिक शिक्षा के लिए "माध्यमिक शिक्षा प्रशासन" गठित किये जायें। इसके अध्याय लोक-शिक्षा-संचालक ही रहे।
३. शिक्षकों की अनुचित स्थान प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए एक "शिक्षक प्रशिक्षण बोर्ड" की स्थापना की जाये।

५. शिक्षा-संबंधी विषयों पर परामर्श के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद बनी रहे तथा राज्य-स्तर पर भी ऐसी परिषदें स्थापित की जाएं।
६. शिक्षा-निर्देशनों को शिक्षा-समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए तथा समय-समय पर शिक्षकों को उचित परामर्श देना चाहिए।
७. शालाओं को अच्छे स्तर तथा सभी शनों की पूर्ति पर ही मान्यता दी जाये।

८. प्रत्येक शाला की प्रबन्धकारिणी समिति होनी चाहिए तथा उसे रजिस्टर्ड किया जाये। प्रधानाध्यापक इसके पदेन सदस्य रहें। विद्यालय के आन्तरिक मामलों का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक पर ही हो।

माध्यमिक शिक्षा के लिए धन जुटाने तथा कमी-पूर्ति के हेतु आयोग ने निम्न सुझाव दिये :

(१२) धर्म-व्यवस्था १. केन्द्रीय सरकार व्यावसायिक शिक्षा को व्यवस्था करे।

२. व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा-व्यवस्था के लिए "औद्योगिक शिक्षा उपकर" लगाया जाये।

३. शिक्षण संस्थाओं को दिये गए दान पर कोई कर न लगाया जाये।

४. शिक्षण संस्थाओं द्वारा खरीदी गई सामग्री पर कोई चुंगी न लगाई जाये।

५. केन्द्र माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए परामर्श आर्थिक सहायता दे। इनके अतिरिक्त आयोग ने प्रत्येक स्तर में कार्य व अवकाश के दिनों, विद्यालय भवन आदि के संबंध में भी सुझाव दिये हैं।

आयोग के सुझावों में अनेक सुझाव मौलिक तथा सूत्र हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा-विधि, चरित्र-निर्माण, शैक्षणिक निर्देशन तथा परामर्श, स्वास्थ्य-शा-शिक्षा, परीक्षाओं में आन्तरिक परीक्षा-भर के कानों का महत्त्व आदि। शिक्षकों को दाना सुधारने तथा शिक्षक-प्रशिक्षण के रुन्ध में आयोग के सुझाव महत्त्वपूर्ण हैं। परीक्षा-प्रणाली तथा पाठ्यक्रम-सम्बन्धी सुझावों में अवश्य ही मौलिकता का अभाव है। इन सुझावों से माध्यमिक शिक्षा में बड़े आये

परम्परागत दोषों का निराकरण सम्भव नहीं दिखाई देता। इस आयोग में महिला-शिक्षा पर विस्तृत रूप से कोई विचार नहीं किया गया। किसी भी समाज की उन्नति उसकी महिलाओं की स्थिति तथा शिक्षा पर ही निर्भर है। इस दृष्टि से इस महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा-सी की गई है। इस सम्बन्ध में केवल गृह-विज्ञान तथा कुछ मुविधाओं के देने-भाव से कार्य नहीं चल सकता है। पाठ्य-पुस्तकों के चुनाव के लिए उच्च-शक्ति-प्राप्त समिति का गठन अच्छी बात है, पर इसमें योग्य शिक्षकों का प्रतिनिधित्व और भी अधिक होना चाहिए था। साय-ही-नाथ छपाई, प्रकाशन आदि से सम्बन्धित विद्येयों का सम्मिलित किया जाना अनेक दृष्टियों से लाभकारी होता।

मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा

मध्यप्रदेश की माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों के अनुसार किया गया है। इसके लिए कक्षा ५वीं संगठन प्राथमिक शिक्षा-स्तर में जोड़ी गई है तथा शिक्षा-संगठन निम्न प्रकार बनाया गया है :

(१) कक्षा ६ से ८ तक—पूर्व-माध्यमिक या सीनियर बेलिक

(२) कक्षा ९ से १०

या

६ से १०

} माध्यमिक शाला

(३) कक्षा ९ से ११

या

कक्षा ६ से ११

} उच्चतर माध्यमिक शाला

(४) कक्षा ९ से १२ तक अन्तर महाविद्यालय

विश्वविद्यालयीन स्तर पर ३ वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने से राज्य के अन्तर-महाविद्यालयों को शीघ्र महाविद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है।

इन महत्त्वपूर्ण माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के अतिरिक्त राज्य के महाकोशाल क्षेत्र के प्रत्येक जिला-केन्द्र की माध्यमिक शाला को बहु-उद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला बनाया गया है। राज्य में ५६६ हार्ड स्कूल,

सिन्धिया स्कूल ग्वालियर, डेली कालेज इन्दौर तथा राजकुमार कालेज रायपुर में विशेषीकृत माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध है।

शिक्षा-विकास

क्र.मांक	संख्याएँ	५५-५६	५६-५७	५७-५८	६०-६१
१	मिडिल शालाएँ	१,४३०	१,६०४	१,७९१	१,९७८
२	माध्यमिक शालाएँ	३५२	४१४	४५७	६५०

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार तथा विकास के लिए प्रत्येक राज्य की तहसील में, जहाँ माध्यमिक शाला नहीं थी, माध्यमिक शालाएँ खोली गई हैं।

सौ शिक्षा की प्रगति के लिए सीधी, अम्बिकापुर बेगमगंज तथा राजगढ़ में कन्या माध्यमिक शालाएँ खोली गई हैं। राज्य के प्रायः प्रत्येक जिले के केंद्र में एक-एक कन्या माध्यमिक शालाएँ चल रही हैं। सन् १९५८-५९ में ५ कन्या मिडिल शालाओं को उच्च माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित किया गया।

राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए बाघ (धार), डभौर (रोवा) तथा शाहनगर (पन्ना) में शालाएँ खोली गई हैं। १९६०-६१ में ५ नयी उच्च माध्यमिक शालाएँ खोली जायेंगी तथा १० कन्या मिडिल शालाओं को माध्यमिक बनाया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए शासन ने माध्यमिक शालाओं को त्रिस्तरीय उच्चतर तथा बहुस्तरीय माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करने की नीति अपनाई है। इस नीति के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ११६ माध्यमिक शालाओं को परिवर्तित करने की योजना थी। पर अभी तक २९८ माध्यमिक शालाओं को उच्चतर माध्यमिक बनाया जा चुका है। सन् १९५७-५८ में केवल ६५ शालाएँ ही उच्चतर बनाई गई थीं। १९६०-६१ में १० शास्त्रीय माध्यमिक शालाओं को उच्चतर बनाने का प्रावधान है।

माध्यमिक शालाओं को उच्चतर शालाओं में परिवर्तित करने से इनके प्रधानाचार्यों को प्राचार्य और उनके वेतन-मान ६० २५०-२५० मासिक

कर दिया गया है तथा प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक शाला में ६ शिक्षकों के पद व्याख्याता के पदों में ६०१५०-३५० के वेतन-मान में परिवर्तित किये गए हैं।

मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश तथा भोपाल क्षेत्रों की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों के २-२ अनिश्चित पद १९६०-६१ से बढ़ाने का निश्चय किया गया है, क्योंकि इनमें ११वीं कक्षा हो जाने से शिक्षकों की कमी प्रतीत हो रही है।

इस प्रकार जिन माध्यमिक तथा उच्चतर शालाओं में विज्ञान-शिक्षण की सुविधाएँ नहीं थी, वहाँ इसकी व्यवस्था की गई है।

सन् १९५९-६० सत्र में ४४ गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को शासन ने अपने अधीन लिया है। प्रत्येक शाला से १०,००० ६० जन-सहयोग के रूप में प्राप्त हुआ है।

सरकार ने माध्यमिक शालाओं में छात्रों को प्रवेश देने को प्रोत्साहित करने के ध्येय से प्रवेश-समस्या (केवल लगातार दो वर्ष तक ४ विषयों में फेल होने को छोड़कर) सभी प्रतिबन्ध अलग कर दिये हैं। पल्लस्वम्य माध्यमिक शालाओं में छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

सन् १९६०-६१ सत्र से स्त्री-शिक्षा के प्रसार तथा विज्ञान के लिए शासन ने राज्य-स्तर पर प्रथम श्रेणी की एक परिसिद्ध महिला अधिकारी की नियुक्ति करने का निश्चय किया है। इससे स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा। साथ-ही-साथ शिक्षिकाओं के लिए आवागमनों को बनवाने तथा अधिक संख्या में महायक जिला-शाला-निरीक्षणियों की नियुक्तियाँ भी की जा रही हैं। राज्य-स्तर पर स्त्री-शिक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित करने का प्रस्ताव भी चल रहा है।

अभी तक राज्य के विन्नीनीकृत क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा की योजना तथा व्यवस्था निम्न परिषदों द्वारा की जाती थी :

माध्यमिक शिक्षा १. महासोशल माध्यमिक शिक्षा परिषद — महासोशल क्षेत्र परिषद का बोर्ड
२. मध्यभारत माध्यमिक शिक्षा परिषद — मध्यभारत क्षेत्र
३. माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट

शिक्षा परिषद — विन्ध्यप्रदेश,
भोपाल, गिरौज

नये राज्य के पुनर्गठन के बाद परीक्षा-व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम के एकीकरण के लिए सभी माध्यमिक शालाओं का सम्बन्ध निम्न दो परिपदों से कर दिया गया था :

१. महासंघ माध्यमिक शिक्षा परिषद महासंघ क्षेत्र के लिए ।
२. मध्यभारत माध्यमिक शिक्षा परिषद राज्य के दोष क्षेत्रों के लिए ।

१ नवम्बर सन् १९५९ से सम्पूर्ण राज्य के लिए एक माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है । यह सम्पूर्ण राज्य में माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें, शैक्षणिक मान्यताओं तथा परीक्षा-विषयक नियमों में एकरूपता लाने की दृष्टि से किया गया है ।

राज्य के विधिविद्यालयों ने तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम स्वीकृत किया है ।

अतः जो छात्र पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार मैट्रिक पास हुए पाठ्यक्रम हैं उनको उच्चतर माध्यमिक "बी" पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा दी जाती है । अन्य छात्रों के लिए विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार व्यवस्था है ।

माध्यमिक शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए राज्य में तीन स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पाँच स्नातकोत्तर प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा एक सी० टी० कॉलेज (जायरा) हैं । इनके अतिरिक्त छतरपुर में एक शिक्षक-प्रशिक्षण बी-एड० कक्षा चल रही है । १९६१-६२ में ग्वालियर में एक तथा चुनाव स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय भी स्थापना जाने वाला है ।

प्रशिक्षण शिक्षकों को शिक्षा की नवीन गतिविधियों से परिचित कराने के लिए जालपुर के प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय में सेमिनार मेकअप तथा री-ओरिएन्टेशन मेकअप है ।

माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के चुनाव के लिए नियम बनाये गए हैं जिनमें योग्यता तथा अनुभव के आधार पर नियुक्तियाँ की जा सकें । इन्हें सन् १९५९-६० तक में लागू किया गया है ।

औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा

महत्त्व

(भारत में लोहा, कोयला, सोना, मैंगनीज आदि अनेक धातुओं के बृहत् माग्झार भरे पड़े हैं। इन प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता एवं बहुतायत से ही देश सम्पन्न नह हो सकता है। समार के अनेक देश, जैसे जापान, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, जहाँ प्राकृतिक साधनों की इतनी अधिक प्रचुरता नहीं है, अपनी औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षमता के कारण भारत-जैसे प्रचुरता वाले देश में अधिक सम्पन्न हैं। इसका कारण यह हुआ कि केवल प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता या कमी के कारण कोई देश धनी, उन्नतगोत्र या गरीब नहीं हो सकता है। किसी भी देश की उन्नति वहाँ की जनता के कौशल तथा काम करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अमेरिका तथा इंग्लैंड, जो समार में धनी और उन्नत देश माने जाते हैं, वहाँ की जनता के कौशल और कार्य करने की क्षमता के कारण ही इतने उन्नत हैं। अतः यह आवश्यक है कि देश की उन्नति तथा समुचित विकास के लिए औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा को उचित व्यवस्था की जाये।)

व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा के द्वारा उद्योग और व्यवसायों की वृद्धि करना या पश्चिमी देशों में प्रतियोगिता करके आगे बढ़ने की चेष्टा-साध में देश की उन्नति नहीं हो सकती। (इसके लिए व्यक्ति या अपनी मानसिक क्षमता तथा सांख्यिक कौशल का मान करना एवं उममें अल्पवयस, समान और पश्चिम में अपना काम करने की अच्छी आदतों का विकास करना आवश्यक होता है। इसका कारण यह होगा कि औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निराजन, समझन, वास्तुनिधि आदि के साथ-साथ अपनी बुद्धि में कार्य करके मनुष्य प्राप्त करेगा आर्थिक सुख। इस प्रकार औद्योगिक तथा

व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति के मस्तिष्क, हाथ तथा हृदय का सुसज्जित विकास करके अपने परिश्रम तथा कौशल से कुछ प्राप्त करने का सुख **देती है।**

औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रत्येक बालक और बालिका के लिए उपयोगी तथा आवश्यक है। इससे बालक-बालिका दोनों ही अपनी उन क्षमियों तथा प्रवृत्तियों का पता लगा सकते हैं, जो भावि जमाने में किसी उपयोग या काम करने में उनके लिए सहायक हो सकें। यदि वे अपने जीवन में कोई उपयोग या व्यवसाय कर भी नहीं तो भी व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा उनकी आत्मामित्यक्ति को क्षमता का विकास करके उन्हें आनन्दित करेगी तथा अवकाश के समय में उपयोगी और आनन्ददायक कार्य करने की योग्यता का विकास करेगी। इससे उन्हें जीवन में अच्छी सुन्दर वस्तुओं, कलाओं, काम करने की क्षमता आदि की समझने तथा उनमें आनन्दित होने की योग्यता प्राप्त होगी। उनमें चरित्र का उत्तम विकास सम्भव हो सकेगा। उनमें काम को गुरगुर्ती तथा अच्छी तरह से करने की आदतों का विकास होगा।

एक प्रकार औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा न केवल कुछ बुने हुए बालक-बालिकाओं को दी जानी चाहिए बल्कि किसी-न-किसी रूप में सभी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि हमने वे अपने शार्थों का सुदृढता में उपयोग करना तथा कुशलता से शारीरिक श्रम करना सीख सकते हैं।

हमारे देश में मविधान के अनुसार १४ वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना सम्वन्ध का बर्तन माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि १४ वर्ष के बालक-बालिकाओं को उनकी क्षमियों, प्रवृत्तियों आदि के अनुसार विविध प्रकार की शिक्षा दी जाये। यह वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था में विभिन्न उम्रों की शिक्षा की व्यवस्था करके दिया जा सकता है। यदि ऐसा न किया गया तो एक-ही सीरस शिक्षा बालक तथा सुन्दर दोनों को हृदि में अनुपयोगी निरूप होगी। **नूँ चेहे खिने दो कारो की नौरसो की कमी**

हमारे देश के विकास के लिए औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा निदान आवश्यक है। औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा स्कूल की कार्य-सूची बढ़ाकर परम्परा तथा बड़े-बड़े उद्योगों के लिए उच्च और अधिक उपयोगी बनायी है। हमारे देश की उपजदन-शक्लता को हृदि होने तथा बेकारी को

समस्या का भी कुछ-न-कुछ अंशों में हल अवश्य होगा। देश की प्रतिष्ठित ताकतों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति भी इसमें सम्भव हो सकेगी।)

उद्देश्य

हमारे देश में औद्योगिक, व्यावसायिक एवं तांत्रिक शिक्षा विस्तीर्ण-किसी रूप में अति प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 'व्यक्ति को किसी व्यवसाय के योग्य बनाना' था। पर अब विज्ञान के विस्तार तथा जीवन की जटिलता के फलस्वरूप वर्तमान काल की औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा के उद्देश्यों में बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब इस शिक्षा के, जैसा कि माजेट रिपोर्ट में बताया गया है, प्रमुखतः दो उद्देश्य रह गए हैं :

१. उद्योग, व्यवसाय तथा शिक्षा के बीच की कड़ी के रूप में रहना; तथा
२. व्यक्ति-विशेष की बुद्धि, क्षमता आदि के अनुसार स्वयं एक विशेषीकृत शिक्षा के रूप में रहना।

इस प्रकार आजकल व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा दोनों रूपों में—एक विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में—आवश्यक समझी जाने लगी है।

सांख्यिक शिक्षा आयोग (मुद्रानिर्गम आयोग १९५२-५३) ने व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा के उद्देश्यों में निम्न बातें सम्मिलित की हैं : (१) सामान्य ज्ञान के साथ-साथ हाथ तथा हृदय की शिक्षा देना। (२) किसी व्यवसाय के लिए सामान्य योग्यता की बढ़ाना। (३) अल्पज्ञान के समस्त के सदुपयोग के लिए काम देना। (४) जीवन के क्षेत्र में कला, योग्यता और मौन्दर्य की अनुभूति करने की क्षमता विकसित करना। (५) अधिक देर तक लगान तथा व्यवसाय में कार्य करने की आदतों तथा गुणों का निर्याग करना।

भारत में औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा का विकास

राष्ट्रीय प्राचीन काल की शिक्षा धर्म में प्रधानतः संवर्धित रही है, पर औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की स्वरचना भी साथ-साथ थी। यही कारण

हे कि भारत औद्योगिक निपुणता तथा आर्थिक समृद्धता के प्राचीन काल लिए प्राचीन काल में प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन भारत औद्योगिक उत्पादन में न केवल अपने देश वरन् अन्य दूर-दूर के देशों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता था। श्री नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Discovery of India' में लिखा है कि "उंसा पूर्व ५वां सदी में भारतीय व्यापारियों का एक उपनिवेश मिय के मैसिंग नगर में विद्यमान था।" गिरुन्दर के धारणा के बाद भारत का पश्चिमी देश में व्यावसायिक गन्वन्ध और अधिक बढ़ हो गया था। दक्षिणी पूर्वी देशों में भी भारत का बहुत प्राचीन काल में व्यापारिक गन्वन्ध रहा है। प्राचीन काल में गन्धी, ऊनी और मशीन सूती कपड़े, अन्न-शन्ध, सुगन्धित पदार्थ, हाथीदांत, रत्न, मोना आदि भारतीय व्यवहार की प्रसिद्ध वस्तुएँ थी। इतने साथ-साथ लकड़ी के सामान जैसे फर्ग, बुगों, रथ, नाव, जहाज आदि नैगर किये जाते थे। मिट्टी के बरतन भी बहुत मजबूत तथा सुन्दर बनते थे। श्री जे० एम० मेन ने अपनी पुस्तक 'History of Elementary Education in India' में लिखा है कि "बाटेगय का प्राचीन काल में अनुचित रूप में सम्पादन मिश्रित था। अशोक ने बुद्ध का योग्य की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाये थे "अन्न-शन्ध तथा जहाज बनानेवालों की समझ की अर में नियमित पारिधमिक मिश्रित था। बदर, मोदार आदि व्यवसायियों के कार्यों के पर्यवेक्षण और निरुद्धि के लिए भी विशेष नियम निर्धारित थे।" पूरा काल में व्यावसायिक शिक्षा में विशेषकर शिल्प की शिक्षा प्रतिष्ठित हो चुकी थी।

राजकुमारों की शिक्षा में मैथिक शिक्षा, दण्डनीति, राजनीति, वाक् आदि विषयों की शिक्षा रहती थी। कौटिल्य ने भी इसका उल्लेख किया है। मनु ने भी सभी श्रेणियों राजकुमारों की अन्न-शन्ध, वेद, राजनीति, वाक् आदि की शिक्षा की उल्लेख माना है। पर सामान्य मैथिक के लिए राजनीति, दण्डनीति आदि आवश्यक न थे। श्रेणियों के गुरु प्रायः ब्राह्मण ही होते थे। ब्रह्मचर्य में पाठशाला तथा परिवारों के गुरु श्रेणियों ही थे। मनु के अनुसार ही श्रेणियों के लिए शिक्षा-कार्य करना अधिक ही था। श्री टाट ने लिखा है कि इस प्राय का अन्त श्रेणियों की शिक्षा पर अच्छा न पड़ा था। पर श्रेणियों की शिक्षा देवता

न रह पाती थी, जैसा कि श्री 'के' महोदय की पुस्तक 'Indian Education in Ancient and Later Times' से पता चलता है। उन्होंने लिखा है कि "अधिकार्य शासक निरंकुश सुयोग्य और कर्तव्यपरायण तथा सचरित्र होते थे। इनके संरक्षण में अधिकार्य धर्मिय-कुमार उत्तम शिक्षा पाते थे।"

सैनिक शिक्षा के छात्रों के लिए एक विशेष प्रकार का उपनयन संस्कार होता था तथा शिक्षा की समाप्ति 'धुतिका बन्धन' संस्कार द्वारा होती थी। 'धुतिका बन्धन' की प्रथा 'गङ्गा-संधार' के नाम से राजपूताने में १९वीं सदी तक प्रचलित रही है। श्री टाट भी यह मानते हैं कि इन प्रथा के अनुसार राजपूत अस्त्र-शस्त्र प्रहणकर सैनिक जीवन में प्रवेश करते थे। यह प्रथा मध्य यूरोपीय 'नाइट' बनने की प्रथा से साम्य रखती है। धर्मियों की यह शिक्षा बहुत समय तक अपने उद्देश्य में सफल रही, पर कालान्तर में यह शिक्षित तथा तीव्रबद्ध हो गई।

प्राचीन भारत में चिकित्सा की शिक्षा भी बहुत उन्नत अवस्था में थी। उर्जद्वारा प्राचीन काल में चिकित्सा-शिक्षा का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। भारत में ईसा की पहली सदी के बाद चिकित्सा-विद्या की यही उन्नति हुई। चरक और सुश्रुत विश्व के चिकित्सा इतिहास में अपना विशिष्ट महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चरक और सुश्रुत तथा सुश्रुत दान्य-चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध हैं। ८वीं सदी में सरावत के प्रसिद्ध स्त्रीशास्त्रज्ञ-अल-रहीद ने अपने देश के सुयोग्य तरुणों को औपनिवेशिक शिक्षा के लिए तैयार किया था। श्री मजूमदार ने 'Education in Ancient India' में भी इनके सम्बन्ध में लिखा है तथा अनेक भारतीयों को उनके दरबार में नियुक्त किये जाने का भी उल्लेख किया है।

पशु-चिकित्सा के लिए भी भारत प्राचीन काल में ही प्रसिद्ध रहा है। श्री नेहरू ने 'विश्व इतिहास की झलक' में लिखा है कि ई० पूर्वं चौथी तथा तीसरी सदी में भारत में पशु चिकित्सा के लिए अनेक औपनिवेशिक सुते हुए थे। नरुल तथा मृगदेव पशु चिकित्सा में दक्ष माने जाते थे। शालिहोत्र भारतीय पशु चिकित्सा के जन्मदाता माने जाते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म के अहिंसा सिद्धान्त में पशु चिकित्सा को बहुत प्रोत्साहन दिया। कौटिल्य ने अपने अर्थ-शास्त्र में राजकीय भेदा विभाग के गण, अश्वों आदि की चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सकों की नियुक्ति का सुझाव दिया है।

चिरिन्त्या-ज्ञान का विज्ञान-प्रारम्भ भी एक विभेद प्रकार के उपनयन मत्कार में होता था। इसमें काम, शोध, लोभ, मीठ, दम्भ आदि को त्यागकर विज्ञान लेने, सादगी से रुकर गुण के आदेशों को मानने, अपने कर्तव्यों का पालन करने, शिक्षा-प्राप्ति पर ब्राह्मण, गरीब, गुण, मित्र आदि को बिना मूल्य के आर्क्षित देने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। इस प्रतिज्ञा के दो मूल उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं : (१) छात्र जीवन आदर्श रूप से व्यतीत करना, तथा (२) जीव-कल्याण, न कि धन कमाने की भावना रखना।

धैरिक शिक्षा के समान और्क्षित या आयुर्वेद की शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में न थी। शत्रु तथा वैश्य शिक्षक अपने बच्चों के छात्रों को इसकी शिक्षा देते थे। महात्मुद्र कुरुजी ने 'Ancient Indian Education' में लिखा है, "आयुर्वेद की शिक्षा का द्वार सभी बच्चों के लिए खुला था।" इसमें फल चल्ता है कि शत्रु भी आयुर्वेद की शिक्षा लेने रूटें होंगे।

आयुर्वेद-शिक्षा की समाप्ति समावर्तन मत्कार के साथ होती थी। इसमें उर्द्वे अनेक उपदेश दिये जाते थे। इन उपदेशों में फल चल्ता है कि भारत के प्राचीन चिरिन्त्या अपने व्यवसाय के उत्तरदायित्व के पूर्ण निर्वाह का ध्यान रखते थे। इस प्रकार प्राचीन भारतीय व्यावसायिक शिक्षा में बुद्धि का विभाग नैतिक विभाग से सम्बन्धित होता था। उस काल में व्यावसायिक निपुणता को सभी उपरोक्त तथा उत्तरेत समझते थे जब कि उसमें आध्यात्मिकता तथा नैतिकता का समावेश हो।

प्राचीन भारत औद्योगिक दृष्टि में भी बड़ा समृद्ध था। प्राचीन भारत में औद्योगिक शिक्षा प्रमुख रूप में कुटुम्ब या परिवार में ही दी जाती थी। इस प्रकार प्राचीन भारतीय औद्योगिक शिक्षा का स्वरूप पारिवारिक तथा वंशगत था। प्रारम्भ में तो केवल कुटुम्ब के बच्चों को ही यह शिक्षा दी जाती रही होगी, पर कालान्तर में समाज के अन्य वर्गों भी इसमें शामिल होने लगे। औद्योगिक शिक्षा में शिक्षक तथा शिक्षा का पैत्रिक सम्बन्ध था, जो माला-विद्या या गुरु-शिष्य के आदर्श के अनुसरण था। इसमें शिक्षक तथा शिक्षा दोनों को कुछ प्रतिज्ञाएँ लेनी पड़ती थीं। शिक्षक प्रधानतः उपयोग की शिक्षा समझ में पूरी करने, संपूर्ण ज्ञान देने, स्वार्थ मिट्टि न करने, उपयोग शिक्षा के अतिरिक्त अन्य

न रह पाती थी, जैसा कि श्री 'क्रि' महोदय की पुस्तक 'Indian Education in Ancient and Later Times' से पता चलता है। उन्होंने लिखा है कि "अधिकांश ब्राह्मण शिक्षक सुयोग्य और कर्तव्यपरायण तथा सच्चरित्र होते थे। इनके संरक्षण में अधिकांश धार्मिक-कुमार उत्तम शिक्षा पाते थे।"

सैनिक शिक्षा के छात्रों के लिए एक विशेष प्रकार का उपनयन संस्कार होता था तथा शिक्षा की समाप्ति 'दुरिका बन्धन' संस्कार द्वारा होती थी। 'दुरिका बन्धन' की प्रथा 'सङ्ग-बंधन' के नाम से राजपूताने में १९वीं सदी तक प्रचलित रही है। श्री टाट भी यह मानते हैं कि इस प्रथा के अनुसार राजपूत अस्त्र-शस्त्र प्रयोगकर सैनिक जीवन में प्रवेश करते थे। यह प्रथा मध्य युरोपीय 'नाइट' बनने की प्रथा से साम्य रखती है। धर्मियों की यह शिक्षा बहुत समय तक अपने उद्देश्य में सफल रही, पर कालान्तर में यह शिक्षित तथा लोकव्युत्थ हो गई।

प्राचीन भारत में चिकित्सा की शिक्षा भी बहुत उन्नत अवस्था में थी। तत्कालीन प्राचीन काल से चिकित्सा-शिक्षा का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। भारत में ईसा की पहिली सदी के बाद चिकित्सा-विद्या की बड़ी उन्नति हुई। चरक और सुश्रुत विश्व के चिकित्सा इतिहास में अपना विशिष्ट महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चरक औषधि-शास्त्र तथा सुश्रुत शल्य-चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध हैं। ८वीं सदी में बगदाद के प्रसिद्ध खलीफा हारून-अल्-रशीद ने अपने देश के मुसलमान तारकों को औषधि-ज्ञान खोजने के लिए तत्कालीन भारत भेजा था। श्री मजूमदार ने 'Education in Ancient India' में भी इनके सम्बन्ध में लिखा है तथा अनेक भारतीयों को इनके दरबार में नियुक्त किये जाने का भी उल्लेख किया है।

पशु-चिकित्सा के लिए भी भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। श्री नेहरू ने 'दश इतिहास की झलक' में लिखा है कि ई० पूर्वं चीनी तथा दक्षिणी गरी में भारत से पशु-चिकित्सा के लिए अनेक औषधालय खुले हुए थे। मनुष्य तथा मृदुदेव पशु-चिकित्सा में दक्ष माने जाते थे। शालिहोत्र भारतीय पशु-चिकित्सा के जन्मदाता माने जाते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म के अहिंसक सिद्धान्त ने पशु-चिकित्सा को बहुत प्रोत्साहन दिया। कौटिल्य ने अपने अर्थ-शास्त्र में राजकीय सेना-विभाग के गजों, अश्वों आदि की चिकित्सा के लिए पशु-चिकित्सकों की नियुक्ति का सुझाव दिया है।

चिकित्सा-शास्त्र का शिक्षा-प्रारम्भ भी एक विशेष प्रकार के उपनयन मन्थार में होता था। इसमें काम, शोध, लोभ, मीठ, दम्भ आदि को त्यागकर शिक्षा लेने, सादरों में रहकर गुरु के आदेशों को मानने, अपने कर्तव्यों का पालन करने, शिक्षा-प्रतिष्ठा पर ब्राह्मण, शरीर, गुरु, मित्र आदि को बिना मूल्य के आर्पण देने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। इस प्रतिज्ञा के दो मूल उद्देश्य स्पष्ट दिगार्द्र होते हैं : (१) छात्र जीवन आदर्श रूप में वर्तित करना, तथा (२) ज्यो-कन्याय, न कि धन कमाने की भावना रखना।

धार्मिक शिक्षा के समान औद्योगिक या आयुर्वेद की शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में न थी। धर्मिक तथा वैद्य शिक्षा अपने कर्णों के छात्रों को इगरी शिक्षा देते थे। यथाहुमुद मुकुली ने 'Ancient Indian Education' में लिखा है, "आयुर्वेद की शिक्षा का द्वार गमी कर्णों के लिए खुला था।" इसमें पता चलता है कि गुरु भी आयुर्वेद की शिक्षा देने रतें होंगे।

आयुर्वेद-शिक्षा की सम्पत्ति समावर्तन मन्थार के माय होती थी। इसमें उन्हें अनेक उपदेश दिये जाते थे। इन उपदेशों में पता चलता है कि भारत के प्राचीन चिकित्सक अपने व्यवसाय के उत्तरदायित्व के पूर्ण निर्याद का ध्यान रखते थे। इस प्रकार प्राचीन भारतीय व्यावसायिक शिक्षा में कुटिल का विद्यार्थ मौरिक विद्यार्थ से सम्बन्धित होता था। उस काल में व्यावसायिक नियुक्तों को सभी उपरोक्त तथा उपदेश समझते थे जब कि उसमें आप्त्तमन्त्रता तथा नीतिरत्न का सम्पत्ति हो।

प्राचीन भारत औद्योगिक दृष्टि से भी बड़ा समृद्ध था। प्राचीन भारत में औद्योगिक शिक्षा प्रमुख रूप से कुटुम्ब या परिवार में ही दी जाती थी। इस प्रकार प्राचीन भारतीय औद्योगिक शिक्षा का स्वरूप पारिवारिक तथा वंशगत था। प्रारम्भ में तो केवल कुटुम्ब के कर्णों को ही यह शिक्षा दी जाती रती होगी, पर कालान्तर में समाज के अन्य कर्णों भी इसमें शामिल होने लगे। औद्योगिक शिक्षा में शिक्षक तथा शिष्य का पारिवारिक सम्बन्ध था, जो माता-पिता या गुरु-शिष्य के आदर्श के अनुसरण था। इसमें शिक्षक तथा शिष्य दोनों को कुछ प्रतिज्ञाएँ लेनी पड़ती थी। शिक्षक प्रधानतः उद्योग की शिक्षा समझ में पूरी करने, संपूर्ण ज्ञान देने, स्वार्थ-निर्दिष्ट न करने, उद्योग-शिक्षा के अतिरिक्त अन्य

किसी कार्य में न लगाने आदि की प्रतिज्ञा लेते थे। शिष्य भी उद्योग-शिक्षा समय पर समाप्त करने, गुरु का बिना किसी कारण रोभवस त्याग न करने, निश्चित अवधि से पूर्व शिक्षा पूर्ण होने पर भी गुरु का त्याग न करने आदि की प्रतिज्ञा लेता था।

गुरु तथा शिष्य के पारस्परिक अच्छे सम्बन्ध तथा पान्थ-पास रहकर शिक्षा की प्रक्रिया चलते रहने के कारण शिष्य गुरु के व्यक्तित्व तथा अनुभवों से प्रभावित होता रहता था। फलतः शिक्षा पर गुरु की कला की छाप पडे बिना न रहती थी। यहाँ बालक को केवल सैद्धान्तिक ज्ञान को प्राप्ति ही नहीं होती थी बरन् वह उन सभी व्यावहारिक परिस्थितियों से भी परिचित हो जाता था जो ग्राम के औद्योगिक कार्यालय या कारखाने से सम्बन्धित होती थी। इससे उद्योग तथा जीवन का सम्पूर्ण समन्वय होता था। आज की औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा में इसकी अल्पतः कमी है।

प्रार्चन भारत में उद्योगों को व्यवस्था तथा विकास के लिए स्थानीय सहयोग समितियाँ (guilds) भी थी। ये उद्योग-सम्बन्धी गमी बातों पर नियन्त्रण रखती थीं। ये समितियाँ 'श्रेणी' कहलाती थीं। प्रत्येक उद्योग के लिए अलग-अलग 'श्रेणी' होती थी। श्रेणी के प्रबन्ध तथा अनुशासन में उद्योग की शिक्षा की व्यवस्था भी थी। यह शिक्षा उद्योग के कारीगर के घर पर ही दी जाती थी। श्रेणी की सदस्यता वंशगत होती थी। श्रेणी का अध्यक्ष 'श्रेणी' होता था तथा पुरोहित के बाद राजा की दृष्टि में श्रेणी का ही स्थान आता था। श्री नेहरू ने 'The Discovery of India' में लिखा है कि "कारिगरों की नियुक्ति, कार्य की अवधि, श्रम का मूल्य या पारिश्रमिक या रूप, उत्पादन की वस्तु तथा परिमाण सभी बातें 'श्रेणी' के द्वारा ही निर्धारित होती थीं।" श्रेणी का उन्मत्त ज्ञातक तथा बौद्धिक के अर्थशास्त्र में मिलाता है। अतः यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनका इतिहास यहीं में आरम्भ होता है। सम्भवतः ये आज भी प्राचीन हैं। इन श्रेणियों की मुख्यवस्था में भारतीय औद्योगिक शिक्षा भी मुसंगटित तथा व्यवस्थित थी।

अनेक विद्वानों का विचार है कि भारतीय प्राचीन औद्योगिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा में कोई सम्बन्ध नहीं होता था एवं वे एक-दूसरे में सर्वथा भिन्न ही होती

थी। पर ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारतीय कलाकार गान्धर्विक विषयों की जानकारी रखते थे। पर ८वीं तथा ९वीं सदी की भारतीय औद्योगिक शिक्षा पूर्णतः व्यावसायिक ही हो गई थी, क्योंकि इस काल में गान्धर्वता की कमी हो गई थी तथा औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा देव या निम्न समझी जाने लगी थी।

मध्यकाल में व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा

मध्यकाल में भारतीय व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा अपना वह आदर्श न बनाये रख सके जो प्राचीन काल में था। इन काल में यह शिक्षा उपेक्षित-सी रहने लगी। चिन्दिन्ना-शास्त्र में मुख्य चिन्दिन्ना का स्थान प्रायः गढ़ ही नहीं गया था। अहिंसा के कारण भी मुख्य-चिन्दिन्ना अधार्मिक मानी जाने लगी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि चिन्दिन्ना-शास्त्र की शिक्षा निप्राण तथा पुरानी हो गई। हस्तकौशल की शिक्षा देव मानी जाने लगी थी। वैश्व निम्न व्यवसाय समझा जाने लगा था। पर करद का व्यवसाय अत्यन्त ही धनी प्रतिभा बनाये रहा। माहोपोल्यो ने दक्षिण भारत को करदे की युनाई के सम्बन्ध में लिखा है कि "यह माहो के जाने के समान मूल्य होता है।" शाही सदलों में यौवन को निगमने के लिए अनेक प्रकार के जरी तथा रंगम के करदे भारतीय कुशल कारीगर बनाया करने थे। पर स्थिति कलाओं आदि की शिक्षा राज और बादशाहों की सचि पर ही निर्भर करती थी तथा इनके मग्ने पर इन शिक्षा के केन्द्र प्रायः नष्ट हो जाते थे। अनेक बादशाह, जैसे औरंगजेब आदि तो इनके प्रति उदासीन ही रहे। मध्यकाल में मुख्य बादशाहों की शृंगार प्रियता के कारण शृंगार की कलाओं के बनाने के मद्देन व्यवसाय ही अधिक प्रोत्साहित हुए। वस्तुतः अन्य व्यवसायों की शिक्षा का ह्रास हुआ। तांत्रिक शिक्षा में युद्ध-कलाओं बनाने, मढ़ें बनाने, इमारतें बनाने, पुल बनाने आदि की शिक्षा का महत्त्व आकर रहा क्योंकि शृंगार को सुदृढ़ बनाये रखने तथा उसके विस्तार के लिए इनका जग आकर रह था। चिन्दिन्ना-शास्त्र में सुगन्धी के आने से सुगन्धी चिन्दिन्ना की भी प्रोत्साहन मिल्य तथा उसकी शिक्षा-व्यवस्था भी देश में हुई।

मध्यकाल में व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा का मुख्य प्रायः पैग ही रहा जैसा कि प्राचीन काल में था।

८२ :: : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

अंग्रेजी शासन-काल में औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न किया। कम्पनी ने कानून, चिकित्सा, कृषि तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा को ही पादचात्य ढंग से देने के लिए विभिन्न संस्थाएँ खोलीं। इसके सम्बन्ध में हम उच्च शिक्षा के अध्याय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। पर औद्योगिक तथा प्राविधिक, वाणिज्य आदि की शिक्षा पर कम्पनी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। भारत में मिशनरियों ने औद्योगिक शिक्षा के रूप में कुछ उद्योग (craft) स्कूलों की स्थापना की जिनमें बहुरंगी तथा लुहार के कामों की शिक्षा निम्न वर्ग के परिवर्तित इसाइयों को दी जाती थी। सबसे पहले औद्योगिक शिक्षा की ओर 'अकाल आयोग (१८७७-७८)' ने ध्यान दिया, पर फिर भी इस दिशा में कोई विशेष कार्य न हो सका।

सन् १८८२ में हण्टर आयोग ने विविधता वाले पाठ्यक्रम को अपनाकर माध्यमिक स्तर पर ही औद्योगिक तथा व्यापारिक पेशों के लिए बालकों को तैयार करने का मुझाव दिया था। हण्टर आयोग से यह प्रश्न १८८२ का हण्टर विरोध रूप से पृष्टा गया था कि क्या माध्यमिक शिक्षा के बालकों का ध्यान विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पर ही अधिक रहता है। हण्टर आयोग ने इसका उत्तर दिया कि भारतीय शाळाओं में यूरोप की शाळाओं के समान नवीन शिक्षण-विषयों का विकास नहीं हो सका है। अतः आयोग ने मुझाव दिया कि शिक्षा-विभाग को भारतीय व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर पाठ्यक्रम संगठित करना चाहिए।

लाई कर्जन ने सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक, कृषि तथा टेक्नीकल शिक्षा के सम्बन्ध में भी सुधार किये। अभी इस क्षेत्र में जो प्रयास हुए थे वे अंग्रेजी शासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किये गए थे, पर लाई कर्जन ने भारतीय व्यवसाय तथा उद्योगों को ध्यान में रखकर टेक्नीकल तथा व्यावसायिक शिक्षा को संगठित करने का मुझाव दिया। लाई कर्जन ने प्राविधिक शिक्षा में

प्रयोगिक तथा गणक विषयों को रखने का सुझाव दिया। कला-शिक्षा को उगने उद्योग-कला को प्रोत्साहित करने के योग्य बनाने के लिए उचित गमना। उमने प्राविधिक शिक्षा के लिए योग्य व्यक्तियों को इंग्लैण्ड तथा अमेरिका भेजने का सुझाव भी दिया।

सार्थ कर्जन के बाद भी औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा में २०-२५ वर्षों तक कोई प्रगति न हो सकी। सन् १९२१-२२ में इस शिक्षा की निम्न संस्थाएँ थीं :

व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा संस्थाएँ	संख्या	छात्र
१. शिक्षा-संस्थाएँ	१०	५,१९
२. कानून की शिक्षा-संस्थाएँ	१३	५,८९५
३. निचिल्या की शिक्षा-संस्थाएँ	७	३,८६३
४. वाणिज्य —	५	४७९
५. इंजीनियरिंग —	५	८०३
६. कृषि —	०	३२६

उपर्युक्त आँकड़ों से पता चलता है कि देश में इस प्रकार की शिक्षा की बहुत ही कम प्रगति हो पाई थी।

१९१९ के माण्डरोई मुभार के अनुसार देश में द्विविध शासन का प्रारम्भ हुआ था। अब तक भारतीय जनता कोरी चित्तवी शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाने लगी थी। स्वदेशी भावना भी विकसित हो रही थी।

१९१९ का अतः १९२१ से १९३७ तक के समय में व्यावसायिक तथा मंत्रिषान औद्योगिक शिक्षा की अच्छी प्रगति हुई। कानून की शिक्षा के १९३७ तक १४ महाविद्यालय स्थापित हो चुके थे। निचिल्या की शिक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा था जो निम्न आँकड़ों से स्पष्ट होता है :

	१९०१-२	१९३६-३७
निचिल्या मूल	२२	३०
निचिल्या महाविद्यालय	४	—
निचिल्या मूलों में छात्र	१,४६६	६,९९९

८४ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

इसी प्रकार इंजीनियरिंग शिक्षा की प्रगति भी हुई, जो निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है :

	१९०१-२	१९३६-३७
इंजीनियरिंग महाविद्यालय	४	८
पढ़ने वाले छात्र	८६५	२,१९९

कृषि-प्रधान देश होते हुए भी देश में सन् १९३७ तक केवल ६ कृषि महा-विद्यालय ही स्थापित किये जा सके ।

पशु-चिकित्सा भारत-जैसे कृषिप्रधान देश के लिए आवश्यक है । पर इन दिशा में भी अधिक कार्य न हो सका । १९०२ से १९३७ तक की अवधि के बीच में इसके लिए कुछ स्कूल खोले गए थे; पर ये केवल राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही करते थे । इस अवधि में इन्हें उन्नत करने का विचार भी किया गया । पर इन्हें तोड़कर ५ पशु-चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए । १९१७-२२ के बीच अमर प्रदेश में मुक्तेश्वर में 'इम्पीरियल वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट' तथा सन् १९३० में पटना में वेटेरिनरी कालेज स्नातकोत्तर शिक्षा-व्यवस्था की दृष्टि से खोले गए ।

वन-विज्ञान शिक्षा के लिए देहरादून तथा कोयम्बटूर में दो महाविद्यालय तथा एक रिसर्च इन्स्टीट्यूट खोला गया ।

प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा की माँग दिन-पर-दिन बढ़ती ही जाती थी । जनता ने केवल विदेशों में जाकर प्राविधिक शिक्षा पाने की नीति को अनुसूयोगी बताया । पल्लस्वरूप देश में अनेक प्राविधिक संस्थाएँ खोली गईं जैसे, हारबोट बटरर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर (१९२१), इम्पीरियल एम्प्लोयर्स टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, दिल्ली, बॉम रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता, इण्डियन स्कूल आफ साइन्स, बनारस (१९२६), विक्टोरिया सुवर्णी टेक्नीकल स्कूल, यम्बई, जमशेदपुर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, टाटानगर, गवर्नमेंट स्कूल आफ टेक्नालाजी, भद्राग आदि । सन् १९३६-३७ में प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा की संस्थाओं की कुल संख्या ५३५ थी तथा इनमें ३०,५०९ छात्र पढ़ते थे ।

इस शासन-विधान के अनुसार देश के अधिकतर प्रान्तों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन स्थापित हुआ। पर यह अनेक राजनैतिक कारणों से अधिक न चल सका, फिर भी द्वितीय महायुद्ध तथा जनता १९३५ का क्रांतिकार के फलस्वरूप देश में १९४७ तक औद्योगिक, सामान-विधान व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई। इसी बीच १९३६-३७ में भारत सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए ईम्प्लूट के दो विदेशियों भी ए० एंकाट तथा डी एस० एच० एच० एच० को बुलाया। इन विदेशियों के पाग समय कम था, अतः वेवल उत्तरी भारत का दौरा करके इन्होंने अपने मुताबक दिये हैं। वे मुताबक इस प्रकार हैं :

१. व्यावसायिक शिक्षा साक्षरिणिक शिक्षा से कम नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क की सम्पूर्ण क्षमताओं का विकास करना है।
२. व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था प्रान्त के विविध उद्योगों की आवश्यकताओं के आधार पर ही की जाये।
३. सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा एक-दूसरे से अलग न समझी जाये। इन्हे शिक्षा का पूर्ववर्ती तथा परवर्ती चरण ही माना जाये।
४. साधारण तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था एक ही शाखा में न की जाये क्योंकि इनके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं।
५. छोटे-छोटे उद्योगों में लगे कारीगरों को भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये।
६. प्रत्येक प्रान्त में एक 'व्यावसायिक शिक्षा मलाहकारिणी समिति' गठित की जाये। इस समिति में शिक्षा-सेवान्वित, उद्योग-सेवान्वित, चार या पांच व्यापारी तथा तीन या चार व्यावसायिक स्कुलों के प्रधान हों। इस समिति का कार्य शिक्षा और उद्योग में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना रहे।
७. व्यावसायिक शिक्षा के लिए जूनियर तथा सीनियर स्कुल छोटे हों। जूनियर स्कुलों में ८वीं के बाद ३ साल की शिक्षा-व्यवस्था हो तथा सीनियर में ११वीं के बाद दो वर्ष के लिए छात्र लिये जाये।
८. भारत में कला-शिक्षा की व्यवस्था की जाये। सर्वप्रथम कला-स्कुलों का

८६ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

क्षेत्र बढ़ाया जावे तथा आवश्यकतानुसार अन्य कला-स्कूल भी खोले जायें।

९. व्यावसायिक शाखाओं तथा संस्थाओं की स्थापना यथासंभव व्यावसायिक क्षेत्रों में ही की जाये।

१०. अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल भी खोले जायें। इनमें दिन में ही शिक्षा दी जाये तथा सप्ताह में ढाई दिन इन स्कूलों में पढ़ने के लिए कर्मचारियों को छुट्टी दी जाये।

बुद्ध तथा ऐक्ट समिति की सिफारिशों के बाद भी भारतीय व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा की अधिक प्रगति न हुई। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई विशेष प्रगति हो ही नहीं सकी।

ब्रिक्विला की शिक्षा के लिए आधुनिक तथा यूनानी पद्धतियों को कांग्रेस मंत्रिमंडल की प्रेरणा से प्रोत्साहन मिला।

कृषि-शिक्षा के लिए १९३७ से ४७ तक की अवधि में १२ नई संस्थाएँ खुलीं।

१९३६-३७	१९४६-४७
कृषि महाविद्यालय ६	१८
छात्रों की संख्या १,००८	१,६६१

पर देश की आवश्यकताओं को देखते हुए यह कुछ भी नहीं था।

१९३७ से १९४७ के बीच इंजीनियरिंग शिक्षा का प्रसार भी काफी हुआ जो कि निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है :

१९३६-३७	१९४६-४७
इंजीनियरिंग कॉलेज ८	१७

१९३७ से १९४७ की अवधि में प्राविधिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई। इसके निम्न कारण थे :

१. द्वितीय महायुद्ध के कारण प्राविधिक शिक्षा-प्राप्त लोगों की माँग में वृद्धि।
 २. युद्ध के कारण देश में अनेक नये-नये उद्योगों की स्थापना।
 ३. युद्ध के बाद उद्योगों के विकास के लिए नई योजनाओं का निर्माण।
- सन् १९४६ में भाग्य सरकार ने प्राविधिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए एक

'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा समिति' की स्थापना की। इस समिति की सिफारिश पर एक योजना स्वीकार की गई जिसमें सरकार को अनादरक तथा आवर्तक अनुदान के रूप में काफी धन व्यय करने का प्रावधान था।

सन् १९४९ में प्राविधिक शिक्षा के मन्त्रध में मुगव देन के लिए भारत सरकार ने श्री नलिनीजन मन्कार की अध्यक्षता में एक 'उच्च टेकनालोजीकल शिक्षा समिति' की स्थापना की थी। इस समिति ने १९५६ में निम्न मुद्दाय दिये :

१. देश में उच्च प्राविधिक शिक्षा की ४ संस्थाएँ स्थापित की जायें।
२. इनमें से एक संस्था कलकत्ता, दूसरी बम्बई के पास, तीसरी उत्तर भारत में लखनऊ की शहर के लिए तथा चौथी दक्षिण भारत में स्थापित हो।

भारत सरकार ने इन मुद्दाओं को स्वीकार किया तथा स्वतंत्र भारत में इनके अनुसार कार्य किया जा रहा है।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय परिषद् ने एक योजना प्रस्तुत की। यह योजना मॉडर्न रिपोर्ट के नाम से विख्यात है। इसमें शिक्षा के सभी स्तरों के मन्त्रध मॉडर्न रिपोर्ट में विभाग की योजनाएँ हैं। प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा के लिए भी इसमें विचार में विचार किया गया है। इस रिपोर्ट में शपद प्रथम बार इतने विचार में देश में औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा के मन्त्रध में विचार किया गया है। इसमें औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की चार श्रेतियों की गई हैं :

१. प्रथम श्रेणी—उन शक्तिों को ही जायेगी जो देश के सुसंस्तर निर्माण में अनुसंधानकार्य या प्रमुख प्रणालिक के रूप में कार्य करेंगे। यह शिक्षा उपरोक्त की होगी तथा नुन हृदय योग्य लोगों को ही दी जायेगी। इस प्रकार की शिक्षा की स्वरुप व्यावसायिक, औद्योगिक तथा प्राविधिक महाविद्यालयों में ही जायेगी।

२. द्वितीय श्रेणी—यह शिक्षा विभिन्न उद्योगों तथा स्वरुपों के छोटे-छोटे प्रणालिकों पर काम करनेवाले अधिकारियों को ही जायेगी। इस

प्रकार की शिक्षा प्राविधिक हाईस्कूलों की शिक्षा के बाद विशेषीकृत शिक्षा के रूप में महाविद्यालयों तथा पोस्टीटेक्नीकल संस्थाओं में दी जायेगी।

३. तृतीय श्रेणी—इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य कुशल कारीगरों का निर्माण होगा। प्राविधिक हाईस्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। सीनियर वेसिक स्कूल या पूर्व माध्यमिक शालाओं के बालकों को जूनियर टेक्नीकल स्कूलों या औद्योगिक स्कूलों में दो या तीन वर्ष तक अतिरिक्त शिक्षा देकर इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी।

४. चतुर्थ श्रेणी—इस शिक्षा का उद्देश्य अर्द्धकुशल कारीगर या सामान्य श्रमिक के योग्य शिक्षा देना होगा। वेसिक शालाओं की शिक्षा से इस प्रकार के अर्ध-कुशल श्रमिक तैयार हो सकेंगे।

हमके अतिरिक्त औद्योगिक सेवाओं में नियुक्त कारीगरों तथा श्रमिकों के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था का सुझाव था।

साजेंट रिपोर्ट में सुझाव के रूप में युद्धोत्तर काल के औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा के हर स्तर पर औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई थी।

इसके लिए अखिल भारतीय टेक्नीकल समिति के सुझावों को मान्य किया गया था। इस समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे :

१. शिक्षा के सभी स्तरों पर प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
२. साहित्यिक शिक्षा से प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा निम्न न समझी जाये। यह शिक्षा का अभिन्न अंग समझी जाये।
३. प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत उद्योगों में सम्बन्धित व्यापारिक तथा कला की शिक्षा भी रहे। कृषि भी प्राविधिक या तान्त्रिक शिक्षा का अभिन्न अंग रहे। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक तथा सीनियर वेसिक शालाएँ कृषि के आधार से चले जायें। कृषि शिक्षा के लिए एक समिति गठित की जाये जो तत्समन्वी विस्तृत जाँच करे।
४. प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा के लिए निम्न प्रकार की शालाएँ तथा संस्थाएँ चले जायें :

औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा :: ८९

- (क) जूनियर टेक्नीकल या औद्योगिक या उद्योग या व्यवहार शाखाएँ ।
- (ग) टेक्नीकल हाईस्कूल
- (ग) सीनियर टेक्नीकल सम्पाठ ।
- (घ) पोस्ट-टेक्नीकल सम्पाठ भी आवश्यकतानुसार खोली जायें ।
- (च) प्राविधिक, औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षाओं को सशक्त उद्योग या व्यवसाय का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए ।
- (छ) ये सम्पाठ उद्योग-क्षेत्र में ही खोली जायें ।
- (ज) हाईस्कूल तक की प्राविधिक, व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा प्रान्तीय सरकार की तथा उच्च शिक्षा केंद्रों पर सरकार की जिम्मेवारी रहे ।
- (झ) श्रम के निर्माण तथा उचित निर्देशन के लिए अलग से निर्णयक रणें जायें ।

कॉलेज रिपोर्ट में गुड तथा एन्ड रिपोर्ट के पाठ्यक्रम तथा विस्तार-सम्बंधी सभी सुझावों को उचित महत्व देने का सुझाव भी दिया । प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा का वार्षिक खर्च कॉलेज रिपोर्ट के अनुसार लगभग ₹० करोड़ करीब हुआ था ।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् प्राविधिक, औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा

सन् १९४७ में देश पूर्ण स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों के विकास की योजनाएँ बनाई गईं । उद्योग भी इस क्षेत्र में विकास कर रहा था । अतः हमारे देश में भी इस और विशेष ध्यान दिया गया । परन्तु इस शिक्षा के विकास के लिए दो प्रकार के कार्य होने लगे :

१. शिक्षा प्राप्ति की सुविधाओं का विस्तार, तथा
 २. इस शिक्षा के प्रमुख विभागों के शिरोधारियों की शिक्षा का आयोजन ।
- इस उद्देश्य में १९४९ में 'अर्थशास्त्र शास्त्रीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद्' का

गठन हुआ था। इसने ७ बोर्ड आफ इण्डस्ट्रीज तथा ४ क्षेत्रीय कमेटीयों नियुक्त कीं। इसकी योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया।

राधाकृष्णन् आयोग ने व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा की परिभाषा निर्धारित करने हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा व्यक्तियों को अत्यन्त परिश्रमपूर्ण तथा उत्तरदायी सेवा के लिए, विश्वविद्यालय व्यावसायिक भावना से तैयार करती है। व्यावसायिक शिक्षा आयोग (१९४८-४९) का प्रयोग उन क्षेत्रों के लिए सीमित रहना चाहिए जिनमें समुचित जानकारी के साथ-साथ अनुशासित अन्तर्दृष्टि तथा उच्चतर कुशलता अपेक्षित है। श्रम की तैयारियों रोजगारिक (vocational) तथा शिल्पिक (technical) कही जा सकती हैं।

वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा का दोष यह है कि यह व्यक्तियों को ज्ञान तथा कुशलता तो देती है पर उन्हें ऐसा दर्शन नहीं देती जिसके अनुसार वे अपने जीवन में उस कुशलता तथा ज्ञान का उपयोग कर सकें। इससे सामाजिक हित नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा का आधार न केवल कुशलता हो बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक तथा मानवीय मूल्य की परत तथा वस्तुस्थिति के प्रति निष्पक्ष दृष्टि हो।

व्यावसायिक शिक्षा के इन दायित्वों की पृष्ठभूमि में आयोग ने कृषि-शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा योजना का महत्वपूर्ण अंग माना तथा इसे शिक्षा के सभी स्तरों में महत्वपूर्ण स्थान देने का मुद्दा दिया। कृषि के नये विशाल प्राचीन विस्तारविद्यालय से संलग्न किये जाना चाहिए। केन्द्र तथा राज्य सरकार कृषि प्रयोगशालाएँ पर्याप्त संख्या में देश के सभी क्षेत्रों में खोलें तथा प्रत्येक सीनियर वेगिक और प्राचीन माध्यमिक शाला 'कृषि फार्म' आयोजित करें। कृषि-सम्बन्धी शोधकार्य तथा स्नातकोत्तर शिक्षा का विस्तार किया जाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ एक कृषि समिति गठन की जाये जो कृषि की उन्नति के लिए धन की व्यवस्था-सम्बन्धी सुझाव दे।

व्यापारिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने छात्रों को तीन-चार प्रकार की व्यापारिक संस्थाओं में व्यावहारिक कार्य करने का सुझाव दिया। स्नातक स्तर की शिक्षा के बाद स्टाफ विरतों में विशेष अध्ययन की प्रेरणा दी जाये

तथा यह अव्ययन पुनर्द्वय कम हो। यह स्नातकोत्तर द्विती श्रेणी लोगों को ही दी जाये।

शिक्षा-व्यवहार के सम्बन्ध में आयोग ने पाठ्यक्रम बदलने, शिक्षा निदान के पाठ्यक्रम को नवीन बनाने, प्रतिभाग संस्थाओं के प्रोफेसरों तथा लेक्चररों को अग्रिम भारतीय रूप पर कार्य करने, स्कूलों में शिक्षा-कार्य के अनुभवी शिक्षकों को प्रतिभाग संस्थाओं में नियुक्त करने आदि के सुझाव दिये।

इकोनॉमिक्स तथा टेक्नॉलॉजिकल शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने सुझाव कि देश की इस प्रकार की संस्थाएँ राष्ट्र की पूर्ण समर्थी न हों, इनकी संस्था बनाई जाये, इनके अप्पन के विचार बढ़ाये जायें, इनके व्यावहारिक जन्मांग का पूर्ण प्पान करा जायें, स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहित किया जाये, उपरर टेक्नॉलॉजिकल संस्थाएँ हीन ही ग्पानित की जायें, इकोनॉमिक्स काठेजे पर मन्त्रियों तथा सरकारी विभागों का प्रत्युत्तर न रहे।

विश्वविद्यालयों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी आयोग ने सुझाव कि द्विती एक विश्वविद्यालय में १९० में अधिक छात्र भर्ती न किए जायें। प्रत्येक छात्र के विषये १० मरीज में अधिक न हों, छात्रों की सामान्य फेंद्री में भी प्रतिष्ठित दिया जाये। शैक्षणिक तथा जन-स्वास्थ्य को अधिक महत्त्व दिया जाये, देशी विश्वविद्यालय-विधियों को भी प्रोत्साहन दिया जाये तथा इनमें अनुसंधान की सुविधाएँ प्रदान की जाएं। स्नातकोत्तर भर की शिक्षा केवल माधम-मन्त्र संस्थाओं में ही दी जाये।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं माध्यमिक शिक्षा हुई है। इस आयोग ने प्रगति का विकास न होने के निम्न कारणों (सुझाव) कारण बताया है :

विद्यार्थी आयोग) १. अभी तक फेंद्री तथा सरकारी में औद्योगिक शिक्षा पर पूर्णतया ग्पान में सम्मिलितपूर्वक विचार नहीं किया है।

२. व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रोत्साहन के कोई प्रान ही नहीं दिये गए हैं।

३. शिक्षा-विभाग को अभी तक अनुभवी, योग्य विशेषज्ञों के उचित सहाह नहीं मिलती है जिससे इसके पाठ्यक्रम की योजना ठीक-ठीक नहीं बन पाती है।
४. सरकार के विभिन्न विभागों में ठीक सम्बन्ध नहीं है; कुछ संस्थाएँ उद्योग-संचालक, कुछ श्रम-संचालक तथा कुछ शिक्षा-संचालक के पास हैं।
५. अनेक उपयोगी योजनाएँ धनभाव के कारण पूर्ण नहीं की जा सकीं। व्यावसायिक संस्थाओं के प्रारम्भ करने तथा योग्य और अनुभवी शिक्षकों पर अधिक धन व्यय होता है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा के संगठन तथा व्यवस्था के लिए निम्न सुझाव दिये :

१. व्यावसायिक तथा औद्योगिक शालाएँ स्वतंत्र रूप से या बहुउद्देश्यीय शालाओं के रूप में अधिक-से-अधिक खोली जाये।
२. बड़े शहरों में केन्द्रीय व्यावसायिक संस्थाएँ सभी स्तर की स्थानीय शालाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खोली जाये।
३. जहाँ तक सम्भव हो औद्योगिक तथा व्यावसायिक शालाएँ औद्योगिक क्षेत्रों के पास ही खोली जाये।
४. अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः ऐसा कानून बनाया जाये जिससे उद्योगों को छात्रों के लिए व्यावहारिक अभ्यास की सुविधाएँ देना आवश्यक हो।
५. सभी स्तरों की व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था तथा निर्माण के लिए व्यवसाय, व्यापार तथा उद्योगों में प्रतिनिधियों की मदायता अवश्य ली जाये।
६. व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए उद्योगों पर एक 'व्यावसायिक शिक्षा कर' लगाया जाये।
७. माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के उचित विकास के लिए 'अभिलेख भारतीय टेकनिकल शिक्षा परिषद्' तथा उसके अन्तर्गत

काम करनेवाली संस्थाओं की सहायता पाठ्यक्रम के मॉडल के हेतु ली जाये।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ

प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग-शाखाओं तथा जूनिअर टेक्निकल माध्यमिक शालाओं को पोस्ट-टेक्नीक विद्यालयों में उन्नत करना, नये इन्टरमिडिया तथा जूनिअर बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, व्यावसायिक तथा तांत्रिक विद्यालयों को उन्नत करके उच्च व्यावसायिक तथा तांत्रिक विद्यालय बनाना, नये विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कृषि शिक्षण को महत्व देना तथा उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रों को विदेश भेजना आदि कार्य निश्चित किए गए थे।

उत्तरार्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में इंजीनियरिंग तथा टेक्नालॉजी के विभिन्न अध्ययन के लिए मद्रासपुर (पश्चिमी बंगाल) में 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नालॉजी' की स्थापना की गई। बंगलौर की 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी' संस्था पर, जो टाटा द्वारा स्थापित की गई थी, सरकार ने विचार हेतु ₹७७ लाख खर्च किया। बम्बई में भी टेक्नालॉजी की विभिन्न शिक्षा की व्यवस्था की गई। दिल्ली में नगर तथा ग्राम-युनियनों के अन्तर्गत 'स्कूल ऑफ़ टाउन प्लानिंग कौन्सिल' स्थापित किया गया।

तांत्रिक तथा टेक्नालॉजिकल शिक्षा की प्रगति हेतु मानवी शक्ति-सम्मिष्ट, वैज्ञानिक समिति तथा मनुष्य-वार छात्रवृत्ति समिति गठित की गई। इन समितियों द्वारा मनु १९२४ तक तांत्रिक तथा इंजीनियरिंग को १,३९० मीनिअर तथा ८७८ जूनिअर छात्रवृत्तियाँ अनुसंधान और विभिन्न शिक्षा के लिए दी गईं। पाठ्य-सामग्री तथा गाज-समा के लिए विभिन्न संगठनों को ₹५ करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तांत्रिक शिक्षा के विभाग के लिए ₹५८८ करोड़ रुपये तथा छात्रवृत्तियों के निर्माण के लिए ९८ लाख रुपये राज-सहित प्रण के रूप में दिये गए।

मानव-निर्दिष्ट शिक्षा, पशु-निर्दिष्ट शिक्षा, सहायक विद्यार्थियों का प्रशिक्षण, नर्तकों का प्रशिक्षण आदि की सुविधाएँ भी बढ़ाई गईं। 'अनिल

भारतीय मेडिकल इन्स्टीट्यूट' की स्थापना भी लगभग ६१ करोड़ रुपयों की लागत से की गई। आयुर्वेद शिक्षा के ४० महाविद्यालय तथा देशी चिकित्सा के विकास के हेतु 'सेण्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसर्च' की स्थापना की गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन तथा प्रयोग में आनेवाली सभी वस्तुएँ देश में ही बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा के प्रशिक्षार्थियों की संख्या त्रिगुनी कर दी गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी तांत्रिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर अधिक व्यय किया जा रहा है। इसके लिए ४८ करोड़ रुपयों का प्रावधान है। इसका एक अंश प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित संस्थाओं को पूर्ण बनाने तथा उच्च शिक्षा और अनुसंधान केन्द्रों के विकास में व्यय होगा। दूसरा अंश देश में राउरपुर की 'इंजियरिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी' जैसी ३ संस्थाएँ स्थापित करने, विभिन्न भागों में डिग्री तथा डिप्लोमा संस्थाएँ स्थापित करने, छात्रावास बनाने तथा छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर ८०० करने में व्यय किया जायेगा। दिल्ली के पॉलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट को और विकसित किया जायेगा। देश की लोहा, इस्पात, रेलवे, श्रम इत्यादि उत्पादन-सम्बन्धी योजनाओं में तांत्रिक प्रशिक्षण के हेतु व्यय का प्रावधान है। इसके लिए स्नातक प्रशिक्षार्थियों की संख्या प्रथम योजना से दुगुनी तथा डिप्लोमा प्रशिक्षार्थियों की संख्या त्रिगुनी कर दी जायेगी; अर्थात् क्रमशः ५७०० तथा ६२०० अतिरिक्त छात्र प्रशिक्षित किये जायेंगे। द्वितीय योजनाकाल में विभिन्न स्तर के प्रशिक्षार्थियों की संख्या-वृद्धि का लक्ष्य इस प्रकार है :

	छात्र
१. शोधकार्य तथा स्नातकोत्तर स्तर	५७०
२. स्नातक पाठ्यक्रम	७,५५०
३. जूनियर प्रशिक्षक या तांत्रिक	५,४००
४. डिप्लोमा	११,३००

द्वितीय योजना में गिनतक-प्रशिक्षण पर १७ करोड़ रुपयों का प्रावधान है। इस योजना-काल में ३० शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं २१३ प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये जायेंगे। बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या

७१ तथा बुनियादी प्रविष्टय विद्यालयों की संख्या ७२९ कर दी जायेगी। बुनियादी में आवश्यक शोध-कार्य के लिए 'नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ वैजिक एजुकेशन' स्थापित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश में व्यावसायिक, शैक्षोन्नति तथा तांत्रिक शिक्षा

मध्यप्रदेश में इन हेतु निम्न संस्थाएँ कार्य कर रही हैं :

१. व्यावसायिक माध्यमिक शाला—महाकोशल क्षेत्र में ८ व्यावसायिक माध्यमिक शालाएँ हैं। इनके अतिरिक्त इन क्षेत्र में दो मान्यता प्राप्त मैरिटरकारी औद्योगिक शालाएँ भी हैं।

२. जूनियर टेक्निकल शालाएँ—(वैज्यप्रदेश क्षेत्र की ४ जूनियर टेक्निकल शालाओं को माध्यमिक टेक्निकल शालाओं में उन्नत किया गया है। पन्ना, महडोल तथा खन्ना की टेक्निकल शालाओं के भवन-निर्माण का कार्य भी गन्तव्य हो चुका है। एक ही स्तर की सभी टेक्निकल संस्थाओं में एकत्रित के हेतु आवश्यक पुनर्गठन तथा भारत सरकार द्वारा नियोजित स्वरूप दिया गया है।

३. कक्षा-निर्देशन उपकरण—इन वर्षे ग्वाल्दियर में एक जूनियर टेक्निकल शाला खोली गई। इन संस्था में मुद्रण-उपकरण के प्रविष्टय का राष्ट्रीय प्रमाण-पर पाठ्यक्रम के अनुसृत बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किये गए हैं।

४. पत्रोपाधि (डिप्लोमा) स्तर की तांत्रिक शिक्षा—इन हेतु सन् १९५८-५९ तक गणधीर तथा मैरिटरकारी पोलिटेक्निक संस्थाएँ चल् रही थीं। वे भोपाल, जबपुर, रायगढ़, उमरकौत, नौरांग, जतरा, ग्वाल्दियर, विदिशा (मैरिटरकारी) में स्थित थीं। इनके अतिरिक्त इन्दौर के गोविन्दराम मेहरारवा टेक्नालॉजिकल संस्था में भी पत्रोपाधि स्तर के छात्र भर्ती किये जाते हैं। इन पोलिटेक्निक संस्थाओं में विभिन्न दरजाओं के लिए निम्न संख्या में छात्र भर्ती किये जाते हैं :

दरजा	छात्र
१. डिप्लोमा इंजीनियरिंग	४९०
२. मैरिटरकारी	२२५

३. इलेक्ट्रिकल	२०५
४. आटोमोबाइल	१२
५. पत्रोपाधि स्तर के बाट का सय-ओवरसिपर्म पाठ्यक्रम १८ माह का	१९२

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक इन संस्थाओं के भवन, शिक्षकों, छात्रावास-निर्माण आदि पर १७'७३ लाख रुपये व्यय किये गए हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गेण्टल टेकनिकल इन्स्टीट्यूट ग्वालियर तथा नौगाँव में प्रचलित पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के स्तर पर लाया गया है। उज्जैन की पोलिटेकनिकल संस्था में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग पत्रोपाधि-पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। मुरार में एक चर्म-कला टेकनिकल संस्था स्थापित की गई है।

सन् १९६१ तक राज्य में १८ पोलिटेकनिक संस्थाएँ हो जायेंगी। इनमें प्रवेश संख्या में निम्नानुसार विकास किया जायेगा :

	मि.वि.ल	मैकेनि- कल	इलेक्ट्र- कल	माइ- निग	टेरर टेक	टेक टेक	प्रिटिंग टेक	योग
१९५६	३०५	१८१	१५९	—	१०	२०	१०	६८५
१९६१	६९०	३६०	३६०	८०	१०	२०	४०	१,५६०

सन् १९६०-६१ में दुर्ग, राण्डवा तथा मटडोल में नये पोलिटेकनिक स्थापित किये जायेंगे।

वर्तमान समय में राज्य में दो लाखकोष अभियांत्रिक महाविद्यालय रायपुर तथा जलपुर में चल रहे हैं। दो गैर-सरकारी अभियांत्रिक महाविद्यालय भी ग्वालियर तथा इन्दौर में स्थित हैं। जलपुर के अभियांत्रिक उच्च तांत्रिक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षण की व्यवस्था भी शिक्षा है। सन् १९६०-६१ से भोपाल में एक क्षेत्रीय अभियांत्रिक महाविद्यालय केन्द्र की सहायता से गठित जा रहा है। इसकी प्रवेश संख्या १०० रहेगी। राज्य को इन संस्थाओं में प्रवेश-संख्या में निम्नानुसार विकास करने की योजना है :

औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा : : : ९७

सिविल इंजीनियरिंग मैनेजियल टेक्नीकल्यू माडर्निंग एम. ई. मेटालर्जी योग

१९५६	४९	२५	२५	१६	१५	—	१५	—	१६०
१९६१	३१५	१५५	६५	४५	३०	१५	३०	—	६३५

सन् १९५८ में राज्य-स्तर पर प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था परीक्षा लेने, पुनर्गठन तथा शासन को आवश्यक परामर्श देने के हेतु राज्य-स्तरीय प्रावि-एक 'प्राविधिक शिक्षा बोर्ड' की स्थापना की गई है। यह प्राविधिक शिक्षा बोर्ड बोर्ड प्राविधिक शिक्षा के प्रकार, मुधार तथा पुनर्गठन के लिए अगित्त भारतीय प्राविधिक शिक्षा (टेक्नीकल) परिषद की नीतियों के अनुसार कार्य करता है। राज्य में इन बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की राज्य में काफी प्रगति हुई है। राज्य में कृषि, वाहन, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, अर्थ तथा वाणिज्य महाविद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन महाविद्यालयों की स्थापना राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इनके साथ-साथ राज्य में अनेक प्रशिक्षण तथा उत्पादक शालाएँ भी उद्योग विभाग की ओर से चले रही हैं।

अध्याय ६

उच्च शिक्षा

राष्ट्रीय जीवन के पुनरुत्थान तथा विकास में उच्च शिक्षा का बड़ा योग रहता है, क्योंकि उच्च शिक्षा के केन्द्र राष्ट्र के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के केन्द्र होते हैं। उच्च शिक्षा समाज के मानसिक स्तर को उच्च बनाती, जनता के मस्तिष्क का उन्नत उपयोग करती, राष्ट्रीय रुचि को शुद्ध करती, जनसामान्य की आकांक्षाओं को सिद्धान्तों का आधार देती, काल-विशेष के विचारों को विकसित कर उन्हें गहन बनाती, राजनैतिक अधिकार तथा सत्ता का उपयोग मुल्म करती तथा वैयक्तिक जीवन में विचारों के आदान-प्रदान को उन्नत बनाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जीवन के लिए मार्गदर्शक तथा उसे उन्नत बनाने वाली होती है, क्योंकि उच्च शिक्षा के केन्द्रों से निकले व्यक्ति ही जीवन के सभी क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं।

प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा

हमारे देश में अति प्राचीन काल से उच्च शिक्षा के कई प्रसिद्ध केन्द्र रहे हैं। प्राचीन काल में 'परिषद' या ब्राह्मणों की सभा, जिसमें वेद तथा धर्मशास्त्रों एवं सूत्रों के महापण्डित भाग लिया करते थे, ज्ञान-विषया की शान्ति के दृष्ट्युक्त अनेक विद्वानों के केन्द्र बनी रहती थी। इनमें भाग लेने तथा विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न स्थानों में विद्वान तथा पण्डित इकट्ठे होने रहते थे। पालान्तर में प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालन्दा और बनारस आदि अनेक शिक्षा-केन्द्र स्थापित हो गए थे। इन प्राचीन शिक्षा-केन्द्रों में न केवल भारतीय विद्वान शिक्षा प्रदान करते थे, बल्कि अनेक अन्य देशों से भी विद्वान आते तथा लाभ उठाने के लिए स्थापित रहते थे। इन शिक्षा-केन्द्रों की स्थापति इतनी अधिक हो गई थी कि जापान, चीन, त्वा, मिस्र, यूनान आदि अनेक देशों से विद्वान

यहाँ आन्तर शिक्षा प्रदान करते थे। इन उच्च शिक्षा के केन्द्रों में प्रवेश पाना ही कठिन होता था। कठिन इसलिए नहीं कि इनका फीस अधिक होती थी। वे तो निःशुल्क शिक्षा-केन्द्र होते थे। इतना ही नहीं, यहाँ विद्यार्थियों को भोजन तथा चरम भी शिक्षा-केन्द्रों की ओर से ही मिलते थे। परन्तु इनमें प्रवेश पाने के लिए भी विद्वाना आवश्यक होती थी। फलस्वरूप केवल बहुत योग्य छात्र ही यहाँ भर्ती हो सकते थे। इन शिक्षा-केन्द्रों में गुरु तथा शिष्य एक ही स्थान में रहते तथा सामूहिक जीवन चलीत करते थे। इनके गुरु का अनुकूल प्रभाव छात्रों के चरित्र-गठन तथा विद्वान् में बड़ा मशयक होता था। ये शिक्षा-केन्द्र राजनीति में परे होते तथा यहाँ शिक्षक एवं प्रबान का ही सभी मामलों में अधिकार होता था। इन शिक्षा-केन्द्रों के स्वर्ग के लिए मीठों गोंय इनमें सल्लन कर दिये जाते थे। इन शिक्षा-केन्द्रों की स्वतन्त्रता तथा उन्मुक्त वातावरण आज तो पाना दुर्लभ ही है। इनमें न केवल व्यवस्था करनेवाले आर्थिक तथा राज-नीतिक व्यक्तियों में मुक्त होते थे पर शिक्षक तथा छात्रों को भी इनकी कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी। फलस्वरूप शिक्षा में ही उनका अधिनाश समय व्यतीत होता था। इन शिक्षा-केन्द्रों के गुरुओं का सम्मान भी बहुत अधिक था। राजा-महाराजा और जनता सभी इनकी पूजा करते थे। इतना सख होने हुए भी दम्भ तथा अभिमान तो उन आचार्यों को हटकर नहीं गया था। विनय तथा नम्रता की ये सभी मूर्ति होते थे। यहाँ कारण है कि प्राचीन भारत के शिक्षा-केन्द्रों में ज्ञान, शक्ति, विनय तथा निमग्नता का अद्भुत मेल मिलता था। उस काल में ज्ञान शीघ्र तथा विनय के सम्मिश्रण में और भी चमकृत हो गया था। अतः यह कोई भावना नहीं कि ये प्राचीन शिक्षा-केन्द्र विनयविन्नात हुए तथा अज्ञान केन्द्रों के विद्वानों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहे।

प्राचीन काल के प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्रों में तक्षशिला, नालन्दा, विरसगिरि, लार्छा गिर, पल्हसी, उत्तराखण्ड आदि उल्लेखनीय हैं। लार्छा गिर में वेद, वेदांग तथा १८ षड्भाषों का, विनय विद्वान्, शान्त विज्ञा, योगतय, कृषि, शस्त्र-विज्ञा आदि शामिल थी, ज्ञान दिना जगता था। नालन्दा में तो लगभग १२ फों तक वेद तथा उपनिषद एवं वेद तथा जैन-ग्रन्थों के अध्यायन की सुविधाएँ थीं। नालन्दा में वेद शिक्षा भारत की पर हिन्दू शिक्षा-केन्द्रों के

समान ही इसका काम चलता था। तक्षशिला ५वीं सदी तथा नालन्दा १२वीं सदी तक रहे। काठियावाड़ में बल्लभी तथा दक्षिण में काजी नालन्दा के समय के प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र थे। बिहार के विक्रमशिला तथा औदन्तपुरी के सम्बन्ध में कम जानकारी प्राप्त है, पर बंगाल में स्थित नदिया तो अपनी परम्पराओं को आज भी बनाये हुए है।

मध्ययुग में उच्च शिक्षा

मध्यकाल में मुसलमानों के अनेक आक्रमण भारत पर हुए। प्रारम्भ काल के आक्रमण तो धन के लोभ से ही होते थे, पर बाद में धर्म-प्रचार तथा शासन करने की भावनाओं से भी भारत पर अनेक हमले हुए। इन हमलों से पश्चिम-उत्तर के अनेक शिक्षा-केन्द्र नष्ट हो गए। १२वीं सदी के प्रारम्भ में, सन् १२०६ के लगभग, नालन्द तथा विक्रमशिल शिक्षा-केन्द्र जला दिये गए। धीरे-धीरे मुसलमान शासक भारत में बसने लगे। फलस्वरूप भारतीय संस्कृति तथा इस्लामी संस्कृति का मेल हुआ तथा दोनों की उन्नति हुई। मुसलमानों शासन-काल में उच्च शिक्षा के लिए अनेक मदरसे स्थापित किये गए। कई मदरसे तो भारतीय प्राचीन-शिक्षा केन्द्रों को नष्ट करके विकसित किये गए, पर फिर भी पूर्व तथा दक्षिण में अनेक हिन्दू शिक्षा-केन्द्र चलते रहे। मुसलमान बादशाहों ने दिल्ली, लाहौर, रामपुर, दलाहाबाद, लखनऊ, अजमेर, जौनपुर बीदर आदि में मदरसे खोले। ये मदरसे अरबी, फारसी तथा इस्लामी दर्शन की उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। शेरशाह सूरी ने, जो कि मुगल काल में बादशाह बन गया था, जौनपुर के मदरसे में शिक्षा पाई थी। जौनपुर मदरसे में इतिहास, दर्शन, अरबी और फारसी साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी। मध्यकाल के मदरसों में साहित्य, व्याकरण, तर्क, कानून, ज्यामिति, ज्योतिष, दर्शन, धर्म आदि की शिक्षा दी जाती थी। इनमें से अनेक मदरसे किसी एक या दो विषयों की शिक्षा विशेष रूप से देते तथा उनके लिए प्रसिद्ध थे, जैसे रामपुर तर्क तथा चिकित्सा, लखनऊ धर्म तथा दर्शन, लाहौर नक्षत्र-विद्या तथा गणित आदि विषयों की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। मध्यकालीन मदरसों में प्रमुक्तः अरबी के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। आज तो इनमें से अनेक मदरसे नष्ट

हो गए हैं। १८वीं सदी में मुगलमान साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा था। यूरोपीय कम्पनियों भी यत्र अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आपसों मचरने करने तथा राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगी थी। फलस्वरूप युद्ध और मचरने होने रहते थे। इसके कारण भारत में उच्च शिक्षा का हास हुआ पर फिर भी अनेक हिन्दू शिक्षा-केन्द्रों में वैदिक शिक्षा की उपाति जल्दी गयी तथा अनेक मदरसों में अरबी शिक्षा की। पर अंग्रेजों शासन-बाल के प्रारम्भ में शिक्षा की जो दशा रही वह आगे चलकर न रह सकी तथा देश निरक्षरता के गर्त में धँसता चला गया।

वर्तमान काल में उच्च शिक्षा

अंग्रेजों शासन की स्थापना के बाद कम्पनों के मन्त्रालयों ने भारतीय शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करने की सोची। इस दिशा में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने, १७८४ में कलकत्ता में मदरसा गोलार्क, जिसमें मुगलमानों के लिए अरबी शिक्षा : कलकत्ता, माधुरम से पढ़ने की व्यवस्था थी। इसमें दर्शन, पुरान, गणित, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। इसमें पढ़नेवालों के लिए बर्तमान भी दिये जाने थे। सन् १८२९ में इसमें ९९ बर्तमानों के पानेवाले छात्र पढ़ते थे।

कलकत्ते का मदरसा स्थापित होने के कुछ वर्षों के बाद जान ओयन ने गवर्नर में अंग्रेजी शिक्षा स्थापना की देने के लिए विद्यालय गोलार्क की प्रार्थना की, पर इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया।

सन् १७९१ में वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस में एक मन्त्रालय कालेज गोलार्क। बनारस, जिसने कि इसे स्थापित किया था, लिखा है कि यह कालेज कम्पनी के न्याय-शासन के लिए हिन्दू धर्मशास्त्र के मुख्य व्याख्याता प्राप्त करने के उद्देश्य से गोलार्क बना था। १८११ में इसे एक मुरादाहदिक गर्भित के अन्तर्गत रखा गया था। सन् १८२८ में इसमें २७७ छात्र थे तथा उन गवर्नर इसे २० हजार रुपये सरकारी मददता मिली थी।

सन् १७९२-९३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के चार्टर के पुनः मान्य किये जाने के सम्बन्ध में बहस के समय भारत में शिक्षा की व्यवस्था-अंग्रेजी पार्लियामेंट सम्बन्धी बहस भी हुई। पर भारत में जो शिक्षा चल रही थी वहसः १७९३ थी उसी को उपयोगी बतलाया गया तथा भारतीयों पर अन्य शिक्षा का लादना अनुपयोगी सिद्ध किया गया।

सन् १७९२ में सर चार्ल्स ग्रांट ने जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक डाइरेक्टर थे, अपने एक लेख 'एशियाई प्रजा में सामाजिक स्थिति का चार्ल्स ग्रांट सम्प्रेक्षण' लिखा जिसमें भारतीयों को अधिक्षित तथा निरक्षर का लेख कहा और उन्हें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का सुझाव दिया। इस टिप्पणी के प्रेरणास्वरूप १८१३ में इंडिया एक्ट में एक धारा बनी, जिसके अनुसार भारतीयों की शिक्षा पर १ लाख रुपया व्यय करने का आदेश था।

सन् १८०० में लार्ड वेलेवेली ने बलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सिविल सर्विस के नौकरों के लिए की। इस कॉलेज का महत्व सिविल सर्विस परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अधिक है।

सन् १८३० में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने मद्रास तथा बम्बई में भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए लिखा। इन क्षेत्रों में माउंट स्टुअर्ट एलफिंस्टन के १८२३ के अंग्रेजी शास्त्रों को खोलने-सम्बन्धी मिनिट के बाद भी कुछ नहीं किया गया था। अतः पहले बम्बई तथा बाद में पूना में अंग्रेजी शिक्षा के लिए शालाएँ खोली गईं। सन् १८३४ में बम्बई एलफिंस्टन कॉलेज की स्थापना भी भारतीय शासन के लिए उच्च कोटि के व्यक्तियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई।

इसी बीच अंग्रेजी के अध्ययन की ओर लोगों की रुचि बहुत अधिक बढ़ी। अतः मद्रास तथा सस्यून कॉलेज, बलरुत्ता और आगरा कॉलेज (जो १८१८ में खोला गया था) में अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था की गई। पर इन मद्रासों तथा कॉलेजों में जो छात्र अध्ययन कर रहे थे उनके पास प्राच्य शिक्षा के अध्ययन का काम ही बहुत अधिक था, अतः अंग्रेजी से पढ़ ही नहीं पाते थे, इसलिए प्राच्य शिक्षा दी जाये या पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा—इस सम्बन्ध में बड़ा

विवाद राटा हो गया। पल्लवरूप लोक-शिक्षा-समिति के सदस्यों में दो दल हो गए और विवाद इतना बढ़ा कि इसका काम प्रायः ठप-पड़ा ही हो गया। इस विवाद के हल तथा परिस्थिति को जांच के आधार पर सुझाव देने के लिए लार्ड मैकाले की इन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सन् १८३५ में लार्ड मैकाले ने सरकार को सुझाव दिया कि अंग्रेजी शिक्षा ही श्रेयस्कर होगी। लार्ड विलिंगडन वैंटिक ने लार्ड मैकाले के सुझावों को माना तथा ७ मार्च १८३५ को उन्होंने तथा उनकी कीर्तिले ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पाश्चात्य शिक्षा-प्रसार, प्राच्य शिक्षा का मिनी प्रयोगों से चलने देना, प्राच्य ग्रन्थों का प्रकाशन करना आदि बातें थीं। इस प्रस्ताव का भारतीय मुसलमानों ने बड़ा विरोध किया तथा इसे भारतीयों को रंगारंग बनाने की चेष्टा बताया। इस प्रस्ताव के पल्लवरूप हुगली (१८३६) तथा दाका (१८४०) में कालेज खोले गए। पल्लवता का हिन्दू कालेज सरकार ने अपने हाथ में लेकर उसे प्रेसीडेंसी कालेज बनाया तथा पटना में भी कालेज खोलने की बात सोची जाने लगी।

रंगारंग विद्यार्थियों ने सरकारी धर्मनिरपेक्षता की नीति को मान्य नहीं किया तथा उन्होंने भारत में अनेक कालेज, विनियम-प्रतिपाद्य संस्था

रंगारंग विद्यालय

आदि खोलीं। इनमें देरी, मासोमेन, एंग्लो-वेस्ट इन्, एण्डरसन, मेड्युड, मिलर, रिमोन आदि उल्लेखनीय पादरी

मे, विन्हीने मद्रास, मैसूर, बंगलोर, मध्यप्रदेश आदि के अनेक स्थानों में

कालेज खोले।

देश की शिक्षा में धर्म के स्थान के सम्बन्ध में सरकार, जनता तथा विद्वानों में घोर विवाद चल रहा था कि हरी दीन, सन् १८४४ में सरकार ने अंग्रेजी

तथा पाश्चात्य साहित्य और विद्वानों के शलाघों को सरकारी नौकरों में प्राथमिकता देने की नीति की घोषणा की। प्रारम्भ

अंग्रेजी साक्षरता

में सन् १८२१ में बम्बई में देरी भाषा की ही शिक्षा का उन्नत साक्षरता माना जाता था, पर सन् १८४३ के लगभग

बनाने तथा विद्य-विद्यार्थ्य संघर्ष के प्रभाव

इस नीति तथा विचार में परिवर्तन हुआ तथा अंग्रेजी की अनिवार्य रूप से शिक्षा का अच्छा साधन माना जाने लगा।

मद्रास में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक चल दिया जा रहा था तथा हाइस्कूल

लौर कालेज तो वहाँ अभी तक खुले भी नहीं थे। मद्रास में सन् १८४१ में एक हाईस्कूल खोला गया जिसे विद्यविद्यालय कहा जाता था। बंगाल शिक्षा-समिति ने सन् १८४५ में कलकत्ता में विद्यविद्यालय खोलने की प्रार्थना की, पर कम्पनी के डाइरेक्टरों ने इसे मजूर न किया।

कलकत्ते में शल्य तथा चिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान देनेवाली अनेक संस्थाएँ काम कर रही थीं। सन् १८३३ में कलकत्ता में चिकित्सा-चिकित्सा, कानून शिक्षा की जाँच करने के हेतु एक समिति गठित की गई। तथा इंजीनियरिंग इसके प्रतिवेदन पर कलकत्ता मेडिकल स्कूल की स्थापना शिक्षा हुई। कलकत्ता में प्रथम अस्पताल सन् १८३३ में तथा महिलाओं के लिए अलग अस्पताल सन् १८३६ में खोला गया। मद्रास में मेडिकल स्कूल की स्थापना सन् १८३५ में हुई। बम्बई में सन् १८४५ में मेडिकल कालेज खोला गया।

कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस कालेज में मुस्लिम तथा हिन्दू कानून का गहन अध्ययन होता था। पर ज्यूरिप्रूडेन्स का अध्ययन पक्के तौर पर १८५५ में ही प्रारम्भ हुआ। इसी वर्ष मद्रास तथा बम्बई में भी ज्यूरिप्रूडेन्स की शिक्षा को व्यवस्था की गई।

बम्बई की इंजीनियरिंग संस्था में सन् १८२४ में ही इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाने लगी थी। एल्फिंस्टन कालेज में १८४४ में इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण की कक्षा खोली गई थी। कलकत्ता के हिन्दू कालेज में सन् १८४४ में इंजीनियरिंग के प्रशिक्षण की शिक्षा की व्यवस्था हुई। सन् १८४८ में अर्न ऑफ डलहौसी ने चीनों प्रेसीडेन्सी में एक-एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का मुताब दिया। पर सन् १८५६ तक अनेक विवादों के कारण कोई कार्य इस दिशा में न हो सका। दड़की में १८४७ में, मद्रास में सन् १८५८ तथा बम्बई में १८५६ में इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए कालेज खोले गए।

यह शिक्षा-महाविधान ही भारतीय विश्वविद्यालयों का जनमदाता है। इसके आधार पर सन् १८५७ में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में १८५४ का कुछ समूह विद्यविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालयों की शिक्षा-महाविधान स्थापना हुई।

इसके बाद लगभग २० वर्षों तक कालेजों का मूल विभाग हुआ। परन्तु १८८२ तक कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित न किया गया। महाविद्यालय शिक्षा के प्रकार का पता निम्नलिखित आँकड़ों से लगता है :

१. महाविद्यालयों की संख्या	१८५७	१८८२
२. महाविद्यालयों में पाठ होनेवाले छात्रों की संख्या	२७	७६
	२१९	२,७७८

महाविद्यालयीन शिक्षा के इतने अधिक प्रकार का कारण माध्यमिक शिक्षा का विकास था। इस काल की दूसरी श्रवणे बढ़ी विशेषता यह थी कि १८५४ के पुठ शिक्षा-महाविधान ने यह आशा व्यक्त की थी कि सरकार क्रमशः उच्च शिक्षा में आना हाथ गाँचेगी; पर इसके विरुद्ध यह हुआ कि सरकार द्वारा ही अनेक कालेज या महाविद्यालय ग्वाले गए। पर अभी तक विश्वविद्यालय केवल सम्बद्ध ही रहे।

सन १८६५ में पंजाब में एक विश्वविद्यालय ग्वालेने के लिए बर्दों के प्रयासवाली व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव रखा गया। इसे बर्दों के लेफ्टीनेंट गवर्नर ने भी उपयोगी माना, पर यह स्वीकार न किया जा सका। नये विश्वविद्यालयों की स्थापना ने भी एक विश्वविद्यालय ग्वालेने की प्रार्थना वारम्भवार लखों की स्थापना ने भी एक विश्वविद्यालय ग्वालेने की प्रार्थना वारम्भवार पंजाब में एक मुनिक्विटी कालेज ग्वाले गया। इस कालेज ने अपने कार्य का मूल निस्तार किया तथा सन् १८८२ में बर्दों एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह विश्वविद्यालय भी प्रस्तावः सम्बद्ध ही था, पर यह प्रोत्सहेगी की नियुक्तियों करके शिक्षा कार्य भी कर सका था।

सन् १८८२ में सरकार ने १८५४ के पुठ शिक्षा-महाविधान की कार्यान्विति की तैयारी तथा भारत में लिए मुगल देने के हेतु एक भारतीय शिक्षा-आयोग

की स्थापना की। इसे हंटर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि १८८२ का हंटर इसके अध्यक्ष श्री हंटर थे। इस आयोग ने शिक्षा के सभी आयोग स्तरों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये थे। विश्वविद्यालयीन शिक्षा-सम्बन्धी इसके सुझाव निम्नलिखित थे :

१. सरकार का उच्च-शिक्षा से धीरे-धीरे ही हाथ खींचना ठीक होगा।
२. महाविद्यालयों को माधारण तथा विशेष दोनों प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाये।
३. महाविद्यालयीन शुल्क के लेने तथा माफ करने के सम्बन्ध में निश्चित नीति अपनाई जाये।
४. नैतिक शिक्षा के लिए पुस्तक तैयार कराई जाये।
५. 'एक मानव तथा एक नागरिक के कर्तव्य' के अन्तर्गत कालेज के प्राचार्य या प्रोफेसर कुछ व्याख्यान कालेज के छात्रों के लिए दें।
६. महाविद्यालय में वैकल्पिक विषय भी रहें।

सरकार ने इनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार किया था तथा प्रतिवर्ष शिक्षा-सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने के आदेश दिये गए।

सन् १८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई पर यह भी अन्य चार विश्वविद्यालयों के समान सम्बद्धक ही था।

सन् १८८२ के बाद उच्च शिक्षा का जिस तेजी से विकास हुआ उसमें सूचक आँकड़े निम्नलिखित हैं :

	१८८२	१८९२	१९०१-२
महाविद्यालयों की संख्या	७५	१३६	१७९

लार्ड कर्जन सन् १८९९ में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने भारतीय शिक्षा के हर क्षेत्र के विकास तथा उन्नति के प्रयत्न किये। विश्व-विद्यालयीन शिक्षा के सुधार के लिए उसने २७ जनवरी

लार्ड कर्जन १९०२ ई० को एक विश्वविद्यालयीन आयोग की स्थापना की। इस आयोग की नियुक्ति भारत में स्थित विश्वविद्यालयों

की दशा तथा उन्नति के साधनों के सम्बन्ध में जानकारी तथा सुझाव देने के लिए की गई थी।

आयोग ने अपने मुस्ताव उसी वर्ष प्रस्तुत किये। आयोग की सिफारिशों निम्नलिखित थी :

१. आयोग ने लन्दन विश्वविद्यालय के अनुकूल विश्वविद्यालय बनाने का मुस्ताव दिया।
२. जाँच, देखरेख तथा सम्बन्धीकरण की शक्ति कड़ी की जाय।
३. छात्रों की परिस्थिति पर और अधिक ध्यान दिया जाये।
४. विश्वविद्यालय विधी-न-विधी रूप में शिक्षण कार्य भी करे।
५. प्रत्येक कालेज या महाविद्यालय के लिए एक मुद्रयन्त्रित प्रत्येक-कारिणी समिति हो।
६. पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा परीक्षा की पद्धति में सुधार किया जाये।

इनमें से छात्रों की देखरेख, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा-पद्धति में सम्बन्धित बातें १९०४ का विद्य-विद्यालय एक्ट को १९०४ के विश्वविद्यालय एक्ट में शामिल किया गया।

इस एक्ट के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान रखा गया :

१. विश्वविद्यालयों के अधिकार बढ़ा दिये गए तथा उन्हें प्रोवेंसर नियुक्त करने, ग्रांज तथा शोध-कार्य करने का कार्य सौंपा गया।
२. गौनट में कम-से-कम ५० तथा अधिक-से-अधिक १०० प्रोवेंसर हों तथा प्रोवेंसर को आधि पाँच वर्षों में अधिक न हों।
३. चुनाव का सिद्धान्त रखा गया। २० प्रोवेंसर वन्दर, मद्रास, बम्बई तथा १५ प्रोवेंसर अन्य विश्वविद्यालयों में चुने जायें।
४. विश्वविद्यालय में सिटिजेट को मान्यता दी गई तथा इन्हें विश्व-विद्यालयीन शिक्षकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया।

१. उच्च शिक्षण विभाग विश्वविद्यालयों का, इनके महाविद्यालयों में अपने शिक्षक तथा प्रबन्धकों में सहायक शामिल थी, शिक्षकों का सम्बन्ध विश्वविद्यालयों की प्रत्येक-कारिणी समिति में था, तथा प्रोवेंसर का प्रत्येक-कारिणी समिति होती थी।

५. महाविद्यालयों के सम्बद्ध करने की शर्तें कड़ी बनाई गईं ।
६. सीनेट के बनाये गए कानूनों या नियमों में सरकार कोई भी परिवर्तन कर सकेगी ।
७. विश्वविद्यालयों की सीमा निर्दिष्ट की गई तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सीमा-निर्धारण के अधिकार दिये गए ।

भारतीय जनता ने इस एक्ट का विरोध किया, पर इससे विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन में सुधार ही हुआ और विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियन्त्रण और अधिक हो गया, विश्वविद्यालयीन शिक्षा में कोई आमूल परिवर्तन नहीं किया जा सका तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि भी नहीं हुई ।

सन् १९१३ तक का समय विश्वविद्यालयों के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काल में इंग्लैण्ड में विश्वविद्यालयों के स्वरूप-निर्धारण के प्रश्न

पर बड़ा विवाद चला तथा निश्चय किया गया कि शिक्षण-सन् १९१३ का विश्वविद्यालय सम्बन्धी विश्वविद्यालयों से अच्छे होते हैं ।

प्रस्ताव इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा । सरकार ने १९१३ में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया । इस प्रस्ताव ने विश्व-विद्यालय के स्वरूप तथा उच्च शिक्षा-सम्बन्धी नीति को स्पष्ट किया । चूँकि भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कारणों से सम्बन्धी विश्वविद्यालयों का त्याग न कर सकेगा अतः ऐसे विश्वविद्यालयों के क्षेत्र सीमित किये जायें तथा अन्य नये शिक्षण तथा आयागिक विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें । साथ ही जो महाविद्यालय काफी उन्नति कर चुके हों तथा जिनका स्तर बहुत अच्छा हो उन्हें विश्वविद्यालयों में परिणत किया जाये ।

सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध के छिट जाने से इस प्रस्ताव के अनुगार कार्य आगे न बढ़ाया जा सका, पर फिर भी बनारस (१९१६) तथा पटना (१९१७) में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई ।

सन् १९१७ में सर माइकेल मैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय के संगठन तथा उसके कार्यों की पूर्ण जाँच के लिए कलकत्ता विश्व- एक आयोग की स्थापना की गई । इस आयोग की गिफारिमें विद्यालय आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही सम्पन्नित थीं, पर इन्हें अन्य

प्रान्तों ने भी स्वीकार किया। इस आयोग की सिफारिशों निम्नलिखित थीं :

१. इण्टरमीडिएट शिक्षा की कक्षाएँ माध्यमिक तथा इण्टर बोर्डों के अन्तर्गत की जायें तथा विद्याविद्यालयों में इण्टर पाठ योग्यता के छात्र भरती किये जायें।
२. कलकत्ता विद्याविद्यालय का मध्यम प्रान्तीय सरकार में रहे।
३. स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्षीय हो।
४. आनन्यं कार्य पाठ्य कार्यक्रम में भिन्न हो।
५. कलकत्ता शहर की निजग-सम्भावनाओं का संशोधन किया जायें तथा इसे एक वास्तविक शिक्षण विद्याविद्यालय बनाया जायें। टाका विद्याविद्यालय भी शीघ्र स्थापित किया जायें।
६. महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायें तथा इसके लिए अलग एक बोर्ड की स्थापना की जायें।
७. सरकारी नौकरियों में भरती न करके शिक्षण कार्य के लिए विश्व विद्यालयों में अलग में शिक्षण सेवा स्थापित की जायें।
८. शिक्षण, डाक्टरी, फार्मस्यूटिकल, इंजीनियरिंग, कृषि आदि के प्रशिक्षण को अच्छी व्यवस्था के लिए अनेक सुझाव दिये गए।
९. माध्यमिक स्तर तथा शिक्षण का मापन मानवभार गटे तथा विश्व-विद्यालयों में अंग्रेजी।
१०. परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जायें।
११. नये विद्याविद्यालयों में शिक्षण किया जायें तथा उनका सुगठन एकात्मक हो।
१२. विद्याविद्यालयों पर से सुधारी नियंत्रण कम किया जायें जिनमें से स्तरता में कार्य कर गटे।

मन १९१३ के प्रभाव तथा कलकत्ता विद्याविद्यालय आयोग की सिफारिशों के प्रत्यक्ष कारण में अनेक नये विद्याविद्यालयों की स्थापना के प्रत्यक्ष कारण में अनेक नये विद्याविद्यालयों की स्थापना हुईं जिनमें मंगल (१९१६), बनारस (१९१६), पटना (१९१७), उदयपुर (१९१८), अयोध्या (१९२०), टाका (१९२०), मयनऊ (१९२०), दिल्ली (१९२२), नागपुर (१९२३), भद्र (१९२६), भागल (१९२७), अनामनाई (१९२९)।

नये विश्व विद्या-
लयों की स्थापना

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को आर्थिक अनुदान देने की नीति ही प्रमुखतः अपनाई। इस काल में महाविद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई तथा १९२१-२२ में कुल ५४,४७३ छात्र देश के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ रहे थे। इन विश्वविद्यालयों में साहित्यिक तथा साधारण पाठ्यक्रम के छात्र ही अधिक रहते थे। इनका उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना-भाव रहता था। इसके पक्षस्वरूप १९२८-२९ में शिक्षकों की वेतनी बहुत अधिक बढ़ गई थी। उच्च शिक्षा सचिवालय तथा सचिवालय भी बहुत थी।

भारत में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना से यह आवश्यक हो गया था कि इन सभी विश्वविद्यालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाये। सन् १९२१ में इम्पीरियल यूनिवर्सिटी काउन्सिल में भी इसकी आवश्यकता अनुभव की गई थी। सन् १९२४ में दिल्ली विश्वविद्यालय बोर्ड ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों की परिषद या समान बुलाई गई तथा उसमें एक अन्तर-विश्वविद्यालयीन बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड का कार्य अन्तर-विश्वविद्यालयीन सूचना व्यूरी के रूप में काम करना, प्रोफेसरों की अदालतदली में सहायक होना, विश्वविद्यालयीन कार्य तथा विचार-विमर्श के लिए प्रमाणित संस्था का कार्य करना, भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्री आदि को संसार के अन्य विश्वविद्यालयों में मान्य कराना, विश्वविद्यालयीन शिक्षा-सम्बन्धी विश्व-परिषदों में अपने प्रतिनिधि भेजना आदि हैं। इस बोर्ड ने 'भारतीय विश्वविद्यालयों की संशुद्धि' तथा अन्य साहित्य का प्रकाशन भी किया है।

१९१९ के भारतीय संविधान से अनुसार द्विविध शासन की स्थापना हुई। इसके अनुसार शिक्षा प्रान्तीय विषय बन गया। इसके कारण विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं की स्थान मिला तथा अनेक औद्योगिक विषयों का शिक्षण भी किया जाने लगा। छात्रावास आदि की व्यवस्था भी की गई। पर इही समय राष्ट्रीयता की भावना का अन्यधिक विभाग हुआ तथा अनेक आन्दोलन प्रारम्भ हुए, जिनमें 'स्वदेशी' पर अधिक बल दिया गया। पक्षस्वरूप

१९१९ तथा
१९३५ के
संविधान

अनेक राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा विद्यालय प्रारम्भ किये गए। पर तिर भी छात्रों की संख्या विश्वविद्यालयों में बढ़ती ही गई।

सन् १९३१ के संविधान के अनुसार प्रांतीय शासन स्वतन्त्र तथा जनता के चुने प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। भारतीय मन्त्रियों ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। इन्हीं विश्वविद्यालय की शिक्षा को पर्याप्त आर्थिक सहायता न मिल सकी तथा उनको आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई। तिर भी विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। भारतीय मन्त्री अपने पदों पर अधिक समय न रहे, क्योंकि युद्ध तथा राजनैतिक कारणों से उन्हें इम्तीया देना पडा। इतना मर होतें हुए भी १९३७ के बाद भारत में अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए—जैसे वायनाडोर (१९३७), उल्कल (१९६३) आदि।

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सन् १९६६ में गवर्नमेंट कमेटी में भारतीय शिक्षा के सभी स्तरों की शिक्षा की योजना बड़े विस्तार से बनाई गई थी। इसमें उच्च शिक्षा की योजना, अनिवार्य प्राथमिक बुनियादी शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा योजनाओं के आधार पर बनाई गई थी। इसमें विश्वविद्यालयीन शिक्षा के स्तर आदि के आँकड़े दिए गए थे। गवर्नमेंट कमेटी में योग्य तथा युवागण वृद्धि के बालक-बालिकाओं को ही उच्च शिक्षा दिये जाने का सुझाव है। इसमें औद्योगिक तथा वायव्यारिक क्षेत्रों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की योजना भी है। इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम तथा स्तर में समानता लाने के लिए 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की स्थापना का सुझाव भी दिया गया है।

स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा

सन् १९६७ में भारत स्वतन्त्र हुआ। स्वतन्त्र होने के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र की सभी प्रवृत्त, महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावशाली पटना सन् १९४६ में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना थी।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र

1. आज देश के सभी गवर्नमेंट, आर्किड तथा सुशासकी स्थापनाएँ हैं। इसकी उच्च शिक्षा इस समय के रूप में सहायक नहीं होती है।

११२ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

२. भारतीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में साहित्यिक तथा साधारण पाठ्यक्रम के शिक्षण की ही सुविधाएँ हैं। फलस्वरूप व्यावसायिक तथा औद्योगिक उच्च-शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आती है।
३. उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम देश की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है।
४. भारत गाँवों का देश है पर गाँवों में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।
५. महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक बढ़ गई है। फलस्वरूप शिक्षकों तथा छात्रों का व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है। इससे छात्रों का उचित विकास नहीं हो पाता है।
६. भारतीय उच्च शिक्षा का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसी लिए उच्च शिक्षा पानेवाला बालक समाज और जीवन में मन्देह करने लगता है तथा उसमें असन्तोष अधिक रहता है।
७. उच्च शिक्षा महँगी अधिक है।
८. विश्वविद्यालयों में ग्जोज तथा अनुगन्धान की सुविधाओं की बहुत कमी है। कानून के क्षेत्र में तो ग्जोज तथा शोध-कार्य सुनाई ही नहीं देने हैं।
९. उत्पादक शिक्षा की व्यवस्था नहीं के बराबर है।
१०. निजी प्रयासों से चलने वाले महाविद्यालयों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।
११. विश्वविद्यालयों में भरती होने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। फलस्वरूप अनेक अनुपयोगी तथा अयोग्य छात्र प्रवेश पा जाते हैं। इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है।
१२. विश्वविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।
१३. परीक्षा पर अधिक बल दिया जाता है तथा परीक्षा-प्रणाली दूषित है।
१४. नैतिक तथा आर्थिक शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।
१५. माध्यमिक शिक्षा-स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने तथा

उच्च शिक्षा : : : ११३
 विश्वविद्यालयों में स्तर पर अग्रजी होने से अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं।

विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (१९४८)

भारत सरकार ने ४ नवम्बर १९४८ को एक प्रस्ताव पार किया जिसके अनुसार भारत की विश्वविद्यालयीन शिक्षा के दोषों को दूर कर उसकी व्यवस्था तथा उत्थति के सम्बन्ध में सुझाव एवं सिफारिशें करने के लिए विश्वविद्यालयीन शिक्षा समीक्षा-मण्डल की नियुक्ति की गई। इस समीक्षा मण्डल के अध्यक्ष डॉ० राधाकृष्णन् थे। अतः इसे राधाकृष्णन् कमीशन भी कहते हैं। इस समीक्षा-मण्डल में राधाकृष्णन् सहित १० सदस्य थे। डॉ० तागचन्द्र, डॉ० जेम्स एन० टॉ, डॉ० जाकिर हुसैन, डॉ० मारगन, डॉ० मुदागियर, डॉ० माहा, डॉ० बहल, डॉ० टारगट, तथा श्री मिडान्त।

इस समीक्षा-मण्डल के मन्दाभित निर्देश निम्नलिखित थे :

१. भारत में विश्वविद्यालयीन तथा शोध-मञ्च के उद्देश्य निश्चित करना।
२. भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्यों, गीमा, अधिसूचों, आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक शिक्षण, शिक्षण के स्तर, परीक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम आदि में आवश्यक सुधारों के सुझाव प्रस्तुत करना।
३. बनावट, अल्पसद, दिल्ली तथा केन्द्र के अन्तर्गत अन्य विश्वविद्यालयों की विशेष समस्याओं पर विचार करना।
४. शिक्षकों के बंटन-मान, योग्यता, सेवा की अवधि, शर्तों, कार्यों आदि पर विचार करना।
५. बालकों के अनुसन्धान, छात्रावास, ट्यूटोरियल की कार्यप्रणाली तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा में सम्बन्धित अन्य बातों पर विचार करना।
६. राधाकृष्णन् समीक्षा-मण्डल ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के केन्द्रों का भ्रमण किया तथा अनेक शिक्षा विगसदों में चर्चा करके अन्ततः प्रतिवेदन रिपोर्ट में तीसरे खण्डके २४ अग्रम १९४९ में भारत के केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रों को प्रस्तुत किया।

राधाकृष्णन् समीक्षा-मण्डल ने अपने प्रतिवेदन में भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा के इतिहास का पर्यवेक्षण करके भारत में वर्तमान परिस्थितियों में विश्व-विद्यालयीन उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान में स्वातंत्र्य, एकता, वगुल्य पर विशेष बल दिया गया है, अतः हमारी उच्च शिक्षा का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश की सामान्य, औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊँचा हो। अतः हमारे समाज की औद्योगिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्या के प्रकार, नये ज्ञान, जीवन के मूल्य तथा अर्थ के लिए सतत प्रयत्न एवं औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का उच्च स्तरीय ज्ञान हमारी उच्च विश्वविद्यालयीन शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए।

इस तरह विश्वविद्यालयीन शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना के बाद इस प्रतिवेदन में विश्वविद्यालयीन शिक्षा की समस्याओं, जैसे शिक्षा का माध्यम, शिक्षकों की योग्यता, कार्य, चेतनमान अधिकार तथा सेवा की शर्तें, आर्थिक समस्या, परीक्षा, पाठ्यक्रम, अलीगढ़, बनारस आदि विश्वविद्यालयों की विशेष समस्याएँ, अनुशासन, ट्यूटोरियल पद्धति तथा छात्रावास आदि का विस्तृत विवेचन है।

इन उपरोक्त समस्याओं के विशद विवेचन के बाद प्रतिवेदन में इनके हल के लिए सुझाव तथा निवारण हैं। ये सुझाव तथा निवारण संक्षेप में इस प्रकार हैं :

विश्वविद्यालयीन शिक्षक वर्ग :

१. शिक्षकों का महत्त्व, उत्तरदायित्व तथा प्रतिष्ठा मान्य होनी चाहिए।
२. विश्वविद्यालय, जिनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।
३. विश्वविद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन शिक्षकों के चार स्तर हों—
प्रोफेसर (चेतनमान १,०० से १३००), रीटर (६००-९००), व्याख्याता (३००-६००) तथा इन्स्ट्रक्टर (२५० से ५००)। तरकीबी योग्यता के आधार पर ही हो। इनके लिए प्रोव्हीटेण्ट फण्ड, छुट्टी तथा कार्य के घंटे निश्चित किये जायें।

- ४. प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ रिसर्च फ़ेलोशिप (वैतनमान २५०) में ५००) हों।
- ५. उपयुक्त शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाये। इनकी सेवामुक्ति की आयु ६० वर्ष हो, तथा ६४ वर्ष की आयु तक सेवा करने के लिए अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

२. शिक्षण का स्तर :

- १. विश्वविद्यालय में आज प्रचलित इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षा पाठ्य अर्थात् १२ वर्ष शिक्षा-प्राप्त विद्यार्थियों को ही भरती किया जाये।
- २. इसके लिए प्रत्येक प्रान्त में बारहवी कक्षा तक के इण्टरमीडिएट विद्यालय खोले जायें।
- ३. १० से १२ साल तक शिक्षा-प्राप्त बालकों को विभिन्न व्यापारों तथा उद्योगों की ओर प्रेरित करने के लिए देश में अनेक औद्योगिक तथा व्यापारिक विद्यालय खोले जायें।
- ४. विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षकों के रिप्रेसेन्टेशन को व्यवस्थित किये जायें।
- ५. शिक्षण विश्वविद्यालयों में भी ८. अधिक न होने देने के लिए ३,००० तथा कालेज में १,५०० से अधिक विद्यार्थी भर्ती न किये जायें।
- ६. वर्ष में परीक्षा के दिनों को छोड़कर कम-से-कम १८० दिन पढ़ाई की जायें। तथा वर्ष में तीन टर्म (terms) हों, प्रत्येक टर्म ग्यारह सप्ताह का हो।
- ७. टेन्चर अच्छे स्तर के व्यवस्थित हों तथा यूरोपियन पद्धति तथा प्रणालियों का उपयोग इनके पूरक के रूप में किया जाये।
- ८. रिती भी कक्षा के लिए कोई फुलकें निर्धारित न की जायें।
- ९. यूरोपियन पद्धति को अपनाया जाये तथा प्रत्येक मनुष्य में ६ से अधिक शिक्षार्थी न हों। इस पद्धति का लाभ सभी छात्रों को मिले तथा इसका उपयोग छात्रों के मानसिक विनाश के लिए हो किना जाये, न कि परीक्षा में फल पाने के लिए। इस पद्धति में उत्तम कार्य के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाये।

पाठ्यक्रम :

१. विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र कला तथा विज्ञान फेकल्टी तथा औद्योगिक विद्यालयों में १२ वर्ष की पढ़ाई या वर्तमान इण्टर परीक्षा के बाद भरती किये जायें।
२. किसी भी विषय की एम० ए० की उपाधि स्नातक के बाद आनर्स वाले को १ वर्ष में तथा माध्यम स्नातकों को २ वर्ष में प्रदान की जाये।
३. विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शालाएँ, दोनों में सामान्य शिक्षा की व्यावहारिक तथा शैक्षणिक शिक्षा प्रारम्भ की जाये। इन्हें सिलेबस तथा पठन-सामग्री भी तैयार करना चाहिए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन होना चाहिए। सामान्य शिक्षा का साहित्य भी तैयार किया जाये, जिसमें बालकों को विभिन्न विषयों के सम्बन्धों का ज्ञान हो सके।
४. शीघ्र ही सामान्य शिक्षा को चान्द किया जायें, जिसमें आज इण्टर तथा स्नातक कक्षाओं में चल रहे आत्यन्तिक (सकुचित) विद्वैतकरण को रोका जा सके।
५. छात्रों की व्यावसायिक तथा सामान्य रुचियों को दृष्टि में रखते हुए ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में विशेष तथा सामान्य शिक्षा के सम्बन्धों को निश्चित किया जाये, जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके तथा उनमें अच्छे योग्य नागरिक बनने की क्षमता उत्पन्न हो।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा नये शोध का कार्य :

१. कला तथा विज्ञान के एम० ए० अथवा एम० एम्-सी० के लिए एक-से नियम हों तथा इनकी भरती अग्निलदेसोय स्तर पर हो। इनकी पढ़ाई व्यवस्थित हो तथा गीटियाँ एवं प्रयोगशालाओं का पूर्ण उपयोग किया जाये। शिक्षकों तथा शिष्यों का पारस्परिक सम्पर्क घनिष्ठ होना चाहिए।
२. शोध-प्रबन्धों की पढ़ाई का समय २ वर्ष से कम नहीं होना चाहिए;

गाय हो शोध-प्रवन्धों के विश्लेषणों का दृष्टिकोण संकुचित विवेकीकरण का नहीं होना चाहिए।

३. विश्वविद्यालयों को अधिक-से-अधिक विषयों में शोध की सुविधाएँ देने का प्रयत्न करना चाहिए।
४. प्रत्येक विश्वविद्यालय में शोध एवं अनुशीलन कार्यों के लिए कुछ केंद्रों का होना चाहिए। ये केंद्रों के बचत योजना के आधार पर ही चुने जायें।
५. ग्राह्य और विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधियाँ उच्च कोटि की मौलिक एवं प्रमाणित कृतियों पर ही प्रदान की जायें।
६. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों को समय पर काम करने, दक्षता तथा लगन आदि का ध्यान रखकर नये ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए।
७. दर्शन, धर्म, इतिहास और कलाओं में शोध-कार्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
८. देश में विज्ञान के विभागों तथा अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं की कमी है, अतः अधिक-से-अधिक वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा-विभाग को इन वैज्ञानिक विभागों के स्नातकोत्तर अथवा एच.डी.एस. के लिए छात्र-वृत्तियाँ देनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में विज्ञान के विभागों की संख्या-वृद्धि करनी चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में नये शोध-कार्यों के लिए विश्व-विद्यालयों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। देश में जीव-विज्ञान के विभाग की कमी है अतः पाँच केंद्रीय ज्वन-विज्ञान केंद्र गठित जायें। बायो-केमिस्ट्री, बायो-फिजियोलॉजी, जियो-केमिस्ट्री, जियो-फिजियोलॉजी आदि को बढ़ाएँ के लिए सुविधाएँ बढ़ाई जायें।

हरि की शिक्षा राष्ट्र की मुख्य शिक्षा मानी जायें और इसे प्रमुखता दी जायें। अमेरिका आदि देशों में अन्तर्गत करनेवाली, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रयोग के लिए केंद्रों की व्यवस्था की जाती भी अन्तर्गत जायें।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को बड़े उद्योगों में व्यावसायिक

शिक्षा के लिए भेजा जाये। व्यवसाय की स्नातकोत्तर शिक्षा को और भी अधिक व्यावहारिक होना चाहिए तथा थोड़े एवं केवल योग्य व्यक्तियों को ही यह शिक्षा दी जाये।

शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त सुविधाएँ होनी चाहिए। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में शालाओं के शिक्षण के अनुभवी योग्य शिक्षकों को रखा जाये। इस क्षेत्र के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए तीन वर्ष तक शाला में पढ़ाने का कार्य करने के बाद ही शिक्षकों को भेजना चाहिए।

इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षा के लिए विद्यालय खोले जाये तथा इनमें अनेक सम्बन्धित विषयों की शिक्षा दी जाने की व्यवस्था हो। शैक्षणिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक शिक्षा का भी ध्यान रखा जाये। इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा डिजाइन डेवलपमेंट इंजीनियर तैयार करने के लिए उच्च प्राविधिक विद्यालय खोले जायें।

कानून का पाठ्यक्रम समोपित किया जाये तथा इसकी शिक्षा के लिए ३ वर्ष की उत्तर-कानूनी तथा सामान्य शिक्षा परीक्षा पास होना आवश्यक समझा जाये। इसके लिए ३ साल का स्नातक कोर्स विशेष कानूनी विषयों के लिए मुस्ताफा गया। अन्तिम वर्ष में व्यावहारिक ज्ञान दिया जाये।

चिकित्सा-शिक्षा के कार्टेजों में १०० से अधिक छात्र भरती न किये जाये। टाक्टरी की स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा नर्सिंग की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। आयुर्वेद को भी प्रोत्साहन दिया जाये तथा प्रथम वर्ष में भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति का इतिहास भी पढ़ाया जाये।

इसके साथ-साथ समीक्षा-मण्डल ने व्यावसायिक प्रवन्ध, सार्वजनिक प्रवन्ध तथा व्यावसायिक सम्बन्धों आदि पर भी अपने मुद्दाव दिये।

सभी विद्यालयों को प्रतिदिन अपना कार्य कुछ मिनटों तक मौन ध्यानस्थ रहने के बाद प्रारम्भ करना चाहिए।

धार्मिक शिक्षा धार्मिक महात्माओं की जीवनियों विश्व-बन्धुत्व के कुछ चुने हुए प्रचारकों तथा धार्मिक दर्शन की कुछ समस्याएँ प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्षों में पढ़ाई जायें।

१. संघीय भाषा की वृद्धि तथा विकास अन्य भाषाओं के उपयोग में आने वाले शब्दों को मिलाकर किया जाये।
२. अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शब्दों का उपयोग किया जाये तथा भारतीय लिपि तथा भाषा के अनुसार उन्हें लिखा तथा पढ़ा जाये।
३. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान में जल्दी-से-जल्दी भारतीय भाषा हो; पर गलत न हो।
४. उच्च माध्यमिक शालाओं तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को मातृभाषा, संघीय भाषा तथा अंग्रेजी आना चाहिए। उच्च शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में ही जाये पर संघीय भाषा में भी कुछ या सभी विषयों की शिक्षा देने की छूट रहे।
५. संघीय भाषा के लिए देवनागरी लिपि कुछ सुधार करके अपनाई जाये।
६. संघीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए भाषाविदों तथा वैज्ञानिकों का मन्त्रालय बनाया जाये, जो वैज्ञानिक शब्दावली तथा विभिन्न वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकें तैयार करवाये। इसके साथ राज्य सरकारों को संघीय भाषा उच्च कक्षाओं तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ाना प्रारम्भ कर देना चाहिए।
७. अंग्रेजी माध्यमिक शालाओं तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाये।

परीक्षा :

१. सरकारी शासकीय सेवाओं के लिए विश्वविद्यालयीन उपाधि आवश्यक समझी जाने। भारत के लिए एक विशेष सन्दर्भ परीक्षा भी रखी जाये।
२. कक्षा के कार्य पर भी नज़र दिये जाये। प्रत्येक विषय के एक निश्चिंत नमूने सामग्री में होने गए कार्य के लिए रखे जायें।
३. तीन वर्षीय उपाधि परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के पूर्व अंकों में समान-समान पर भी परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा योग्य होना चाहिए तथा

उनका चुनाव सावधानी से किया जाये। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए ७० प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी के लिए ६९ से ५५ प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी के लिए ४० प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक समझा जाये। परीक्षा का स्तर सभी जगह एक-सा होना चाहिए।

५. मौखिक परीक्षा केवल स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक उपाधि की परीक्षाओं के लिए ही रखी जाये।

विद्यार्थी :

भरती करने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा प्रथम उपाधि के समय तो विषयों की अधिक-से-अधिक विभिन्नता होनी चाहिए। आर्थिक सहायता चाहने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जायें। विद्यार्थियों की भरती के समय तथा अन्य समयों पर डाक्टरी परीक्षा अच्छी तरह की जाये। महाविद्यालयों में राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की इकाइयों रहे तथा इसका प्रबन्ध केन्द्र करे। सामाजिक कार्य को प्रोत्साहित किया जाये। विश्वविद्यालयों को छात्रावास तथा सहकारिता की क्रियाओं की अच्छी व्यवस्था बरनी चाहिए एवं इनका स्तर ऊँचा रहना चाहिए। विश्वविद्यालयों के छात्रों के संगठन राजनैतिक संगठनों से परे रहना चाहिए। छात्रों के अनुशासन तथा देखरेख के लिए एक टीन या प्रमुख अधिकारी होना चाहिए।

स्त्री-शिक्षा :

स्त्री-शिक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को समाज में उपयुक्त स्थान दिलाने का प्रयत्न किया जाये। नये ऐसे महाविद्यालय खोले जायें जिनमें छात्र तथा छात्राएँ साथ-साथ पढ़ें।

विधान तथा अधिकार :

१. अनुदान देने के लिए केन्द्रीय अनुदान आयोग की स्थापना की जाये।
२. केवल मान्यता देने वाले विश्वविद्यालय स्थापित न किये जायें।
३. विश्वविद्यालय में निम्न अधिकारी रहें—विजिटर (गवर्नर जनरल), चान्सर या कुर्त्यात (सामान्यतः प्रान्त के गवर्नर), वाइस चान्सर

या उच्च मुद्रास्वति, गॉनेट, वार्यनारिणी समिति, पेन्सिल्टी, बोर्ड ऑफ स्टडीज, अर्थ-समिति, चुनाव-समिति ।

भयः

१. उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का उत्तमदायित्व राज्य पर होना चाहिए ।
२. शिक्षा के लिए अधिक-से-अधिक आर्थिक महयोग देने के लिए आय-कर के नियम बदले जायें ।
३. सरकार को अगले ५ वर्षों में १० करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम

विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर खर्च करना चाहिए । बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों का हिन्दू तथा मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया जाना बन्द होना चाहिए । इनके ग्रांटन तथा प्रबन्ध में सुधार होना चाहिए । बनारस में डाक्टरी तथा अलीगढ़ में डाक्टरी तथा मराठी मराठी विश्वविद्यालय खोलने की सम्भावनाओं पर विचार किया जायें ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, व्यापार या अर्थ तथा वायुन के स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण को केन्द्रित किया जायें । केन्द्र में होने के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय को भारत के हर भाग के छात्रों के लिए निम्नत गंवला में स्थान सुरक्षित करना चाहिए । इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम संसोध भाषा होनी चाहिए । तथा अगले ६ वर्षों तक अंग्रेजी तथा संघीय दोनों भाषाओं में शिक्षण होना चाहिए ।

नये विश्वविद्यालय—इसी तरह अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में भी सुधार किये गए हैं ।

१. शान्तिनिकेतन में विश्वभारती तथा दिल्ली के पाग जर्मिन मिडिले विश्वविद्यालय बनाने की अग्यारी अनुमती दे दी जायें । इनके लिए आर्थिक सहायता की स्वरुप की जायें ।
२. नये विश्वविद्यालय बनाने में शिक्षण पद्धति के प्रयोग आदि की सहायता का स्थान रखा जायें ।

३. देश की शैक्षणिक आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विद्वविद्यालय खोले जायें।

४. विद्वविद्यालयीन अनुदान आयोग विद्वविद्यालयों को योग्यता के आधार पर मान्यता देने वाली संस्था होनी चाहिए।

ग्रामीण विद्वविद्यालय :

ग्रामीण क्षेत्रों की उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये। देश की उच्च शिक्षा के विकास तथा विस्तार के समय ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ध्यान रखा जाये।

आयोग की अनेक सिफारिशें मौलिक, व्यावहारिक तथा उपयोगी थीं। अधिकतर भारतीय जनता गाँवों में निवास करती है। आयोग ने इसका ध्यान रखकर पाश्चात्य तथा भारतीय ग्राम्य संस्कृति के समन्वय के आयोग की सिफारिशें प्रयत्न किये हैं। आयोग ने शिक्षण पद्धतियों के उचित होने रिशतों की समीक्षा तथा उनमें सुधार करने की आवश्यकता को प्रतिपादित किया तथा दूर्योरियल विधि के उपयोग से शिक्षक-शिष्य सम्बन्ध तथा सम्पर्क बढ़ाने का सुझाव दिया। वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक शिक्षाओं पर भी इसमें उचित ध्यान दिया गया। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव-कल्याण रहा है। इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा में विद्व-कल्याण को प्रमुखता दी गई है तथा संसार के सामने एक आदर्श उपस्थित किया गया है। मानवीय शास्त्रों के अध्ययन से छात्रों में विश्व-बन्धुत्व की भावना का विकास करने के सुझाव को कल्याणकारी तथा उपयोगी ही समझा जायेगा। इसके साथ-साथ आयोग ने उच्च शिक्षा की अनेक समस्याओं का उचित व्यावहारिक समाधान सुझाया है, जैसे शिक्षा के स्तर, धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, परीक्षा, पाठ्यक्रम, विद्व-विद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था, शिक्षकों की दशा आदि। आयोग ने विद्व-विद्यालयों में शोध तथा अनुसंधान कार्यों को प्रमुख रूप से आवश्यक बताया है। गांधी-जी-राय राजनीति में पृथक् रहने का सुझाव भी दिया है। विद्वविद्यालय अनुदान-आयोग तथा ग्रामीण विद्वविद्यालयों की स्थापना देश की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को देखते हुए बड़ी उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं।

परन्तु इतना सब होने हुए भी शिक्षा के माध्यम तथा स्त्री-शिक्षा पर बोर्ड

सूट तथा व्यावहारिक मन व्यक्त नहीं किया गया। ललित कलाओं के शिक्षण, यौन-शिक्षा, शारीरिक महाविद्यालयों में शिक्षकों को समस्याओं आदि पर विचार ही नहीं किया गया या यदि किया भी गया तो सूक्ष्म रूप से ही। फिर भी यह आयोग उच्च शिक्षा के इतिहास में अपने दग का निराला ही है तथा इसमें भारतीय उच्च शिक्षा को उपयोगी तथा कल्याणकारी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

आयोग के सूक्ष्म प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए केन्द्रीय-शिक्षा परिषद की बैठक २२, २३ अप्रैल १९५० में हुई। इस बैठक में पाण्डे ने अनेक मुद्दों को मौलिक रूप तथा कुछ को संशोधित करके मान लिया।

केन्द्रीय-शिक्षा-बोर्ड ने स्नातकोत्तर शिक्षा, अनुसंधान कार्य, शिक्षा के मूलाकार परिषद माध्यम, शिक्षकों का वर्गीकरण, वेतनमान, परीक्षा, पाठ्यक्रम, नये विद्यालयों की स्थापना, शरीर प्रतिभाग्य छात्रों की महायत्ना आदि के सम्बन्ध में दिष्ट गण. मुद्दों को मौलिक रूप में मान लिया। व्यावहारिक शिक्षा में कृषि, व्यापार, चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा टेक्नालॉजी, धार्मिक शिक्षा-सम्बन्धी मुद्दों को संशोधनों के साथ माने गए। विद्यालयों में शिक्षा को केन्द्रीय सरकार की तात्त्विक में रखने-सम्बन्धी मुद्दों को नहीं माना गया।

मार्च १९५२ में गणतन्त्रात्मक संविधान में चुनावों के पश्चात् देश में विद्यालयी शिक्षा के स्तर तथा गठन को ठीक करने की दृष्टि में एक 'विद्यालयी शिक्षा अधिनियम' संसद के सामने प्रस्तुत करना चाहा। इस अधिनियम की जानकारी सर्वसाधारणों को नहीं कराई जा सकी, पर राज-मन्त्रियों तथा उपसुलभितों के पागल अवसर भेदों से है। इस अधिनियम में निम्नलिखित बातें हैं :

१. केन्द्रीय सरकार का विद्यालयों पर नियंत्रण आवश्यक हो। इसके लिए एक 'विद्यालयी शिक्षा केन्द्रीय परिषद' की स्थापना की जाये।
२. इस परिषद को विद्यालयों की आन्तरिक स्थिति में सुधार करने का अधिकार होगा।

३. यह परिपद देश के सभी विश्वविद्यालयों की जाँच करेगी।
४. उच्च शिक्षा प्रदान करनेवाली सभी शिक्षण संस्थाएँ विश्वविद्यालय का रूप धारण करेंगी।
५. इस परिपद का समूहन केन्द्रीय सरकार द्वारा होगा तथा इसके दो-तिहाई सदस्य देश के विश्वविद्यालयों के उपकुलपति होंगे।
६. विश्वविद्यालयीन उपाधि पाने के लिए सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा पास करना आवश्यक होगा।

पर यह विधेयक अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। इस विधेयक के स्वीकार होने पर विश्वविद्यालय 'केन्द्रीय शिक्षा परिपद' के हाथ की कठपुतली बन जायेंगे, जो उच्च शिक्षा के लिए उचित नहीं है। उच्च शिक्षा को स्वतन्त्र तथा उन्मुक्त होना चाहिए। इसके पारित होने पर विश्वविद्यालयों की स्वायत्त सामन-प्रणाली भी समाप्त हो जायेगी। परन्तु साथ ही आज विश्वविद्यालयों में चल रही दलबन्धियों के कुन्मों को इससे दूर अवश्य किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा नियन्त्रित करने के ध्येय से केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५३ में एक 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की स्थापना की है। आज इस आयोग के अध्यक्ष डॉ० डी० एस० विश्वविद्यालय कोटारी हैं। इस आयोग के कार्य से प्रभावित होकर केन्द्रीय अनुदान-आयोग सरकार ने इसे स्थायी तथा वैधानिक अधिकार दे दिये हैं। अब इसके सदस्यों की संख्या, जो पहिले ४ थी, बढ़ाकर ९ कर दी गई है, जिनका क्रम इस प्रकार होगा—२ केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, ३ उपकुलपति तथा ४ प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री।

इस आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे :

१. विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय करके उन्नत शिक्षा-स्तर को उठाना।
२. विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति भी जाँच करना तथा आवश्यकता-नुसार आर्थिक सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार को मनाह देना।
३. विभिन्न विश्वविद्यालयों में धन-सहायि वितरण करना।
४. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों की कठिनाइयों तथा समस्याओं का समाधान करना।

- ५. केंद्रीय तथा राज्य-सरकारों को विन्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारण करने में परामर्श देना।
- ६. उच्च शिक्षा के मन्त्रालय में केंद्रीय सरकार को आवश्यकतानुसार मन्त्रालय देना।

इस अनुदान आयोग ने विन्वविद्यालयीन शिक्षकों के वेतन को सुधारने में बड़ी सहायता पहुँचाई है। इसके साथ-साथ प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा में हो रहे विकास का श्रेय भी इसी को है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना साल में विन्वविद्यालयों तथा उनमें मन्त्रालय महा-विद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुधारने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनका विस्तार तथा पोंगण करने का ध्येय रखा गया था।

प्रथम तथा द्वितीय प्रचलित रीति के अनुसार अनेक सरकारी सेवाओं के लिए पंचवर्षीय योजना- विन्वविद्यालयीन उपाधियों आवश्यक समझी जाती थी। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह मुस्ताव रखा गया कि सरकारी सेवाओं की नियुक्तियाँ स्वतन्त्र प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर हो तथा इस परीक्षा में बैठने के लिए विन्व-

विद्यालयीन उपाधि आवश्यक न हो।

इस योजना में सामान्य विन्वविद्यालय की योजना को महत्त्व दी गई तथा निम्न दिया गया कि कम-से-कम एक सामान्य विन्वविद्यालय अवश्य स्थापित किया जाये। यह विन्वविद्यालय उर्दू क्षेत्रों में स्थापित किये जायें जहाँ पूर्व-पुनिपादी, पुनिपादी और उत्तर-पुनिपादी प्रयोग किये गए हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उष तथा विन्वविद्यालयीन शिक्षा को अधिक महत्त्व दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे संशुद्ध करने के ही कार्यक्रम रंगे गए थे, पर द्वितीय योजना में इसके विभाग के लिए ७ नये विन्व-विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई। साथ ही-साथ पाठ्यक्रम में सुधार-नीतिवर्ती पाठ्यक्रम चारू करने, ट्यूटोरियल कक्षा प्रणाली अन्ताने, शोध-कार्यों को प्रोत्साहन देने, पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं को मज्जु रखाने, भवन व्यवस्था, संग्रहालय, श्रमोद्योगों का आयोजन करने आदि की और भी रान देने का कार्यक्रम है।

१२६ :: : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल से उच्च शिक्षा पर चौथुनी राशि व्यय करने का प्रावधान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में कुल शिक्षा व्यय का ८८ प्रतिशत ही व्यय किया गया था। अर्थात् लगभग १८ करोड़ रुपये, पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में कुल शिक्षा व्यय का १८६ प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान है, जो लगभग ३४४ करोड़ रुपयों के लगभग होगा। उच्च शिक्षा के लिए स्वीकृत राशि का अधिकांश भाग प्राविधिक, व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा पर ही व्यय किया जायेगा। अनु-गठान पर भी समुचित व्यय की व्यवस्था द्वितीय योजना-काल में की गई है।

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा

नवौंन मध्यप्रदेश राज्य द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद सन् १९५६ में गठित हुआ था। नये राज्य के गठित होने के पश्चात् सन् १९५६-५७ सत्र में विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर तथा टाकुर रणमण्डि महाविद्यालय, रीवा में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ की गईं। साध-ही-साथ इसी सत्र में होदकर महाविद्यालय, इन्दौर, विकटोरिया महाविद्यालय, खालियर तथा हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल में उर्दू तथा वाणिज्य विषयों की स्नातकोत्तर कक्षाएँ भी शुरू की गईं। अन्य महाविद्यालयों में भी नये विषयों के शिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध की गईं। रत्नम में एक स्नातक महाविद्यालय तथा इन्दौर में महिला स्नातक महाविद्यालय स्थापित किया गया।

राज्य पुनर्गठन के समय चारों क्षेत्रों में उच्च शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ विभिन्न तथा अलग-अलग थीं। महाकोण्ड क्षेत्र में गैर-सरकारी महाविद्यालय अधिक थे तथा अन्तर-महाविद्यालय भी केवल एक ही था। पर राज्य के अन्य तीनों क्षेत्रों में सभी महाविद्यालय सरकारी थे तथा अन्तर-महाविद्यालयों की संख्या भी अधिक थी। मध्यभाग, भोपाल तथा विन्ध्यप्रदेश क्षेत्रों के महा-विद्यालय आगम विन्ध्यविद्यालय से सम्बद्ध थे। प्राविधिक वाणिज्य तथा स्नात-कोत्तर स्तर की शिक्षा की सुविधाएँ भी पृथक-पृथक थीं। इसलिए नये राज्य के गठन के बाद सबसे पहिले इस ओर ध्यान देना आवश्यक था कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में समान सुविधाएँ प्रदान की जायें तथा विभिन्नता न रहकर एक-रूपता स्थापित की जाये। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किये गए।

राज्य में जयलपुर, विन्म तथा इन्दिरा कला-संगीत विश्वविद्यालयों के अधि-
 नियम तो राज्य-पुनर्गठन के पूर्व ही स्वीकृत हो चुके थे, पर इन विश्वविद्यालयों की
 स्थापना सन् १९५७-५८ में ही हुई है। इन विश्वविद्यालयों को इन्हीं
 नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद राज्य के सभी महाविद्यालयों को इन्हीं
 विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया गया। जयलपुर विश्व-
 विद्यालय का क्षेत्र जयलपुर जिले तक ही सीमित है। सागर
 विश्वविद्यालय में महाशाला के क्षेत्र जिन्हे तथा विन्मप्रदेस क्षेत्र शामिल किये
 गए तथा विन्म-विन्मविद्यालय का क्षेत्र भोपाल तथा मध्यभारत क्षेत्रों तक रखा
 गया। इस प्रकार अब राज्य के सभी महाविद्यालय राज्य के इन्हीं विश्वविद्यालयों
 से संबद्ध हैं।

रीसगढ़ स्थित इन्दिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय में संगीत तथा नृत्य का
 शिक्षण दिया जाता है।
 राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के आय व्यय का लेखा निम्नलिखित
 प्रकार है :

विश्वविद्यालय का नाम	सोत्रनान्तर्गत प्रावधान	१९-३-५८ तक आय	५८-५९ आय-व्यय का प्रावधान
१. जयलपुर विश्वविद्या- लय तथा इन्दिरा कला- संगीत विश्वविद्यालय	२५*०० लाख	६*०५ लाख	३*०० लाख
२. विन्म विश्वविद्यालय	६७*०० लाख	६*६२ लाख	२*०० लाख
३. सागर विश्वविद्यालय	२६*६७ लाख	६*०० लाख	४*०० लाख

इसके अतिरिक्त सागर-विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष राज्य सरकार से ८ लाख
 तथा विन्म विश्वविद्यालय को ५ लाख रुपये मेंशासक-अनुदान के रूप में
 मिलते हैं।

राज्य के बलार, गिर्ना, रासगढ़, पानापाट, हातुआ तथा रासगढ़ जिलों
 में स्थित प्रसार को उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अब इन जिलों में उच्च
 शिक्षा की व्यवस्था को अपने आत्मतक समता गया। इन स्थानों में उच्च

१२८ : :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

शिक्षा की माँग थी तथा यहाँ से इस हेतु अर्थ के रूप में नये महाविद्यालयों जन-सहयोग भी प्राप्त था। अतः बालाघाट और रायगढ़ की स्थापना में नये शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई।

सन् १९५८ में दुर्ग में भी महाविद्यालय की स्थापना की गई। राज्य के एक त्पार से अधिक आग्रादी वाले पाँच शहरों में रायपुर में ही महिला स्नातक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। ये महाविद्यालय जनता के आर्थिक सहयोग देने पर ही सरकार द्वारा खोले गए हैं। इन महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक कला और विज्ञान की शिक्षा देने की सुविधाएँ हैं।

राज्य में दूसरी योजनावधि में २८ नये स्नातक महाविद्यालय खोले जायेंगे। सन् १९६०-६१ में दो नये महाविद्यालय वस्तर और झाबुआ में स्थापित किये जायेंगे। मीधी तथा भिवपुरी के अन्तर-महाविद्यालय स्नातक में विकसित किये जायेंगे।

राज्य-पुनर्गठन के समय महिला उच्च शिक्षा की व्यवस्था बहुत कम थी तथा जहाँ थी भी यहाँ विभिन्न विषयों की कक्षाएँ कम और मोहित थी। राज्य के विभिन्न महिला महाविद्यालयों को सुविधाओं की वृद्धि करके निम्नलिखित कार्य किये गए :

कर्मिक महाविद्यालय का नाम	जहाँ तक शिक्षा-सुविधाएँ थीं	पुनर्गठन के उपरान्त बढ़ाई गई सुविधाएँ
१. राजकीय गृह-विज्ञान मण्डल-विद्यालय, जयपुर	बी० ए० कला, बी० एम-सी० गृह-विज्ञान	बी० ए० कला बी० एम-सी० गृह-विज्ञान बी० एम-सी०
२. राजकीय कमल राजा कन्या महाविद्यालय ब्यालियर	बी० ए० कला	बी० ए० कला बी० एम सी०
३. कन्या-महाविद्यालय, इन्दौर	बी० ए० कला	बी० ए० कला बी० एम-सी०

- ४. विजयागरे कन्या महाविद्यालय, उन्नाव इण्डर आर्ट्स वी० ८० क्या
- ५. गुजराती महिला अन्तर-महाविद्यालय, भोपाल इण्डर आर्ट्स वी० ८० क्या
- ६. महिला महाविद्यालय, रायपुर इण्डर साइंस वी० एम-सी०

इस प्रकार राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए ६ महाविद्यालय राजकोर तथा २ गैर-राजकीय महाविद्यालय चार हैं।

राज्य के अनेक महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नात-कोत्तर स्तर तक की शिक्षा देने की सुविधाओं की वृद्धि के साथ-साथ नये नये विषयों की शिक्षा-सुविधाओं को बढ़ाना भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसका विवरण निम्नलिखित प्रकार है :

महाविद्यालयों के नाम

- कन्या महाविद्यालय, इन्दौर
- गृह-विज्ञान, महाविद्यालय, जबलपुर
- कमला राजा कन्या महाविद्यालय, म्हालिन
- राजकीय महाविद्यालय बल्लाम, पार, गुना तथा बड़वानी
- राजकीय महाविद्यालय, मन्डौर
- महाराणी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, म्हालिन
- हर्मायन महाविद्यालय, भोपाल
- होल्कर महाविद्यालय, इन्दौर

- विषय**
- भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, वनस्पति-शास्त्र, प्राणि शास्त्र समित
 - शास्त्र तथा गणित
 - शान्ति, दर्शन-शास्त्र
 - गणित तथा समाज शास्त्र
 - भूगोल
 - समाजशास्त्र

इसी दिशा का ध्यान, भारत में स्नातकोत्तर स्तर की गणित विषय की और होल्कर महाविद्यालय इन्दौर में स्नातकोत्तर स्तर की गणनीति विषय की नई कक्षाएं आरम्भ की गईं।

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के प्रकार में महाविद्यालयों में टॉप स्कोर की वृद्धि बहुत अधिक हुई है। अतः विज्ञान तथा क्या दोनों विषयों के अर्थव्यवस्था

१३० :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

वर्ग राज्य के अनेक महाविद्यालयों में खोले गए हैं। साथ-ही-साथ अनेक महा-विद्यालयों में प्रवेश सख्या की वृद्धि भी हुई है।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा के पुनर्गठन के लिए राष्ट्राध्यक्ष विश्वविद्यालयीन शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम बनाने की योजना बनाई है। राज्य के विश्वविद्यालयों के त्रिवर्षीय स्नातक उपकुलपतियों से परामर्श करके मध्यप्रदेश सरकार ने यह पाठ्यक्रम की निश्चय किया है कि सन् १९५९-६० सत्र से राज्य के महा-कार्यान्विति विद्यालयों में यह त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया जाये। इसके लिए शासन आधा तथा निजी अर्थ-सहायता से आधा व्यय आवश्यक है। इसकी प्राप्ति पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक सहायता देगा। अतः राज्य ने निर्णय किया है कि शासकीय महाविद्यालयों को त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम चलाने के लिए आवश्यक व्यय का ५० प्रतिशत तथा गैर-सरकारी महाविद्यालयों को २५ प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। गैर-सरकारी महाविद्यालयों को २५ प्रतिशत व्यय व्यवस्थापकों की ओर से दिया जायेगा। इस व्यय के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए सम्पूर्ण राज्य के लिए २१५ करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इस योजना को भारत सरकार से मान्यता भी मिल चुकी है। इस योजना से अनेक महाविद्यालयों ने लाभ उठाया है तथा वे स्नातक महाविद्यालयों में परिवर्तित किये गए हैं। जो महाविद्यालय इस योजना के पूर्व ही स्नातक स्तर के बन गए थे वे भी इसी ढाँचे में ढाले जा रहे हैं।

राज्य में १५ शासकीय अन्तर-महाविद्यालय स्नातक स्तर के किए जा चुके हैं। इन अन्तर महाविद्यालयों को स्नातक स्तर का बनाने में जनता ने भी ५० से ६० हजार रुपये आर्थिक सहयोग दिया है या देने का वायदा किया है। अब राज्य में स्नातक महाविद्यालयों की संख्या निम्नलिखित है :

१९५६-५७

५९-६०

२८

६१

स्नातक-महाविद्यालय

इसके साथ-साथ महाविद्यालयों के पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएँ भी उत्तम

तथा विद्यार्थियों की जा रही है। लड़कियों के तथा अन्य छात्रों और उपकरणों की व्यवस्था भी की जा रही है।

१९६०-६१ में अन्तर महाविद्यालयों के व्याख्याताओं के ११६ पदों को स्नातक व्याख्याताओं में उन्नत किया जायेगा। कुछ स्नातक व्याख्याताओं के पदों को जूनियर प्रोफेसर के पदों में भी उन्नत किया जायेगा। इनसे महाविद्यालय में शिक्षण-स्तर उच्च होगा। साथ ही-साथ आवश्यकतानुसार व्याख्याताओं के अतिरिक्त पद भी बढ़ाये जाने का प्रावधान १९६०-६१ के लिए किया गया है।

राज्य के अनेक महाविद्यालयों में विज्ञान-निर्माण की सुविधाएँ न होने के कारण अनेक छात्रों को योग्यता होने हुए भी क्या की शिक्षा लेना पड़ती थी। अतः गैर-सरकारी महाविद्यालयों को विज्ञान विद्यालयों में कक्षाएँ खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु अनुदान विज्ञान-निर्माण की दूरें बढ़ा दी गई है। अनुदान की दरों में निम्नलिखित की सुविधाएँ प्रसार कृति की गई है :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| १. भवन अनुदान | ३३% में ५० प्रतिशत |
| २. सहायण अनुदान | ३३% में ५० प्रतिशत |
| ३. उपकरण अनुदान | ५० में ६५ प्रतिशत |

इन सुविधाओं के मिलने में अनेक गैर-सरकारी महाविद्यालयों ने धन १९६०-६१ में विज्ञान कक्षाएँ खोली हैं।

इसके साथ साथ ही महाविद्यालयों में भी विज्ञान शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं। मध्यमस्तरीय क्षेत्र के सभी सरकारी अन्तर-महाविद्यालयों में वर्ष १९६०-६१ में विज्ञान कक्षाएँ आरम्भ की गईं। उहाँ वर्गों की ० एम-सी० कक्षाएँ नष्ट न यहाँ भी ऊँचे आरम्भ किया गया तथा विज्ञान के निर्माण की सुविधाएँ भी दी गईं। अनेक महाविद्यालयों में जहाँ विज्ञान शिक्षा नहीं थी या दूरों की प्रयोगशाला में परामर्श कृति की गई।

शिक्षक-प्रशिक्षण

विद्य के विभिन्न देशों में शिक्षकों का प्रशिक्षण

प्राचीनकाल में पढ़ाये जाने वाले विषयों का समुचित ज्ञान ही शिक्षक की योग्यता का आधार माना जाता था। अतः शिक्षक का समाज में आदर या ख्याति उसके पढ़ाये जानेवाले विषय के महत्त्व तथा उससे प्राचीनकाल में सम्बन्धित ज्ञान की परिधि के विस्तार पर आधारित रहती थी। प्राचीनकाल में लिप्यना तथा पढ़ना प्रमुखतः पुरोहितों का ही काम माना जाता था। अतः वे सभी के अन्दर के पात्र होते थे। हमारे भारत में तो ब्राह्मण, जो शिक्षा देने का काम करते थे, बड़े आदर के पात्र समझे जाते थे। आज भी समाज उनका आदर करता है चाहे वह आदर उतना अधिक न हो।

चीन में भी समाज में शासकीय सेवा वाले नौकरों के बाद शिक्षक आते थे। यहूदी लोग तो शिक्षक को आध्यात्मिक पिता मानते थे। माँ-बाप के साथ-साथ वे गुरु का आदर भी करते थे। यूनानी लोगों ने अन्य प्राचीन देशों के सम्मान शिक्षकों को इतना अधिक आदर न देकर अपने कवियों को उच्च स्थान दिया। यूनान में भौतिक शिक्षा का प्रसार भी अधिक हुआ, अतः सामान्य ज्ञान देने वाले शिक्षकों की स्थिति वहाँ अच्छी न रही, पर उच्च ज्ञान, जैसे दर्शन आदि, देने वाले शिक्षकों का आदर यूनानी समाज में अवश्य था।

रोम तथा यूनान के अनेक शिक्षक—जैसे क्विन्टिलियन, आइरोनेट्टस बहुत ही प्रतिभाशाली हुए, फिर भी इन देशों में साधारण शिक्षकों की स्थिति ठीक नहीं रही। उग काल में शिक्षकों का काम वेतन तथा छात्रों के अभिभावकों की संतुष्टिकारक मुननी पड़ती थी। इसका कारण यह था कि उग समय शिक्षकों में बहुत मामूली बातें, जैसे बड़े-बड़े लोगों की नगों आदि के नाम याद रखने

आदि की अपेक्षा की जाती थी। अतः कालान्तर में तो वहाँ शिक्षक बनना एक दुःख की बात मानी जाने लगी थी। इसी लिए यूनानी-रोमन लुसियन कहता था कि "ईश्वर जिसे घृणा करता है वही शिक्षक बनता है।" उमका कथन था कि इसके बाद दुःखे जीवन में अन्य किसी दण्ड की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है।

शिक्षकों की स्थिति स्वयं होने के और भी कई कारण थे, जैसे (१) जीवन में अलग ऐसी बातों का ज्ञान देना जिनका कोई उपयोग ही न हो। (२) समाज की उन्नति के कार्यों में सहयोग देने का ज्ञान देने के कार्यों में अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाना। (३) केवल कष्टमय कराने पर बन्ना देना, जो कोई भी कर सकता है।

इस प्रकार शैक्षणिक कार्य की निपुणता नैतिक माननी जाती थी। उन्हें पश्चिम में अज्ञित कराने की ओर इसी लिए ध्यान गया ही नहीं।

यूनानी और रोमन सभ्यता के पतन के बाद मध्यकाल में मध्यसालीन विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इन विश्वविद्यालयों में बालन, चिकित्सा, कला, धर्म आदि विषय पढ़ाये जाते थे। इसरी प्रगति के लिए

अच्छे शिक्षकों का होना आवश्यक माना जाता था। अतः इन विषयों की अच्छी तरह पढ़ा करने की धमका ही

इसरी परीक्षाओं में पास होने के लिए आवश्यक माननी जाने लगी। 'लैटिन' 'docere' का अर्थ ही 'to teach' होता है। 'master' का अर्थ ही

गुरु मास्टर है। इस प्रकार मध्य युग में विद्वान का ज्ञान ही शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता था तथा उसी में उसे प्रशिक्षित भी किया जाता था।

नवजागरण तथा उसके बाद के काल में शिक्षकों की परिस्थिति और भी सिद्ध हुई। न केवल शिक्षक अपने विद्वान में अनभिज्ञ रहने के लिये उत्तरी अमेरिका भी अनसह्य (crude) होती थी। मास्टर्स आदि के इसरी बर्तन बर्तना की है। उस समय ही परिस्थिति इसरी सिद्ध हुई कि शिक्षक होने की युग के बुद्धि के पूर्वजों की गिनती कराने समय शिक्षकों का शिक्षक होने की युग के होने लगे थे। इसका कारण यह था कि उस समय रहने की युग का अर्थ था। परन्तु यह ने (१४८३ में १५४६) शिक्षकों के जन्म की

वड़ा योग दिया। उसने उच्चद्वयल शालकों को पढ़ाने के कार्य को उतना ही महत्वपूर्ण माना जितना कि युद्ध के मैदान में शूरवीरों की शूरता को।

पर अभी तक शिक्षकों की इस घुरी परिस्थिति का कारण वही था कि शैक्षणिक कार्य का कोई नियम या व्यवस्थित पद्धति नहीं थी।

जेम्सीटो की 'Ratio Studiorum' (माध्यमिक शालाओं के अच्छे शिक्षक बना सकें) और क्रिश्चियन ब्रदर्स के 'Conduct of Schools' ने भी (humility, prudence, piety, generosity) शिक्षकों के आचरण-सम्बन्धी नियम ही निर्धारित किये।

प्रशिया में पेस्टालाजी ने शिक्षण-कार्य में विज्ञान तथा दर्शन का समावेश किया—दसकी वस्तु-पाठ-विधि कालान्तर में क्लिष्ट हो गई घर्तमान काल तथा उसके सम्बन्ध में लोगों ने और भी अधिक रोज की। मैं शिक्षकों का मनोविज्ञान का समावेश भी अत्र शिक्षकों के प्रशिक्षण में विधिवत प्रशिक्षण किया जाने लगा।

पहिले वेमीनरी में शिक्षकों का प्रशिक्षण होता था तथा बाद में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नार्मल स्कूल खोले जाने लगे। धीरे-धीरे नार्मल स्कूलों में केवल प्राथमिक शिक्षकों तथा परीक्षण महाविद्यालयों में माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाने लगा। कुछ काल तक शिक्षण संस्थाओं की स्वतः समिति शिक्षकों को प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट देती थी। बाद में जितना संस्थाएँ, जैसे जिन बोर्ड आदि दस प्रकार के सर्टिफिकेट देने लगी।

पर मनोविज्ञान तथा शिक्षा-विद्वान्तों के विकास के परिणामस्वरूप शिक्षकों के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण के साथ-साथ सेवा करने हुए प्रशिक्षण भी आवश्यक माने जाने लगा है। साथ ही मनोविज्ञान, शिक्षा-विद्वान्त, शिक्षण विधियों-सम्बन्धी नई गोजों तथा ज्ञान से शिक्षकों को परिचित कराते रहने की दृष्टि में शिक्षकों के लिए शिक्षा-सम्बन्धी पाठ्य, साहित्य या धैर्यात्मिक पाठ्यवाएँ, निकालना आवश्यक-भा हो गया है। इनके माध्यम से दूरस्थित शिक्षक अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। शिक्षकों की दया मुधारने, उनके साथ होने वाले अन्ध-कारों तथा उभेज को दूर करने तथा उनके शैक्षणिक

कार्य का आदर और महत्व बढ़ाने के उद्देश्य से अब शिक्षकों के संगठन जिला राज्य, देश तथा विश्व के स्तर के होते हैं।

वर्तमान काल में एक और नई प्रवृत्ति संसार के विभिन्न देशों में दिखलाई देती है। आजकल शैक्षणिक कार्य करने के लिए प्रायः स्त्रियाँ ही उपयुक्त समझी जाती हैं। अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में तो पूर्व-माध्यमिक स्तर पर केवल महिलाएँ ही शैक्षणिक कार्य करती हैं। माध्यमिक स्तर पर भी अधिकांशतः महिला शिक्षिकाएँ ही होती हैं। महाविद्यालयीन स्तर पर भी इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इंग्लैंड अमेरिका की शिक्षा-समन्वयी पुस्तकों में शिक्षकों के लिए 'she' सर्वनाम का उपयोग किया जाता है।

भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण

हमारे देश में शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर आज से लगभग ७० वर्ष पूर्व तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसे हमारे देश में प्राचीन काल से ही शिक्षकों को बड़े आदर से देखते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश के ऋषि-मुनि तथा ब्राह्मण ही बालकों तथा जनता को शिक्षित करने का कार्य किया करते थे। अंग्रेजों के आने के पूर्व तक भी ब्राह्मण या मुन्ना शिक्षक का कार्य करने तथा बालकों को शिक्षा देने थे। पर न तो अब प्राचीन काल के शनी-ध्यानी ऋषि, ब्राह्मण, मुन्ना रह गए हैं और न शिक्षकों की हमारे भारतीय प्राचीन परम्पराएँ ही रहने पाई हैं। हमारे देश में शिक्षकों की इतनी उच्च तथा मान्य परम्पराएँ होने हुए भी हमारे शिक्षकों के विचित्र प्रशिक्षण का इतिहास बहुत ही नया है तथा इसका आधार भी विदेशी तथा पाश्चात्य ही है। पाश्चात्य देशों में भी शिक्षक-प्रशिक्षण देने समय में प्रारम्भ हुआ था पर श्रेय यह समझते थे कि जो व्यक्ति पुस्तक पढ़ सकता है वह शिक्षा भी कर सकता है। उस काल में गरीब शिक्षा से वंचित ही रहते थे। उस काल में शिक्षक-प्रशिक्षण को समाज, सन्वैतिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिवर्तन आदि में कोई भूमिका नहीं रहता था। उस समय का शिक्षकों का प्रशिक्षण केवल शिक्षण-समन्वयी बोर्डों के द्वारा ही तथा व्यावहारिक ज्ञान तक ही सीमित रहता था। उसका शिक्षण की समझनाओं में कोई सम्बन्ध या सन्तुष्ट नहीं होता था।

इस प्रकार की परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ पाश्चात्य देशों का शिक्षण-प्रशिक्षण हमारे भारतीय शिक्षक-प्रशिक्षण का आधार रहा है। हमारे देश में सन् १८८२ तक कोई विधिवत शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। हाँकि कुछ राज्यों तथा शैक्षणिक संस्थाओं ने नार्मल स्कूल खोले थे, पर उनमें विधिवत प्रशिक्षण का स्वरूप स्थिर न हुआ था। सन् १८८२ ई० तक देश में केवल मद्रास तथा लाहौर में ही शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाएँ थीं। सन् १८८२ के भारतीय शिक्षा समीक्षा-मण्डल ने प्रथम बार शिक्षकों के प्रशिक्षण के महत्व को माना तथा गिभारिज की कि शिक्षा के सिद्धान्तों तथा अभ्यास में परीक्षा की व्यवस्था की जाये तथा सरकारी या गैर-सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त माध्यमिक शाला में पन्की तौर पर शिक्षक के स्थान के लिए इस परीक्षा में पास होना आवश्यक माना जाये। इस समीक्षा-मण्डल ने रनातक तथा उमसे कम स्तर के शिक्षा-प्राप्त शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अलग-अलग करने को महत्वपूर्ण माना। पर शिक्षक-प्रशिक्षण को वास्तविक महत्व १९०४ (मार्च) के सरकारी प्रस्ताव में उल्लिखित शिक्षा-नीति के फलस्वरूप ही मिला। इसमें शिक्षक-प्रशिक्षण के महत्व, विधि तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की वृद्धि की ओर ध्यान दिया गया था। इसके पश्चात् १९१३ में पुनः एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण के महत्व को म्बानार किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार ऐसे नियम बनाने की बात खोची गई कि कोई भी शिक्षक बिना प्रशिक्षण योग्यता की प्राप्ति के शिक्षण-कार्य न कर सके।

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने १९१९ में शिक्षक-प्रशिक्षण के विचार को विस्तृत रूप दिया। इसके पूर्व इसका स्वरूप गजुचित ही था। कलकत्ता विश्व-विद्यालय आयोग ने न केवल शिक्षक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण मानकर प्रशिक्षण की सुविधाओं की वृद्धि की गिभारिज की वरन् शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी परिवर्तन को आवश्यक समझा, क्योंकि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य शिक्षण का प्रशिक्षण तथा प्रमाणपत्र देने-मात्र से पूर्ण नहीं हो जाता। उनके लिए तो देन की शैक्षणिक समस्याओं का विधिवत अध्ययन भी करना आवश्यक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने प्रत्येक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था से एक-एक अभ्यास शाला मंलन करने की गिभारिज भी की। अभी तक शिक्षक-

प्रतिष्ठान संस्थाओं के साथ शैक्षणिक कार्य के व्यावहारिक अन्वय के लिए अन्वय-शाला संस्थाएँ नहीं रहती थीं।

बुनियादी शिक्षा के विभाग ने गिद्ध-प्रतिष्ठान के इतिहास में एक नये दृष्टिकोण का आविर्भाव किया। बुनियादी शिक्षा तो जट-मूल में शिक्षा बदलने तथा नये प्रान्तिकारी विभागों का प्रादुर्भाव करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। अतः स्वाभाविक है कि इन शालाओं के गिद्धों को एक विशेष प्रकार का प्रतिष्ठान रिया जाये। बुनियादी शाला समाज का केन्द्र होती है। उनमें सम्-वाची शिक्षण अनिवार्य रूप से चलता है। इनमें न कोई ऊँचा या अमीर होता और न कोई नीचा या गरीब। इनमें गर ममी के हित के लिए कार्य करते हैं। अतः ऐसे गिद्धों के प्रतिष्ठान का उद्देश्य गिद्धों में इस प्रकार के गुणों, भावनाओं, प्रवृत्तियों, आदतों आदि का विकास करना ही होना चाहिए। प्रारम्भ में बुनियादी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर ही प्रयोग के रूप में चली थी। अतः बुनियादी गिद्ध-प्रतिष्ठान प्राथमिक तथा पूर्व-माध्यमिक स्तर तक ही सीमित रहा। अब इसका विस्तार माध्यमिक स्तर तक हो गया है। साथ-ही-साथ प्राथमिक एवं पूर्व-माध्यमिक स्तर के बुनियादी गिद्धों की प्रतिष्ठान संस्थाओं के लिए गिद्धों तथा बुनियादी शालाओं के निरीक्षकों के प्रतिष्ठान की आवश्यकता भी अब बढ़ती ही जाती है। अतः प्रायः प्रत्येक राज्य ने स्नातकोत्तर बुनियादी प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए स्नातकोत्तर बुनियादी प्रतिष्ठान स्थापित करने की योजना अब दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही है। चूँकि अब बुनियादी शिक्षा ने राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप ही लिया है तथा नीति-निर्माण में बुनियादी और गैर-बुनियादी का भेद मिटता जा रहा है, प्रतिष्ठान संस्थाओं—स्नातकोत्तर तथा पूर्व-स्नातक स्तर दोनों—का बुनियादी में परिवर्तन समया में हो रहा है। इन बुनियादी प्रतिष्ठान संस्थाओं में बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी दोष वारं भी दिये जा रहे हैं।

१९४८ में भारतीय शिक्षाविभाग आयोग की स्थापना डॉ० कृष्णदास गणपतिलाल की अध्यक्षता में की गई थी। इस आयोग ने भी गिद्ध-प्रतिष्ठान को एक नया मोड़ देकर विचारित किया। आयोग ने स्नातकोत्तर परीक्षा-समाप्ति में दिने जाने वाले मैट्रिकुलेशन पर ही स्नातक स्तर किया पर इन गिद्धों

की व्याहारिक शिक्षा पर और अधिक बल देने की सिफारिश की। इस आयोग ने कहा कि जब हमारी वास्तविक शिक्षा केवल कुछ पाठ याद करना या पढ़ लेना ही नहीं है तथा जीवन में जीकर सोद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में भाग लेना है तब यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे विन्वविद्यालयों से सम्बद्ध शिक्षण-संस्थाओं में भी इस प्रकार से परिवर्तन किया जाये। इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने सुझाया कि शिक्षकों के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए, अभ्यास के लिए उपयुक्त अभ्यास-शालाओं को चुना जाना चाहिए, शिक्षा के सिद्धान्त टन्नीले बनाये जाने चाहिए जिससे उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला जा सके; तथा अल्पसंख्यक भारतीय स्तर पर शैक्षणिक शोध-कार्य इन प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

राधाकृष्णन् विन्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप ही १९५० में बडौदा में प्रथम अल्पसंख्यक भारतीय प्रशिक्षण-संस्थाओं की सभा बुलाई गई। इस सभा में विन्वविद्यालयीन स्तर पर शिक्षक-प्रशिक्षण के कार्यों एवं गतिविधियों पर विचार किया गया तथा भविष्य के लिए सिद्धान्त और नीति निश्चित की गई। मैसूर में १९५१ में इसकी द्वितीय सभा का आयोजन हुआ, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक शोध-कार्य तथा स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण का अध्ययन विद्येय रूप से किया गया।

केन्द्रीय शिक्षा-विभाग ने शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य के समन्वय तथा मार्गदर्शन के हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरम्भ किया है। 'शिक्षा त्रैमासिक' तथा 'बुनियादी तालीम' त्रैमासिक पत्रिकाएँ इस दिशा में उपयोगी मार्गदर्शन का कार्य कर रही हैं। इसके साथ-साथ केन्द्रीय शिक्षा-विभाग शिक्षण-प्रशिक्षण-सम्बन्धी जानकारी पुस्तिकाओं के रूप में भी समय-समय पर निकालती रहती है।

भारत में शिक्षा संगठनों तथा निरीक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति भी गिरी हुई है। अभी तक शिक्षा-सचिव आर्ट्स ए० एस० के स्तर का व्यक्ति ही बनता है। शिक्षा-मन्त्री तथा विधान सभा के सदस्यों से तो शिक्षक-प्रशिक्षण की अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। अतः ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि शिक्षा-सचिव शिक्षा-प्रशिक्षित हों। शिक्षा-सचालक तो अब शिक्षा-प्रशिक्षित ही होने लगे हैं,

पर १८५४ में जब इनकी नियुक्तियों प्रारम्भ की गई थी तब ऐसा नहीं था। प्रारम्भ में तो शाला-निरीक्षकों का भी शिक्षण-प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं माना जाता था। पर आज भी शाला-निरीक्षकों को किसी विशेष प्रकार का शिक्षा-संगठन का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। इसका कारण यह है कि शिक्षा-संगठन एक विज्ञान के रूप में अभी तक उपेक्षित ही है। शिक्षा-विभाग में कार्य कर रहे निरिक्त, गनिय आदि के शिक्षा प्रशिक्षण की तो भारत में कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये लोग 'भूत-तथा-मुधार' या दैनिक कार्य करने समय जो भी समयपाएँ आती जाती हैं उनके आधार पर अपना काम सीखते तथा सरकारी कार्यालयों, जनसभा, जिला बोर्डों तथा अन्य स्वायत्त समूहों में शिक्षण की व्यवस्था तथा संगठन-सम्बन्धी कार्य करने रहते हैं। इसका कारण यह है कि अभी तक भारत में शिक्षा-प्रबन्ध तथा शिक्षा-संगठन के प्रशिक्षण को उपेक्षित समझा ही नहीं जाता है। पर यदि वास्तव में हमें शिक्षा का स्तर सुधारना है तथा शिक्षा का उचित विकास करना है तो शिक्षक-प्रशिक्षण के समान शिक्षा-निरीक्षकों, शिक्षा-निरिक्तों तथा शिक्षा-प्रबन्ध तथा संगठन में सम्बन्धित अन्य कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण तथा सेवा के कार्यक्रमों में सेवा करने हुए प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करनी ही चाहिए।

सर्वप्रदेश में शिक्षक-प्रशिक्षण

सर्वप्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रदान की जाती हैं :

१. प्राथमिक तथा पूर्व-प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
२. उच्चतर तथा उच्च माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
३. उच्चतर तथा उच्च माध्यमिक एवं प्रशिक्षण समूहों के शिक्षकों के सेवा बगो हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था।
४. शिक्षकों के सी.पी.टी. मार्गदर्शन के हेतु विस्तार-कार्यों की व्यवस्था।
५. शिक्षकों को राष्ट्रीय पुस्तकालय की व्यवस्था।

१४० :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

६. शिक्षकों की नियुक्ति में मनोवैज्ञानिक दृग आयोजित करने के हेतु जिला तथा समाग स्तरों पर चुनाव समितियों की स्थापना आदि।

७. अल्पकालीन बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

८. शिक्षा समीक्षकों की व्यवस्था।

मध्यप्रदेश में शासन ने सभी प्राथमिक शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने की नीति अपना ली है। अतः राज्य की सभी प्राथमिक तथा पूर्व-माध्य-मिक शिक्षक-प्रशिक्षण सस्थाओं को बुनियादी में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे बुनियादी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी न होगी। राज्य में अभी ५२ बुनियादी प्रशिक्षण केंद्रों के शिक्षकों का प्रशिक्षण बुनियादी में प्रशिक्षित किये जाते हैं। इनमें प्रतिवर्ष कुल ५,५४८ शिक्षक-शिक्षिकाएँ प्रशिक्षित की जाती हैं। इनमें महिलाओं के लिए जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन भी शामिल हैं। इनमें मराठी तथा उर्दू के शिक्षकों के लिए एक-एक प्रशिक्षण विद्यालय भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त परम्परागत पद्धतियों में प्रशिक्षित शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा के मिदान्तो तथा विविधों से परिचित करने के हेतु राज्य में चिबनी तथा करोडीमलनगर (रायगढ़) में दो अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में अनिवार्य बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी सख्या में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योनान्तर्गत सन् १९५९ में २ अक्टूबर से २३ बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले गए हैं। इनमें प्रत्येक में १०० प्रशिक्षार्थी भरती किये जाते हैं, जिनमें १२ महिलाएँ होती हैं। इनमें से एक ग्वालियर में केवल महिलाओं के लिए तथा दो कानेर तथा शाजुआ में आदिवासियों के लिए हैं। १९६०-६१ सत्र में २७ बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा ३ अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।

इसके साथ-साथ पहिले के अनुसार राज्य के बाहर बुनियादी में प्रशिक्षण के लिए महिलाधम, यथा, राष्ट्रीय बुनियादी विद्यालय, दिल्ली आदि स्थानों में

शिक्षकों तथा प्रशासकीय अधिकारियों को भेजा जाता है।

आदिवासी क्षेत्रों में काम करनेवाले शिक्षकों के बुनियादी में प्रशिक्षण के लिए मिशोरा तथा कर्नाटक में २२५ शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

नवीन मध्यप्रदेश के गठन के बाद राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में २५ प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। अब तो यह प्रतिशत और भी बढ़ता जा रहा है।

योजना और विभाग-विभाग द्वारा आयोजित अनुभवापना योजना का कार्य शिक्षा-विभाग द्वारा किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्रों के प्राथमिक शिक्षकों को विकास कार्य-सम्बन्धी जानकारी दी जाती है। सन् १९५९ तक लगभग ६०० शिक्षक तथा २०० शिक्षिकाएँ अनुभवापित की जा चुकी हैं।

राज्य के मध्यप्रदेश क्षेत्र के प्रशिक्षण विद्यालयों तथा उनके शिक्षकों के लिए भवन-निर्माण की योजना भी है। इसके लिए प्रमगः ९.९.९ लाख तथा ४५० लाख रुपये का प्रावधान है। महाबोम्बे क्षेत्र में बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए भवन निर्माण के हेतु ३२ लाख रुपये का प्रावधान है। विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्रावास के लिए ११.५० लाख लागत के १२ भवन बनाने की योजना है।

राज्य के इन प्रशिक्षण विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों को वेतन या छात्रावृत्ति मिलती है।

मध्यप्रदेश राज्य में सन् १९५६-५७ में माध्यमिक स्तरों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केवल ६ प्रशिक्षण महाविद्यालय थे। हम उच्चतर माध्यमिक स्तर राज्य में ८ शासकीय तथा १ अशासकीय प्रशिक्षण शालाओं के प्रति- महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त छतरपुर में भी बी० टी० शर्मा की व्यवस्था परामर्श चल रही है। इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अब १,११८ स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण श्रेणियाँ हैं। राज्य में ३ स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय (जबलपुर, भोपाल तथा उज्जैन) भी इनमें शामिल हैं।

जबलपुर, भोपाल, गण्डगा, रायपुर, देवास, उज्जैन तथा राँची के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रत्येक में १० प्रशिक्षणियों के लिए १५५०० की लागत की

१४२ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

व्यवस्था है। रायपुर, जबलपुर, राण्डवा के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पत्रोपाधि स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इनमें मैट्रिक पास शिक्षक दो वर्ष तक प्रशिक्षण लेते हैं। जावरा के प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रमाणपत्र स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा है।

प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षार्थियों को वेतन या छात्रवृत्ति दी जाती है। इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सन् १९५८-५९ से अतिरिक्त स्थान भी बढ़ाये गए हैं। इन अतिरिक्त स्थानों में से ५० प्रतिशत शिक्षकों के लिए तथा ५० प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातकों के लिए हैं। शिक्षकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, पर इन अतिरिक्त स्थानों में लिये गए स्नातकों से १२०) प्रति सत्र शुल्क लिया जाता है।

इनके अतिरिक्त प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय में शैक्षणिक मनोविज्ञान तथा समाज-सेवा से सम्बन्धित मनोविज्ञान की एम० ए० (मनोविज्ञान) शिक्षा की व्यवस्था भी है। इसके लिए ३० छात्रों के हेतु प्रयत्न है। इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय, जबलपुर में राज्य-स्तर पर एक शैक्षणिक व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र है, जिसमें शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन और अनुसन्धान का कार्य किया जाता है।

इसके सिवाय प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर में अनुसन्धान प्रशिक्षण विभाग तथा मंगोथ्री विभाग भी हैं। इनकी चर्चा इसी अध्याय में ० न्यत्र की जा रही है।

सन् १९६०-६१ में म्यात्सियर में एक स्नातकोत्तर सुनियामी प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ उच्चतर तथा उच्च माध्यमिक स्तरों का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ माध्यमिक एवं महाविद्यालय खोलने का विचार चल रहा है।

प्रशिक्षण विद्यालयों के शिक्षकों के सं- इसके लिए राज्य में प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों के सं- जबलपुर में अनुसन्धान प्रशिक्षण विभाग तथा मंगोथ्री विद्यालयों के शिक्षकों के सं- खोले गए हैं। अनुसन्धान प्रशिक्षण विभाग शिक्षकों, प्रधाना-ध्यापकों आदि को सेवाकाल में शिक्षा की नवीन प्रणालियों की व्यवस्था

तथा नवीन दृष्टिकोणों में परिचित कराता है।

संगोष्ठी विभाग वर्ष भर कार्यरत रहता है तथा इसमें बहुउद्देश्यीय उच्चतर, उच्च माध्यमिक शाळाओं तथा प्रशिक्षण विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिकाएँ लगभग एक-एक माह के अवकाशिक प्रशिक्षण के लिए आते हैं। इस अवकाशिक प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें शिक्षण की वर्तमान गतिविधियों, विद्वान्तों तथा शिक्षण विधियों में परिचित कराया जाता है।

राज्य के निम्नलिखित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अग्रिम भारतीय माध्यमिक

शिक्षा परिषद के तत्समर्थान में विचार किया केन्द्र स्थित

शिक्षकों के शैक्ष- विषयों पर है :

शिक्षक मार्गदर्शन के १. प्राचीन शिक्षण महाविद्यालय, जयपुर।

हेतु विचार कार्य २. शासकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर।

की रूपरेखा ३. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवास।

४. शासकीय स्नातकोत्तर बुनिसादी प्रशिक्षण महाविद्यालय,

भोपाल।

ये विचार-केन्द्र अपने आसपास के ५० मील तक की माध्यमिक शाळाओं का शैक्षणिक मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन के हेतु माध्यमिक शिक्षण परिषद ने इन विचार-केन्द्रों में विरिध प्रकार के आधुनिकतम शैक्षणिक उपकरण, जैसे हस्त ध्वज गणना, मन्थारण आदि प्रदान किये हैं। इन विचार-केन्द्रों में समय-समय पर शिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थियों की बैठकें होती हैं जिनमें शैक्षणिक समस्याओं पर विचार-विनिमय होता है। इन विचार-केन्द्रों में शैक्षणिक परिषद कुर्सेटियों के रूप में नियुक्त है जिसमें शिक्षण-सम्बन्धी समस्याओं तथा विधियों-सम्बन्धी बातें रहती हैं। शैक्षणिक विनियम विनियमों का प्रदर्शन तथा शैक्षणिक कार्य-का आगमन प्रमाण से इन विचार-केन्द्रों के अन्तर्गत कराया ही रहता है।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा शिक्षकों की राष्ट्रीय पुनर्कार देने की योजना सन् १९५८-५९ में प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों का समय में समय-समय पर नवीनीकरण, उन्हें राष्ट्रीय में प्रोत्साहित करना तथा उनका सामाजिक रूप उच्च करना है। इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक एवं

प्राथमिक दोनों प्रकार के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया शिक्षकों को राष्ट्रीय जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिल्ली में २६ जनवरी के पुरस्कार की दिन राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें पाँच सौ व्यवस्था म्पया नकद, सोने का पदक तथा प्रमाणपत्र रहता है। मध्यप्रदेश में सन् ५८-५९ में दो तथा १९५९-६० में चार शिक्षकों को यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

इस सिताण्डे में राज्य में शिक्षकों के चुनाव के हेतु निर्देश स्थिर किये गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार जिला तथा सम्भाग स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति चुनाव समितियों की स्थापना की गई है, शैक्षणिक कार्य में मनोवैज्ञानिक के लिए आयेदन-मंत्रों का पजीपन होता है, अनुभव तथा दंग आयोजित करने प्रशिक्षण आदि के आधार पर अंक दिये जाते हैं तथा के हेतु जिला तथा प्रत्यक्ष भेद के द्वारा शिक्षकों का चुनाव किया जाता सम्भाग स्तरों पर है। इससे शिक्षा विभाग को अच्छे शिक्षक उपलब्ध होने चुनाव समितियों तथा नौवरी देने आदि में विधिवन कार्य चलता है।

की स्थापना आदि राज्य के परम्परागत विधि से प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों, विधियों तथा तत्वों से परिचित कराने के उद्देश्य से सिवनी तथा रायसाढ़ (करोडीमल्लनगर) में अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई अल्पकालीन बुनि- है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण की अवधि ४५ दिनों की होती यादी प्रशिक्षण है तथा प्रत्येक सत्र में ७५ शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं। केन्द्रों की स्थापना सन् १९६०-६१ में ऐसे तीन केन्द्रों के गोलने की व्यवस्था और की जा रही है, क्योंकि राज्य में गैरबुनियादी शाळाओं की संख्या देखते हुए इस प्रकार के और भी केन्द्र गोलना आवश्यक है।

शिक्षा-विभाग के अधिकारियों तथा शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए राज्य के सभी विभागों में प्रीम तथा शरदकालीन अवकाशों में शिविर तथा विचार-मंगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इस शिक्षा-मंगोष्ठियों योजना के अनुसार १९५७-५८ तक ३०३ शिविर आयोजित की व्यवस्था किये जा चुके हैं। ये मंगोष्ठियाँ बुनियादी तथा माध्यमिक

स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों तथा अधिकारियों के लिए होती है।

सन् १९५८-५९ में शरदकालीन अवकाश के समय से दो माह के अल्प-कालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य के समस्त बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों में शिक्षित बेकारी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए की गई थी।

इसके साथ-साथ प्रतिवर्ष राज्य की सभी बुनियादी संस्थाओं में २० जनवरी से २६ जनवरी तक बुनियादी शिक्षा गणना मनाया जाता है। इसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय तथा सम्भागीय स्तरीय सगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है। जिला तथा तहसील स्तर पर भी सगोष्ठियों की व्यवस्था है। साथ ही जहाँ कहीं भी बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन या सगोष्ठियाँ होती हैं, वहाँ शासन अपने प्रतिनिधि काफी संख्या में भेजा है। इससे राज्य के बुनियादी क्षेत्र में कार्य करनेवाले कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी नवीन गतिविधियों में परिचित होने रहते हैं।

भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्याएँ

१. प्रशिक्षण विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की कमी।
२. प्रशिक्षण-विद्यालयों तथा महाविद्यालयों का सम्पूर्ण देश में समुचित रूप से विधिवत वितरित न होना।
३. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर सरकार का उचित ध्यान न देना।
४. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का सुसज्जित न होना, अर्थात् शिक्षा के प्रत्येक स्तर, जैसे पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आदि के प्रशिक्षण विद्यालयों तथा संस्थाओं का आपसी सम्बन्ध न रखने हुए अलग-थलग रहना।
५. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का अभ्यास-शास्त्र तथा उनके बाल्यों में विलग-ग्न रहना।
६. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का समुचित क्षेत्र में कार्य करना। अनेक संस्थाओं का अपने कार्य तथा गतिविधियों को सीमित क्षेत्र तक ही रखना।

१४६ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

७. प्रशिक्षण संस्थाओं का शैक्षणिक समस्याओं के सम्बन्ध में शोध-कार्य न करना। जो थोड़ा बहुत शोध-कार्य किया गया हो उससे दूसरों को अवगत न कराना या न करा सकना।
८. प्रशिक्षण संस्थाओं में बुनियादी और गैर-बुनियादी का भेद होना। भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाये। इन प्रशिक्षण संस्थाओं को उचित रूप से सभी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार वितरित करना भी आवश्यक है। इससे भारत में शिक्षक-सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। शिक्षक-प्रशिक्षण समस्याओं की ओर सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों के ममाधान के शिक्षा में कोई सुधार तथा उन्नति करना असम्भव-सा ही उपाय है। सभी स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं को आपन में सम्बद्ध करने की दिशा में भी प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। इससे उनका दृष्टिकोण भी विकसित होगा तथा एक दूसरे का सहयोग समस्याओं के समाधान के लिए मिलेगा। अतः यह आवश्यक है कि यदि अधिक कुछ सम्भव न हो तो कम-से-कम सम्भागीय स्तर पर तो सभी प्रकार की शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का आपसी सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ बनाने के प्रयत्न किये जाना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं को मत्स्य अभ्यास-शालाओं से और भी अधिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अभ्यास-शालाओं के शिक्षकों को अदला-बदली, प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों तथा निरीक्षकों की अदला-बदली वही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसके साथ-साथ प्रत्येक विध्वविद्यालय या प्रत्येक राज्य के उपयुक्त क्षेत्रों में 'इन्स्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन' खोलने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य प्रशिक्षार्थियों को केवल शिक्षा-मिद्वान्त तथा मनोविज्ञान-सम्बन्धी बातों से अवगत करना ही नहीं है बल्कि उन्हें लगन, श्रम, उत्प, अहिंसा से कार्य करना सिखाना भी है। यदि हम शिक्षा द्वारा सामाजिक उन्नति तथा सुधार चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि शिक्षक-प्रशिक्षण गन्धर्व प्रशिक्षण के लिए आये शिक्षकों:

...भाग, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता से काम करना भी
 सिखायें। हमारा मतलब यह हुआ कि प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षण के
 लिए आये शिक्षकों के विचारों, आदतों, रहन-सहन सभी में आमूल तथा
 अनुकूल परिवर्तन करने की दिशा में काम करना होगा। इसके साथ-साथ
 शिक्षा-क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में शोध-कार्य भी प्रशिक्षण संस्थाओं
 के लिए करना आवश्यक है। पर शोध-कार्य करके उसे अपनी अल्पमात्रियों में
 रखने-मात्र में कार्य न चलेगा। प्रशिक्षण संस्थाओं को अपनी जानकारी का
 उचित प्रचार तथा आदान-प्रदान भी करना चाहिए। इसके लिए सम्भागीय
 तथा राज्य-स्तर पर बुजुर्गों का प्रकाशन करना ठीक होगा। अग्रिम भारतीय
 स्तर पर भी पर-यंत्रिकाओं के प्रकाशन में हम दिशा में अनुचित कार्य करना जा
 सकता है। आर्य समाज में शैक्षणिक सम्स्याओं-सम्बन्धी शोध-कार्य करना,
 कम स्तर तथा शीघ्रता में किया जा सकता है। जैसा कि बुनियादी शिक्षा की
 जीव के हेतु गाँव 'मन्वारन समिति' ने व्यक्त किया है कि अब चुँक
 बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में मान्यता मिल चुकी है अतः
 बुनियादी और शै-बुनियादी का भेद हीन ही समान होना चाहिए। इस दृष्टि
 में सभी प्रशिक्षण संस्थाओं को भी बुनियादी बना देना ही उचित होगा।
 प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रम में शास्त्र-संगठन तथा प्रत्येक के सिद्धान्त
 तथा उनके व्यावहारिक स्वरूप को और भी अधिक तथा विस्तृत स्थान दे
 चाहिए, विलम्बे उनका पाठ्यक्रम न केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी रहे वर
 नर शिक्षा-क्षेत्र में कार्य करनेवाले निर्मात्रों, प्रशिक्षकों तथा अन्य समन्वयियों
 के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके। प्रशिक्षण संस्थाओं को विचार-कार्य की
 ओर और भी अधिक ध्यान देना चाहिए। जब तक प्रशिक्षण संस्थाएँ विचार-
 कार्य को अपना अभिन्न अंग न बना सकेंगी तब तक वे सामाजिक तथा प्रभाव-
 शाली रूप में समाज-विकास उन्नी में सहायक न हो सकेंगी और न वे प्रशिक्षण के
 लिए आये शिक्षकों में समाज-सेवा की भावना भर सकेंगी।

५० :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

से महत्वपूर्ण है। इस काल के पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर से कोई रुचि नहीं ली गई, पर इस काल में भारतीयों ने संगठित होकर तत्सम्यन्धी आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस काल में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के आन्दोलन प्रारम्भ होने के निम्नलिखित कारण थे :

१. अंग्रेजों के भारत में आने तथा अनेक भारतीयों के इंग्लैंड जाने तथा अंग्रेजों के सम्पर्क में आने से भारतीय समाज में ध्वान्तकारी परिवर्तन उपस्थित हुआ।
२. १९वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक मुधार के अनेक प्रयत्न किये गए। ये मुधार के प्रयत्न ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज तथा रामकृष्ण मिशन द्वारा किये गए थे। इन मुधारों में ऊँच-नीच का भेद मिटाना, पर्दा-प्रथा को दूर करना, विधवा-विवाह करना, हरिजनों की उन्नति, बाल-विवाह रोकना, स्त्रियों की दशा सुधारना आदि को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। इसका प्रभाव भारतीय समाजिक दशा पर भी पडा।
३. भारत में लोकतंत्र के सिद्धान्तों को मान्यता देने से भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला।
४. धार्मिक तथा सामाजिक मुधारों के फलस्वरूप देश की पददर्लित निम्न जातियों में उन्नति की भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इससे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आन्दोलन को बल मिला।
५. भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावनाओं के विकास के कारण अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आन्दोलन संगठित होने की दिशा में प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि १९वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एकता, ऊँच-नीच का भेदभाव दूर करने की भावनाओं के विकास, हरिजन, स्त्रियों आदि के उत्थान के प्रयत्नों आदि के फलस्वरूप अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला, पर यह आन्दोलन सरकारी नीति की प्रभावित करने के योग्य संगठित न हो सकने के कारण सफल न हो सका। साथ ही-गाथ जो अंग्रेज १८८२ के पूर्व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सिद्धान्त रूप में

स्वीकार करके भारत में इसके प्रकार के इन्डुरुक ये वे देश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसके विरुद्ध हो गए। अभी तक भारतीय अंग्रेजों के मत: थे तथा अंग्रेजी शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे, पर राष्ट्रीयता के आन्दोलन के विकसित होने के कारण यह सब सम्भव न रहा। फलस्वरूप अंग्रेजों ने केवल कुछ गिने-चुने लोगों को शिक्षित करके जन-सामान्य में अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की बजाय देने की नीति को बहिष्कृत तो उपयुक्त समझा, पर बाद में इसे भी इगलिष् त्याग दिया कि ये गिने-चुने शिक्षित वर्गिक जनता की ओर से अनेक माँगें उभराने लगे थे।

इस काल में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न को उठाने का प्रथम महत्वपूर्ण अवसर १८८२ के भारतीय शिक्षा-आयोग की स्थापना से मिला। इस शिक्षा-आयोग के समक्ष अनेक भारतीयों, अंग्रेजों, मिशनरियों आदि ने पत्रान दिये तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अमान्य पर बल दिया। पर इस शिक्षा-आयोग ने इस पर ध्यान न दिया। अतः शासन ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विचार को आदमात्मक माना। अंग्रेज सरकार के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विद्वान्त को कायांन्वित न करने के निम्नलिखित कारण थे :

१. भारत में जनसंख्या तथा मृत्युसंख्या बहुत अधिक है। अतः अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करना बड़ा महंगा पड़ेगा।
२. अंग्रेज सरकार का भारतीयों पर अपने बच्चों को शालाओं में भेजने के लिए वादंती करना उचित नहीं है। क्योंकि हमें देना ही पड़ेगा।
३. अनेक शासनात्मक कठिनाइयों, जैसे शाला-भवन, शिक्षकों का चुनाव तथा उनका प्रशिक्षण, उपयुक्त शक्ति निरोधकों के अभाव आदि के कारण यह सब सम्भव नहीं है।
४. भारत में जन-सामान्य भी अभी इसके लिए तैयार नहीं है।
५. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारम्भ करने में अंग्रेजों की धर्म निरपेक्ष नीति का पालन न हो सकेगा, क्योंकि हमें हिन्दू बच्चों के साथ हरिजनों का पेटना तथा बालिकाओं को शालाओं में पढ़ने के लिए भेजना अनिवार्य करना पड़ेगा।

इन सब कारणों से अंग्रेज सरकार ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न

१५२ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधारणें
 को टाला, पर इस प्रकार के आन्दोलन को भारतीयों ने छोड़ा नहीं। इस
 दिशा में सबसे अधिक सहयोग बडौदा के महाराज सयाजीराव ने दिया।
 उन्होंने अपनी रियासत में १८८१ से (जब से वे गद्दी पर बैठे) १८९२ तक
 प्राथमिक शिक्षा का अधिक-से-अधिक प्रसार किया। इतना ही नहीं, प्रयोग के
 लिए उन्होंने १८९३ में अपनी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ
 की। तथा सन् १९०६ में सम्पूर्ण रियासत में इसे लागू किया। इस प्रकार भारत
 में सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने का श्रेय बडौदा-नरेश
 को ही है।

इसके बाद यम्बई में सर इब्राहीम रहीमतुल्ला तथा सर चिमनलाल सेतल-
 वाड के प्रयत्नों के फलस्वरूप, १९०६ में सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ
 करने के सम्बन्ध में जॉन्-पट्टाल के लिए एक समिति का निर्माण हुआ। पर
 इस समिति ने यह निर्णय दिया कि अभी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ
 करने का उपयुक्त समय नहीं आया है।

सन् १९१० में श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने केन्द्रीय विधान सभा में अनि-
 वार्य प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा। इसमें यह सुझाया गया
 था कि इस सम्बन्ध में जॉन् के लिए एक आयोग की स्थापना की जाये। अंग्रेजी
 शासन द्वारा इस प्रश्न की जांच को उचित महत्व देने के आश्वासन पर यह
 प्रस्ताव वापिस ले लिया गया। पर १९११ में पुनः श्री गोखले ने एक निजी
 प्रस्ताव के रूप में केन्द्रीय विधान सभा में इस प्रश्न को उठाया तथा अंग्रेजों के
 सभी आशेषों तथा कठिनाइयों का उत्तर अपने चिरस्मरणीय भाषण में दिया।
 इस काल में श्री गोखले द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सरकार द्वारा
 मान्य किये जाने के सम्बन्ध में स्मरणीय प्रयत्न किये गए। सन् १९११ में जो
 निजी प्रस्ताव श्री गोखले ने प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने

१. सन् १९१० से सरकारी कठिनाइयों तथा आशेषों को दूर करने के लिए यह
 १९१८ तक प्रावधान रखा कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कार्य स्थापित
 सस्थाओं के जिम्मे ही किया जाये तथा इसे प्रारम्भ
 करने के पूर्व शासन की मंजूरी आवश्यक समझी जाये। जिस क्षेत्र में अनिवार्य
 शिक्षा प्रारम्भ की जा रही है उस क्षेत्र में एक निश्चित प्रतिशत में बालक

शाळाओं में पढ़ने के लिए भरती होना चाहिए। इसके साथ-साथ अनेक सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से हम विद्या में अनिवार्य शिक्षा की अवधि ४ वर्ष (६ वर्ष से १० वर्ष) की रखी गई थी तथा अनिवार्य शिक्षा केवल बालकों तक ही सीमित रखने का मुद्दा था। बालिकाओं के लिए हमारी व्यवस्था उपयुक्त समय आने पर ही करने का मुद्दा भी हमसे दिया गया था। हम प्रचार यह प्रस्ताव बहुत ही सौम्य विचार कर बनाना गया था तथा यह आशा की जाती थी कि यह मंजूर हो जायेगा। श्री गोखले के हम विद्या को सभी क्षेत्रों के भारतीय नेताओं, स्वायत्त मण्डलों तथा कुछ अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, पर चूंकि पेंड्री विधान मंडल में सरकारों के सदस्यों का बहुमत था तथा सरकार हमारे विरुद्ध थी, यह विद्या लागू न हो सकी। इस अवसर पर श्री गोखले का भाषण अभूतपूर्व प्रतिभा-साक्षर तथा जोशील था।

श्री गोखले तथा अन्य भारतीय नेताओं के प्रयत्न हम मध्यम में अग्रगण्य अवसर रहे, पर हमसे प्राथमिक शिक्षा-मण्डली अभी तक नहीं आई सरकारी नीति में अनुकूल परिवर्तन हुए तथा हमें और अधिक ध्यान दिया जाने लगा। हमसे भारतीय जनता का ध्यान भी शिक्षा की ओर गया। फरवरी १९०१-२ में १९१६-१७ तक प्राथमिक शिक्षा की, निजी प्रयासों के फलस्वरूप, अल्पी प्रगति हुई।

यह बाल अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के नवीन युग का प्रारम्भ था, क्योंकि हम काल में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विद्वान्त को मान्यता दी गई तथा अनेक प्रान्तों तथा विभागों में 'अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ४. सन् १९१८' लागू की।

सं १९३०

तक

प्रथम महायुद्ध के बाद भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बड़े परिवर्तन हुए। राजनैतिक दृष्टि में दो परिवर्तन अत्यन्त महत्वपूर्ण थे—(१)

शिक्षा विभाग की जनता के सुने प्रतिनिधियों के साथ में संलग्नता, तथा (२) शिक्षा सेवा का भारतीयकरण; क्योंकि १९१९ के बाद ६० प्रतिशत भारतीय शिक्षा सेवा के कर्तव्य पर भारतीयों को नियुक्ति का विद्वान्त मान्य दिया गया।

इसके पूर्व इन स्थानों पर अंग्रेजों की नियुक्ति ही होती थी। सन् १९२४ से अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की प्रथा ही बन्द कर दी गई तथा प्रान्त अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रान्तीय शिक्षा सेवा के अन्तर्गत नियुक्तियों करने लगे।

शिक्षा के प्रसार, महायुद्ध के समय जागरित तथा महात्मा गांधी के हरिजन-उद्धान आन्दोलन तथा अन्य अथक परिश्रमों के फलस्वरूप भारतीय सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन हुए। सामाजिक एकता तथा बगवरी की भावनाओं का विकास इस काल में हुआ तथा इसमें अनिवार्य शिक्षा के आन्दोलन को बल मिला।

इस काल में भारत में लोकतन्त्र की मान्यता प्राप्त हुई तथा देश में अनेक लोकतन्त्रीय संस्थाओं का विकास प्रारम्भ हुआ। गांधी-हीनाय देश की जनता का शिक्षा में विश्वास बढ़ा तथा वह अपनी उन्नति के लिए शिक्षा की आवश्यक समझने लगी। इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों ने—लोकतन्त्र में बढ़ते हुए विश्वास तथा शिक्षा में आस्था—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आन्दोलन को बढ़ावा दिया। फलस्वरूप अनेक प्रान्तों में अनिवार्य शिक्षा कानून पार किये गए।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून को बनाने का सर्वप्रथम श्रेय बम्बई को है। सन् १९१७ में श्री विट्टल भाई पटेल ने बम्बई विधान परिषद में म्युनिसिपल क्षेत्रों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव रखा। यह मोगले के लिए के आधार पर ही बनाया गया था, पर इसमें इन्ने म्युनिसिपल क्षेत्रों तक ही सीमित करके सरकार को अनुदान देने या न देने की स्वतन्त्रता थी। अतः यह प्रस्ताव पारित हो गया। यह 'पटेल एक्ट' के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तो अनेक प्रान्तों तथा रिषागतों में तत्सम्बन्धी कानून पार हुए, जैसे बंगाल (२७ मार्च १९१९), बिहार और उड़ीसा (१३ मार्च १९१९), पंजाब (७ मार्च १९१९), मयुक्त प्रान्त (१३ मार्च १९१९), मध्यप्रान्त (१३ मार्च १९२०), मद्रास (४ अक्टूबर १९२०), बम्बई शहर (२७ गिनवर १९२०), बम्बई जिला बोर्डों के लिए (१६ गिनवर १९२२), आसाम (७ जुलाई १९२६), मयुक्त प्रान्त जिला बोर्ड (२५ फरवरी १९२६), बंगाल (प्राचीन २६ अगस्त १९३०)। वरीदा रिषागत तो १९०६ में ही अपनी रिषागत में इस प्रकार का कानून बना

जुनी थी। बोगटापुर ने १९२७ तथा मैसूर ने १९३१ में तन्मन्वन्धी कानून बनाये।

ये सभी कानून गोग्गले के विन्ध के आधार पर ही बनाये गए थे। इनकी निम्न बातें प्रमुख थीं :

१. इन कानूनों के द्वारा स्थापित मन्वाओं पर ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व छोड़ा गया।

२. सभी कानूनों में थोड़े-बहुत परिवर्तनों में बच्चों की गैरशासिनी के सम्बन्ध में नियम बनाये गए।

३. सभी कानूनों में प्राथमिक शिक्षा का पचास विराग अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक माना गया। अतः स्थापित मन्वाओं अनिवार्य शिक्षा को एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्रों में प्रारम्भ कर सकती थीं।

४. सभी कानूनों में यात्रिकों के लिए अनिवार्य शिक्षा सतर्कता में तथा उपयुक्त परिस्थितियों उत्पन्न होने पर ही प्रारम्भ करने का प्रावधान था।

५. प्रारम्भिक काल में बने कानूनों में शासन की स्वतन्त्रता थी कि वह अनिवार्य शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दे या न दे, पर बाद के बने कानूनों में सरकार के लिए ५० से ६६३ प्रतिशत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

६. सभी कानूनों में अनिवार्य शिक्षा की अवधि सम्बन्धों प्रावधान है। कुछ कानूनों में ४ वर्ष, कुछ में ५ वर्ष तथा कुछ में ७ वर्ष की अवधि का प्रावधान है। यात्रिकों के लिए कम अवधि ही रखी गई है।

यह काठ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रारम्भिक प्रयोग का था। इनमें कुछ बड़े बुरे क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की गई। अभी तक के अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में किये गए कार्यों में पता चलता है कि

५. सन् १९३० से केवल स्थापित मन्वाओं को कानून बनाकर अनिवार्य शिक्षा १९५० तक लागू करने की अनुमति ही देने का कार्य ही जाना था। इन काठ में इन स्थापित मन्वाओं ने इन कानूनों के द्वारा ही उन्हें अनुमति की वादंकार में परिणत करने का कार्य प्रारम्भ किया।

जब हम १९३० में १९५० तक के अनिवार्य शिक्षा के विचार पर विचार

१५१ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

करने हैं तब पता चलता है कि १९२१-२२ तक भारतीयों के हाथ में शिक्षा का मगटन तथा उसकी व्यवस्था आ जाने पर भी केवल ८ शहरों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की जा सकी। हमारा देश गाँवों का देश होते हुए भी अभी तक एक भी गाँव में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ न की जा सकी थी (बडौदा रियासत को छोड़कर)। अगले १६-१७ वर्षों में भी अनिवार्य शिक्षा की प्रगति बहुत मन्द ही रही, क्योंकि १९३६-३७ में देश के २,७०३ शहरों में से केवल १६७ शहरी क्षेत्रों तथा ६,५५,८९२ देहाती क्षेत्रों में से केवल १६७ प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ हो सकी थी। इस मन्द गति में दो प्रमुख कारण थे :

१. भारतीय शिक्षा सेवा अधिकारियों की उपेक्षा क्योंकि वे श्री गोखले तथा अन्य भारतीय नेताओं द्वारा अनिवार्य शिक्षा के लिए किये गए प्रयत्नों के विरुद्ध थे तथा अब यह बतलाना चाहते थे कि उनका कथन ठीक था। अतः अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में कोई जल्दवाजी के कदम नहीं उठाये गए।

२. दूसरा कारण आर्थिक था। १९१९ के एकड़ के अनुसार प्रान्तों की जो अर्थ-व्यवस्था की गई थी वह ठीक न थी। प्रान्तों को केन्द्र के घाटे की पूर्ति के लिए बहुत धन देना पड़ता था। इसमें प्रान्तों के पास आमदनी के साधन होते हुए भी शिक्षा के लिए अधिक धन नहीं बचता था। मन् १९२७-२८ में केन्द्रों को पैसा देना अवश्य बन्द कर दिया गया था पर फिर १९३० का आर्थिक मन्दी का काल (depression) आया तथा इसका प्रभाव लगभग १९३५-३६ तक बना रहा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि अनिवार्य शिक्षा की अनेक योजनाएँ मन्त्र ही नहीं हो सकीं।

मन् १९३७ में भारत के अधिकांश प्रान्तों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने सरकार बनाई तब यह आशा की जा सकती थी कि अनिवार्य शिक्षा के प्रतिनिधियों की सरकारों की त्यागपत्र देना पड़ा। इसके स्थान में जो काम-चलाऊ सरकार बनीं उतने जैसी स्थिति भी पैदा ही बनी रहने देने की नीति

अनार्य । फलस्वरूप १९४६ तक अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी ।

सन् १९४७ में देश स्वतन्त्र हुआ तथा जनता की सरकार ने देश की वागदोर में ली । स्वाभाविक था कि अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अनिवार्य शिक्षा का समुचित प्रगति होनी । पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ-साथ देश पर नयी जिम्मेदारियाँ आ गईं । देश-विभाजन के फलस्वरूप हाइड्रे तथा दूधे हुए, कराँटे विस्थापित लोग पलायन, बगाल, मिथ आदि प्रान्तों में अपनी जापदाद और घर बार छांट कर जैगे-जैगे भागकर आये । इन सभी की समुचित व्यवस्था करना परम आवश्यक था । देश में शान्ति बनाये रखना भी असाध्य था । देश-विभाजन में कृषि के अच्छे उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए तथा बर्सा आदि की महबूदों के कारण अनाज की एकदम कमी पट गई । रिदेगों में कराँटे करों का अनाज भंगवाना पडा । देश में पर्यन्त ५०० में भी अधिक देशों गियागतों का विस्थापन करके उनके नये गन्व बनाने की व्यवस्था भी बडा महत्वपूर्ण तथा परठिन कार्य था । इन सब कारणों में अनिवार्य शिक्षा में असाध्य प्रगति न हो सकी । फिर भी आंकड़ा के आधार पर यह अदम्य कहा जा सकता है कि अनिवार्य शिक्षा-मन्त्रो १९३७ के दूब की प्रगति में १९३७ के बाद की प्रगति असाध्य अच्छी रही ।

पर हमें यह न भूलना चाहिए कि अनेक स्थानों में अनिवार्य शिक्षा लागू होने के बाद भी बालकों की शालाओं में उपनिर्गत की अनिवार्यता पंचक लागती ही थी । हमें सामाजिक स्वरूप नहीं दिया जा सका था । अनेक स्थानों पर शालाएँ नहीं खोली गईं, तथा बालकों के मरहाज्य करने पर कोई गन्वी नहीं बनो जाती थी । इस प्रकार यह बात प्रायोगिक ही रहा । कोई लोग प्रगति इस बात में सम्भव न हो सकी । पर हमें यह नहीं भोचना चाहिए कि इन प्रयोगों का कोई मूल्य ही नहीं है । आगे की योजना बनाने तथा परठिनाइयों का दण रगाने की दृष्टि में वे प्रयोग बड़े महत्व के हैं ।

यह बात देश में सामाजिक दृष्टि में अनिवार्य शिक्षा लागू करने का है । इन बातों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रकार तथा विद्या के लिए निश्चय तथा लोग बडम उठाये जा रहे हैं । इनके स्थान की

६. १९५० से ४५ बी धारा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वर्तमान काल तक “दस सविधान के प्रारम्भ होने से १० वर्षों के भीतर ही देश के प्रत्येक बालक-शालिका की १४ वर्ष की आयु तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न राज्य करेगा।”

भारत में अनिवार्य शिक्षा के अभी तक के विकास में पता चलता है कि देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बहुत देर या बाद में प्रारम्भ की गई, प्रारम्भ होने में ही बहुत अधिक समय लग गया, प्रारम्भ होने के बाद इसकी गति बहुत मन्द रही, देश के बहुत कम क्षेत्रों में इसका विकास हो सका। जहाँ हुआ भी वहाँ केवल नाम-मात्र के लिए हुआ तथा अभी भी इसकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है। सन् १९५० के बाद इसके कारणों पर टोल रीति में विचार किया गया तथा अनिवार्य शिक्षा को विधिवत रूप से कार्यान्वित करने के उपाय किये गए।

अनिवार्य शिक्षा के विकास के बाधक कारण

भारत में अनिवार्य शिक्षा के विकास के कारणों पर हम भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रशासनात्मक आदि दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं।

भारत गाँवों का देश है। देश की प्रामाण्य परिस्थितियों ही अनिवार्य शिक्षा के विकास में बड़ी भारी बाधा रही है। गाँवों में आवागमन के साधनों की कमी, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की सुविधाओं का अभाव भौतिक कारण रहता है। अतः शालाओं, शिक्षकों, निरीक्षण आदि की सुविधाएँ न होने के कारण गाँवों में शिक्षा का प्रसार कम हो जाता है।

इसके साथ-साथ हमारे देश में पहाड़ी तथा जंगल वाले क्षेत्र अधिक हैं। यहाँ का जीवन कठिन, गाँव छोटे तथा दूर-दूर बसे होते हैं। यहाँ के लोगों को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ-वहाँ भटकना भी पड़ता है। आवश्ता, पानी आदि के अनुपलब्ध न होने से बीमारियाँ भी बहुत

होती है अतः ऐसे स्थानों में शांतिपूर्ण गोलना बहुत बर्तन ही होता है। शिक्षक भी ऐसे स्थानों में रहना पसन्द नहीं करते हैं।

गाँवों में बीमारी अधिक होती है। मलेरिया, विषम ज्वर आदि तो यहाँ होना ही रहता है। देश में अनेक स्थान तो बुरी आवटवा के लिए सरकार द्वारा भी मान्य किये गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार तो बहुत ही बर्तन कार्य होगा है।

उपरोक्त कारण देना के प्रत्येक प्रान्त में भोजे-बहुत अन्न में पाये जाते हैं। यह दूसरी बात है कि देश के पहाड़ी तथा जगती क्षेत्रों वाले प्रदेशों, जैसे आगाम उड़ीसा, मध्यप्रदेश आदि में ये बर्तनार्थी अधिक हैं। गंगा, यमुना के मैदान, विशाल आदि में ये बहुत ही कम हैं।

भारत में वर्ग-भेद तथा जाति-पाँति का भेद बहुत अधिक है। अनिवार्य शिक्षा तो ऐसे समाज में सभ्यता में विकसित तथा प्रगामित की जा सकती है

किन्तु वर्गभेद न हो। अनिवार्य शिक्षा में ऊँच नीच का भेद-

सामाजिक भाव काम नहीं करता क्योंकि सभी सामक शांति में आने तथा कारण शिक्षा पाते हैं। इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा एक संतुलनपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है। हमारे भारतीय समाज में, जो अनेक

वर्गों तथा जातियों के सदस्यों के मेल में बना है, इस प्रकार की पत्रता अभी तक नहीं आई है। विज्ञान के ज्ञान तथा पाश्चात्य सभ्यता के सन्दर्भ में हमारे देश के वर्गभेद का कम अवसर किया है। महात्मा गाँधी के दृष्टिकोण तथा सभ्यताओं के उन्नयन के प्रसंगों के पत्ररूप भी परिस्थिति में अन्तर आया तथा अनुसूचित सुधार हुआ है। फिर भी भारतीय सभ्यताओं का बुरी दशा अनिवार्य शिक्षा के विकास में बर्तन थापा रही है। बाल विवाह का प्रचार, रिष्या विवाह पर गौर, पदा आदि सभ्यताओं का शिक्षा के मार्ग के बंदे रोड़े थे। हम यह जानते हैं कि सभ्य शिक्षा ही सुदृढ की शिक्षा है, क्योंकि बच्चों का सामान-पाठन सभ्यता ही करती है। अतः सभ्य शिक्षा के अभाव में समाज में उचित शिक्षा प्रसार सम्भव ही न हो सका।

दृष्टिकोण समाज भी देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में बाधक रही है। दृष्टिकोण सभ्य, सन्दी सभ्यता में रहने वाले तथा समाज के अन्य लोगों

के द्वारा न छुए जाने योग्य ही माने जाते रहे हैं। समाज में हरिजन उत्पन्न वर्गों की कृपा पर ही आश्रित रहते आये हैं। आज महात्मा गाँधी तथा अन्य नेताओं के प्रयत्नों के फलस्वरूप इनकी परिस्थिति पहिले की अपेक्षा अधिक अच्छी है, पर फिर भी इनकी शिक्षा-व्यवस्था इनकी गरीबी आदि के कारण आज भी समस्या ही बनी हुई है।

हरिजनों के समान आदिम तथा जगली जातियों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इनका जीवन मरल तथा अविकसित है। शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही अधिक पिछड़े हुए हैं। इनकी भाषा भी अलग होती है तथा ये क्रिया भी प्रकार के मुद्धार के लिए तैयार नहीं होते हैं। इनकी शिक्षा-समस्या भी भारतीय अनिवार्य शिक्षा के विकास में बाधक रही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय सामाजिक परिस्थितियाँ, विशेषतः भारतीय समाज का वर्ग-भेद, भारतीय महिलाओं की दीन दशा, हरिजनों की निम्न परिस्थिति तथा आदिम और जगली जातियों का अत्यन्त पिछड़ा एवं अविकसित होना अनिवार्य-शिक्षा के समुचित विकास में बाधक रहे हैं।

सांस्कृतिक दृष्टि से अनिवार्य शिक्षा के विकास में भारतीय भाषाओं तथा चोत्तियों की विपुलता एवं विविधता एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में रही है।

अनेक स्थानों की चोत्तियों का न तो कोई लिखित साहित्य सांस्कृतिक है और न लिपि। अतः ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को क्रम भाषा के माध्यम में शिक्षित किया जाये यह बड़ी कठिन समस्या है। इन क्षेत्रों की चोत्तियों की लिपि तथा साहित्य का विकास कर के शिक्षा देना भी कोई साधारण काम नहीं है।

यह तो अविकसित चोत्तियों तथा भाषाओं के सम्बन्ध की यतिनारं हुई। विकसित भाषाओं की अधिकता तथा एक ही क्षेत्र में दो या अधिक भाषाओं के उपयोग के कारण भी अनेक अड़िनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इन दिमागी या चहुँमापी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की भाषा के माध्यम में शिक्षा देना आर्थिक दृष्टि से बड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इनकी सख्या काफी कम होती है।

भाषाओं तथा चोत्तियों की अधिकता के साथ-साथ भारतीय जनता का अज्ञान भी अनिवार्य शिक्षा के विकास में बाधक रहा है। हम यह जानते हैं कि

गिहित अभिभावक अगिहित अभिभावक की अपेक्षा अपने बच्चों की शिक्षा-दोहा के लिए अधिक तत्पर तथा उत्सुक होता है। आज भी अधिकांश भारतीय जनता अगिहित तथा अज्ञ है। अतः स्वाभाविक था कि अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में ये एक बड़े बाड़े के रूप में रहते।

धन की कमी भारतीय अनिवार्य शिक्षा के विकास में मजबूती तथा अनुत्प्रेरणा का कारण रही है। यह धन की कमी होतरहा है। एक ही राज्य के पास धन की कमी रही तथा दूसरे अभिभावक गरीब रहे। यदि आर्थिक कारण राज्य धन दे भी सकता तो शायद भारतीय अभिभावक गरीबी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा न भेज सकता। अंग्रेजी शासन काल में तो भारतीयों की गरीबी और भी अधिक बढ़ गई थी। इनकी कृष्टि के कारणों में जनसंख्या की कृष्टि, देसी उद्योगों का ह्रास, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, कृषि को दगा का टीका न होना प्रमुख थे।

भारतीय जनता के पास धन की कमी के कारण स्वयंसेवक संस्थाएँ भी जनता पर अनिवार्य शिक्षा के विचार कर लगाने की इच्छा नहीं करती थी। धन की कमी के कारण शासन भी अनिवार्य शिक्षा की अपेक्षा योजनाओं की व्यवस्था नहीं करता था। अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य यह है कि उस क्षेत्र के सभी बच्चों को शिक्षा में स्थान मिले। पर देश की जनसंख्या की कृष्टि के कारण जहाँ अनिवार्य शिक्षा लागू की भी गई वहीं इतनी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं की जा सकी। अनिवार्य शिक्षा में केवल प्रारम्भिक स्तर की दृष्टि में ही काम नहीं चला सकता है। क्योंकि अन्तर में बच्चों की संख्या की कृष्टि होने पर शासन तथा शिक्षकों की अनुपस्थिति कृष्टि भी आवश्यक होती है। यदि इनकी उपस्थिति न हो जहाँ तो अनिवार्यता पर काम न होने के कारण अनिवार्य शिक्षा ऐच्छिक शिक्षा ही रह जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक कठिनाइयों अनिवार्य शिक्षा के विकास में अनेक प्रकार से बाधा सिद्ध होती है। सन् १९५० में हमारे संविधान में १० वीं के अन्तर्गत १६ वीं की आयु तक सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। पर प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा के विकास के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि धन के

अभाव के कारण ही सभी को ६ मे १० वर्ष तक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की जा सकी तथा तृतीय पञ्चवर्षीय योजना काल के अन्त तक भी शायद यह सम्भव न हो सकेगा ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमारी भारतीय राजनैतिक परिस्थिति बदल गई है पर इसके पूर्व अंग्रेज सरकार इंग्लैंड की सरकार के प्रति उत्तरदायी थी ।

अतः ऐसी विदेशी सरकार ने तो देश की भलाई तथा हित राजनैतिक कारण के लिए अनिवार्य शिक्षा को महत्त्व देने की बात केवल दुराशा थी । पर आज भी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश के राजनैतिक दल अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं । यही कारण कि अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न दबता ही जा रहा है ।

अनिवार्य शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शाला जाने योग्य बालकों की गणना की जाये, शिक्षा के लिए शालाओं की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें अनिवार्य शिक्षा की अवधि तक शाला में रखने की व्यवस्था प्रशासनात्मक कारण हो । इन सब कार्यों से अनेक प्रकार की प्रशासकीय समस्याएँ सम्बन्धित हैं, जैसे शिक्षा का स्थान, शिक्षा के संगठन तथा व्यवस्था में प्रायमरी शिक्षा का स्थान, शिक्षा-व्यवस्था की संस्थाएँ, अनिवार्यता लागू करने की विधियाँ आदि ।

शालाओं की उचित व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि शैक्षणिक सर्वेक्षण किया जाये तथा इन सर्वेक्षण के आधार पर उचित स्थानों पर शालाओं को स्थापित किया जाये । अंग्रेज सरकार ने तो सन् १९११ में ही इस प्रकार के सर्वेक्षण को उपयोगिता प्रदर्शित की थी, पर अभी दो वर्ष ही हुए राज्यो में इस प्रकार का सर्वेक्षण किया जा सका, जिसके आधार पर अनिवार्य शिक्षा योजनाएँ बनाई गई हैं ।

सम्पूर्ण शासन के संगठन में शिक्षा के स्थान तथा शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के स्थान का प्रश्न भी शासन से ही सम्बन्धित है । अंग्रेज सरकार तो एक विदेशी सरकार थी तथा स्वाभाविक था कि यह पुलिस, न्याय, राजस्व विभाग को अधिक महत्त्व देती । सड़कों, यातायात आदि के लिए भी वह अपने शासन को कायम रखने के लिए ही अधिक महत्त्व देती थी । इसके बाद कहीं शिक्षा का

प्रश्न आता था। पर वर्तमान जनता की सरकार भी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देती है। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रावधानों पर जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि कृषि, उद्योग आदि के बाद ही शिक्षा का नम्बर आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो शिक्षा पर कुल बजट का केवल ८ प्रतिशत खर्च करने का ही प्रावधान था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे अवश्य बढ़ाया गया है।

शिक्षा के अन्तर्गत जब प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा पर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से कम व्यय किया जाता है। इससे पता चलता है कि शिक्षा के मद में ही प्राथमिक शिक्षा को कम महत्त्वपूर्ण माना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर किये जाने वाले कुल व्यय का लगभग ५१ प्रतिशत व्यय अवश्य ही प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने का प्रावधान रखा जा रहा है।

अभी हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा स्वायत्त शासन-सम्बन्धी संस्थाओं के अधिकार में है। इन संस्थाओं के आय के साधन सीमित हैं तथा अधिकारा ये शिक्षा के लिए सरकारी आर्थिक सहायता पर ही अवलम्बित रहती हैं। ऐसी दशा में इनमें अनिवार्य शिक्षा पर समुचित ध्यान देने की आशा करना व्यर्थ है। यदि हम वास्तव में इन स्वायत्त संस्थाओं से अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी ढोरा कार्य करवाना चाहते हैं तब यह आवश्यक है कि इनकी आय के साधनों में समुचित वृद्धि की जाये। आय के अभाव में अनिवार्य शिक्षा का कार्य-भार उठाने में स्वायत्त संस्थाएँ असमर्थ ही रहेंगी।

अनिवार्य शिक्षा के लिए बहुत अधिक संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक होंगे। इनके प्रशिक्षण तथा तनख्वाह आदि की व्यवस्था भी शासन से ही सम्पन्नित है। शाला-भवन के निर्माण का प्रयत्न भी केवल निजी प्रयत्नों से हो नहीं हो सकता है।

शालाओं का निरोक्षण, उचित पाठ्यक्रम, पुस्तकें आदि अनेक बातों का सम्बन्ध शासन से ही अधिक है। अतः जब तक शासन इनके सम्बन्ध में उचित तथा द्रोम कदम नहीं उठाता तब तक अनिवार्य शिक्षा की समुचित प्रगति नहीं हो सकती।

१६२ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ
 अभाव के कारण ही गभी को ६ से १० वर्ष तक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं
 की जा सकी तथा वृत्तीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक भी शायद यह
 सम्भव न हो सकेगा ।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से हमारी भारतीय राजनैतिक परिस्थिति बदल गई
 है पर इसके पूर्व अंग्रेज सरकार इंग्लैंड की सरकार के प्रति उत्तरदायी थी ।
 अतः ऐसी विदेशी सरकार से तो देश की भलाई तथा हित
 के लिए अनिवार्य शिक्षा को महत्व देने की बात केवल
 राजनैतिक कारण के लिए अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं । यही कारण कि
 दुराशा थी । पर आज भी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश के

राजनैतिक दल अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं । यही कारण कि
 अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न टबता ही जा रहा है ।
 अनिवार्य शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शाला जाने योग्य बालकों
 की गणना की जाये, शिक्षा के लिए शालाओं की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें
 प्रशासनात्मक कारण अनिवार्य शिक्षा की अवधि तक शाला में रखने की व्यवस्था
 हो । इन सब कार्यों से अनेक प्रकार की प्रशासकीय समस्याएँ
 सम्बन्धित हैं, जैसे शिक्षा का स्थान, शिक्षा के संगठन तथा
 व्यवस्था में प्रायमरी शिक्षा का स्थान, शिक्षा-व्यवस्था की
 सम्यक्, अनिवार्यता लागू करने की विधियाँ आदि ।
 शालाओं की उचित व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि शैक्षणिक सर्वेक्षण
 किया जाये तथा इस सर्वेक्षण के आधार पर उचित स्थानों पर शालाओं को
 खोला जाये । अंग्रेज सरकार ने तो सन् १९११ में ही इस प्रकार के सर्वेक्षण को
 उपसंगिता प्रदर्शित की थी, पर अभी दो वर्ष ही हुए राज्यों में इस प्रकार का
 सर्वेक्षण किया जा सका, जिसके आधार पर अनिवार्य शिक्षा योजनाएँ बनाई
 गई हैं ।

सम्पूर्ण शासन के संगठन में शिक्षा के स्थान तथा शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा
 के स्थान का प्रश्न भी शासन में ही सम्बन्धित है । अंग्रेज सरकार तो एक विदेशी
 सरकार भी तथा स्वाभाविक था कि यह पुलिस, न्याय, राज्य विभाग को
 अधिक महत्व देती । मंडकों, यातायात आदि के लिए भी वह अपने शासन को
 काम करने के लिए ही अधिक महत्व देती थी । इसके बाद कहीं शिक्षा का

प्रश्न आता था। पर वर्तमान जनता की सरकार भी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देती है। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रावधानों पर जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि कृषि, उद्योग आदि के बाद ही शिक्षा का नम्बर आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो शिक्षा पर कुछ बजट का ब्यवस्था ८ प्रतिशत खर्च करने का ही प्रावधान था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे अवश्य बढ़ाया गया है।

शिक्षा के अन्तर्गत जब प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा पर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से कम व्यय किया जाता है। इससे पता चलता है कि शिक्षा के मद में ही प्राथमिक शिक्षा को कम महत्त्वपूर्ण माना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर किये जाने वाले कुछ व्यय का लगभग ५१ प्रतिशत व्यय अवश्य ही प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने का प्रावधान रखा जा रहा है।

अभी हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा स्वायत्त शासन-सम्बन्धी संस्थाओं के अधिकार में है। इन संस्थाओं के आय के साधन सीमित हैं तथा अधिकांश ये शिक्षा के लिए सरकारी आर्थिक सहायता पर ही अवलम्बित रहती हैं। ऐसी दशा में इनमें अनिवार्य शिक्षा पर समुचित ध्यान देने की आशा करना व्यर्थ है। यदि हम बान्धव में इन स्वायत्त संस्थाओं से अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी ठोस कार्य करवाना चाहते हैं तब यह आवश्यक है कि इनकी आय के साधनों में समुचित वृद्धि की जाये। आय के अभाव में अनिवार्य शिक्षा का कार्य-भार उठाने में स्वायत्त संस्थाएँ असमर्थ ही रहेंगी।

अनिवार्य शिक्षा के लिए बहुत अधिक सख्या में प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक होंगे। इनके प्रशिक्षण तथा तनखाह आदि की व्यवस्था भी शासन से ही सम्बन्धित है। शाला-भवन के निर्माण का प्रश्न भी केवल निजी प्रयासों से हल नहीं हो सकता है।

शालाओं का निरोक्षण, उचित पाठ्यक्रम, पुस्तकें आदि अनेक बातों का सम्बन्ध शासन में ही अधिक है। अतः जब तक शासन इनके सम्बन्ध में उचित तथा ठोस कदम नहीं उठाता तब तक अनिवार्य शिक्षा की समुचित प्रगति नहीं हो सकती।

इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा के विकास में अनेक प्रकार की बाधाएँ तथा कठिनाइयाँ हैं जिनका उचित निराकरण आवश्यक है। जब तक इनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जायेगा इस दिशा में ठीक प्रगति न हो सकेगी।

अनिवार्य शिक्षा के विकास के लिए सुझाव

भारतीय शिक्षा में अनिवार्य शिक्षा की समस्या सबसे कठिन तथा बृहत् है। अर्थभाव ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण कठिनाई है। यदि यह कठिनाई हल हो जाये तो अन्य कठिनाइयाँ धीरे-धीरे हल हो जायेगी। अनिवार्य शिक्षा की विकास-सम्बन्धी कठिनाइयों का हल निम्न उपायों द्वारा सम्भव है :

मार्जेट रिपोर्ट में २०० करोड़ रुपये भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के हेतु लगाने का सरकार द्वारा धन अनुमान लगाया गया था। आज परिस्थितियाँ बदल गईं जुटाने के उपाय हैं। क्रमसे बहुत अधिक बढ़ गई है। शिक्षकों को वेतन भी अधिक देना आवश्यक हो गया है। श्री देसाई ने अपनी पुस्तक **Compulsory Education in India** में अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी खर्च के निम्न आनुमानिक आँकड़े प्रस्तुत किये हैं :

आयु	बालकों की संख्या	प्रति बालक खर्च	कुल खर्च
६ से ११ वर्ष	६ करोड़	५० रुपया	३०० करोड़ रुपये
११ से १४ वर्ष	२ करोड़	५० रुपया	१०० करोड़ रुपये
६ से १४ वर्ष	८ करोड़	५० रुपया	४०० करोड़ रुपये

४०० करोड़ रुपये वार्षिक केवल अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए जुटाना देना की क्षमता के बाहर है। फिर भी निम्न उपायों में धन की व्यवस्था बहुत कुछ भ्रमों में हो सकती है :

- (१) केन्द्र अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारी को समझे तथा अर्थात्कार्य रूप में राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय का ३० प्रतिशत खर्च वहन करे।
- (२) राज्यों में अभी विभिन्न परिमाण में शिक्षा, विशेषतः प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है। अन्दमान-निरीवार में ५-४५२ रुपये

प्रति बालक खर्च होता है तो विहार में ०.८१७ रुपये प्रति बालक। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार सभी राज्यों का प्रति बालक औसत खर्च १.८ रुपया आता है। राज्य की आमदनी का अजमेर में २६ प्रतिशत से लेकर अन्दमान में १.३ प्रतिशत व्यय किया जाता है। इसका औसत १.४८ प्रतिशत ही आता है। प्राथमिक शिक्षा पर व्यय भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिमाण में किया जाता है। बम्बई ६६.५ प्रतिशत व्यय करता है। शिक्षा की मद के प्रावधान में प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का सम्पूर्ण देश का औसत ५०.२ प्रतिशत आता है। यदि इस प्रतिशत को बढ़ा दिया जाये तो धन की कमी कुछ अंश में तो दूर होगी ही। श्री देसाई ने सुझाया है कि प्रत्येक राज्य अपने कुल राजस्व का २० प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करे तथा शिक्षा के लिए निश्चित की गई रकम का ७५ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाये। मेरी राय में यह प्रत्येक राज्य के लिए सम्भव होगा तथा इसमें कोई विशेष कठिनाई उपस्थित न होगी। इसमें प्राथमिक-शिक्षा के लिए काफी धन मिलने लगेगा।

(३) स्वायत्त संस्थाओं के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है कि अनेक क्षेत्रों की ये संस्थाएँ शिक्षा पर चिन्तक ही व्यय नहीं करती क्योंकि ये 'व' तथा 'म' श्रेणी के राज्यों में पहले थीं तथा इनमें सभी शालाएँ सरकारी होती थीं। अतः यह आवश्यक है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के सम्बन्ध में भी यह निश्चित कर दिया जाये कि उन्हें अपनी आमदनी का कम-से-कम कितना भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करना होगा। पर इसके लिए यह आवश्यक है कि उनकी आमदनी के माधनों को बढ़ाया जाये। यह किये बिना उनसे यह आशा करना ठीक नहीं है।

(४) पींग में भी थोड़ी-बहुत आमदनी की जा सकती है। पर सरकारी प्राथमिक शालाओं में कोई पींग न ली जाये। निजी प्रयत्नों से जो प्राथमिक शालाएँ चल रही हैं उनमें पींग ली जा सकती है तथा अनेक पालक ऐसे मिल सकते हैं जो पींग देकर अपने बच्चों को पढ़ावेंगे।

१६६ : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

इसके साथ-साथ आयु के अनुसार शुल्क माफ न करके कक्षा के अनुसार शुल्क माफ की जानी चाहिए, जैसे अनिवार्य शिक्षा पहली तथा दूसरी तक ही है तो ७ वर्ष तक की आयु के बालकों का शुल्क माफ न करके पहली तथा दूसरी में पढ़ने वाले बालकों का शुल्क ही माफ रहे।

उपर्युक्त मुद्राव्यय केन्द्र, राज्य, स्वायत्त संस्थाओं तथा शुल्क आदि के द्वारा धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में हुए, पर कुछ अन्य उपाय भी ऐसे किये जा सकते हैं जिनसे अनिवार्य शिक्षा पर धन कम व्यय हो। इस सम्बन्ध में श्री पहलकर महोदय ने जो सुझाव दिये हैं उनमें से निम्न मुख्य हैं :

१. अनिवार्य शिक्षा को अवधि ७ वर्ष की न रखकर केवल ४ वर्ष की ही रखी जाये तथा जैमे-जैमे देश की आर्थिक स्थिति सुधरती जाये अनिवार्य शिक्षा की अवधि बढ़ाई जाये।
२. अनिवार्य शिक्षा ६ वर्ष से प्रारम्भ न करके ७ वर्ष की आयु से प्रारम्भ की जाये। क्योंकि इस आयु में भारतीय बालक बीमारियाँ आदि का जन्दी न पकड़ता तथा स्वस्थ रह सकता है। भारतीय वर्णमाला तथा प्राचीन शिक्षण-पद्धतियों के कारण इस आयु में वह टीक से पढ़ भी सकेगा। कनाडा, आस्ट्रेलिया, फिनलैण्ड, ग्रीस, तुर्की आदि अनेक देशों में अनिवार्य शिक्षा की निम्नतम आयु ७ वर्ष ही है। अतः हमारे देश में भी इसे मान्य किया जा सकता है।
३. एक शिक्षक के पास ३० बालक ही न रखकर ५० या ६० बालक रखे जायें। अन्य देशों में निम्न संख्या में प्रति शिक्षक बालक रखे जाते हैं :

देश का नाम	प्रति शिक्षक अधिक-से-अधिक बालकों की संख्या
इंग्लैण्ड	६०
फ्रांस	५०
जर्मनी	८०
जर्मनी	७०
	(१८९४ के बाद)
	(१९०६)
	(१८९६)
	(१९०९)

जर्मनी	(१९२३)	६०
हंगरी	(१९१०)	६०
इटली	(१९३२)	६०
जेकोस्लोवाकिया	(१९२४)	८०
जापान	(१९१५)	७० (साधारण प्राथमिक शाला)
जापान	(१९२३)	६० (उच्च प्राथमिक शाला)

(इसके अतिरिक्त अमेरिका में अनेक विद्वानों ने गोज करके यह सिद्ध किया है कि ५० से अधिक बालक-बालिका बाली कक्षा में सहयोग, भाई-बारे की भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास कम बालकों की कक्षा के बालक-बालिकाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। साथ-ही-साथ ये पढ़ाई में भी पिछड़े नहीं रहते हैं। इस दृष्टि से यदि भाग्य में भी प्रति शिक्षक ६० बालकों के पढ़ाने की व्यवस्था की जायें तो कम शिक्षक अधिक बालकों को पढ़ा सकेंगे। फलस्वरूप अनिवार्य शिक्षा में शिक्षकों पर किये जानेवाले व्यय का आधा ही आवश्यक होगा।)

४. श्री जे० पी० नायक का मुझाय है कि पढ़ाई के घण्टों की घटाकर केवल तीन ही रखा जाये तथा इन्हे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दिन में कभी भी रखा जा सकता है। इसमें गरीब बालक अपने बच्चों को शाला भेज सकेंगे तथा उनका अधिक नुकसान भी नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए तीन घण्टे का शिक्षण समुचित है। इसमें एक शिक्षकबाली शालाओं की समस्या भी हल हो जायेगी। अभी एक शिक्षकबाली शालाओं में एक शिक्षक को ५ कक्षाएँ पढ़ाना पड़ती हैं तथा वह प्रति कक्षा मुद्रिकाल में १ घण्टा दे पाता है। यदि शाला दो बार लगाई जाये तथा तीन घण्टे हो पढ़ाई की जाये तो प्रति कक्षा अधिक समय दिया जा सकेगा तथा बालकों का समय व्यर्थ नष्ट न होगा। इसमें शालाओं का अन्दर भी कम होगा क्योंकि अनेक गरीब बालक अपने बच्चों को शाला में इगलिये निकाल लेते हैं कि ये पूरे समय के लिए अधिक बच्चों तक बालक को शिक्षा के लिए घर के काम में छुड़ी

नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार इस विधि से भी धन का व्यय कम किया जा सकता है।

५. श्री राजगोपालाचार्य ने भी अपना एक मौलिक और अनोखा सुझाव इस सम्बन्ध में दिया है। उनका कथन है कि शाला तो पूरे समय लगाई जाये पर हफ्ते में केवल तीन दिन ही लगाई जाये, बाकी ४ दिन बालक अपने घरों में माँ-बाप के काम में हाथ बटाये। इससे दो-चार में दूने बालक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तथा एक दिन बीच में छुट्टी का भी मिला जायेगा।
६. गाँधीजी ने उत्पादक-उद्योग के माध्यम से शिक्षा का सुझाव शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि में दिया है। अब तो यह राष्ट्रीय शिक्षा ही निरूपित कर दी गई है। यहाँ इसके स्वावलम्बी पक्ष पर विचार में चर्चा करना तो सम्भव नहीं है पर प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि विहार में बुनियादी शिक्षा ने ५५ प्रतिशत स्वावलम्बन प्राप्त किया है। कहीं-कहीं यह अधिक भी हुआ है। यदि इतना स्वावलम्बन न भी हो तो कम-से-कम ३० प्रतिशत तो हो ही सकेगा। इस दृष्टि से भी बुनियादी शिक्षा अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी आर्थिक कठिनाई को हल कर सकेगी।
७. इन सुझावों के सिवाय अनेक विद्वान् दोगरी पाली में कथाओं को लगाने का सुझाव देते हैं। हमसे इंग्लैंड, जर्मनी आदि का मर्चें बन सकता है। मर्चों में तो आजकल यह आम गिनाज-मा गी हो गया है।

मौलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक कठिनाइयों का हल

१. मौलिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवागमन के साधनों का विकास, गाँवों के जीवन को स्वस्थ और मनोरंजक बनाने, वहाँ अस्पताल, डाकघर, प्रांठ शिक्षा-केन्द्र आदि ग्वांटे जाने की व्यवस्था होना आवश्यक है। जर तब ऐसा नहीं होगा शिक्षक गाँवों में रहना पसन्द नहीं करेंगे तथा अनेक गाँवों में उपयुक्त शिक्षा-व्यवस्था सम्भव ही नहीं होगी। यदि गाँव खुद ही गईं तो बालक बीमारी आदि के

कारण शाला में कम दिन आयेगे तथा अनिवार्यता लागू करने में कठिनाई होगी। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनेक विद्यालय कार्य चल रहे हैं तथा आशा है कि ये कठिनाइयाँ हीन ही दूर हो सकेंगी।

६. सामाजिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए तो सामाजिक ढाँचे में ही आमूल परिवर्तन करना आवश्यक है। बुनियादी शिक्षा समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन तो अवश्य लायेगी पर अभी तो उसके प्रसार का ही प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं के प्रयत्नों के फलस्वरूप अभी कुछ वर्ष हुए हिन्दू कांड दिल बर्दा कठिनाई में पाय हो सका है। इस दिल ने समाज में महिलाओं की स्थिति, अधिभार आदि के सम्बन्ध में बड़े अनुकूल क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं। इससे महिलाओं की दशा सुधारने में बड़ा योग मिलेगा।

बाल-विवाह के लिए भी 'शारदा एक्ट' चानू है, पर उसका और अधिक कड़ाई में पालन किया जाना आवश्यक है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद संसार के अन्य देशों के साथ अविभाजित सम्पर्क के कारण भारतीय दूरियानुयी दृष्टिकोण स्वल्प रूप से विकसित हो रहा है।

हरिजन-उद्धार, आदिम तथा जगती जातियों के कल्याण के प्रश्न भी अधिक-से-अधिक किये जा रहे हैं।

अतः इन सब सुधारों से हम यह आशा कर सकते हैं कि भारतीय समाज का पुनरुत्थान अवश्य होगा, पर आवश्यकता इस बात की है कि प्रश्न निश्चित दिशा में किये जाने चाहिए; क्योंकि टिगी कानून को बनाकर ही सामाजिक उत्थान का कार्य सम्भव नहीं किया जा सकता।

३. देश के सुवर्णवर्ष दलों को अनिवार्य-सामाजिक नियम के विभाग को अपना प्रमुख कर्तव्य मानना चाहिए। कम-से-कम राज्य करने वाले देश को तो ऐसा मानकर ही चलना चाहिए।

प्रशासन तथा संगठन सम्बन्धी कठिनाइयों का हल

१. सबसे पहिले तो मैथिलिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जिससे यह पता

१०० :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

लग सके कि किस क्षेत्र में शालाएँ कम हैं तथा कहाँ किस प्रकार शालाएँ खोली जानी चाहिए। अभी दो-तीन वर्ष हुए शैक्षणिक सर्वेक्षण किया गया था तथा उसके आधार पर अनिवार्य शिक्षा की योजना भी तैयार की गई थी, पर इस दिशा में कार्य होता ही रहना चाहिए, जिम्मे कि रास्ते की कठिनाइयाँ दूर होती रहें। सर्वेक्षण-सम्बन्धी शोधकार्य भी किया जाना उपयोगी होगा; इससे सर्वेक्षण की कठिनाइयों का पता चल सकेगा।

२. अनिवार्य शिक्षा को क्रमशः लागू किया जाये जैसे ६ से ७ वर्ष की आयु तक सभी स्थानों में तथा बाद में धीरे-धीरे अवधि बढ़ाई जाये।

कुछ क्षेत्रों में सम्पूर्ण अवधि तक अनिवार्य शिक्षा लागू की जाये। राज्यों के प्रतिवेदन में यही सुझाव दिया गया है। पर इसमें क्षेत्रों के चुनाव में बड़ी कठिनाई होती है। श्री जे० पी० नायक के निम्न चार सुझाव अनिवार्य शिक्षा को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में हैं :

(क) ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाये जहाँ कोई शालाएँ नहीं हैं तथा वहाँ शालाएँ खोलने की योजना बनाई जाये। प्रतिवर्ष आवश्यक

(ग) जिन क्षेत्रों की शालाओं में जनसंख्या के ८ से १० प्रतिशत बालकों की हाजिरी नहीं है वहाँ जनता के द्वारा शिक्षा में रुचि देने के लिए प्रचार कार्य किया जाना चाहिए। १० वर्षों में इन क्षेत्रों में जनसंख्या का कम-से-कम १० प्रतिशत भाग शालाओं में पढ़ने के लिए जाने लगना चाहिए।

(घ) जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का ८ से १० प्रतिशत भाग हाजिर होता है वहाँ ४ या ५ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करना चाहिए।

(ङ) जहाँ ४ या ५ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा चालू रही है तथा कार्य अच्छा है वहाँ ७ या ८ वर्ष की अनिवार्य शिक्षा अवधि करना चाहिए।

यह चार सूत्रीय योजना लाभदायक है। इसमें पिछड़े क्षेत्रों में शालाएँ ही जाएंगी तथा अनिवार्य शिक्षा का कार्य भी आगे बढ़ता जायेगा। इससे निम्न ऋण-रहित अधिक धन की आवश्यकता भी नहीं होगी।

३. शिक्षकों की कमी के लिए अधिक योग्य शिक्षकों की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए । जैसे भी शिक्षक मिले कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए तथा धीरे-धीरे उनके स्तर-मुधार के प्रयत्न होते रहने चाहिए ।
४. शालाओं की इमारतों की व्यवस्था के लिए निम्न उपाय काम में लाये जा सकते हैं :
 - (अ) शाला भवन बनाने के लिए जनता से कर्ज लिया जाये ।
 - (आ) स्थानीय उत्साह तथा उदारता का उचित उपयोग करके इमारत तैयार कराई जाये ।
 - (इ) सस्ते तथा उपयोगी प्रकार की इमारतें बनवाई जायें ।
 - (ई) दुहरी पाली में शालाएँ लगाई जायें ।
 - (उ) प्रारम्भ में ग्राम पंचायत भवन, मन्दिर आदि में ही कुछ समय तक शालाएँ लगाई जायें ।
५. जनता शिक्षा में रुचि लेने लगे, इसके लिए समाज-शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाये । अमेरिका में प्रयोगों तथा शोध-कार्य द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 'प्राँठ शिक्षा से शाला में बालकों की हाजिरी का सीधा-सम्बन्ध है ।' अतः प्राँठ या समाज-शिक्षा की उचित व्यवस्था से अनिवार्य शिक्षा का कार्य हलका होगा ।
६. प्रारम्भ में केवल बालकों के लिए ही शिक्षा अनिवार्य की जाये तथा बाद में छात्रिकाओं पर भी इसे लागू किया जाये या अनिवार्यता अवस्था के अनुसार निर्धारित की जाये ।
७. बालकों की शाला में हाजिरी के मुधार के प्रयत्न किये जायें । गैरहाजिरी के आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा-व्यवस्था का असुचिन्न होना, पालकों की उपेक्षा आदि कारण ही हो सकते हैं । इन कारणों का पता लगाकर इन्हें दूर करने के उपाय किये जाने चाहिए ।
८. हमारे साथ-साथ अनिवार्य शिक्षा-क्षेत्र के गैरहाजिरी बालकों के प्रति कार्यवाही करने या तरीका भी सरल तथा सुगम बनाना जाना चाहिए, जिसमें शीघ्र तथा उचित कार्यवाही शिक्षक या गाँव के लोग कर सकें ।

इन उपरोक्त मुद्दाओं के आधार पर भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उचित विकास किया जा सकता है। आज वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि सभी को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जा सके। सभी हमारा लोकतन्त्र टिक सकेगा। अतः स्तर तथा गुणात्मक उन्नति का ध्यान रखकर सभी को शिक्षित करने का ध्यान अधिक होना चाहिए। धीरे-धीरे स्तर तो बन ही जायेगा। अनिवार्य शिक्षा हमारे भारतीय जीवन के विकास की नींव है, यह हमारे लोकतन्त्र की सुरक्षा की दाढ़ है, यह हमारे वर्ग-भेद को मिटाने वाली अग्नि है। अतः हमें हर प्रकार कोशिश करके इसे साकार बनाना चाहिए। सभी कठिनाइयों के हल के लिए यदि हम बैठे रहेंगे तो यह कार्य ही हो नहीं सकेगा। अतः हमें कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए। आज विराट् देने वाली कठिनाइयों में से अनेक तो आगे चल्कर उपस्थित ही नहीं होंगी।

मध्यप्रदेश में अनिवार्य शिक्षा

सम्पूर्ण देश में तृतीय पंचवर्षीय योजना काट के अन्त तक देश के ६ से ११ वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएँ पुराने की व्यवस्था के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस दृष्टि में मध्यप्रान्त में भी अनिवार्य शिक्षा की व्यापकता आँकने तथा लक्ष्यपति के प्रयास किये जा रहे हैं।

सन् १९५६ के पूर्व राज्य के महाकोशल क्षेत्र में १२ जनपदों के ४०४ देहाती क्षेत्रों तथा २४ शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा चल रही थी। पुराने मध्यप्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून १३ मार्च १९२० में लागू किया गया था। अतः हम यह कह सकते हैं कि पुराने मध्यप्रदेश के महाकोशल क्षेत्र में लगभग ३६ वर्षों में केवल उपरोक्त क्षेत्रों में ही अनिवार्य शिक्षा लागू की जा गयी। जलपुर नगर-निगम क्षेत्र में भी पत्नी तथा दूसरी दो कक्षाओं में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महाकोशल क्षेत्र के अन्य गरीब शहरी क्षेत्रों तथा ६५ सामुदायिक विकास समूहों में भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने का प्रयास है। महाकोशल के शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने में विशेष अट्ठचन नहीं आ रही है पर देहाती क्षेत्रों में गरीबी आदि के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हैं।

मध्यभारत क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून सन् १९६९ में बना था। इस कानून के अनुसार सन् १९५१-५२ से ६ से ११ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के प्रयोग के लिए प्रत्येक जिले के आस-पास के ५ से १० मील के क्षेत्रों तथा कुछ तहसीलों के केंद्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की गई थी। इन क्षेत्रों में १७६५ नई प्राथमिक शाळाएँ खोली गईं, ३२२९ नये शिक्षकों तथा ९३ अतिरिक्त अटेंटेन्स अध्यापकों की नियुक्तियाँ की गई थीं। निम्न आँकड़े मध्यभारत क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा की प्रगति के सूचक हैं :

	क्षेत्र	शाळाओं की संख्या	छात्रों की संख्या	धन
१	शहरी क्षेत्र	८३५	६७,५६५	१०,००,१४२
२	देहाती क्षेत्र	७३०	३४,१५६	६,७०,०६०

दिल्लीप्रदेश क्षेत्र में सन् ५३-५४ से २६ तहसीलों के केंद्रों में अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। अनिवार्य शिक्षा के विकास के लिए यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक कानूनगो ब्लॉक में एक सन्तुल्यपूर्ण गाँव में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की जाये। बाद में सरकार ने दिल्लीप्रदेश क्षेत्र के सभी सामुदायिक विभाग गण्डों के क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने का निर्धारण किया। विभाग गण्डों में नई शाळाएँ न खोले जाएँ जो शाळाएँ थीं उनमें में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्तियाँ करके अनिवार्य शिक्षा का कार्य चलाया गया। इस प्रकार सन् १९५७ में दिल्लीप्रदेश क्षेत्र में ८३९ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा केंद्र स्थापित हो चुके थे।

सूचीय पंचवर्षीय योजना में ६ से ११ वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिकता दी गई। इसके लिए सन् १९५८ में धैर्यपूर्ण सर्वेक्षण भी किया गया था। इसके आधार पर राज्य की अनिवार्य शिक्षा योजना तैयार की गई है। इस हेतु जो योजना बनाई गई है वह निम्न प्रकार है :

१७४ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

बालक-बालिकाओं की संख्या :

मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल १,७१,२०० वर्गमील तथा जनसंख्या (१९५१ की गणना के अनुसार) २,६१,००,००० है। सन् १९५५-५६ में यह अनुमानतः २,९६,१०,००० हो जायेगी, जिसमें पुरुष १,५०,५२,००० तथा स्त्रियाँ १,४५,५७,००० होंगी। इस जनसंख्या में से बालक-बालिकाओं की संख्या लगभग १५ प्रतिशत आँकी गई है, जो ४३*५५ लाख होगी। सन् १९५७ में कुल बालक-बालिकाओं की संख्या ११*२१ लाख आँकी गई थी।

कार्यक्रम का विभाजन :

राज्य के ६ से ११ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण कार्य पाँच वर्गों में विभाजित रहेगा।

योजना के कार्यान्वय के लिए धन का अनुमान :

क्रमिक	शीर्षक	व्यय करोड़ रुपयों में
१.	प्रशासन	१*५६
२.	प्राथमिक शालाओं के शिक्षक	२०*५७
३.	निरीक्षक	*७६
४.	उपनिवेश अधिकारी	१*८६
५.	मध्याह्न भोजन, शालेय सामग्री तथा अन्य सुविधाएँ अनुमूचित बालक-बालिकाओं के लिए	१०*७७
६.	ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए निवास-गृहों की व्यवस्था	१*७७
७.	वाटिकाओं की शालाओं के लिए शिक्षिकाओं की व्यवस्था	*७२
८.	शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था	*१६
९.	अतिरिक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था	२*७१

योग

४०*९८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिए १६७.८० लाख रुपयों का बर्च आँका गया है। इस बर्च का ब्योरा निम्न प्रकार है :

	लाख रुपये
१. प्रशासन	३९.०१
२. अतिरिक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था	१२३.५९
३. शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था	५.२०
योग	१६७.८०

इस व्यय के सम्बन्ध में ५९-६० के लिए ८७.४३ लाख तथा ६०-६१ के लिए ९१.३० लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। इस व्यय के लिए १०० प्रतिशत अनुदान के आभार पर केंद्रीय सरकार से प्रार्थना की गई है। यदि केंद्र में सहायता न मिल सकी तो ८७.४३ (अनावर्ती व्यय) लाख रुपयों की निधि को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा।

इस प्रकार राज्य में अनिवार्य प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा के लिए समुचित प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति

बुनियादी शिक्षा का स्वरूप

बुनियादी शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वानों तथा जनता में बड़ा विचार वैभिन्न्य है। इसलिए विभिन्न लोग बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार से सोचते हैं। साधारण जनता इसे 'तकली या चरखा द्वारा शिक्षा' समझती है, इसलिए जिन शालाओं में तकली तथा चरखा चलाया जाता है वे शालाएँ बुनियादी मानी जाती हैं। कुछ लोग इसे एक फैशन या झक के रूप में मानते हैं। कुछ अन्धभक्त लोग केवल गांधीजी के नाम से चलनेवाली तकली या चरखा की शिक्षा मानते हैं तथा इसके वास्तविक स्वरूप की ओर ध्यान नहीं देते। कुछ अन्य पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित तथा उमी रग में बने हुए विद्वान इसे मशीन युग में केन्साट्टी का रूप मानते हैं।

यह आग जनता की, जो शिक्षा के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अधिक जान नहीं रखती, बात हुई। पड़े-लिपे शिक्षा-सिद्धान्त के ज्ञान भी, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा पर पुस्तकें पढ़ी हैं, इसे योजना-प्रणाली का भारतीयकरण कहते हैं। कुछ समवाय पर बहुत अधिक विचार करने रहते हैं तथा इसे समवायी प्रणाली ही मानते हैं। कुछ गांधीजी के "तकली को एक अच्छा गिल्लीना" कहने पर इसे गेल प्रणाली का एक भिन्न रूप ही मानते हैं। अन्य विद्वान इसे औद्योगिक शिक्षा का रूप या उसी पूर्व-नीपारी मानते हैं।

कुछ पड़े-लिपे, शिक्षण-प्रशिक्षण सम्भाओं में कार्य करने वाले विद्वान इसे केवल प्रशिक्षण सम्भाओं के लिए बुनियादी कार्य-उत्ताओं एवं शिक्षकों का निर्माण करने में ही गदायक मानते हैं। उनके अनुसार यह सब बुनियादी-इकाय कोरे उपयोग नहीं है। उनके अनुसार यह सब बुनियादी-इकाय कोरे उपयोग नहीं है। उनके अनुसार यह सब बुनियादी-इकाय कोरे उपयोग नहीं है।

इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में जनता तथा विद्वान दोनों की अलग-अलग धारणाएँ हैं। जनता यदि नहीं समझती है तो एक तरह से क्षम्य भी है; पर विद्वानों तथा विशेषकर शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं के बड़े-बड़े उपाधि-धारी विद्वानों के कम अध्ययन, दूषित दृष्टिकोण पर तरस आता है। बुनियादी शिक्षा पर एकांगी दृष्टिकोण से विचार करने के कारण ही ऐसा होता है। बुनियादी शिक्षा के किन्हीं एक अंग को विशेष महत्त्व देने के कारण ही इस तरह की भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं। बुनियादी शिक्षा की स्पष्ट कल्पना तथा रूपरेखा समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जानकारी करें कि बुनियादी शिक्षा के प्रणेताओं ने इसे किस रूप में मान्य किया है तथा उनके अनुसार इसका क्या स्वरूप होना चाहिए।

२२-२३ अक्टूबर १९३७ को यर्षा में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् के नामने भाषण करने हुए गाँधीजी ने बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे। उन विचारों का गार तत्व निम्न है -

१. प्राथमिक शिक्षा कम-से-कम ७ वर्ष की हो।
२. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
३. शिक्षा का माध्यम मृगशेयोग हो।
४. शिक्षा स्वावलम्बी हो।

इन प्रमुख बातों तथा बुनियादी शिक्षा के स्वरूप पर विचार करने के लिए डा० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने बारीकी से छानबीन करके अपना प्रतिवेदन गाँधीजी के नामने रखा। जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन को मन् १९३९ में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। यही जाकिर हुसैन समिति का प्रतिवेदन बुनियादी शिक्षा का प्रमुख ढाँचा है। इसी ढाँचे के आधारे पर बुनियादी शिक्षा का मद्दल मड़ा है। इस ढाँचे का स्वरूप भी यही है जो गाँधीजी ने १९३७ में २२ तथा २३ अक्टूबर को अपने भाषण में व्यक्त किया था।

इस प्राथमिक ढाँचे में अनेक परिवर्तन तथा बुनियादी शिक्षा-दान में अनेक प्रकार के विचार हुए हैं। इनको विन्यूत चर्चा तो 'बुनियादी शिक्षा का विकास' शीर्षक के अन्तर्गत की जायेगी, पर यहाँ यह विचार करना आवश्यक

१७८ :: भारतीय शिक्षा तथा धातुनिक विचारधाराएँ

है कि केन्द्रीय सरकार ने बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को किस रूप में माना है, क्योंकि यही रूप हमारी बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा का है तथा भविष्य में भी रहेगा।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा उपसमिति ने बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करने तथा उसके सम्बन्ध में जनता तथा विद्वानों की भ्रान्तियों को दूर करने के लिए एक प्रपत्रक १९५५-५६ में तैयार किया था। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने उसे स्वीकार किया। इस प्रपत्रक में बुनियादी शिक्षा के प्रमुख तत्वों को निम्न प्रकार बताया गया है :

बुनियादी शिक्षा का स्वरूप वैसा ही है जैसा कि जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है तथा जिसे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने स्पष्ट किया है। अतः यह स्पष्ट है कि जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन में दशांशे गए बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त तथा विधियाँ ही हमारी भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के पुनर्गठन के आधार होंगे। जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन में दिये गए आठवर्षीय (जाकिर हुसैन समिति ने सातवर्षीय बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। बाद में १९३९ में गेर समिति ने इसे आठवर्षीय बनाने की सिफारिश की जिसे मान्य किया गया।) अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा तथा मातृभाषा को माध्यम बनाने के सिद्धान्तों में न तो कोई मतभेद है और न कोई भ्रांति। हाँ केवल हम बात का ध्यान रखा जाये कि बुनियादी शिक्षा जुनियर तथा गौनिजर वेगिक स्तर दोनों को मिश्रित मानी जाये। अतः उनके बुनियादी शिक्षा के अन्य सिद्धान्तों पर मतभेद अविकर है। अतः उनके

निम्न स्वरूप को उपयुक्त समझना ठीक होगा :

गौनिजर बुनियादी शिक्षा को जीवन द्वारा जीवन की शिक्षा मानते हैं। यह मानव में जीवन द्वारा शिक्षा अविकर है। यह शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है जो स्वतन्त्र हो, जिसमें शोषण न हो,

बुनियादी शिक्षा जो अधिगा पर आधारित हो, जिसमें ऊँच और नीच का जीवन की तथा कोई भेद न हो।^१ ऐसे शोषण विहीन, वर्गहीन, अहिंसात्मक

१. इसके सिद्ध विवेकन के लिए श्रीमती रिचमण्टी मन्डरा की 'प्राचीन तथा नवीन शिक्षण विधियाँ', तथा 'बुनियादी शिक्षण विधि' नामक पुस्तकें देखिए।

जीवन द्वारा स्वतन्त्र समाज के निर्माण के लिए ही उत्पादक सामाजिक शिक्षा है उद्योग वर्गभेद छोड़कर सभी बालक-बालिकाओं की शिक्षा का माध्यम रखा गया है।

बुनियादी शिक्षा-न्तर पर किसी उत्पादक मूलोद्योग के माध्यम से शिक्षा आवश्यक तथा प्रभावी होनी है। यदि उपयुक्त रीति से यह विधिवत् चले तो इससे सम्बन्धित बातों का ज्ञान ठोस तथा वास्तविक होता है।

उत्पादक उद्योग यह ढंग चरित्र तथा व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक शिक्षा का माध्यम महायुक्त भी होता तथा उपयोगी सामाजिक कार्य या भ्रम के प्रति आदर या आस्था की भावनाओं का विकास भी करता है। बालकों द्वारा बनाये गए सामान की बिक्री से जो आमदनी होगी वह शाळा के कुछ खर्च के लिए उपयोग में आयेगी या बनाया गया उत्पादित सामान बालकों के दोषहर के भोजन, स्कूल-श्रेम या शाळा फर्नीचर तथा सामान-सज्जा जुटाने के काम में आयेगा।

बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक या बालिका के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है तथा साथ-ही-साथ उसकी उत्पादक-क्षमता को वृद्धि करना भी। उत्पादक मूलोद्योग के शिक्षण-न्तर को अच्छा रखने तथा उत्पादक मूलो- उगम बालकों का कौशल बढ़ाने के साथ-साथ शैक्षणिक योग की बुनियादी सम्भावनाओं का समुचित उपयोग करने के लिए यह आवश्यकता है कि बनाया गया सामान अच्छे ढंग का हो। बच्चों का तात्पर्य यह है कि उन ढंग का हो जैसा कि उम्र आयु तथा अन्य दृष्टि से विरहित छात्र बना सकते हैं। बनाया गया सामान सामाजिक दृष्टि में उपयोगी तथा बेचने योग्य भी होना चाहिए। सामान्यतः क्रियाओं को महत्त्व देने वाली शाळाओं में कच्चे सामान तथा उपकरणों से खेलने की तरह ही अधिक ध्यान दिया जाता है। पर फेबल खेलने से अधिक शैक्षणिक महत्त्व तो उद्योग की क्रियाओं में कौशल प्राप्त करना तथा अच्छा कार्य करने की योग्यता प्राप्त करना है। अतः उत्पादन के इन तत्वों को कम महत्त्वपूर्ण मानकर अनुपयोगी न समझना चाहिए। प्रत्यक्ष तथा परीक्षण रूप में किसी भी उद्योग में कौशल बालक की क्षमता को वृद्धि करता है तथा सभी दृष्टियों में उद्योग विकास

१८० :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

करने में सहायक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्योग के अग्रास से प्राप्त कौशल से बालक को सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि उद्योग के उत्पादन के पक्ष को उसके शैक्षणिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाये। उत्पादन कार्य को आवश्यक महत्व देने से बालक की उत्पादन क्षमता का विकास होता, उसमें काम करने की ठीक तथा उपयोगी आदतों का विकास होता, उसकी रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ विकसित होकर वाछनीय दिशाओं की ओर उन्मुख होती हैं, उसमें एकाग्रता, लगन, परिश्रम, अध्यवसाय, विवेक से कार्य करने तथा योजना बनाने की आदतें और प्रवृत्तियों का विकास होता है। मूल्योद्योग-सम्बन्धी लक्ष्य शिक्षक अपनी स्थानीय परिस्थितियों को देखकर निर्धारित कर सकते हैं। पर उत्पादक उद्योग के शैक्षणिक उद्देश्यों को कभी भी कम महत्वपूर्ण न माना जाये। प्रत्येक राज्य को जूनियर तथा मीनियर वैसिक स्तर के लिए अनुभवों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

बुनियादी ज्ञान के लिए मूल्योद्योग का चुनाव उनकी शैक्षणिक उपयोगिता, सम्भावनाओं तथा ज्ञान के क्रमशः विकास के आधार तथा व्यावहारिक योग्यता तथा क्षमता बढ़ाने की सम्भावनाओं को देखकर करना उचित होगा। मूल्योद्योग बुनियादी ज्ञान के सामाजिक और स्वाभाविक वातावरण के अनुकूल हो तथा -समें शैक्षणिक सम्भावनाएँ अधिक होनी चाहिए। यह सन्त विचार है कि वृत्तार्द या चुनाव मूल्योद्योग के रूप में चलाने पर ही ज्ञान बुनियादी कहलाने लगेगी। उद्योग कोई भी हो सकता है केवल उसमें निम्न गुण होने चाहिए :

१. शैक्षणिक सम्भावनाएँ।
 २. ज्ञान के क्रमशः विकास की क्षमता।
 ३. समाज तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल।
 ४. व्यावहारिक क्षमता के विकास की शक्ति।
- सभी प्रकार की अच्छी शिक्षा, विशेषतः बुनियादी शिक्षा, में ज्ञान का सम्बन्ध

समवाय क्रिया, अनुभव तथा अन्वेषण से होना आवश्यक है। इस दृष्टि से शुनियार्दी शिक्षा में ज्ञान को निम्न तीन केन्द्रों से सम्बन्धित करने का सिद्धान्त बनाया गया है :

१. मूल्ययोग
२. समाज
३. प्रकृति

शुनियार्दी शिक्षक यदि योग्य है तो वह इनमें से किसी भी केन्द्र से समवाय करके शिक्षा दे सकेगा या अपने पाठ्यक्रम के विषयों को पढ़ा सकेगा, क्योंकि ये तीन केन्द्र बालक की रुचि तथा प्रवृत्तियों के स्वाभाविक केन्द्र हैं। पर यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके निम्न दो कारण हो सकते हैं :

१. उसमें आवश्यक योग्यता की कमी है; या
२. पाठ्यक्रम में स्तर-विशेष की दृष्टि से अनावश्यक बातें भर दी गई हैं।

पर यदि ये दोनों बातें नहीं हैं तथा पाठ्यक्रम में ऐसी बातों का समावेश किया गया है जो उपर्युक्त किसी भी केन्द्र में समवाय करके नहीं पढ़ाई जा सकतीं और ऐसी बातों का पढ़ाना आवश्यक है तब ऐसे ज्ञान को किसी अच्छी भाषा में पढ़ाये जाने वाले दृग या विधि से देना चाहिए। पर ऐसे पाठों में भी रुचि, उत्प्रेरण, रचनात्मक तथा स्वयं अभिन्न-सम्बन्धी कार्यों पर अनुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह भी लोगों का विचार रहता है कि शुनियार्दी शिक्षा में उत्पादन पर अधिक बल दिया जाता है अतः पुस्तकों के पठन तथा उपयोग की आवश्यकता नहीं है। शुनियार्दी शिक्षा पुस्तकों को ही ज्ञान प्रदान करने का माध्यम नहीं मानती। वह पुस्तकों को ही संस्कृति का ज्ञान करानेवाली भी नहीं मानती। शुनियार्दी शिक्षा तो यह मानती है कि उचित रूप, व्यवस्थित उत्पादक उपयोग बालक के व्यक्तित्व के विकास तथा ज्ञान-प्राप्ति में और भी अधिक प्रभावी दंग में गणनाक होगा है। पर व्यवस्थित ज्ञान देने के अतिरिक्त मनोरंजन करने के माध्यम के रूप में पुस्तकों का भी महत्व है। इस दृष्टि में शुनियार्दी शिक्षा में एक वस्तुस्थिति और अच्छा प्रत्यात्म होना अत्यन्त आवश्यक है।

१८२ : :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

बुनियादी शिक्षा शाला तथा समाज के ऐसे समन्वय की अपेक्षा करती है जो शिक्षा तथा बालक को सामाजिक तथा सहयोगी बनाती है इसलिए बुनियादी शिक्षा इस ध्येय की पूर्ति के लिए निम्न दो साधनों का उप-

शाला तथा समाज का समन्वय योग करती है :

१. शाला की एक कर्मशील जीवित समुदाय या समाज के रूप में रचना = रके;
२. बालक-बालिकाओं को आसपास के सामाजिक जीवन में भाग लेने के अवसर देकर तथा उस समाज की सेवा करने को प्रोत्साहित करके।

इस प्रकार बुनियादी शिक्षा बुनियादी शाला को समाज का एक अभिन्न तथा उपयोगी अंग बनाने पर बल देती है।

बुनियादी शिक्षा की विशेषता उसके बालक बालिकाओं का स्वायत्त शासन है। वह एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है जो बालक-बालिकाओं को उत्तरदायित्वपूर्ण लोकतन्त्रात्मक जीवन व्यतीत करने के अवसर देता रहता है। इस तरह बुनियादी शिक्षा बालक-बालिकाओं का आत्मविश्वास, सहकारिता, भ्रम के महत्त्व आदि से परिचित ही नहीं कराती है वह एक प्रगतिशील समाज-व्यवस्था करने में बड़े प्रभावोत्पादक तथा महत्त्वपूर्ण साधन का कार्य करती है।

यह गमना भी मारी भूल होगी कि बुनियादी शिक्षा केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही उपयोगी होगी। यह शहरी तथा देहाती दोनों क्षेत्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है तथा दोनों प्रकार के क्षेत्रों में लागू की जाना चाहिए। हमसे लोगों का यह विचार या भ्रम दूर केवल ग्रामों के लिए होगा कि गाँवों के लिए कोई निम्न प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था की जा रही है। हमके लिए यह आवश्यक है कि शहरों के लिए उपयोगी उद्योग चुने जायें तथा पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन दिये जायें। पर बुनियादी शिक्षा के सामान्य गिदाना तथा विधि-विधानों-नियमों रहनी चाहिए।

बुनियादी शिक्षा का विकास तथा प्रगति

बुनियादी शिक्षा के लिए महात्मा गाँधी ने शोषण-विहीन, वर्गहीन, कर्मयोगी, स्वतंत्र समाज-व्यवस्था को आवश्यक माना है। बुनियादी शिक्षा की योजना को देश के सामने रखने से पहिले महात्मा गाँधी ने इसके मूल सिद्धान्तों तथा इसके अन्तर्गत के सम्बन्ध में प्रयोग कर लिये थे। अपने इन प्रयोगों की सफलता के आधार पर उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उनके इस प्रयोगकाल को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला काल गाँधीजी के अफ्रीका-निवास से प्रारम्भ होता है। वहाँ 'टास्मटाय फार्म' में इसी तरीके से शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया गया था। इसके पश्चात् सन् १९२० में जब विदेशी शासन का अन्त करने के लिए सहयोग आन्दोलन आरम्भ किया गया तब से राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा का यह प्रयोग भारत में भी प्रारम्भ हो गया। इस कार्य में गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तिलक विश्वविद्यालय, नागपुर तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं ने महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया। राजनैतिक आन्दोलनों के कारण इन संस्थाओं का कार्य अधिक सर्गटित रूप में आगे न बढ़ पाता था क्योंकि आन्दोलनों के प्रारम्भ होते ही इन संस्थाओं में काम करने वाले शिक्षक तथा छात्र राजनैतिक कार्यों में लग जाते थे। इतना होने हुए भी इन प्रयोगों में गाँधीजी के मन में शिक्षा की यह योजना एक निश्चित और स्पष्ट रूप धारण करती गई।

सन् १९३५ के संविधान के अनुसार चुनाव होने पर सन् १९३७ में भारत के अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेसी गवर्नमण्ट्स बन गए। इसी अवसर पर अपनी शिक्षा योजना की ओर देश के विद्वानों का ध्यान रखने के लिए गाँधीजी ने 'ह्युमन' नामक पत्रिका में शिक्षा-सम्बन्धी लेख लिखाकर इस विषय पर चर्चा आरम्भ की। इसी के बाद सन् १९३७ में २२ तथा २३ अक्टूबर को यहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा-परिषद् बुलाई गई। इसमें भिन्न-भिन्न शक्तों के शिक्षा-मन्त्री तथा राष्ट्रीय शिक्षा का कार्य करने वाले शिक्षा-शास्त्रियों ने भाग लिया था। महात्मा गाँधी ने इस परिषद् के सामने नई शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में अपने विचार रखे। उन्होंने संसार के शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा मान्य 'किताब द्वारा शिक्षा' के सिद्धान्त को आधार बनाया। पर अन्य देशों में निम्न वेकल किया

कराने के लिए तथा मनोरञ्जन के लिए करवाई जाती है। पाश्चात्य देशों में धन तथा साधन प्रचुर हैं, अतः वहाँ यह सब सम्भव है। भारत तो गरीब देश है। यहाँ तो अभी प्राकृतिक साधनों का उपयोग भी साधनों के अभाव में पूर्ण रूपेण नहीं हो पा रहा है। अतः गरीबी तथा साधनों की कमी के कारण महात्मा गाँधी ने क्रिया का सम्बन्ध एक उत्पादक क्रिया से जोड़ा। यह क्रिया समाज में प्रचलित उद्योग के रूप में होगी तथा इस उत्पादक उद्योग की क्रियाओं की शैक्षणिक सम्भावनाओं के उचित उपयोग से जो ज्ञान प्राप्त होगा वह ठोस तथा वास्तविक भी होगा। इसके साथ-साथ गाँधीजी ने शिक्षा में स्वावलम्बन को आवश्यक माना। देश की गरीबी को दूर करने तथा इतने बृहत् देश में सभी को शिक्षित करने के लिए यह बड़ा व्यावहारिक साधन है। इसीलिए गाँधीजी ने कहा था कि "शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास से है। बालक की आन्तरिक शक्ति और सौन्दर्य को विकसित करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। साक्षरता न तो शिक्षा का आदि है और न अन्त। वह तो मनुष्य को शिक्षित बनाने का साधन-मात्र है अतः मैं बालक की शिक्षा का प्रारम्भ उसे उपयोगी उद्योग मिलानेकर तथा उसे अपनी शिक्षा के प्रारम्भ से ही उत्पादन करने योग्य बनाकर करूँगा। इस प्रकार, प्रत्येक छात्र स्वावलम्बी बन सकेगी।

"मेरा विद्वान है कि ऐसी शिक्षा से बालक के मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास सम्भव हो सकेगा। केवल आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग केंद्र, जैसा कि आजकल क्रिया जाता है, औपचारिक रूप से ही न पढ़ाया जावे वरन् उसे वैज्ञानिक विधि से उसमें सम्मिश्रित करें तथा कर्म का ज्ञान कराने हुए पढ़ाया जाना चाहिए।

"मस्तिष्क की उत्तेरणा का प्रमुख साधन शारीरिक श्रम होना चाहिए।"

इन विचारों को उन्होंने पहिले 'हरिजन' में व्यक्त किया तथा वर्षों में होने वाली शक्तिशाली राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् में अपनी बुनियादी शिक्षा योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। गाँधीजी की योजना के प्रमुख खल निम्न थे :

१. प्राथमिक शिक्षा कम-से-कम ७ वर्ष की हो।
२. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

३. यह शिक्षा किसी मूलोद्योग के माध्यम से दी जाये ।

४. शिक्षा स्याचलम्बी हो अर्थात् पूरी अवधि में बालकों के कार्य से शिक्षक का वेतन निकल सके ।

अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् में गाँधीजी की शिक्षा-योजना पर विचार-विमर्श हुआ तथा अन्त में निम्न प्रस्ताव पाम किये गए :

१. परिषद् का मत है कि सम्पूर्ण देश के लिए ७ वर्षीय निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये ।

२. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही ।

३. परिषद् गाँधीजी के इस मत से सहमत है कि इस आयु के बालकों को शिक्षा किसी प्रकार के शारीरिक उत्पादक कार्य को केन्द्र मानकर दी जाये तथा अन्य धर्मतार्प, जिनका विकास करना है या प्रशिक्षण जो दिया जाना है, जहाँ तक हो सके, बालक के वातावरण के अनुकूल चुने हुए इस केन्द्रीय उद्योग से ही प्रदान किया जाये ।

४. इस परिषद् की अपेक्षा है कि यह शिक्षा-विषय प्रश्नः शिक्षकों के वेतन का स्वर्च तो निकाल ही लेगी ।

अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् के इन विचारों तथा प्रस्तावों पर रूढ़ बारीकी में विचार करने के लिए डा० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई । इस समिति में १० सदस्य थे । इस समिति ने काफी छान-बीन के बाद अपना प्रतिवेदन गाँधीजी के सामने रखा । महात्मा गाँधी के द्वारा स्वीकृत होने पर जाकिर हुसैन समिति का प्रतिवेदन परवर्ती सन् १९३८ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरियुग अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया । कांग्रेस ने इस प्रतिवेदन को मंजूर किया तथा निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :

“... कि कांग्रेस का मत है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा निम्न शिक्षकों के आधार पर दी जाये :

१. निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अखिल भारतीय स्तर पर ७ वर्ष की दी जाये ।

२. शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा ही ।

३. इस शिक्षा-अवधि में शिक्षा किसी रूप में शारीरिक श्रम तथा उत्पादक

१८१ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

कार्य को केन्द्र मानकर ही जाये तथा अन्य क्रियाएँ तथा प्रशिक्षण जो दिया जाना हो वह बालक के वातावरण के अनुकूल चुने हुए इस केन्द्रीय उद्योग से पूर्णतः समन्वित हो।
ये ही बुनियादी शिक्षा के प्रमुख तत्व हैं। कांग्रेस ने डा० जाकिर हुसैन तथा ई० डब्ल्यू० आर्यनायकम् को अधिकार दिये कि गाँधीजी के निर्देशन तथा सलाह से शीघ्र ही एक अखिल भारतीय शिक्षा-सच या बोर्ड की स्थापना करें जिससे कि बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम सुगमगठित किया जा सके तथा जो राज्य या निजी संस्थाएँ शिक्षा के अधिकार में हैं उन्हें उचित परामर्श दिया जा सके।

हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्तावों तथा अखिल भारतीय शिक्षा-परिषद् के प्रस्तावों में साम्य होने हुए भी कुछ अन्तर दिखाई देता है। अखिल भारतीय शिक्षा-परिषद् के प्रस्तावों में स्वावलम्बन पर बल दिया गया है तथा अपेक्षा की गई है कि बुनियादी शिक्षा कम-से-कम शिक्षकों के वेतन का व्यय तो निकाल ही सकेगी, पर हरिपुर कांग्रेस के प्रस्तावों में स्वावलम्बन की बात नहीं रखी गई है।

हरिपुर कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार अप्रैल सन् १९३८ में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के नाम से एक अखिल-भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना सेवाग्राम, बर्धा में की गई। प्रारम्भ से ही यह मध्य बुनियादी शिक्षकों के प्रशिक्षण, बुनियादी शालाओं की व्यवस्था, बुनियादी-साम्यन्धी प्रयोग तथा शोधनार्थ कर रहा है।
बुनियादी शिक्षा की इस नई योजना को देश के अनेक प्रांतों में प्रथम प्राप्त हुआ, तथा इसके विस्तार तथा विकास के लिए अनेक कार्य किये गए। देश के उत्तरप्रान्त, मध्यप्रान्त, बम्बई, बिहार तथा उड़ीसा में बुनियादी शिक्षा बढ़े उल्लास से प्रारम्भ की गई। पर इस बुनियादी शिक्षा-योजना की सबसे अधिक प्रगति बिहार में हुई।

बुनियादी शिक्षा का प्रथम वर्ष तो प्रमुगलतः केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण में ही कर्णीय किया गया। दूसरे वर्ष कुछ बुनियादी शालाओं की स्थापना की गई तथा उन शालाओं में बुनियादी में प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा गया। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के प्रयोग प्रारम्भ किये गए। सन् १९३९ तक देश में बुनियादी

शिक्षक-प्रशिक्षण सम्पादकों की संख्या १४ हो गई थी तथा बिहार के चम्पारन जिले में ३० नई बुनियादी शालाएँ, बम्बई में ५८ जिला बोर्ड शालाएँ तथा २८ बुनियादी शालाएँ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, एवं मध्यप्रदेश में विद्यामन्दिर स्थापित किये गए।

इसी बीच में अनेक प्रांतों में बुनियादी शिक्षा की जाँच आदि के लिए अनेक शिक्षा-समितियों का गठन हुआ। इनमें उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई नरेन्द्रदेव समिति उल्लेखनीय है। इन सभी समितियों ने प्रायः ७ या ८ वर्ष की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा तथा इस पूर्व अवधि तक किसी उत्पादक उद्योग को केन्द्र मानकर शिक्षा देने का मुद्दा दिया। यह केन्द्रीय उद्योग बालक के प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के अनुकूल तथा उसमें सम्मिश्रित होना भी आवश्यक माना गया।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के अन्तर्गत समितियाँ

जनवरी मई १९३८ में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने बम्बई के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा शिक्षामंत्री श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में एक शिक्षा उपसमिति की स्थापना की। इस समिति का कार्य बुनियादी शिक्षा-योजना की जाँच, बृहत् तथा ऐक्ट रिपोर्ट को व्यावसायिक तथा सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी मुद्दों की पृष्ठभूमि में करना था। डा० जारिज हुमैन भी इस समिति के सदस्य थे तथा उन्होंने प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट किया कि बुनियादी शिक्षा-योजना "शिक्षा की योजना है न कि उत्पादन की।" उन्होंने बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी अन्य भ्रान्तियों का निराकरण करने हुए बताया कि बुनियादी शिक्षा का प्रमुख ध्येय उद्योग कार्य में निहित शैक्षणिक सम्भावनाओं का उचित उपयोग करना है न कि १४ वर्ष की आयु में उद्योग सीधे सार्वक उपन्न करना। अतः यह आवश्यक है कि उद्योग या उत्पादक कार्य में शैक्षणिक सम्भावनाएँ अधिक-से-अधिक होनी चाहिए तथा उद्योग मानव रुचियों तथा कार्यों में स्वाभाविक रूप से सम्मिलित करने की क्षमता भी होना आवश्यक है।

खेर समिति ने गोहन्द रचनात्मक क्रियाओं के माध्यम में जो प्रयोग उत्पादक उद्योग या कार्य के रूप में विकसित हो पायेंगी, शाला को शिक्षित करने के

गिद्दान्त को मान्य किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रारम्भिक कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की अनेक रचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बालक-बालिकाएँ अपनी रुचि के अनुकूल क्रियाएँ चुनें तथा आगे चलकर ये रचनात्मक क्रियाएँ उत्पादक उपयोग में परिणत हो जायें। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा की सफलता प्रारम्भिक कक्षाओं में उपयोगी तथा विभिन्न प्रकार की रचनात्मक क्रियाओं के समुचित तथा उपयुक्त चुनाव पर ही आधारित रहेंगी। रोर-समिति की सिफारिशों ने बुनियादी शिक्षा की प्रमुख सिद्धान्तों-सम्बन्धी अनेक समस्याओं को सुलझाकर बुनियादी शिक्षा के नये युग का प्रारम्भ किया। रोर-समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं :

१. बुनियादी शिक्षा की योजना पहिले प्राथमिक क्षेत्रों में लागू की जाये।
२. शिक्षा को अनिवार्य करने की अवधि ६ से १४ वर्ष तक की आयु रखी जाये। पर बुनियादी शाला में ५ वर्ष की आयु के बालक भी भरती किये जा सकेंगे।
३. बुनियादी शाला से ११ वर्ष की आयु के बाद या ५वीं कक्षा के बाद बालक अन्य शाखाओं में जा सकेंगे।
४. शिक्षा का माध्यम प्रान्त की भाषा होगी।
५. हिन्दुस्तानी—उर्दू तथा हिन्दी के मेल से बनी—भाषा का होना भारत के लिए आवश्यक है। इसी हिन्दी तथा उर्दू दोनों लिपियाँ होंगी। शिक्षक को दोनों लिपियों का ज्ञान हो पर बालक अपनी रुचि के अनुसार लिपि चुन सकेंगे।
६. बुनियादी शिक्षा-योजना थुड तथा फेब्ट रिपोर्ट ने, जहाँ तक क्रिया द्वारा शिक्षा का गिद्दान्त है, पूर्ण साम्य रखती है। प्रारम्भिक कक्षाओं में क्रियाएँ विभिन्न प्रकार की हों तथा ऊँची कक्षाओं में ये क्रियाएँ ऐसी उत्पादक उपयोग की ओर क्रमशः विकसित हों जिसका चनाया गया माल निक सके। इस आमदनी की शाला की व्यवस्था में व्यय किया जाये।
७. कुछ सामुहिक विषय मूलोर्जाग में सम्मिलित नहीं किये जा सकते हैं अतः इन्हें स्वतंत्र रूप में पढ़ाया जाये।

८. शिक्षक-प्रशिक्षण का स्तर उन्नत करके उसे पुनर्गठित किया जाये।
९. प्रत्येक शिक्षक को २० घण्टा माहवार से कम नहीं मिलना चाहिए।
- महत्त्व शिक्षकों की अधिक-से-अधिक सरत्या में नियुक्ति की जाये।
१०. बुनियादी शालाएँ उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षक मिलने पर ही खोली जायें।
११. पाठ्यक्रम में अनुभव के आधार पर परिवर्तन किये जायें। बुनियादी शालाओं में अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के रूप में रानी जाये।
१२. बाह्य परीक्षा न रानी जाये। कक्षावार बर्ग-उत्पत्ति शाला निश्चित करंगी जो निरीक्षक के निरीक्षण के आधार पर आन्तरिक परीक्षा द्वारा की जाये।

खैर समिति ने बुनियादी शिक्षा के स्थापत्यन्वय के पक्ष में भी अपने विचार व्यक्त किये। उसने कहा कि बुनियादी शिक्षा का प्रमुख सिद्धान्त उत्पादक उद्योग के माध्यम से शिक्षा देना है। 'उत्पादक' के स्थान पर 'वचनात्मक' शब्द अधिक उपयुगी होगा क्योंकि 'उत्पादक' शब्द में आर्थिक उत्पादन के पक्ष को शैक्षणिक पक्ष से अधिक महत्त्व मिल जाता है। समिति इसे मानती है कि बुनियादी शिक्षा शैक्षणिक पक्ष को ही अधिक बल देती है। उत्पादित वस्तु बिना योग्य हो तथा उच्च कक्षाओं में निर्मित होंगी चाहिए, क्योंकि उन तक चन्दुएँ बिना योग्य न होंगी उत्पादक उद्योग की शैक्षणिक सम्भावनाओं का अनुचित उपयोग न किया जा सकेगा। बिना से जो आमदनी हो उसे शाला की व्यवस्था के लिए व्यय किया जाये। इन प्रकार खैर समिति ने स्थापत्यन्वय के पक्ष का समर्थन किया।

जनवरी १९३९ में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने श्री खैर की अध्यक्षता में एक और समिति को स्थापना की। इस समिति का कार्य बुनियादी शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा में समन्वय करने के सम्बन्ध में सुझाव देना था। इस समिति ने प्रमुख रूप से सुझाव कि बुनियादी शिक्षा की अवधि ८ वर्ष की हो। इस अवधि को सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाये—एक जूनियर बैचिक ५ वर्ष की तथा जूनियर बैचिक ३ वर्ष की। पर यह सुझाव अवधि पूर्ण-तया एक ही है, केवल स्थापत्यारिक तथा सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त समझी जाये।

दोनों ग्वेर समितियों को रिपोर्ट को केन्द्रीय शिक्षा सन्ग्रहकार परिषद् ने म्यौकार कर लिया तथा इन दोनों समितियों के मुझाय द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय शिक्षा के विकास तथा पुनर्संरुदन की योजना में, जिसे साजेंण्ट रिपोर्ट कहने ई, गमाविष्ट कर लिये गए ।

साजेंण्ट रिपोर्ट (१९४४)

साजेंण्ट रिपोर्ट भारतीय शिक्षा सम्बन्धी बृहत् तथा प्रथम बार सभी सम्भावनाओं और आवश्यकताओं को देखकर बनाई गई है । इस रिपोर्ट में बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धान्त 'क्रिया या उद्योग द्वारा शिक्षा' को मान्यता दी गई है । इसमें ग्वेर समितियों की सिफारिशों को आधार मानकर ४० वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण भारत में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा-व्यवस्था की योजना बनाई गई है ।

साजेंण्ट रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम इसी 'क्रिया द्वारा शिक्षा' के सिद्धान्त पर विकसित करने का मुझाय दिया गया है । पर साजेंण्ट रिपोर्ट में स्पष्ट व्यक्त किया गया है कि शिक्षा के किसी भी चरण, विशेषतः प्राथमिक शिक्षा-स्तर पर म्वावलम्बन नहीं अपनाया जाना चाहिए । छात्रों के उन्नादन में अधिक-से-अधिक उद्योग का सामान गरीश जा सकता है ।

साजेंण्ट रिपोर्ट में इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के स्वाश्रय के सिद्धान्त को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख तत्वों तथा सिद्धान्तों को मान्यता दी गई । साजेंण्ट रिपोर्ट को केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभी सरकारों ने मान्यता दी तथा इसी के आधार पर ४० वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए ५-५ वर्ष की योजनाएँ बनाई गई । ये योजनाएँ सन् १९४६-४७ में प्रारम्भ भी की गई ।

राज्यीय स्तर पर ये समितियाँ बनाी तथा इनके मुझायों के अनुसार नीतियाँ निर्धारित होती गई । पर प्रारम्भ में ट्रेड या दी वर्ष के प्रसंगों के बाद यह स्पेना गया कि बुनियादी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मैान बुलाया जाये जिनमें अनुभवों का एकत्रीकरण हो तथा एक मिनी-बुनी नीति निर्धारित की जा सके । यन्हीं सरकार के अनुसंधान पर पृना में सन् १९३८ में अगिल

भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन बुलाया गया। इसमें देश के विभिन्न प्रान्तों से शिक्षा-शास्त्री भी आये थे। सम्मेलन में विचारों का स्वतंत्रता से आदान-प्रदान हुआ तथा निम्न बातें निश्चित की गईं :

१. अंग्रेजी के जल्दी प्रारम्भ होने से देश की शिक्षा की प्रगति बढ़ी कम हो सकी है। इसमें भारतीय भाषाओं को भी धार्त पहुँची है। अतः बुनियादी तथा अन्य शालाओं में ७ वर्ष की शिक्षा के पूर्व अंग्रेजी प्रारम्भ न की जाये।
२. पिछले दो वर्षों में बुनियादी शिक्षा ने अच्छी प्रगति की है।
३. देश के भविष्य के लिए बुनियादी शिक्षा का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इसे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाया जाये। केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारें इसके लिए आवश्यक व्यय की व्यवस्था कर।
४. बुनियादी शिक्षकों की निम्नतम प्रशिक्षण अवधि १ वर्ष हो। शिक्षकों को ग्राम सस्कृति के प्रति आस्था रखने के लिए प्रेरित किया जाये।
५. कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निर्यातित प्रयोग तथा गहन कार्य किये जायें। इन प्रयोगों के आधार पर अन्य शालाओं को चलाया जाये।
६. शहरी तथा देशी शिक्षकों का एक ही प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण दिया जाये, जिसमें उनमें एक सा ही दृष्टिकोण विकसित हो।
७. पिछले दो वर्षों के अनुभवों ने प्रदर्शित किया है कि उद्योग में समवाय कर के शिक्षण कार्य किया जा सकता है। पर समवाय व्यवस्था नहीं किया जाये।
८. समवाय के लिए मूल्ययोग ही नहीं बरन् शाला के सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरण का भी समुचित उपयोग किया जाये।
९. मूल्ययोग समाज में प्रचलित उपयोग ही हो।
१०. गहन क्षेत्रों के लिए अलग से निरोधक रने जायें।

इस प्रकार प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन ने अनुभवों के आधार पर कुछ निर्णय किये। पर गंगार पर महायुद्ध के बादल छाये हुए थे। भारत पर भी इसका प्रभाव पडा। अनेक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिये। पन्ध्रसहस्र यद् सोना जाने लगा कि

१९२ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

बुनियादी शिक्षा का कार्य सुदृढ़ तथा काप्रेसी मंत्रिमंडलों के न रहने से सिद्ध पड़ जायेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। द्वितीय वर्ष तो कार्य ठीक चला पर तृतीय वर्ष में (१९४०-४१) कार्य की गति मन्द पड़ गई। उडिसा के शिक्षा-सचालक ने तो बुनियादी शिक्षा बोर्ड को ही भंग कर दिया तथा सभी बुनियादी के बुनियादी शिक्षा बोर्ड के सचिव थे, सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतन्त्र रूप से तीसरे वर्ष १९४१ में जामिना नगर में द्वितीय अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन हुआ। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनुभवों ने यह सिद्ध किया है कि बुनियादी शिक्षा से छात्रों के स्वास्थ्य तथा व्यवहार में पर्याप्त सुधार हुआ है। उनका आत्मनिश्वास बड़ा है। तथा वे स्वतंत्रता से अच्छी तरह विचार व्यक्त कर सकते हैं। उनमें सहयोगी तथा सामाजिक भावनाओं का भी विकास हुआ है। भविष्य में इसमें भी अच्छे परिणाम इस शिक्षा से दिखाई देंगे।

सन् १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन ने सम्पूर्ण देश को उत्तेजित तथा क्रियाशील किया था। अब सभी नेताओं तथा लोगों का ध्यान आन्दोलन की ओर ही रहा तथा बुनियादी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तथा सभी नेताओं के जेल में होने के कारण बुनियादी शिक्षा का काम बन्द-सा हो गया।

बुनियादी शिक्षा की नई परिभाषा

जेल से आने के बाद गाँधीजी ने कहा कि बुनियादी शिक्षा केवल ७ या ८ वर्षों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे तो 'जीवन-भर चलना' गिना 'जीवन द्वारा, जीवन की शिक्षा' यनी।

बुनियादी शिक्षा के इस नये अर्थ से शिक्षारिदों को परिचित कराने तथा विगत ५ वर्षों के विनाश पर दृष्टित करने के लिए सेवासाम में जनवरी १९४२ में तृतीय अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में गाँधीजी ने बुनियादी शिक्षा की नई कल्पना सदस्यों के समक्ष रखी।

सम्मेलन ने विचार-विमर्श के बाद बुनियादी शिक्षा की निम्न चार अवस्थाएँ मान्य कीं :

१. प्रौढ़ शिक्षा—इसे प्रथम स्थान दिया गया क्योंकि कोई भी देश अभिवृद्ध नागरिकों के रहते हुए विकसित नहीं हो सकता ।
२. पूर्व-बुनियादी शिक्षा ७ वर्ष से कम आयु के बच्चों को ।
३. बुनियादी शिक्षा ७ से १४ वर्ष की आयु के बच्चों को ।
४. उत्तर-बुनियादी बुनियादी स्तर के बाद ।

सम्मेलन में इन चारों स्तरों के लिए पाठ्यक्रम बनाने तथा इसकी रूपरेखा तैयार करने आदि के लिए चार समितियाँ बनाई गईं तथा सेवाग्राम नई कल्पना के अनुसार बुनियादी के सम्पूर्ण स्तरों के प्रयोग का केंद्र चुना गया । इसके बाद सेवाग्राम में पूर्व-बुनियादी तथा प्रौढ़ शिक्षा का कार्य भी प्रारम्भ किया गया ।

सन् १९४७ में विहार तथा सेवाग्राम में बुनियादी शिक्षा-स्तर में शिक्षा पानेवालों ने अपना ७वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण किया । अतः यह आवश्यक हो गया था कि उत्तर-बुनियादी का पाठ्यक्रम तैयार किया जाये । अतः इसके लिए एक समिति की स्थापना की गई । इसके पूर्व ७वर्षीय बुनियादी शिक्षा को ८वर्षीय में बदलने तथा पुनर्गठन करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए भी समिति गठित की जा चुकी थी ।

उत्तर-बुनियादी समिति की चर्चा गौधीजी में भी हुई तथा उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर-बुनियादी शिक्षा सम्पूर्णतः स्वाश्रयी होनी चाहिए । इस दृष्टि से गौधीजी के अनुरोध पर कुमारवाग (बम्बय, विहार) तथा सेवाग्राम में दो उत्तर-बुनियादी संस्थाएँ प्रयोग के लिए स्थापित की गईं । इन प्रयोगों ने सिद्ध किया कि उत्तर-बुनियादी संस्थाएँ स्वाश्रयी हो सकती हैं ।

इस समय तक देश की सभी प्रान्तीय सरकारों ने बुनियादी शिक्षा प्रयोग के तौर पर प्रारम्भ कर दी थी पर इसे अभी प्राथमिक स्तर पर ४ या ५ वर्ष के लिए रखा था । इसका कारण यह था कि ८वर्षीय बनाने में धन अधिक व्यय होता था तथा उनकी कमी थी तथा सरकारों शिक्षा विभागीय उच्च अधिकारी बुनियादी का प्रसार अधिक चाहते भी नहीं थे । अतः स्वतंत्रता प्राप्ति तक

प्रमुखतः बुनियादी शिक्षा प्रयोग के तौर पर ४ या ५ कक्षाओं तक ही प्रान्तों में चालू रही।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा

सन् १९४८ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद केन्द्रीय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय आजाद ने कहा कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व की योजनाएँ आज की परिवर्तित परिस्थितियों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होंगी। अतः अनिवार्य बुनियादी शिक्षा को सम्पूर्ण देश में लागू करने के लिए ४० वर्षों की अवधि तक टहरना ठीक न होगा।

सर्वसाधारण शिक्षा-मंत्री श्री मोतिलाल आजाद प्रशिक्षित शिक्षकों तथा शाला-भवनों की कमी से भी अवगत थे। इसके लिए उन्होंने मुझाया कि जब तक शिक्षक प्रशिक्षण क्रिये जायें स्वतंत्रता से की गई सेवाओं से कार्य लिया जाये, तथा शाला-भवनों के नकशों में परिवर्तन करके कच्ची इमारतों से काम चलाया जाये। भवन इत्यादि में साधनों का व्यय न करके जनता की शिक्षा के लिए साधन जुटाना अधिक उपयोगी तथा आवश्यक है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष नियमित रूप से अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन होने लगे। इनमें बुनियादी शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार में बड़ा सहयोग मिला। देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रिये जा रहे बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोगों तथा प्रगति का ज्ञान भी इनमें हो जाता है।

७ मे ९ जून १९४९ में कोयम्बटूर के पास परियानेकनपन्यायम् में पाँचवाँ अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री विनोबा भावे ने बुनियादी शिक्षा को नई जिम्मेदारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र मार्ग द्वारा ही सर्वोदयी समाज का निर्माण हो सकता है। इसी समय विनोबाजी का अन्तिमारी भ्रमण आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस भ्रमण आन्दोलन में ग्रामदान की प्रक्रिया निकली, जो समाज में सामुदायिक समाज बनाने का एक नया मार्ग उपस्थित कर रही है। ग्रामदान तथा भ्रमण के विचार ने बुनियादी शिक्षा को एक नया मोड़ दिया, क्योंकि ग्रामदान आन्दोलन में

एक निर्दल लोक-नीति तथा स्वावलम्बी अर्थ-नीति का जो नया विचार निकलना है, उससे हमारी बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र बढ़ गया है। इसके पूर्व बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र विभिन्न बुनियादी शालाएँ तथा उसके आस-पास का समाज था, पर अब इन छोटे-छोटे घेरे में निकलकर ग्रामदान ने उसे सम्पूर्ण जन-समाज-स्वी सन्तुष्टि में ला रखा किया है। बाल्य में बुनियादी शिक्षा की 'ममी की जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा' की जो परिकल्पना है उसे रूपायित करने के लिए बुनियादी शालाओं को जन-जीवन के बीच रखकर उन्हें वैसा ही रूप देना होगा जैसा कि समाज है। पर इसके लिए हमें अपने समाज को 'सर्वजन-सुखाय' बनाना होगा अर्थात् सर्वोदयी समाज की स्थापना करनी होगी। यही बुनियादी शिक्षा की जिम्मेदारी है। इस प्रकार अब बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य सर्वोदयी समाज की स्थापना करना निश्चित किया गया।

सन् १९५० में बुनियादी शिक्षा में विश्वविद्यालयीन शिक्षा के स्थान तथा स्वरूप पर बड़ी चर्चा होने लगी थी। सन् १९४८ में राष्ट्राङ्गणन् आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शर्माण विश्वविद्यालयों का सुझाव दिया था। अतः १९५१ के मातर्वे अग्निष्ठ भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा में विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर विचार किया गया तथा तात्काली मंत्र ने 'उच्च शिक्षा समिति' सेवाग्राम में विश्वविद्यालयीन विद्यालय का योजना बनाने के हेतु निर्मित की। इस समिति ने विश्वविद्यालयीन शिक्षा को बुनियादी शिक्षा तथा महात्मा गाँधी के उच्च शिक्षा-सम्बन्धी विचारों में समन्वित करके एक योजना बनाई। इस प्रकार उत्तम बुनियादी शिक्षा का सूत्रपात हुआ। प्रथम उत्तम बुनियादी केन्द्र सेवाग्राम में स्थापित गया तथा इसमें १८ छात्र भरती किये गए।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश में बुनियादी शिक्षा पर विचार करने के लिए अनेक समितियों को स्थापना की गई। एक समिति उत्पादन तथा स्वावलम्बन पर विचार करने के लिए बनाई गई। इसने विचार तथा बम्बई राज्यों को बुनियादी शालाओं का कार्य देना तथा सुझाव प्रस्तुत किये। केन्द्रीय शिक्षा-सन्तहाकार-मण्डल ने इन पर मार्च १९५२ को अपनी बैठक में विचार किया तथा निम्न निर्णय किये :

१. बुनियादी शिक्षा में जो उत्पादक उद्योग रखे गए हैं उनका शैक्षणिक महत्त्व इतना अधिक है कि यदि आर्थिक त्थम विलुप्त ही न हो तो भी बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है।

२. राज्य आठ साल की पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करे।

३. शैक्षणिक तथा उत्पादक दोनों दृष्टियों से उद्योग पर बल दिया जाये।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा का काम बहुत बढ़ गया था। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाएँ तथा बुनियादी शालाओं के अधिक-से-अधिक संख्या में खुलने के कारण सन् १९५६ में बुनियादी शिक्षा तथा प्रीट शिक्षा का एक अलग उपविभाग शिक्षा-मंत्रालय में खोला गया।

सन् १९५५ के आरम्भ में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के अन्तर्गत एक बुनियादी शिक्षा उपसमिति बनाई गई, जो बुनियादी शिक्षा में सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देती है।

बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी शोध कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय अन्वेषण केन्द्र भी खोला गया है।

देश में बुनियादी शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५५ में श्री रामचन्द्रन् की अध्यक्षता में बुनियादी बुनियादी शिक्षा- शिक्षा-मूल्यांकन समिति की स्थापना की। इस समिति का मूल्यांकन समिति प्रमुख कार्य देश में बुनियादी शिक्षा की वर्तमान प्रगति की (१९५५-५९) जांच करके भावी विकास के लिए सुझाव देना था। इस समिति के सुझाव बड़े बहुमूल्य हैं तथा केन्द्र और राज्य सरकारें इसके अनुसार अपना कार्य आगे बढ़ा रही हैं।

सन् १९५६ में बुनियादी शिक्षा समिति के सुझाव पर देश के लोगों का ध्यान बुनियादी शिक्षा को और आकर्षित करने के लिए दिहा में २८ अप्रैल से ७ मई तक एक बुनियादी शिक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन गणराज ने किया था। इसमें २४ राज्यों और कुछ संस्थाओं ने भाग लिया था। इसी अवसर पर ३० अप्रैल से २ मई १९५६ तक राज्यों के प्रमुख शिक्षा अधिकारियों की एक परिषद् डॉ० जाकिर

अखिल भारतीय
बुनियादी शिक्षा
प्रदर्शनी तथा
परिषद्

दुर्गम के संचालन में नई दिशा में हुई। इस परिपक्व में प्रमुखतः बुनियादी शिक्षा को कम्पना का स्वशीकरण, बुनियादी शिक्षा विकास, सुधार, संगठन, संचालन, निरीक्षण आदि पर विचार किया गया।

देश में बुनियादी शिक्षा के प्रसार तथा विकास के लिए केन्द्र राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देना है। १९५० में भारतीय गणतंत्र के संविधान में १०

वर्षों के अन्दर सम्पूर्ण देश में ६ से १४ वर्ष की आयु तक प्रथम पंचवर्षीय अन्वेषण निःशुल्क बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था का स्पष्ट योजना उल्लेख किया गया है। इस दृष्टि में केन्द्र सरकार ने बुनि-

यादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में स्वीकार किया है तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की हैं।

बुनियादी शिक्षा में प्रयोग करके उपयुक्त तकनीक का विकास करने के लिए एक योजना बनाई गई है। इसमें आगे चलकर दूसरी बुनियादी शालाओं में इस तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत सधन क्षेत्र चुनकर बुनियादी तथा समाज-शिक्षा को निम्न मंथ्याओं को खोला गया है :

१. (अ) एक स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय—बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों तथा संचालन कार्य के विशेष कार्यकर्ता तैयार करने के हेतु।

(ब) एक मीनिमर बुनियादी शाला—अभ्यास के लिए।

२. (अ) बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय—प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए।

(ब) दो जनिमर बुनियादी शाला—अभ्यास के लिए।

३. पाँच आदर्श सामुदायिक केन्द्र।

४. एक संगठित पुस्तकालय—आमजन के सौकों को समान्वित करने के लिए।

५. एक जनता कालेज।

गरन क्षेत्र की कुछ वर्तमान प्राथमिक शालाओं को बुनियादी में परिचित करने का समानेन भी इस योजना में है। इस योजना को प्रयोग के रूप में

स्नातकोत्तर स्तर तक की बुनियादी शिक्षा का काम देपन के लिए चालू किया गया है। अभी २७ राज्यों में ३८ ऐसे सभन क्षेत्रों में कार्य चल रहा है।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनावर्तक खर्च का ६६ प्रतिशत तथा आवर्तन खर्च का ६० प्रतिशत, ५० प्रतिशत तथा ३३ प्रतिशत आगामी वर्षों में देती रहेगी।

एक दूसरी योजना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बुनियादी शालाएँ खोलने का प्रावधान रखा गया है। योजना आयोग की एक योजना के अनुसार बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए किये गए आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का ३० प्रतिशत राज्य को दिया जाता है।

केन्द्र राज्यों को नए बुनियादी शालाएँ खोलने, गैर-बुनियादी शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने, उद्योग शिक्षकों के प्रशिक्षण, बुनियादी शालाओं में शिक्षा सामग्री तैयार करने आदि के लिए १९५४-५५ में अनुदान देता है। कुछ गैर-सरकारी मस्यारों को भी बुनियादी शिक्षा का प्रसार करने के हेतु किये गए कार्यों के लिए अनावर्तक व्यय का ६६ प्रतिशत तथा आवर्तक व्यय का ५० प्रतिशत दिया जाता है।

मार्च १९५० में ऐसे राज्यों के लिए, जिनोंने बुनियादी का कोई कार्य तक प्रारम्भ नहीं किया था, एक पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया था। बुनियादी शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए एक संदर्भिका का प्रकाशन भी किया गया है। बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी भ्रान्तियों के निवारण के लिए 'बुनियादी शिक्षा की कल्पना' नामक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है। इसके साथ बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी अन्य पठनीय सामग्री की सूची भी प्रकाशित हुई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी ऐसे ही कार्यक्रम चलाये गए हैं। केवल अन्तर इतना ही है कि ये कार्यक्रम द्वितीय पंचवर्षीय मूद्द पैमाने पर आयोजित होंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल तक बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी निम्न विकास हुआ है। इसी के आधार पर योजना आयोग ने निम्नलिखित लक्ष्य रखे हैं :

बुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति :: १९९

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१. बुनियादी शालाएँ	१,७५१	१०,०००	३८,४००
२. दर्ज संख्या	१,८५,०००	११,००,०००	४२,२४,०००
३. बुनि० प्रशिक्षण संस्थाएँ	११४	४४९	७२९

उपरोक्त आँकड़ों से पता चरता है कि सन् १९५०-५१ में प्राथमिक स्तर के दर्ज छात्रों की संख्या का १ प्रतिशत बुनियादी शालाओं में दर्ज था। यह प्रतिशत प्रथम योजना काल के बाद ५५-५६ में ४ प्रतिशत हो गया तथा द्वितीय योजना काल के बाद १९६०-६१ में ११ प्रतिशत होने की आशा है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए द्वितीय योजना काल में अधिक-से-अधिक बुनियादी शालाएँ खोलने, गैर-बुनियादी शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ खोलने, गैर-बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने, बुनियादी शिक्षा-क्षेत्र के निरीक्षकों को प्रशिक्षण देने, बुनियादी साहित्य तैयार करने, महिलाओं को बुनियादी में प्रशिक्षित करने आदि की योजनाएँ बनाई गई हैं। द्वितीय योजना काल में जहाँ तक होगा सम्पूर्ण बुनियादी शालाएँ तथा कक्षा तक स्थापित की जायेंगे। बुनियादी शालाओं को जन-जीवन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी शिक्षा को कृषि, ग्रामोद्योग, सङ्कारिता तथा सामूदायिक विकास आदि योजनाओं के कार्यक्रमों से सम्बन्धित किया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा-परिषद् के समान प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा-परिषद् की स्थापना भी की जायेगी।

माध्यमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा को सम्मिलित करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने एक समिति का गठन भी द्वितीय योजना काल में किया है, जो समय-समय पर उचित सलाह देती है। देश में उत्तर-बुनियादी शालाएँ अधिक संख्या में खोलने की योजना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रनी गई है।

मध्यप्रदेश में बुनियादी शिक्षा

मध्यप्रदेश की बुनियादी शिक्षा पर हम निम्नलिखित दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं :

२०० :: : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

१. नई बुनियादी शालाएँ खोलना ।
२. प्रचलित प्राथमिक शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करना ।
३. बुनियादी शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ।

नई बुनियादी शालाएँ खोलना :

नवीन मध्यप्रदेश के महाकोशल क्षेत्र में सन् १९३९ में ८७ विद्यामन्दिर खोले गए थे । इन विद्यामन्दिरों में बुनियादी शिक्षा का कुछ अंश सम्मिलित था । पर इन्हें पूर्ण बुनियादी नहीं कह सकते हैं । सन् '४७ में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद महाकोशल क्षेत्र की प्रत्येक तहसील में एक-एक बुनियादी शाला प्रयोग के लिए खोली गई । मध्यभारत क्षेत्र में ५१-५२ तथा विन्ध्यप्रदेश और भोपाल क्षेत्र में ५२-५३ से इस दिशा में कार्य हुआ । इन क्षेत्रों की सभी बुनियादी शालाओं में हिन्दुस्तानी तारीफी सय द्वारा निर्धारित अष्टवर्षीय बुनियादी पाठ्यक्रम ही चलता है । इन बुनियादी शालाओं के अतिरिक्त अन्य नई बुनियादी शालाओं की स्थापना को गर्द तथा फी जा रही है । मध्यप्रदेश शासन ने बुनियादी शालाओं की संख्या-वृद्धि के लिए प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों का न्यूनतम वेतनमान भी बढ़ाकर ४० रुपए मासिक कर दिया है । इससे शिक्षकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को अधिक प्रोत्साहन मिला है । राय-ही-साय बुनियादी शालाओं की वृद्धि के लिए सचन क्षेत्रों का निर्माण भी किया गया है । इस सचन क्षेत्रों की शालाओं को बुनियादी बनाया गया है जिससे आसपास की गैर-बुनियादी शालाओं पर इगला अच्छा प्रभाव पड़ रहा है । पर अभी भी गैर-बुनियादी शालाओं की संख्या बहुत अधिक होने से बुनियादी तथा गैर-बुनियादी को भेद हो गए हैं । इस भेद तथा अन्तर को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने एक नवीन पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसके आधारभूत विद्वान् अष्टवर्षीय बुनियादी पाठ्यक्रम के अनुकूल ही है । इस पाठ्यक्रम को समस्त राज्य की प्राथमिक शालाओं में लागू किया गया है । इससे सम्पूर्ण राज्य की प्राथमिक शिक्षा का एकीकरण हो होगा ही, राय-ही-साय इससे बुनियादी तथा गैर-बुनियादी का भेद भी कम होगा । शिक्षा-विभाग तहसील, जिल्ला तथा राज्य-स्तर पर सेमीनारों या संगोष्ठियों का आयोजन भी समय-समय पर करता है ।

इन संगोष्ठियों में शालाओं के अधिपति तथा शिक्षा-क्षेत्र में कार्य करनेवाले कर्मचारी-गण बुनियादी तथा गैर-बुनियादी के भेद को कम करने के उपायों पर विचार करते हैं। इनके निष्कर्षों के आधार पर शासन आवश्यक कार्रवाई करके बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के लिए प्रयत्नशील है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रान्त में ८० बुनियादी शालाएँ ग्वाली गईं। तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इसके लिए भोपाल विभाग में ६२*६९ लाख रुपये का प्रावधान है। इसके साथ-साथ एक हजार कक्षाएँ खोलने की योजना भी है। मध्यभारत विभाग में ६७० शालाएँ खोलने के लिए ४*५८ लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इनमें से ५८ के अन्त तक १५६ शालाएँ खोली जा चुकी हैं। विन्ध्यप्रदेश विभाग में भी इसके लिए १०*०० लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। महाकोशल क्षेत्र में ७८० केन्द्रीय शालाएँ खोलने का लक्ष्य रखा गया है। सन् १९५७ तक १८० केन्द्रीय शालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। इस योजना के अनुसार केन्द्रीय शालाओं के प्रधानाध्यापक को ३०) माहवार अलग-अलग दिया जाता है तथा वह अपने आसपास के ५ मील के क्षेत्र में स्थित शालाओं के शिक्षकों का मार्ग-दर्शन करता है।

प्रचलित प्राथमिक शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करना :

प्रचलित प्राथमिक शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित कार्य कर रहा है :

१. प्रचलित प्राथमिक शालाओं के प्रशिक्षित शिक्षकों को बुनियादी में प्रशिक्षित करना।
२. अधिचारियों तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिविर तथा विचार-संगोष्ठियों का आयोजन।
३. शालाओं में उद्योग तथा अन्य ग्राहक-सजा की व्यवस्था करना।
४. शिक्षकों की बेकारी निवारणार्थ कार्यान्वित योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को बुनियादी में प्रशिक्षित करना।
५. बुनियादी सम्मेलनों में प्रतिनिधि भेजना।

प्रचलित प्राथमिक शालाओं के प्रशिक्षित शिक्षकों को बुनियादी में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना सिवनी तथा रायगढ़ में की गई है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण की अवधि ४५ दिनों की होगी तथा प्रत्येक क्षेत्र में ७५ शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं। राज्य में गैर-बुनियादी शालाओं की संख्या देखते हुए इस प्रकार के और भी केन्द्र खोलना आवश्यक है।

अधिकारियों तथा शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए राज्य के सभी विभागों में ग्रामीण तथा शरदकालीन अवकाशों में शिविर तथा विचार संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इस योजना के अनुसार सन् १९५७-५८ तक ३०३ शिविर आयोजित किये जा चुके हैं।

शासन ने प्रतिवर्ष ४५० शालाओं को बुनियादी की राज-सहा देने की व्यवस्था की है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में साधन-सहा के लिए २,०३,००० रुपयों का प्रावधान है। शालाओं को कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

सन् १९५८-५९ में शरदकालीन अवकाश के समय से सम्पूर्ण राज्य के प्रशिक्षण विद्यालयों में शिक्षित बेकारी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को दो माह के अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई थी।

द्वितीय योजना काल में भोपाल विभाग की ४०० शालाओं, विन्ध्यप्रदेश की २००० कक्षाओं, मध्यभारत विभाग की १५०० शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने की योजना है।

हमारे गांध-नाथ देश में जहाँ वहाँ भी बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन या संगोष्ठियों होती हैं वहाँ शासन अपने प्रतिनिधि काफी संख्या में भेजता है। हमारे राज्य के इन क्षेत्र के कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी नवीन गतिविधियों में परिचित होते रहते हैं।

शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं का बुनियादी में प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश में बुनियादी क्षेत्र में कार्य करने के लिए शिक्षकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित तीन प्रकार के कार्यक्रमों की गई हैं :

१. बुनियादी शाळाओं के शिक्षकों तथा इन शाळाओं में निर्देशन करनेवालों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।
२. बुनियादी प्रशिक्षण शाळाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण की बुनियादी में व्यवस्था ।
३. वर्तमान प्राथमिक शाळाओं में कार्य करनेवाले प्रशिक्षित शिक्षकों को पुनः प्रशिक्षित करने की व्यवस्था ।

इसके लिए स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय (बल्लभपुर, भोपाल तथा उज्जैन) और २३ बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए राज्य में चार महिला प्रशिक्षण विद्यालय चले रहे हैं। सन् १९६०-६१ में जुलाई से १ स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर तथा २७ बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय राज्य के विभिन्न स्थानों में खोले जायेंगे। इन प्रशिक्षण विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षण-कला के ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक जीवन की शिक्षा भी दी जाती है। भारत ने प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की नीति ही बना ली है। इसके साथ-साथ अल्पसंख्यक प्रशिक्षण केन्द्र भी रायगढ़ तथा सिवनी में खोले गए हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भोपाल में २ प्रशिक्षण महाविद्यालय, विन्ध्य-प्रदेश में ८ प्रशिक्षण विद्यालय, मध्यभारत में ६ प्रशिक्षण विद्यालय, १ प्रशिक्षण महाविद्यालय, तथा १ महिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलने का प्रावधान है। इनमें से प्रायः सभी प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ खोली जा चुकी हैं। अगले वर्ष ग्वालियर में बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा कुम्हेश्वर के बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर का बनाने की योजना भी है। भोपाल के स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय के विस्तार के लिए ५७-५८ में तीन लाख रुपये का प्रावधान था।

राज्य के मध्यभारत क्षेत्र के प्रशिक्षण विद्यालयों तथा उनके शिक्षकों के लिए भवन निर्माण की योजना भी है। इसके लिए प्रकल्प: ११११ लागू तथा ४८५० लाख रुपये का प्रावधान है।

महाकोशल क्षेत्र में बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों के भवन-निर्माण के लिए ३२ लाख रुपये का प्रावधान है। विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में बुनियादी प्रशिक्षण

गस्थाओं के छात्रावास के लिए ११'५० लाख लागत के १२ भवन बनाने की योजना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यप्रदेश में बुनियादी शिक्षा की अच्छी प्रगति हो रही है। शासकीय तथा सार्वजनिक निजी प्रयत्नों को समन्वित करने के लिए महाराष्ट्र में सन् '४७ में तथा मध्यप्रदेश में सन् '५४ में 'बुनियादी शिक्षा समिति' का निर्माण किया गया था। नवीन राज्य के निर्माण के बाद सन् १९५८ में इन समितियों का एकीकरण करके सम्पूर्ण राज्य के लिए एक 'बुनियादी शिक्षा समिति' बनाई गई। बुनियादी साहित्य की बड़ी कमी है। अतः शासन ने बुनियादी साहित्य-निर्माण में योगदान देने के लिए दो शिक्षकों की गेयाएँ हिन्दुस्तानी साहिती सघ को दी थी। शासन भी शास्त्राओं के लिए उपयोगी एवं सस्ती पुस्तकें प्रकाशित करता है। राज्य के बुनियादी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने भी बुनियादी साहित्य की ओर ध्यान दिया है तथा बुनियादी की कुछ अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है। इस दिशा में और अधिक कार्य करने तथा शासन की ओर से बुनियादी साहित्य प्रकाशन को विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। शिक्षा-विभाग एक बुनियादी त्रैमासिक पत्रिका निकालने के लिए भी प्रयत्नशील है।

बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रयोगों में विश्वभारती, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, गाँधीग्राम तथा जामिया मिलिया का योगदान

बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान समाज को बदलकर एक शोषण विहीन सर्वोदधी समाज का निर्माण करना है। अतः इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को लाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान समाज-व्यवस्था के आधारों में आमूत्र परिवर्तन किये जायें, क्योंकि आज के समाज के आधारों पर हम नये नये जाग्रत शोषण विहीन समाज के महल को खड़ा नहीं कर सकते। वर्तमान समाज के आधार तो मानव की प्रमुख आवश्यकताओं तथा प्रवृत्तियों के ही अनुकूल नहीं हैं। आज के समाज की प्रतिस्पर्धा, वर्गभेद, जटिलता आदि में उसे कृत्रिम रूप दे दिया है। इसे सहयोग, सरलता, स्वाभाविकता, वर्गहीनता आदि पर आधारित करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान समाज के दोषों को दूर किया जाये तथा नये समाज की पुनर्रचना प्रारम्भ की जाये। इन दोनों प्रकार के कार्यों के लिए शिक्षा में आमूत्र परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षा में आमूत्र परिवर्तन का मतलब यह होगा कि बालक के सोचने, ज्ञान पाने, पाठ्यक्रम, बर्गीकरण, परीक्षा, पुस्तकें, प्रतिस्पर्धा आदि अनेक बातों में आमूत्र परिवर्तन होगा तथा इन सभी का आधार प्रकृत जीवन तथा जीवन की दोम परिस्थितियाँ होंगी न कि गण, जैसा कि अभी शालाओं में होता है।

वर्तमान समाज का स्वरूप बदलने की दिशा में भारत के अनेक विशालता तथा मंथनाओं में आज अनेक वर्षों पूर्व ही कार्य प्रारम्भ कर दिया था। प्रारम्भ में तो इन विशालता तथा मंथनाओं ने अपनी सीमाओं में आचार-व्यवहार की पद्धति भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल ही रखी। पर आगे बढ़कर इन्होंने शिक्षा-मन्त्रालयी प्रयोग स्वतन्त्रता में करना प्रारम्भ किया। स्थानीय राष्ट्रीय शक्ति

बदनी गई और राष्ट्रीयता के भावों का विकास होता गया इन राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं का रूप भी बदलता गया। इन संस्थाओं में से अनेक संस्थाएँ बुनियादी शिक्षा के स्वरूप निर्धारित होने के पूर्व से ही चल रही थीं, जैसे विश्वभारती, जामिया मिलिया आदि, पर हिन्दुस्तानी तालीमी संघ तथा गाँधीग्राम आदि तो बुनियादी शिक्षा के प्रयोगस्थलों के रूप में ही स्थापित की गई थीं। जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ १९३७ के पूर्व अर्थात् बुनियादी शिक्षा के भारत में प्रयोग प्रारम्भ होने के पूर्व से चल रही थीं, उन्होंने बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों तथा विधियों का प्रयोग भी यथासमय प्रारम्भ किया। इस अध्याय में हम इन राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में से विश्वभारती, जामिया मिलिया, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ तथा गाँधीग्राम के बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रयोगों के सम्बन्ध में ही विचार में चर्चा करेंगे।

विश्वभारती

आज जो विश्वभारती एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का केन्द्र बनकर संसार की, विशेषतया एशिया की सभ्यताओं का केन्द्र बन रहा है, उसका प्रारम्भ महर्षि टैगोर के द्वारा शान्तिनिकेतन नाम के छोटे-से विद्यालय के रूप में १९०१ में हुआ था। यह विद्यालय वर्तमान शिक्षा की बुगइयों को दूर करते हुए प्राचीन भारतीय प्रणाली से वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल शिक्षा देने के उद्देश्य से गठित गया था। धर्म-श्रीरे यह विद्यालय उन्नति करता गया। सन् १९१९ में महर्षि टैगोर ने इस विद्यालय के माथ एक ऐसी संस्था की स्थापना करना चाहा जो पूर्वीय देशों की सभ्यता का केन्द्र हो। इसी उद्देश्य से सन् १९१९ में हमारे वैदिक साहित्य, मन्त्र साहित्य, बौद्ध साहित्य, अरबी, पाली, प्राकृत आदि के अध्ययन की व्यवस्था की गई। बाद में चीनी तथा तिब्बती भाषाओं और चित्रकला, गीत-बज्ज आदि के अध्ययन की व्यवस्था भी हमें की गई। सन् १९२०-२१ के यूरोप-भ्रमण के उपरान्त टैगोर महोदय को पूर्व और पश्चिम के मिलन स्थल के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसी उद्देश्य से सन् १९२१ में २६ डिग्रेस को विश्वभारती की स्थापना हुई। विश्वभारती के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

१. मानव के विविध दृष्टियों में मूल्य के विभिन्न रूपों का साक्षात्कार करने की विधियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानस-वित्त का अनुशीलन करना ।
२. पूर्व की विविध सम्बन्धताओं में मौलिक एकता के आधार पर सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित करना ।
३. पश्चिम के जीवन और विचार की इस एकता की दृष्टि में पश्चिम का निरीक्षण करना ।
४. पूर्व और पश्चिम की एकता का प्रसार करना ।
५. पूर्व और पश्चिम की एकता तथा विचारों के स्वतंत्र, स्वच्छन्द आदान-प्रदान के हेतु एक केन्द्र स्थापित करना ।

विश्वभारती का कार्य शान्तिनिवेदन और श्रीनिवेदन नामक दो संस्थाओं द्वारा सम्पन्न होता है। शान्तिनिवेदन के अन्तर्गत विद्याभवन, शिक्षा विभाग तथा कला-भवन हैं। श्रीनिवेदन में कृषि और ग्राम-सुधार-सम्बन्धी प्रयोग और शिक्षा-शास्त्रों हैं। इनके अतिरिक्त कलकत्ते में छापाखाना, वैसायिक पत्रिका और पुस्तक-प्रकाशन विभाग भी इसके अन्तर्गत हैं।

विद्याभवन में विद्वानों द्वारा पुरातन्त्र और ग्लोब-सम्बन्धी काम-वाज होते हैं। इसमें विभिन्न देशों के विद्वान शोध-कार्य करते हैं। शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत शाला की प्रथम भेगी में लैंगर महाविद्यालयीन शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ वर्षों आदि के दिनों को छोड़कर प्रायः वर्ष-भर पेड़ों के नीचे ही कक्षाएँ लगती हैं। साधारणतः एक कक्षा में १५ विद्यार्थी रहते हैं तथा महाशिक्षा है। मृत्वी शिक्षा में दम्बकायों की शिक्षा अनिवार्य है। प्रकृति-नियंत्रण तथा ग्राम-जीवन के परिचय पर प्रारम्भ से ही बल दिया जाता है। पास के ही गाँव में रात्रि पाठशाला भी लगती है, जहाँ बालक-बालिकाएँ पाठ्य-प्राप्य में जाकर शिक्षा देने का काम करती हैं। कक्षा में शिक्षा या ज्ञान-प्राप्ति पर अधिक बल न देकर वर्षों आभय के जीवन को अधिक महत्त्व दिया जाता है। बालिकाओं का छात्रावास अलग है। १२ वर्ष से छोटे बालक भी अलग गये जाते हैं। अन्धराध आदि करने पर विद्यार्थियों की सहायता ही दण्ड आदि का निर्णय करती हैं। भोजन तथा अन्य व्यवस्था भी बाल-समितियों द्वारा ही होती है। ये समितियाँ विद्यार्थियों

२०८ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

के मार्गदर्शन में कार्य करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा-विभाग का नामकरण ही बुनियादी नहीं है बल्कि सभी काम बुनियादी शिक्षा के मिद्धान्तों के अनुकूल ही चलता है। ऊँच नीच का कोई भेद-भाव नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अनभव पर बल दिया जाता है। भारतीयता के अनुकूल ही यहाँ का वातावरण रहता है।

कला-मदन में पुस्तकालय तथा संग्रहालय हैं, जिनमें भारत तथा अन्य देशों की वस्तुएँ भी रहती हैं। यहाँ उच्च कोटि की चित्रकला-सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। यह शरीर तथा नृत्य-शिक्षण का भी उच्चकोटि का केन्द्र है। इसके अतिरिक्त शान्तिनिकेतन में सहायरी दुकान, विजलीघर, अस्पताल, आतिथ्यशाला आदि भी हैं।

विश्वभारती के दूसरे अंग श्रीनिकेतन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

१. ग्रामवापियों में रुचि लेने हुए उनकी समस्याओं का उचित हल करना।
२. ऐसी प्रयोगशालाएँ तथा शालाएँ खोलना जहाँ गाँवों की समस्याओं का अध्ययन करे तथा कृषि-सम्बन्धी प्रयोग करें।
३. शाला के अध्ययन तथा प्रयोगशाला के प्रयोगों में जहाँ ज्ञान प्राप्त हो

उसमें ग्रामवापियों की सहाय, कृषि, स्वास्थ्य आदि का सुधार करना। श्रीनिकेतन का कार्य ग्राम-सुधार, कृषि, उद्योग, शिक्षा आदि विभागों में विभाजित है। श्रीनिकेतन में सहायरी संग्रहालयें स्थापित करने, रोग-निवारण, प्रौढ-शिक्षा, वायुचर मच्छर स्थापित करना, सामाजिक उत्थान के कार्य करना आदि अनेक प्रकार के ग्राम-सेवा तथा सुधार के कार्य किये जाते हैं। इसके विभिन्न उद्योगों तथा कृषि आदि की शिक्षा की व्यवस्था भी है।

विश्वभारती के शान्तिनिकेतन एवं श्रीनिकेतन की विभिन्न परीक्षाओं तथा पाठ्यक्रम आदि की व्यवस्था विश्वभारती विश्वविद्यालय करता है। इसके पहिले चलाना विश्वविद्यालय में यहाँ की परीक्षाएँ होती थीं। विश्वभारती के कार्यों, शिक्षा की व्यवस्था आदि के उत्तम विवरण में हमें यह स्पष्ट मान होगा कि यहाँ की शिक्षा भारतीय वातावरण के अनुकूल तथा प्रत्यक्ष अनुभव तथा जीवन के माध्यम में दी जाती है। यहाँ की शिक्षा-सम्बन्धी सभी कार्यों में सुधार के हेतु किये जाते हैं। इनका भी

ध्येय समाज में देशोन्नति के लिए आवश्यक परिवर्तन लाना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वभारती तथा बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों में साम्य है तथा दोनों एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो धार्मिक रूप में भारतीय हों तथा जो समानता, भाईचारे की भावना, सहयोग तथा न्दतंत्रता पर आधारित हों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही पथ के पथिक हैं तथा विश्वभारती का शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग बुनियादी शिक्षा में ही सम्बन्धित एक प्रयोग है।

जामिया मिलिया दिहली

जामिया मिलिया की स्थापना सन् १९२० में २९ अक्टूबर को अलीगढ़ में हुई थी। प्रारम्भ में इसे केन्द्रीय गिरजापत कमेटो में सहायता मिलती थी। इसके कार्यकर्ता स्वयं पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए अलग में एक षण्ड स्थापित करना चाहते थे। लगातार प्रयत्नों के बाद भी इसे धन की कमी बनी रही तथा फलस्वरूप यह सस्था दृष्टानुसार विकसित न हो सकी। १ जुलाई सन् १९२५ को जामिया मिलिया संस्था अलीगढ़ में दिल्ली लाई गई। तब से यह दिल्ली में ही स्थित है।

जामिया में पहिले एक महाविद्यालय तथा एक शाला थी। इनके अतिरिक्त दिल्ली में एक शाला शाला, पेशावर और ग्ज़न में एक-एक हाईस्कूल जामिया में सम्बद्ध थे। अब इनका विस्तार एक विश्वविद्यालय के रूप में हो गया है। जामिया की विशेषता यहाँ की धार्मिक शिक्षा थी जो उसके लिए अनिवार्य है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान। हिन्दुओं को संस्कृत, धर्मशास्त्र, भगवद्गीता, रामायण आदि पढ़ाये जाते हैं।

बुनियादी शिक्षा की दृष्टि में जामिया मिलिया एक बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। हिन्दुस्तानी तालीमी मंत्र के बाद जामिया का नाम ही बुनियादी शिक्षा के प्रयोग की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। आजकल यहाँ बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के दो प्रकार के पाठ्यक्रम चले रहे हैं : (१) स्नातकों के लिए उच्च पाठ्यक्रम तथा (२) मैट्रिक-उत्तीर्ण के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम हैं :

जामिया अनेक वर्षों में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक-स्तर के प्रयोग

कर गदा है। यहाँ आसाम, बम्बई, राजस्थान, पंजाब, मध्यभारत, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों से स्नातक शिक्षक चुनियादी के प्रशिक्षण को स्नातकों के लिए भेजे जाते रहे हैं। जामिया के स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण को दक्ष पाठ्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने १९५० में मान्यता दी थी। तब से इस सस्था में भरती के लिए अधिक भीड़ होने लगी।

जामिया गवा के स्नातक कॉर्ग ने गीनियर वैसिक शालाओं के शिक्षकों, निरीक्षकों, चुनियादी प्रशिक्षण सस्थाओं के शिक्षकों तथा निरीक्षकों को प्रशिक्षण मिलता है। प्रारम्भ में तो चुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त तथा विधियों से परिचित करवा जाता है तथा बाद में विशेषीकृत कॉर्ग में प्रशिक्षण उनके इच्छानुकूल दिया जाता है।

यह पाठ्यक्रम मैट्रिक पास ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो शैक्षणिक कार्य करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इगजी कापी वृद्धि हुई है। इस पाठ्यक्रम में सिद्धान्त, व्यवहार तथा मूलेयोग—तीनों प्रकार की शिक्षा पर समान बल दिया जाता है। इनमें कार्य द्वारा शिक्षा के लिए निम्न तथा उद्योग तथा शिक्षा-मनोविज्ञान को अधिक महत्त्व दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में इस बात पर हमेशा ध्यान दिया जाता है कि शिक्षा किस प्रकार नवीन सामाजिक रचना लाने में सहायक हो सकती है। इसमें प्रशिक्षार्थी सुनागरिक बनते हैं।

यहाँ सभी के लिए दो मूलेयोग अनिवार्य हैं—(१) कतारं तथा (२) कृषि। इनके साथ-साथ अनेक गौण उद्योगों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी यहाँ हैं—जैसे कतारई-मुनाई, वाईरोट तथा गने का काम, चाग्यानी तथा कृषि, लकड़ी का काम, चागज का काम, मिट्टी का काम आदि। प्रतिदिन आधा समय उद्योग तथा आधा समय गैदान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षण में व्यय किया जाता है।

सूनावन के लिए गैदान्तिक, व्यावहारिक तथा उद्योग परीक्षा पर बराबर-बराबर अंक रने गए हैं। इस प्रकार यहाँ तीनों को एक-सा महत्त्व दिया गया

है। व्यावहारिक तथा सितव्यवस्था का यहाँ पूर्ण ध्यान रखा जाता है। यहाँ की निर्मित अनेक वस्तुओं की स्वयं संस्था में ही हो जाती है।

इन दो प्रकार के पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के अतिरिक्त जामिया सस्था अल्पकालीन बुनियादी शिक्षा प्रशिक्षण तथा संगोष्ठियों का आयोजन भी करती है। इनमें विभिन्न राज्यों में शिक्षक तथा शिक्षाविद्यार्थी आते हैं।

इसके साथ-साथ यहाँ बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य निर्माण, शोध-कार्य, प्रयोग आदि भी चले रहते हैं। इस प्रकार जामिया बुनियादी शिक्षा का एक बहुत ही मन्व्यपूर्ण केंद्र है।

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ गाँधीजी द्वारा सन् १९३७ में प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करनेवाली एक शैक्षणिक संस्था है। इसकी स्थापना सन् १९३८ में अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रस्ताव के पास होने पर मेवाग्राम में बुनियादी शिक्षा के प्रयोग तथा उसमें सम्बन्धित शोध कार्य करने के लिए की गई थी। सन् १९३८ के उपरान्त यह तालीमी संघ श्री आर्य-नारकम् की अध्यक्षता में मेवाग्राम तथा आससाम अपनी निजी शालाएँ तथा प्रशिक्षण सस्थाएँ चला रहा है। यह देश में कहीं भी चल रहे बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोगों में सहायता देता तथा उचित मार्गदर्शन करता है। सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी प्रकार के शिक्षा में सम्बन्धित विभागों में यह सद्योग करता तथा विभिन्न राज्यों में भेजे गए शिक्षकों और अधिकारियों को बुनियादी में प्रशिक्षण देता है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही तालीमी संघ दो प्रकार के उत्तर-दायित्वों को वहन करता रहा है।

१. अपनी संधारण स्थानों करके स्वयं प्रयोग करना, उनमें संगोष्ठन तथा विभिन्न विधियों का निर्माण करके उन्हें इन संस्थाओं में मूर्त रूप प्रदान करना। यह सब संघ मेवाग्राम तथा आससाम के बालकों तथा ग्रामीण सामाजिक जीवन के गहराई के अनुभव के आधार पर करता रहा है।

०. अपने कार्यभार के अनुभवा के द्वारा देश की सरकारी तथा गैर-सरकारी बुनियादी संस्थाओं का उचित मार्गदर्शन करना ।

तात्कीम संघ के ये दोनों कार्य परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं । आज संघ के समाज के पाग सेवाग्राम में १९० एकड़ भूमि है । इस भूमि पर उत्पादन करके ही यहाँ की संस्थाएँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं । मई १९५३ में यहाँ एक डेरी भी प्रारम्भ की गई थी । इससे संघ की संस्थाओं की दूध, मटो, दही की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा अतिरिक्त दूध दही से घी तैयार किया जाता है । सेवाग्राम में इन सभी उद्योगों को चलााने तथा आवश्यकता पडने पर औजारों आदि की मरम्मत के लिए कार्यागाराएँ भी हैं ।

सन् १९५३ में सेवाग्राम तथा देश के अन्य क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए विहार में बालकों ने बुनियादी का अष्टवर्षीय शिक्षण पूर्ण कर लिया था तथा इनमें से कुछ उत्तर-बुनियादी तात्कीम प्राप्त करना चाहते थे । इस दृष्टि से १६ से १९ वर्ष के युवकों के लिए उत्तर-बुनियादी शिक्षा देने के हेतु यहाँ एक उत्तर-बुनियादी भवन की स्थापना की गई । सन् १९५१ तथा १९५२ में एक एक दल चारवर्षीय उत्तर-बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण करके यहाँ से निकला । उत्तर बुनियादी तात्कीम का श्रेय बुनियादी शिक्षा के समान केवल शिक्षकों की तनखाह तथा कुछ ऊपरी स्तरों निम्नतन्ना-मात्र नहीं है । यहाँ उत्तर-बुनियादी संस्था तो एक 'स्कूली गाँव' है जहाँ शिक्षक तथा विद्यार्थी अपना एक समाज बनाकर रहते हैं । यहाँ ६५ प्रतिशत जीवन का स्वावलम्बन प्राप्त हो सका है । यहाँ कृषि मूलोद्योग के रूप में विचारें जाती हैं तथा बालक को प्रौढ जीवन के उत्तरदायित्वों का ज्ञान तथा प्रशिक्षण दिया जाता है ।

सन् १९४९ में प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर तात्कीम संघ ने परीदाबाद तथा राजपुरा में विस्थापितों के शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना का कार्य अपने हाथ में लिया । अब यहाँ आदर्श ग्राम गठित हुए हैं । यह संघ के लिए नई तात्कीम के एक नये प्रयोग का अथगर था, क्योंकि इन स्थानों में दुर्गा, कष्ट छोटे हुए विस्थापितों के समाज में नई तात्कीम के विद्यार्थियों के प्रयोग किये गए ।

सन् १९५० में निर्वाहस्थायी शिक्षा का बुनियादी तात्कीम के क्षेत्र में

स्थान तथा स्वरा पर बहुत अधिक चर्चा होने लगी। सन् १९४८ में राधा-कृष्णन् कमिशन ने अपने प्रतिवेदन में ग्रामीण विश्वविद्यालयों पर अधिक बल दिया था। इसमें डॉ० मॉरगन ने बड़ा योग दिया था। अतः सन् १९५१ में सातवें अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा में विश्वविद्यालयीन शिक्षा का विषय बड़ा महत्त्वपूर्ण रहा। इस सम्मेलन के उपरान्त तालीमी मंच ने मेवाग्राम में विश्वविद्यालयों में विद्यालय की योजना बनाने के हेतु 'उच्च शिक्षा उपसमिति' का निर्माण किया। इस प्रकार उच्च शिक्षा को बुनियादी तालीमी तथा महात्मा गाँधी के उच्च शिक्षा-सम्बन्धी विचारों से सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया गया। इस ध्येय में इस समिति ने निर्मात्रित सात शिक्षा तथा शोध के केन्द्र चुने, जिन्हें तालीमी मंच ने मान्यता दी :

१. कृषि।
२. पशुपालन तथा डेरी।
३. ग्रामीण इंजीनियरिंग।
४. ग्रामीण उद्योग (खादी सहित)।
५. ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य।
६. भोजन टेकनालॉजी तथा पौष्टिक।
७. ग्रामीण शिक्षा।

इस प्रकार १९५२ में उत्तम बुनियादी शिक्षा का सूत्रपात १८ युवकों की भरती में हुआ।

प्रारम्भ से ही तालीमी मंच बुनियादी संस्थाओं के लिए शिक्षकों के तथा शिक्षा-विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण में मध्यस्थित रहा है। मंच का नई तालीमी मंचन शिक्षारीय कार्य की समस्याओं के हल का केन्द्र रहा है। १९४२ के बाद से यहाँ निरन्तर रूप से वी० टी० या उसके समकक्ष डिप्टी का शिक्षक-प्रशिक्षण स्नातक शिक्षकों को दिया जाता रहा है। यहाँ बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित होने के लिए विभिन्न राज्यों तथा निजी संस्थाओं से शिक्षक तथा अधिकारी-मण भेजे जाते रहे हैं। इसके साथ-साथ बुनियादी संस्थाओं के लिए आटवी पाठ शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

२१४ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ
 वालीमी राय का यह सौभाग्य रहा है कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के अवसर
 प्रारम्भ से ही मिलते रहे हैं तथा वहाँ के कार्यकर्ता भी विदेशों में गये हैं।

गाँधीग्राम

अक्टूबर सन् १९४७ में चित्रलपट्टी ग्राम के कुछ सजनों द्वारा दान दी गई
 जमीन पर गाँधीग्राम की स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन श्री बाल गंगाधर सेर
 वस्वई के तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा हुआ था। प्रारम्भ में यहाँ महिला
 बुनियादी प्रशिक्षण शाला और कस्तूरबा ग्राम सेविका विद्यालय ही थे। अब
 यह संस्था रचनात्मक संस्थाओं की एक समन्वित संस्था बन गई है। सन् १९५४
 में इसके पास ३११-२५ एकड़ जमीन थी। अब तो इसके कई लाख लागत के
 मकान हैं। इस पर ५० हजार मकान और बन गए हैं।

गाँधीग्राम की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ करवे चरते तथा कताई केन्द्र भी
 है। गाँधीग्राम में सन् १९५४ तक ३००० गुण्टी सूत प्रति मास काता जाता
 था तथा ३५,००० रुपये की ग्वादी का उत्पादन होता था। अब तो इसमें
 पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है।

गाँधीग्राम के सयन क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए बुनियादी
 प्रशिक्षण महाविद्यालय, जनता कालेज के समान विद्यालय, अभ्यासशाला
 आदि चलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ दाई प्रशिक्षक, सेविकाश्रम, ग्राम-
 निर्देशक प्रशिक्षण, समाज संयोजक प्रशिक्षण, एक रचनात्मक कार्यकर्ता वास
 आदि भी चलते हैं।

गाँधीग्राम में वृषि पार्म के अतिरिक्त एक गोगाला, बदरंगिरी, राध बागल,
 तेलपानी, मधुमक्खी-पालन, मगन चून्दा, कुम्हार काम, चमड़े का काम, गिल्दर,
 सिन्नि वा काम, छापागाना आदि इकाइयों द्वारा प्रशिक्षण कार्य भी चलता है।
 चिन्नलपट्टी गाँव में कस्तूरबा प्रमूनिष्ट चलता है इसमें स्त्री डाक्टर तथा
 दाइयों कार्य करती हैं।

गाँधीग्राम में अस्पृश्य मजदूर तथा गाँधीग्राम गास्टिक गति भी कार्य
 करती है। यहाँ सर्व-धर्म प्रार्थना चलती है क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग रहते
 हैं। मद्रास सरकार ने प्रारम्भिक गास्ट-विभाग योजना को आपूर्ण गास्ट में

कार्यान्वित करने का भार गाँधीग्राम को दिया था, जिसे हमने दो वर्ष तक किया।

गाँधीग्राम विन्नार और गढ़गढ़ से कार्य करते हुए गाँधीजी के सेवा-कार्य की वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यहाँ पर अनेक प्रान्तों से विनास-सेवा अधिकारी, समाज शिक्षा संगठक तथा निरीक्षक, बुनियादी शिक्षा शिक्षक तथा संगठक प्रशिक्षण के लिए आते हैं। इस प्रकार यह रचनात्मक प्रवृत्तियों का कार्य करते हुए बुनियादी शिक्षा के प्रसार में बहुत सहयोग दे रहा है। गाँधीग्राम के मन्त्रालय श्री रामचन्द्रन् तो बुनियादी शिक्षा के माने हुए विद्वान हैं तथा दक्षिण भारत में बुनियादी शिक्षा के प्रसार तथा विकास में इनका प्रमुख हाथ रहा है। ये फेन्डीर सरकार द्वारा १९५५ में बुनियादी शिक्षा की जाँच तथा सुझाव देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष भी थे।

ग्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा

अर्थ

ग्रौढ़ या समाज-शिक्षा क्या है इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न समाजों में इसका अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न अर्थ लगाया जाता है। ग्रौढ़ या समाज-शिक्षा का विधिवत् आन्दोलन तो बहुत आधुनिक है पर इसका प्रचार बहुत प्राचीन काल से चल आ रहा है। अमर्य तथा जगती जातियों में भी ग्रौढ़ या समाज शिक्षा रीति-रिवाजों, परम्पराओं आदि का ज्ञान देने के रूप में चला करती है। इस प्रकार अपनी सस्कृति का संरक्षण तथा उसका अपनी आनेवाली पीढ़ी को दृष्टान्तरण किया जाता है। ग्रौढ़-शिक्षा तथा समाज-शिक्षा का सामाजिक-सांस्कृतिक आधार कितना रहा है यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता पर प्राचीन काल से आज तक इसके अर्थ और स्वरूप में बड़ा परिवर्तन तथा विकास हुआ है, इसकी विधियाँ, उद्देश्यों आदि में भी बहुत परिवर्तन हो रहे हैं।

ग्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा की परिभाषा भी समय के अनुसार बदलती गई है। प्राचीन काल में ग्रौढ़-शिक्षा का अर्थ समाज तथा सस्कृति-सम्बन्धी बातों का ज्ञान कराने तक ही सीमित रहता था। इसमें ग्रौढ़ की कृषियों, प्रवृत्तियों एवं व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास की कोई चेष्टाएँ नहीं की जाती थी। समाज तथा सस्कृति का संरक्षण ही प्रमुख था। वर्तमान काल में इसका बहुत विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जिनमें ग्रौढ़ शिक्षा उन सभी गति विधियों को ही मानता है जो मानव के द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों में जीवन में सम्बन्धित कार्यों के लिए की जाती हैं तथा जिनके लिए अल्पकाल का समय तथा शक्ति ही की जाती है। अन्य विद्वान इसमें कोई बड़ा कार्य न समझने हुए बिना अनिवार्यता से व्यक्तित्व के विकास के लिए मोक्षोद्देश्य प्रयत्नों को ही ग्रौढ़-शिक्षा मानते

हैं। इस प्रकार आजकल प्रौढ़-शिक्षा बहुत विस्तृत अर्थ रखती है। मध्यकाल में इसका अर्थ केवल साक्षरता से था। पर अब तो साक्षरता इसका केवल साधन-मात्र रह गई है।

प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा की आवश्यकता

आज सामाजिक जीवन बड़ा जटिल होता जा रहा है। इससे हमारे आवश्यकताएँ भी बढ़ गई हैं तथा जीवन को जटिलता भी। इस जटिलता तथा विविधता के जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि नियोजन किया जाये। नियोजन—आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक—सभी प्रकार का आवश्यक है। नियोजन—राज्य, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय—सभी स्तरों पर किया जाना आवश्यक है।

विज्ञान के विकास से जीवन में परिवर्तन भी अधिक तथा तीव्रता में हो रहे हैं। इस परिवर्तनशील जगत में अपने बदलते वातावरण तथा परिस्थितियों से उचित संमोजन (adjustment) करने की क्षमता का विकास करना भी आवश्यक है।

हमारे समाज में बड़ी संख्या में बेकार व्यक्ति पाये जाते हैं। इनकी उचित शिक्षा के लिए भी प्रौढ़ तथा समाज शिक्षा आवश्यक है। जो व्यक्ति कारखानों एवं व्यवसायों में काम कर रहे हैं उनकी व्यावहारिक कुशलता तथा कीमती यशस्वी, उनको अपने क्षेत्र के नये ज्ञान तथा प्रवृत्तियों से परिचित कराने के लिए भी प्रौढ़ तथा समाज शिक्षा आवश्यक है।

मशीनों तथा विजली के उपयोग से लोगों के काम जल्दी तथा प्रचंडी तरह सम्पन्न होने लगे हैं। अतः उनके पास अवकाश का समय भी बहुत अधिक बचने लगा है। इस अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए तथा विभिन्न र्चिवों का विकास करके लोगों के जीवन को मजबूत और सुगम बनाने के लिए भी प्रौढ़ तथा समाज शिक्षा आवश्यक है।

प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा हमारे समाज में रहनेवाले अनेक प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है। आज विज्ञान ने हमारे स्वास्थ्य में सुधार किये तथा बीमारियों में बचने के अनेक साधन प्रस्तुत किये।

औसत आयु बहुत बढ़ गई है। फलस्वरूप समाज में दिन-पर-दिन बूढ़े लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इनके अनुभवों से लाभ उठाने, इन बूढ़ों की नवीन परिस्थितियों से समंजन करने की क्षमता बढ़ाने तथा इनके जीवन को सुखी बनाये रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता है।

हमारे देश में तो जेल के कैदियों की शिक्षा की इतनी अच्छी तथा अधिक व्यवस्था नहीं है पर अन्य सम्पन्न तथा विकसित देशों में इस ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह भी प्रौढ तथा समाज-शिक्षा का ही एक रूप है।

हमारे देश में सन् १९४७ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश के विभाजन के फलस्वरूप विस्थापितों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये बेचारे दुःखी तथा कष्ट झंठे हुए हैं। ये अपना घरबार छोड़कर आये हैं, इनकी आँसों के सामने इनके घर-बार जलाये गए, रिश्तेदारों को मारा गया तथा महिलाओं की इज्जत लूटी गई है। अतः स्वाभाविक है कि इनकी भावनाएँ उद्वेलित, परिवर्तित तथा खिन्न हों। देश के लाखों ऐसे विस्थापितों को प्रौढ तथा समाज-शिक्षा द्वारा सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा न किया गया तो हमारे देश में शान्ति और सुख न हो सकेगा। समाज के व्यक्तियों का व्यावसायिक निर्देशन करना, नौकरी दिलाना तथा परामर्श देना प्रौढ-शिक्षा से ही सम्बन्धित है।

लोकतंत्र की गम्भीरता ज्ञानवान तथा विवेकी नागरिकों पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से भी देश में प्रौढ-शिक्षा तथा समाज-शिक्षा की आवश्यकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज प्रौढ तथा समाज-शिक्षा पहिले की अपेक्षा अधिक आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण है।

प्रौढ तथा समाज-शिक्षा के उद्देश्य

प्रौढ तथा समाज-शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—(१) व्यक्ति का वैयक्तिक विद्याम तथा (२) विरहित सामाजिक नियंत्रण।

व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में उन्नत तथा प्रभावशाली बनाना आवश्यक है। इसके लिए उसके ज्ञान, बौद्धिक, मानवी-विचारने की शक्ति, विवेक, भावनाओं, रुचियों आदि का समुचित विद्याम स्थापित करना आवश्यक है। इसके व्यक्ति-मित्रों के ज्ञानवर्धन तथा अपने दैनिक जीवन की चपटी से ऊपर उठकर ज्ञान,

कौशल, अच्छाई तथा सौन्दर्य के राज्य में पहुँचेगा।' पर व्यक्ति के वैयक्तिक विकास का तात्पर्य यह नहीं है कि उसका समाज के अनुकूल विकास न हो। उसका ऐसा वैयक्तिक-विकास करना वाछनीय है जो उसे समाज का उपयोगी तथा प्रभावशाली सदस्य बना दे।

अभी तक प्रौढ़ तथा समाज शिक्षा के कार्य कमी की पूर्ति के रूप में ही होते थे जैसे शाला की शिक्षा को कमी की पूर्ति, अर्पण या विकल्पाग होने को कमी की पूर्ति, नागरिक गुणों का विकास, जिसमें समाज से उपयुक्त समंजन हो सके, स्वास्थ्य, मनोरंजन, आत्म-प्रकाशन आदि की वृद्धि, रुचियों तथा ज्ञान की वृद्धि, व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदि। इस सूची को और भी बढ़ाया जा सकता है। पर आजकल शिक्षा को जीवनपर्यन्त चलनेवाली प्रक्रिया माना जाता है। इस दृष्टि से प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा केवल कमी पूर्ति करनेवाली ही नहीं मानी जा सकती। अब तो हमका उद्देश्य व्यक्ति का यथाशक्ति अपनी रुचियों के अनुसार ऐसा वैयक्तिक विकास करना है जो समाज के विकास तथा उन्नति में सहायक हो।

विश्व में प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा

वैसे तो प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा अति प्राचीन काल से चली आ रही है, पर विभिन्न देशों में परिस्थिति तथा आवश्यकतानुसार द्यने विभिन्न तथा विशिष्ट रूप धारण किये हैं। यूरोप में १९वीं सदी में डेनमार्क में प्रौढ़-शिक्षा का क्रियात्मक रूप किगानों के अपने समाज का पुनर्गठन करने के लिए अपनाया गया था। इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में प्रौढ़-शिक्षा कारीगर, नागरिक तथा ट्रेड यूनियन के सदस्य बनने तथा इन स्थितियों में अपने कौशल और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए दी जाती रही है। जर्मनी तथा डेनमार्क में 'फोर्क स्कूल' या जनता महाविद्यालय युवकों के लिए खोले गए थे। इनका प्रधानतः सांस्कृतिक उद्देश्य ही था। हॉलैंड में पीपुल्स मूवमेंट, स्वीडन में पीपुल्स हॉरस्कूल तथा स्टडी गर्सिल, फ्रान्स में पापुलर बल्स तथा Ligne-de l'Enseignement, डेनोस्लोवाकिया में ग्रन्थालयों का जाल, जापान में ट्योरियल कक्षाएँ तथा करेग्राउंड स्कूल, विश्वविद्यालय विन्तार केन्द्र, मेक्सिको

में कारीगरों की कक्षाएँ प्रौढ़ तथा समाज शिक्षा के विद्योत रूप रहे हैं। अमेरिका में चेट्ट इन्स्टीट्यूशन्स कम्प्यूनिस्टो पब्लिक हायरसेरो, विश्वविद्यालय विस्तार सेवा, व्यावसायिक स्कूल, टाऊन मीटिंग, यंगमेन तथा वीमेन निश्चिन्तन असोसियेशन आदि विभिन्न प्रकार से प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा का कार्य किया जाता रहा है। द्वितीय महायुद्ध तथा उसके बाद तो अनेक संगठन इसके लिए बने हैं।

भारत की समस्या

हमारे देश की प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा की समस्या अन्य पादशास्य देशों से भिन्न है। अन्य देशों में जहाँ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने की समस्या है ही नहीं वहाँ भारत में अशिक्षा के कारण साक्षरता की समस्या भी है। अन्य देशों में तो १४, १५ या १६ वर्ष तक की आयु तक अनिवार्य रूप से व्यक्तियों को शिक्षा मिल जाती है। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं हो सकी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक भी देश के सभी बालक-बालिकाओं की ६ से ११ वर्ष की आयु तक शिक्षा सम्भव न हो सकेगी।

इसके साथ-साथ हमारे देश में अपार प्रौढ़ों की संख्या भी अधिक है। हमारे यहाँ देश में विभिन्न भाषाएँ उपयोग में लाई जाती हैं। हमारा देश गोंयों का देश है। गोंयों में तथा वहाँ तक पहुँचने के लिए आवागमन के साधन भी अच्छे तथा समुचित नहीं हैं। हमारे देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य के अच्छे न होने के कारण जन्म तथा मरण का प्रतिशत अधिक है। औसत आयु भी अन्य देशों की अपेक्षा कम है। गर्भवती भी हमारे देश में अधिक है।

इन सब कारणों से हमारे देश में प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा की समस्या बहुत कठिन तथा बृहत् है। हमारे देश की इस समस्या के हल के लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता है :

१. बहुत अधिक धन।
 २. बुद्धत तथा प्रशिक्षित शिक्षक।
 ३. प्रमाणी तथा समान अक्षर प्रदान करने वाली शिक्षा नीति।
- इन कारणों के सुटने पर ही देश के प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़-शिक्षा के रूप में

हम केवल साक्षरता, सामूली सामान्य ज्ञान तथा सुख दे सकेंगे। पर इसे भी हम वर्तमान में सम्पूर्ण समझी जाने वाली प्रौढ़-शिक्षा न कह सकेंगे।

प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा विधियाँ

प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा विधियों विभिन्न स्थानों में विभिन्न ही रहती हैं। ये परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं पर निर्भर रहती हैं। अमेरिका में प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत ही विभिन्न है। वहाँ पाठ्यक्रम के विषय दिन-पर-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहाँ नई रात्रि या ग्राम की शालाओं में विषय के चुनाव के लिए बहुत अधिक व्यवस्था है। वर्तमान गतिविधियाँ, सामाजिक, राजनैतिक समस्याएँ, दर्शन, सामाजिक अध्ययन, समाज विज्ञान आदि अनेक नये-नये विषयों के शिक्षण की व्यवस्था वहाँ काफी सरुष्य में की जाने लगी है। वक्ता बनने की शिक्षा, शार्ट हँट, टार्किंग, पर-सजावट, फोटोग्राफी, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, नाच, गाना आदि अनेक प्रकार की शिक्षा देनेवाली कक्षाओं में वहाँ काफी भीड़ होती है।

शिक्षण-विधियों के सम्बन्ध में भी पुरानी शिक्षण-विधियों को त्यागकर स्वयं क्रिया, वाद-विवाद, विचार-विमर्श, प्रतिवेदन, पटन, अभ्येकन, प्रदर्शन, श्रव्य, दृश्य-सामग्री का उपयोग, योजना आदि विधियों पर ही अधिक बल दिया जाता है। इन प्रौढ़ कक्षाओं के शिक्षक प्रायः समाज के इन क्षेत्रों के कुशल कलाकार, शता तथा कारीगर होते हैं। शिक्षक तथा प्रौढ़ का सम्बन्ध गुरु-शिष्य का न होकर एक मित्र सयोग होता है। शिक्षा में व्यक्ति के सामाजिक-करण तथा उनकी प्रवृत्तियों तथा रुचियों के उचित विचार पर अधिक बल दिया जाता है।

अन्य यूरोपीय देशों में भी प्रायः इन्हीं विधियों का उपयोग किया जाता है पर वहाँ के पाठ्यक्रम में इतनी विविधता नहीं पाई जाती। हमारे देश के प्रौढ़-शिक्षा तथा समाज शिक्षा पाठ्यक्रम में साक्षर बनाने-सम्बन्धी बातों का समावेश आवश्यक है। साक्षर बनाने के साथ-साथ पढ़ने की ओर रुचि विकसित करने के लिए गुरुचिपूर्ण सरुष छोटी पुस्तकें पढ़ने की ओर प्रौढ़ों को प्रेरित किया जाय

है। इसके साथ ही उन्हें देश की योजनाओं, गति-विधियों, कृषि, समाज-उत्थान, नागरिक गुणों आदि से सम्बन्धित बातों का ज्ञान भी कराया जाता है। प्राथमिक तथा मिट्टी-शास्त्राओं के शिक्षक-शिक्षिकाएँ ही प्रायः शिक्षक का काम करती हैं। विधियों में कक्षा शिक्षण-पद्धति के साथ विचार-विमर्श, वाद-विवाद विधियों का उपयोग भी किया जाता है। रेडियो, सिनेमा, समाचारपत्रों आदि का उपयोग भी किया जाता है। पर इनका उपयोग अभी सीमित-सा ही है।

भारत में प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा

हमारे देश में प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। समाज में प्रचलित अनेक प्रकार के संस्कार सस्कृति के संरक्षण के लिए ही प्रचलित किये गए थे। हमारे समाज में संन्यासी प्राचीन काल तथा साधु बनना जीवन की चतुर्थ अवस्था में आवश्यक-सा ही माना जाता रहा है। ये संन्यासी-साधु कभी एक स्थान पर जमकर न रहते थे। ये भजन-कीर्तन करते तथा घूम-घूमकर जनता को उपदेश देने थे। अपने आदर्श जीवन तथा उपदेशों से ये जन-जीवन को उन्नत बनाते थे। इस प्रकार ये घूमती-फिरती पाठशालाएँ ही थीं। आज भी इनका भारतीय जीवन पर काफी प्रभाव है।

मध्यकाल में भारतीय जीवन में युद्ध, बाहर से अनेक जातियों के आने से संगर्भ अधिक रहे हैं। पन्द्रहवें प्राचीन काल में चाहे आये संन्यासियों तथा साधुओं के रूप में जन-सामान्य के जीवन को उन्नत बनाने मध्य काल वाला मोत धीण हो गया। पर वह गन्ना नहीं, किमी न-दिगी रूप में बना अवश्य रहा। यदि ऐसा न होता तो अंग्रेजों के भारत आने पर उनके प्राग्भिक युग में जो शैक्षणिक संरक्षण हुआ था उसमें देशी शिक्षा की स्थिति २०वीं शताब्दी की स्थिति से अच्छी न मिलती। हालाँकि इस संरक्षण में युद्धियाँ अवश्य अधिक रही होंगी, पर इसे किन्तुल निराधार नहीं माना जा सकता है।

अंग्रेजों के आने के बाद देशी शिक्षा के नष्ट होने से भारतीय शिक्षा की चर्चा थल हुई। जनता निरक्षर होती गई तथा बालकों के लिए नई प्राथमिक

शिक्षा की भी उपयुक्त व्यवस्था न हो सकी। इस दृष्टि से यदि हम भारतीय प्रौढ़-

शिक्षा के इतिहास को देखें तो यह अनेककृत आधुनिक ही वर्तमान काल प्रतीत होती है। अंग्रेजी शासन-काल में १८५४ के बुड डिस्क्रिच में जनता के अज्ञानरूपी श्राप को दूर करने का उल्लेख आया है। पर सम्पूर्ण अंग्रेजी शासन-काल में उस समय में आज तक के १०० वर्षों में इस दिशा में कोई विशेष कार्य सम्पन्न नहीं हो सका। डॉ. मिरान, मार्क्सवादी संस्थाओं आदि के द्वारा स्थान-स्थान में छोटे-छोटे प्रयास इस दिशा में अवश्य किये जाते रहे हैं। पर फिर भी यह निश्चय से कहा जा सकता है कि २०वीं सदी के पूर्व भारत में प्रौढ़ों को उचित शिक्षा की व्यवस्था पर बहुत अधिक महत्त्व नहीं दिया गया।

१८९८ में ब्राह्मणसंघ तथा बंदीम रियासतों में शहरों तथा गाँवों में प्रत्यात्म गोल्ले गण पर इनमें पढ़े-लिखे लोगों को ही अधिक लाभ हुआ। मद्रास में पहिले-पहल इंग्लैंड पाठशाला ने भारतीय इंसानों प्रौढ़ों के लाभ के लिए प्रौढ़ शालाएँ खोलीं। भावनगर में निरक्षरता उन्मूलन के हेतु गुजराती, मराठी तथा उर्दू में पुस्तकें तीसरा की गई थी जो आज भी प्रचलित हैं। मैसूर के दीवान भीमविरयेन्ध्रैया ने १९१२ में मैसूर राज्य में रात्रि पाठशालाएँ तथा चलने फिरने प्रत्यात्म की योजना बनाई। पर उसी मृत्यु के बाद यह योजना समाप्त हो गई। विन्ध-कवि देगोर ने शान्तिनिवेदन के आत्मसात के शौचों में नवयुवकों को महायता से प्रौढ़-शिक्षा के प्रसार में बड़ा योग दिया।

प्रथम महायुद्ध से भी प्रौढ़-शिक्षा को बड़ा बल मिला। अनेक रीति-विधियों में लड़ने लगे थे। लड़ने पर उत्पत्ति करने तथा आगे बढ़ने की इच्छा उनमें जागृत हुई। फलस्वरूप पञ्जाब में १९२१ में प्रौढ़-शिक्षा की रात्रि कक्षाएँ प्रारम्भ की गईं। इसी बीच १९१९ के एक्ट के अनुसार भारत की राज्य-व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तथा शिक्षा का काम भारतीय मंत्री देखने लगे। फलस्वरूप अनिवार्य शिक्षा तथा प्रौढ़-शिक्षा के प्रबन्ध आरम्भ हुए।

पर वास्तव में विधिवत कार्य इस दिशा में अभी भी प्रारम्भ नहीं हुआ था। १९२७ में इंग्लैंड की राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा मन्दिन ने भी टी० एन० विविधन को भारतीय प्रौढ़ों की शिक्षा को महानता के लिए भेजा। फलस्वरूप भारत में अनेक-

स्थानों में प्रौढ-शिक्षा-समितियाँ बनायीं तथा अखिल भारतीय स्तर की प्रौढ-शिक्षा-समिति भी गठित हुई। इसकी प्रथम बैठक दिल्ली में सन् १९३८ के मार्च महीने में हुई थी। सन् १९३७ में सबसे पहिले साक्षरता-आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। सभी प्रान्तों में साक्षरता-दिवस तथा शिक्षा सप्ताह मनाये गए। इसी समय श्री लोवरू ने अनेक भाषाओं में प्रौढ-शिक्षा के चार्ट बनवाये तथा साक्षरता-प्रसार के प्रयत्न किये।

प्रौढ-शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आन्दोलन तो १९३९ में विश्व में चला। इस वर्ष लगभग ३ लाख प्रौढ़ों को पढ़ने-लिखने का ज्ञान दिया गया। गया जेल का कार्य तो ओर भी सराहनीय रहा, जहाँ सभी कैदियों को, जिनकी ऑपरेशन तथा मानसिक दोष न थे, लिखना-पढ़ना सिखाया गया। डा० लोवरू ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है।

गया जेल के बाद तो देश के अनेक प्रान्तों में प्रौढ-शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया गया। इसका प्रमुख कारण १९३५ के संविधान के अनुसार देश के अनेक प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की स्थापना थी। देश के अनेक प्रान्तों में प्रौढ-शिक्षा का कार्य चल रहा था अतः केन्द्रीय सरकार ने इन सभी प्रयत्नों को समर्थित करने के लिए दिसम्बर १९३८ में डा० मैकडू महमूद की अध्यक्षता में एक प्रौढ-शिक्षा समिति की स्थापना की। इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

१. प्रौढ़ों को साक्षर बनाना।

२. शिक्षित प्रौढ़ों को और अधिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा सुविधाएँ देना।

३. रूचि दिखाने वाले प्रौढ़ों को उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रेरित करना।

द्वितीय महायुद्ध के कारण प्रौढ-शिक्षा की आरम्भ नहीं दिया जा सका, पर रूचि अवश्य अपने रीति-रिवाजों की सुधारणा करने की दृष्टि में लिखने, पढ़ने तथा गणित के ज्ञान को उपयोगी समझती रही। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध काल में रूचि प्रौढ-शिक्षा की सबसे प्रमुख तथा क्रियाशील गणना रही है। राज्य-धी-माध्य सामाजिक शिक्षा और मैगू प्रौढ-शिक्षा-परिषद् अपना प्रौढ-शिक्षा-सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य कार्य करती रहीं।

द्वितीय महायुद्ध के बाद देश की सबसे बृहत् शिक्षा-योजना में, जिसे साजेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, प्रौढ़-शिक्षा को महत्व दिया गया। इस योजना में १० से ४० वर्ष की आयु के प्रौढ़ों की शिक्षा-व्यवस्था का प्रावधान है तथा इसके लिए अन्य साधनों के साथ-साथ दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग की विचारियों की गई हैं। पर परिस्थिति-बश इस योजना पर कोई विशेष कार्य न हो सका।

सन् १९४७ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सन् १९४८ में अग्निल भारतीय सरकार की एक प्रौढ़-शिक्षा-समिति की स्थापना श्री मोहनलाल सक्सेना की अध्यक्षता में की गई। इस समिति ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दाव दिये तथा प्रौढ़-शिक्षा के स्थान पर समाज-शिक्षा का नाम अधिक उपयुक्त समझा। इस समिति ने समाज-शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किये तथा कार्य-प्रणाली और आर्थिक पक्षों पर भी मत व्यक्त किये एवं मुद्दाव दिये। इस समिति की योजना की अधिकांश बातों को सन् १९४९ की जनवरी में प्रांतीय शिक्षा-अधियों की बैठक में स्वीकृत किया गया। फलस्वरूप अप्रैल सन् १९४९ में यह योजना कार्यान्वित की गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से समाज-शिक्षा का कार्य और भी तेजी से चला। सामुदायिक विकास राण्डों में भी समाज शिक्षा कार्य को महत्व दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा पर ५ करोड़ रुपया व्यय करने का प्रावधान है। देश की इस बृहत् समस्या को देखते हुए यह बहुत कम प्रतीत होता है।

मध्यप्रदेश में प्रौढ़ और समाज शिक्षा

मध्यप्रदेश मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्यप्रदेश तथा पुणने मध्यप्रदेश के महाकोण्ड क्षेत्र को मिलाकर बना है। महाकोण्ड क्षेत्र में प्रौढ़-शिक्षा का कार्य अनेक वर्षों से चल रहा है। सन् १९४७-४८ की समाज शिक्षा योजना के पूर्व पुणने मध्यप्रदेश में ५० प्रौढ़-शिक्षा कक्षाएँ चलती थीं, जिन पर प्रतिवर्ष मध्य-प्रदेश शासन दो हजार रुपया व्यय करता था। प्रति प्रौढ़ कक्षा पर ४०) वार्षिक व्यय होते थे, जिनमें ३५) शिक्षक को तथा ५) दीगर ऊपरी स्तर के लिए होते थे। इस काल में प्रौढ़-शिक्षा का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। इसके

मिवाय भिन्न-बिन्न कालों में कुछ-कुछ कार्य किया करते थे। जयलपुर में प्रिंसिपल राट्टेड्स ने अपने कालेज (रायट'सन) के विद्यार्थियों को आस्था के प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। इसी प्रकार से जयलपुर टियोनार्ड थ्योलाजिकल कालेज तथा हाउसिंग महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ने भी अच्छा कार्य किया था।

सन् १९३५ के एक्ट के बाद तो इस क्षेत्र में प्रौढ़-शिक्षा का अच्छा कार्य हुआ। सन् १९३८ में रागोलियो, होशंगाबाद में श्री आर० एम० चेतसिंह ने मध्यप्रदेश तथा बरार को प्रौढ़-शिक्षा यूनियन की बैठक बुलाई थी। इसके बाद प्रौढ़ कक्षाएँ खोली गईं तथा कार्य आगे बढ़ा। पर द्वितीय महायुद्ध के कारण प्रगति फिर रुक गई।

सन् १९४७ में मध्यप्रदेश सरकार ने समाज-शिक्षा योजना बनाई तथा उसे सन् १९४८ से कार्यान्वित किया गया। इस योजना के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र में समाज-शिक्षा कक्षाएँ तथा सत्र चले। इस योजना के बाद ही विधिवत कार्य हुआ। इस योजना का पाठ्यक्रम निश्चित था, वर्ष में दो माह तथा ६-६ माह के सत्र हुआ करते थे। प्रारम्भ में एक प्रौढ़ को उत्तीर्ण कराने पर २) तथा एक प्रौढ़ को उत्तीर्ण कराने पर ५) शिक्षकों को दिया जाता था। बाद में यह बन्द कर दिया और मासिक भत्ता दिया जाने लगा। प्रौढ़-शिक्षा के लिए समुचित साहित्य भी तैयार किया गया तथा विनेमा, रेडियो, पोस्टर, मैजिक लास्टेन आदि दृश्य और श्रव्य साधनों का उपयोग भी प्रचुरता से हुआ। पहिले समाज-शिक्षा का कार्य, शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत ही था। पर अब इसे समाज-कल्याण-विभाग का अंग बना दिया गया है।

सन् १९५७ में भोपाल क्षेत्र में कुल मिलाकर ६५ (५० पुरुष तथा १५ महिला) प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा के केन्द्र थे। इन केन्द्रों के कार्य को देखने के लिए शिक्षक करते थे, जो दिन को बालकों को पढ़ाते तथा रात्रि को प्रौढ़ों को। इसके अतिरिक्त एक जनता महाविद्यालय गाँधी में तथा ५ आदर्श समाज केन्द्र, एक केन्द्रीय प्रत्यालय, दो जिला प्रत्यालय भी थे। इनका कार्य एक समाज शिक्षा महापठक जिला शाखा-निरीक्षक देखता था।

मध्यप्रदेश क्षेत्र में समाज शिक्षा का कार्य विकास योजना के अन्तर्गत

प्रारम्भ किया गया था। इस क्षेत्र में सन् १९५७ में दो प्रकार के समाज-शिक्षा केन्द्र थे :

१. अल्पकालीन समाज-शिक्षा-केन्द्र।

२. पूर्णकालिक समाज शिक्षा-केन्द्र।

अल्पकालीन केन्द्रों में शिक्षक या न्यायोप शिक्षित व्यक्ति प्रौढ़ कक्षाएँ चलाता था। उसे १०) प्रति मास अलाउन्स तथा ५) प्रति केन्द्र दीवार व्यव के लिए दिये जाते थे।

पूर्णकालिक केन्द्रों में पूर्ण वैतनिक व्यक्ति कार्य की देख-रेख करते थे। इनमें प्रौढ़-शिक्षा मात्र ४ माह का चलता था। इस अवधि के बाद परीक्षा होती तथा प्रमाणपत्र दिये जाते थे।

इस क्षेत्र में प्रौढ़-शिक्षा के इस पाठ्यक्रम की पदार्द के बाद की शिक्षा के लिए भी पाठ्यक्रम बनाया गया था, जिसमें नागरिकता, स्वास्थ्य, सफाई आदि से सम्बन्धित जानकारी के विषय रहते थे।

नवगांधी प्रौढ़ों को पुनः निरक्षर न होने देने के उद्देश्य में इस क्षेत्र में के ग्रामीण क्षेत्रों में ४१८ ग्रन्थालय तथा २७७ पठन कमरों की व्यवस्था सरकार द्वारा सन् १९५७ तक की गई थी। उद्योग में एक केन्द्रीय ग्रन्थालय की स्थापना भी की गई है। इसके अन्तर्गत ५० चलते-दिलते ग्रन्थालय उद्योग के आसपास ७ मील के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन ग्रन्थालयों को देख-रेख करनेवाले कार्य-कर्ताओं को १०) प्रति माह अलाउन्स दिया जाता है।

सन् १९५६ में पुस्तकों, चार्ट, समाचारपत्र आदि पर २,११,८५० रुपये खर्च किये गए थे। प्रचारार्थ के लिए तीन मोटरों भी मध्यभारत के तीन सम्भागों के लिए हैं। इनमें हम्मर-थ्रु राइडरों हैं। उद्योग मानुषाधिक विभाग गण्ट में ५ मानुषाधिक केन्द्र भी हैं। इनमें मानुषाधिक संगठक तथा क्षेत्र अधिकारी कार्य करते हैं। प्रत्येक जिले में एक-एक शाखा से सम्बन्ध मानुषाधिक केन्द्र भी हैं।

राज्य के विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में समाज-शिक्षा का कार्य १९५२ से प्रारम्भ हुआ। इस क्षेत्र के ८ जिलों के लिए एक समाज-शिक्षा अधिकारी तथा प्रत्येक दो जिलों के लिए चार जिला समाज-शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये गए थे।

क्षेत्र के तहसील केन्द्र में समाज-शिक्षा का कार्य करने के लिए समाज शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ किये गए। प्रत्येक केन्द्र में एक पूर्णकालिक शिक्षक या कार्यकर्ता रखा गया। ये समाज-शिक्षा केन्द्र पढाई की कक्षाएँ, मास्कृतिक कार्यक्रम, श्रमदान, सफाई के कार्यक्रम तथा अनेक विकास कार्यक्रम करते थे। इस प्रकार ये केन्द्र सुधार के केन्द्र बन गए। इस क्षेत्र में सन् १९५५-५६ में समाज-शिक्षा पर २३,००० रुपए व्यय किये गए थे।

इस क्षेत्र के प्रत्येक कानूनगो क्षेत्र के लिए एक-एक रात्रि प्रौढ शाला की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार इस क्षेत्र में २५० ऐसी शालाएँ चलती हैं, इनमें ६ माह का खर्च चलता है। जब एक गाँव के प्रौढ शिक्षित हो चुकते हैं तो यह शाला पाठ के अन्त गाँव को चली जाती है। ये शालाएँ प्रायः प्रादमरी या बुनियादी शाला के शिक्षकों द्वारा चलाई जाती हैं। इन शालाओं में हाजिरी के आधार पर प्रति प्रौढ १) रुपा या अधिक-से-अधिक ३०) माहवार के हिसाब से अलाउंस दिया जाता है। इस क्षेत्र के सामुदायिक विकास गण्डों में भी ऐसी ही रात्रि शालाएँ चलती हैं। यहाँ शिक्षकों की प्रतिमाह १०) से १५) तक अग्रउंस दिया जाता है।

समाज-शिक्षा तथा यूनेस्को

अशिक्षित या कम शिक्षित जनता में न केवल स्थानीय समाज या देश की हानि होती है बल्कि हमारे विश्व-शान्ति के भंग होने का भय भी रहता है। प्रचार के साधनों की वृद्धि से तो यह डर और भी अधिक बढ़ गया है। इसी दृष्टि से संसार में शिक्षा-प्रसार के हेतु अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कार्य कर रही हैं जिनमें यूनेस्को प्रमुख है। यह संसार के कम-शिक्षा-प्रसार वाले क्षेत्रों में शिक्षा-प्रसार के प्रयत्न करती है। इसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों को जनता के लिए निम्नतम शिक्षा की व्यवस्था के प्रयत्न किये जाते हैं।

यूनेस्को संस्था ने संसार के विभिन्न देशों में साक्षरता-सम्बन्धी आँकड़ों की गणना भी की है। इससे यह पता चलता है कि संसार के दो-तिहाई भागव समाचारपत्र पढ़ने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। संसार में साक्षर लोगों का

संख्या में वृद्धि अध्ययन हुई है पर जनसंख्या की द्रुतगति में वृद्धि होने के कारण निरक्षरों की संख्या घटने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

डा० लूथर इवान्स का, जो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं, कथन है कि हमारी निरक्षरता के विरुद्ध प्रगति बहुत धीमी है। यदि हम निरक्षरों की संख्या कम करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित तीन उपाय करना चाहिए :

१. जनसंख्या की वृद्धि को रोकना।
२. प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना।
३. सक्रिय कार्यों से निरक्षर प्रौढ़ों की संख्या कम करना।

यूनेस्को संस्था निरक्षरता का अध्ययन करके शीघ्र साक्षर बनाने की विधियों का अध्ययन कर रही है। भारत, कम्बोडिया, मिय, कोरिया, पेरू, थाइलैंड, तुर्की, वियतनाम आदि देशों में यूनेस्को की सहायता से साक्षरता तथा मूल शिक्षा-प्रसार का कार्य चल रहा है।

नवसाक्षरों के लिए साहित्य तैयार करने के हेतु यूनेस्को ने अखिल भारतीय प्रौढ़-शिक्षा-संघ को परामर्श आर्थिक सहायता दी है। भारतीय प्रौढ़-शिक्षा-संघ ने इस सन्दर्भ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें साहित्य-मन्त्र, विद्यया आदि के मन्त्रालय में निर्णय लिए गए थे। इसमें नवसाक्षरों के शिक्षकों को सहायताार्थ निर्देश पुस्तिका तैयार करने के सन्दर्भ में भी निर्णय किए गए थे।

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा

संसार के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की शिक्षा-सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। हमारे देश में केवल १७२ प्रतिशत बालकों को ही शिक्षा प्राप्त हो सकी है जब कि इंग्लैंड, अमेरिका, रूस आदि देशों में ८० से ९५ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। हमारे देश ने लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र होने का निश्चय किया है। अतः जैसा कि योजना आयोग ने कहा है यह आवश्यक है कि देश में जनतांत्रिक प्रणाली को सफलभूत बनाने तथा उसे सुदृढ़ और समृद्ध करने के लिए देशवासियों को अधिक-से-अधिक शिक्षा-सुविधाएँ प्रदान की जायें। इससे जनता की सांस्कृतिक तथा सृजनात्मक प्रवृत्तियों का परिष्कार और पोषण होगा, उसमें नागरिक गुण विकसित होंगे, तथा उचित विवेक एवं बौद्धिक सहयोग प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है, जिसमें शिक्षा-व्यवस्था भी है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

योजना आयोग ने तत्कालीन शिक्षा-साम्यन्धी आवश्यकताओं तथा देश के साधनों का विचार करके शासन को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रेषित किये हैं :

- (१) बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा का प्रसार। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा को नया और परिमार्जित रूप देना।
- (२) माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा को मुख्यविधन और टोंग करके इन स्तरों की शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार परिवर्तित करना।
- (३) देश में स्त्री-शिक्षा का प्रसार। ग्रामीण क्षेत्रों में दृग्यो अधिक-से-अधिक सुविधाएँ प्रदान करना।

- (४) शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में अच्छा समन्वय स्थापित करना ।
- (५) शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करना और बुनियादी तथा महिला शिक्षकों के लिए उन सुविधाओं का विचार करना ।
- (६) शिक्षकों के वेतन और कार्य-प्रणाली में सुधार करना ।
- (७) शिक्षा में पिछड़े राज्यों में शिक्षा-प्रसार को अधिक-से-अधिक सुविधाएँ देना ।

योजना आयोग का विचार था कि शिक्षा की योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा, विशेषकर बुनियादी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । बुनियादी शिक्षा के प्रसार से माध्यमिक स्तर पर विकास आप-से-आप होगा । उच्च शिक्षा के प्रसार की अपेक्षा उसे टॉम तथा मुख्यवर्गित करके स्तर सुधारने की आवश्यकता अधिक है । माय-हो-माय शिक्षा के विभिन्न स्तरों में पारस्परिक समन्वय स्थापित करने पर भी उन्होंने बल दिया । योजना आयोग ने विन्वविद्यालयीन स्तर पर अफसर रोकने, परीक्षाओं को अधिक महत्त्व न देने, देश की सांस्कृतिक उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने पर अधिक ध्यान देना उचितगी बतलाया ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-योजना के लक्ष्य

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में निम्नलिखित लक्ष्य-प्राप्ति की आशा की गई थी :

	५०-५१	५५-५६
१. प्राथमिक विद्यालय	१५१.१ लाख	१८७.९ लाख
२. जूनियर बुनियादी शालाओं में शिक्षार्थी	२९ लाख	५२.८ लाख
३. माध्यमिक शालाओं में बालक	२१.८ लाख	४३.९ लाख
४ प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षार्थी	२६.७ हजार	४३.६ हजार

इसके अतिरिक्त प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था, दोपयुक्त बालकों की शिक्षा, राज्य-भाषाओं तथा साहित्य का विकास, सैनिक शिक्षा-प्रशिक्षण आदि भी राज्य के कार्यक्रमों के अन्तर्गत थे।

अर्थ-व्यवस्था

योजना काल के लिए कुल १५१-६६ करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसमें ३९-०२ करोड़ रुपये केन्द्र तथा ११२-६४ करोड़ रुपये राज्य सरकारों के लिए थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों की विवेचना

यह वास्तव में एक अच्छी बात थी कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने व्यापक ढंग से योजना बनाकर कार्य करने का प्रयत्न किया गया। इस राष्ट्रव्यापी कार्य में स्वाभाविक था कि कई चुटियाँ रह जाती या उचित दिशा में विकास न हो पाता। पर कार्य आगे बढ़ा यही बहुत था। कार्य अच्छा होते हुए भी इस योजना-कार्य में निम्नलिखित दोष आ गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के पूर्व शिक्षा-विकास-सम्बन्धी जो योजनाएँ चल रही थी उन्हें को पूर्ण करने पर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बल दिया गया। कार्य की गति मन्द रही। योजना के अन्तर्गत शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर काफी विकास एवं विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, पर इतना अधिक कार्य किया नहीं जा सका। जैसे ४ से ११ वर्ष की आयु के ६० प्रतिशत बालकों को शिक्षा देने का लक्ष्य था जो पूरा नहीं किया जा सका। इसी प्रकार बहुउद्देश्यीय शालाओं तथा जनता विद्यालयों की स्थापना मात्र ही हुई। इनके कार्यों में कोई प्रगति न हो सकी। प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रारम्भ ही किया जा सका। स्त्री-शिक्षा के लिए कन्या विद्यालयों की संख्या भी अधिक नहीं बढ़ाई जा सकी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में देश की आवश्यकतानुसार शिक्षा के सभी स्तरों में आमूल परिवर्तन करना आवश्यक था, पर इस काल में कुछ स्तरों का प्रसार ही रुकर रहा, जिनसे शिक्षा के दोषों को दूर नहीं किया जा सका।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया। यह शिक्षा देश के मानी नगरियों के विद्यार्थियों के लिए

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार शिक्षकों की दशा-सुधार, उनके वेतनमान की वृद्धि आदि की ओर ध्यान नहीं दिया गया। बिना शिक्षकों की दशा सुधारे कोई भी शिक्षा-योजना ठीक-ठीक कैसे चल सकती है ?

अनेक योजनाओं को प्रारम्भ करने के पूर्व उन पर ठीक से विचार नहीं किया गया, जैसे जनता विद्यालय खोलना आदि, जिससे आगे चलकर उन्हें बन्द करना पड़ा तथा देश का धन व्यर्थ नष्ट हुआ।

देश की विशालता तथा शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता की अधिकता के होते हुए भी शिक्षा पर केवल १५५.५६ करोड़ रुपयों के व्यय की व्यवस्था की गई। यह अपर्याप्त थी। साथ-ही-साथ व्यय का वितरण ठीक न होने से अनेक कार्य बन्द या स्थगित करना पड़े। इसे तो कम-से-कम रोका ही जा सकता था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में शिक्षा के कुछ दोषों को दूर करके उसके प्रसार के प्रयत्न किये गए थे। परन्तु उनमें आंशिक सफलता ही प्राप्त हो सकी थी। सन् १९५४ में अखिल भारतीय शिक्षा-सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में शिक्षा के दोषों, प्रगति तथा प्रसार आदि और भविष्य के लिए शिक्षा के पुनर्निर्माण की योजना पर विचार किया गया। इन कार्यक्रमों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया। इसके अनुसार निम्न-लिखित कार्य करने का निश्चय किया गया था :

१. बुनियादी शिक्षा का विस्तार तथा विस्तार करना।
२. माध्यमिक शिक्षा में विविधता लाना तथा उसे बहुउद्देशीय बनाना।
३. उच्च शिक्षा को व्यवस्थित एवं टोम बनाना।
४. सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सैनिक शिक्षा को विस्तृत रूप देना।
५. औद्योगिक, प्राविधिक तथा वाचस्पतिक शिक्षा का विकास तथा उचित व्यवस्था करना।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-योजना के लक्ष्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाई

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा :: २३७

४. प्राथमिक एवं व्यावसायिक	२३ करोड़	४८ करोड़
५. सामाजिक शिक्षा	५ करोड़	५ करोड़
६. प्रशासन तथा अन्य	११ करोड़	५७ करोड़

इसके साथ-साथ द्वितीय योजना काल में शानुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विकास सेवाओं के लिए निर्धारित रकम से १२ करोड़ रुपये सामान्य शिक्षा तथा १० करोड़ रुपये सामाजिक शिक्षा पर व्यय किये जायेंगे। इतना ही नहीं, श्रुति, स्वास्थ्य, पिछड़े जाति-कर्मण, विन्धासिद्धों को पुनर्स्थापना आदि की योजनाओं में भी शिक्षा के लिए काफी धन की व्यवस्था की गई है।

द्वितीय योजना काल में शिक्षा-योजना-सम्बन्धी कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र की दो समस्याएँ हैं :

१. प्राथमिक शिक्षा का विकास।

प्राथमिक शिक्षा २. प्राथमिक शालाओं को सुनियामी में परिवर्तित करना।

इसके साथ-साथ स्त्री-शिक्षा के विकास के लिए प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की कमी, शाला-भवनों का निर्माण, अपत्यन और स्थिरता आदि कठिनाइयों को दूर करना भी आवश्यक था। इन कठिनाइयों का प्यान रखने हुए योजना आयोग ने सिफारिश की कि बालकों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षण पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए। साथ-ही-साथ शिक्षा को अनिवार्य करने की ओर प्यान दिया जाये।

भवनों तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आयोग ने शिक्षक-प्रशिक्षण, भवनों के निर्माण पंचायत-पर, मन्दिर आदि में शाला लगाने तथा अध्यापकों के रहने के क्वार्टर शाला के समीर लगाने, दो पाली में शाला लगाने, उन्मुक्त वातावरण में, सुविधानुसार पेटों के नीचे, शाला लगाने का मुशाव दिया। शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए धन-सहि की व्यवस्था के लिए शिक्षा-उपकर लगाने का मुशाव भी दिया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के ६३ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष के २३ प्रतिशत बालकों को शिक्षा देने के लक्ष्य की पूर्ति की आशा की गई है। इसके लिए ५३,००० नये जूनियर प्राथमिकी तथा ३,५००

(मिडिल) ग्रीनिवर स्कूल खोले जाने की व्यवस्था है। इनमें से ३८,४०० बुनियादी शालाएँ होंगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बुनियादी शिक्षा की सभी दिशाओं में अर्च्छा प्रगति हुई, जो निम्न आँकड़ों से पता चलता है। बुनियादी शिक्षा अतः द्वितीय योजना काल में ६०-६१ तक के लक्ष्य भी अधिक रखे गए हैं :

	५०-५१	५५-५६	६०-६१
बुनियादी शाला	२,७५१	१०,०००	३८,४००
बालकों की संख्या	१,८५,०००	११,००,०००	४२,२४,०००
प्रशिक्षण शालाएँ	११४	४४९	७२९
बुनियादी शालाओं में जाने वाले बालकों का प्रतिशत	१	५	११

पहली योजना काल में शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ अधिक हुई। शालाओं में उद्योग-शिक्षण की सुविधाएँ भी अधिक दी गईं। अतः द्वितीय योजना काल में बुनियादी में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या-वृद्धि करने तथा निर्गमकों आदि को बुनियादी में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं को खोलने, प्रत्यारमरण कोर्स चलाने, सेमीनार शोधियों आदि की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। अमी राज्यों में १ से ५ कक्षाओं तक ही बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था है, अतः बाद में आने की शिक्षाओं में बालकों को गैर-बुनियादी शिक्षा लेनी पड़ती है। इसलिए यह आवश्यक है कि ८वीं तक बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था अधिक-से-अधिक की जाये। बुनियादी शालाओं को जन-जीवन के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए बुनियादी शिक्षा को कृषि, ग्रामीण-उद्योग, सदनारिता और सामुदायिक विकास आदि कार्यों में सम्मिलित करने के अधिक प्रयत्न किये जाना चाहिए; ग्राम-ही-साथ निर्देशन आदि के लिए माध्यमिक शिक्षा-परिषद् के समान प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा-परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए।

बुनियादी शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा-स्तर पर उच्च शिक्षा से सम्मिलित करने-सम्बन्धी समस्या भी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। इसके लिए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय

बोर्ड ने एक समिति की स्थापना की है जो समय-समय पर उचित सलाह देगी। द्वितीय योजना काल में उत्तर-हुनिवादी शालाएँ ग्लोबल की भी व्यवस्था इसी उद्देश्य से की गई है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हुआ था, माध्यमिक शिक्षा को जीवन से सम्बन्धित करने, देश के आर्थिक सुधार तथा विज्ञान के लिए बहुमुखी बनाने पर बल दिया था। अतः माध्यमिक शिक्षा द्वितीय योजना काल में माध्यमिक शिक्षा को बहुमुखी बनाने के लिए कलात्मक, व्यावसायिक, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक विषयों की सुविधाएँ बढ़ाने, बालकों को विभिन्न उपयोगों में प्रशिक्षित करने का ध्यान रखा गया है। प्रथम योजना काल में प्रारम्भ किये गए पुनर्गठन कार्य भी जारी रहे गए हैं। बहुउद्देश्यीय शालाओं की संख्या ६०-६१ तक १,१८७ करने की व्यवस्था भी है। इसके साथ-साथ १,२०० माध्यमिक शालाओं को उच्चतर माध्यमिक बनाने की व्यवस्था की गई है।

बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था की वृद्धि करने के उद्देश्य से कन्या-शालाओं की संख्या में १५ प्रतिशत वृद्धि करने का निश्चय किया गया है। साथ-ही-साथ बालिकाओं की विशेष व्यवस्थाओं की शिक्षा के लिए उर्दू नर्स, अध्यापिका, स्वास्थ्य-निरीक्षिका, ग्राम-संविदा आदि बनने के लिए छात्रवृत्तियों में भी वृद्धि करने का प्रावधान है।

प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या द्वितीय योजना काल में ६८ प्रतिशत करने की है, जो प्रथम योजना में ६० प्रतिशत ही थी।

देशों में कृषि-शिक्षा के लिए २०० कृषि के तथा माध्यमिक शिक्षा के राह रिकी उपयोग में जाने के लिए ९० जूनियर टेक्नीकल शालाएँ ग्लोबल जाएंगी। प्राविधिक या टेक्नीकल विषयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए ५०० हाईस्कूल तथा १,००० डिप्लोमा पाये शिक्षकों को प्रशिक्षण को व्यवस्था की गई है। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए ६४ करोड़ रुपये रणे गए हैं।

अहिन्दी भाग-भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आर्थिक महत्त्व का प्रावधान भी किया गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए ५७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा हमें शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने तथा विश्वविद्यालयों में प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षण में ही व्यय किया जायेगा। देश के उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम क्षेत्र में उच्च प्राविधिक शिक्षा देने के लिए तीन संस्थाएँ खोली जायेंगी। डिग्री तथा डिप्लोमा देने वाली इंजीनियरिंग संस्थाओं की संख्या, जो प्रथम योजना काल में १२८ थी, १५८ की जायेगी। खान-इंजीनियरिंग तथा सम्बद्ध विषयों की शिक्षा के लिए धनबाद के इंडियन स्कूल आफ माइनिंग एण्ड एल्फ्राइड जियोलाजी की संस्था का विस्तार किया जायेगा।

द्वितीय योजना में समाज-शिक्षा-केन्द्र, साहित्य-प्रकारान, दृश्य-श्रव्य शिक्षा, समाज-शिक्षा कार्यक्रमों और संगठकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध-परिपक्व के विकास-कार्यक्रम के लिए २० करोड़ रुपयों की व्यवस्था है। अणुशक्ति विभाग के लिए भी समुचित धन की व्यवस्था है। देहली क्षेत्रों में ९० या १०० विज्ञान मन्दिर देहातियों को विज्ञान का ज्ञान देने के लिए खोले जायेंगे। हमसे वे स्वास्थ्य, कृषि और सफाई के कार्यक्रमों से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे।

इसके साथ प्रादेशिक भाषाओं का विकास, संस्कृत का पुनरुद्धार, साहित्य, कला, संगीत आदि का विकास तथा प्रसार भी किया जायेगा। इसके सम्बन्ध में यूनेस्को से भी सम्बन्ध स्थापित किया जायेगा।

द्वितीय योजना काल की शिक्षा-योजना की विवेचना

द्वितीय योजना काल में देश की आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा का विकास किया जा रहा है। देश में प्राविधिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता अधिक है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु प्राविधिक शिक्षा पर व्यय की जाने वाली रकम को दुगुनी कर दिया गया है। पर प्राथमिक शिक्षा की रकम प्रथम योजना काल से कम ही है। देश की आवश्यकता तो यह भी है कि सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा मिलनी पर इस योजना काल में इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार प्रथम योजना में प्रशासन तथा अन्य व्यवस्था-सम्बन्धी कार्यों के लिए ११ करोड़ रुपये का प्रावधान था, पर द्वितीय योजना में इसके लिए ५७ करोड़ रुपये का प्रावधान है। इतनी बड़ी रकम प्रशासन आदि पर खर्च करने से तो राजतंत्र की ही वृद्धि होगी।

शिक्षकों की दशा सुधारने तथा प्रबन्ध-समितियों के सम्बन्ध में भी द्वितीय योजना काल में कोई ठोस कदम उठाने की व्यवस्था नहीं की गई है। सामाजिक शिक्षा पर भी अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। केवल ५ करोड़ रुपये इसके लिए रखे हैं जो बहुत कम प्रतीत होते हैं।

द्वितीय योजना काल में प्रथम योजना काल को अनेक त्रुटियों के निराकरण की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है तथा अनेक शिक्षा कार्यक्रम अभी समुचित रीति से योजनाबद्ध नहीं हैं। यदि शिक्षा में आमूल परिवर्तन की ओर लक्ष्य रखा जाता न कि केवल विभिन्न शिक्षा-स्तरों पर अधिक व्यय करने का तो अधिक लाभ होता।

कमीनिग्रस का शिक्षा-दर्शन

सत्रहवीं शताब्दी में चारों ओर वैज्ञानिक उन्नति हो रही थी। अतः शिक्षा-कारिण्यों ने भी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए विज्ञान की सहायता लेना चाही, पर अभी तक जो भी वैज्ञानिक सोचें हो रही थी उनमें कोई व्यवस्थित क्रम नहीं था। अतः किसी व्यक्ति को कुछ अनुभव हो जाता था और उसी के आधार से कोई वैज्ञानिक तथ्य निरूपित कर दिया जाता था। फ्रांसिस बेकन ने सबसे पहले वैज्ञानिक सोच में व्यवस्था लाने के लिए परिणाम-पद्धति (Method of Induction) निकाली। अभी तक लोग पहले से चले आये किसी एक सिद्धान्त को आधार मानकर उसे सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त देते थे, पर बेकन ने इस पद्धति को बदलकर एक ही साथ परिणाम बतलाने वाले अनेक उदाहरण या प्रयोग करके उनके एक-से परिणामों के आधार पर सिद्धान्त की स्थापना की। बेकन की इस पद्धति का प्रयोग जर्मन विद्वान राटिय तथा मुराविया-निवासी कमीनिग्रस ने शिक्षा के क्षेत्र में किया। राटिय ने प्रकृति के अनुसार चलने, प्रयोग और परिणाम के द्वारा सीखने की बहुत महत्त्व दिया। उसने स्तर-कुछ भी कंटाग्र न करने पर भी बल दिया। राटिय ने भाषण शिक्षा की पद्धति का ही स्वरूप स्थिर किया, पर मुराविया-निवासी कमीनिग्रस ने शिक्षण में कमेंट्रियों के द्वारा शिक्षण प्राप्त करने की विधि को उपयुक्त माना। उसने भाषा के निवाय अन्य विषयों की शिक्षा के लिए भी इस पद्धति को उपयुक्त समझकर स्वानुभव तथा तथ्यवाद में अनेक सुधार किये। उसने अपनी निम्न तीन पुस्तकों में शिक्षा-सम्बन्धी विचारों और पद्धति का विस्तृत वर्णन किया है।

१. जानुवालिंगनारमैगेरता, २. दि ग्रेट ड्राइटेरिडर और ३. कैन्-योधिआ। इनमें से 'जानुवालिंगनारमैगेरता' नामक पुस्तक में उसने लैटिन भाषा के अध्ययन की विधि लिखी है। इसमें मरल, गुरोथ, यचिन वर्णन

द्वारा लैटिन के शब्दों का ज्ञान कराया गया है। उसने अपनी पुस्तक 'आरबिस-पिस्तक' में, जो कि 'जानुआ' का ही एक सचित्र संस्करण था, चित्रों की सहायता से अनेक बातों को समझाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार इस पुस्तक में देतने की इन्द्रिय, आँख, की सहायता शिक्षण के लिए ली गई है, क्योंकि इस पुस्तक में दिये गए प्रत्येक शब्द के लिए सम्बन्धित चित्र उसके बाजू में दिया गया है। उसने अपनी दूसरी पुस्तक 'दि ग्रेट डाइजेक्टिक' में शिक्षा के सम्बन्ध में अपने सामान्य सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें उसने बतलाया है कि शिक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए और कितने बयों तक शिक्षा दी जानी चाहिए। इस पुस्तक में उसने धनी-निर्धन, अच्छे-बुरे, बालक और बालिका सभी की शिक्षा का समर्थन किया है। इस पुस्तक में उसने बतलाया है कि सभी शिक्षण इन्द्रियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उसने शिक्षण के समय एक से अधिक इन्द्रियों के उपयोग को बड़ा लाभप्रद माना है। क्योंकि ऐसा करने से विभिन्न इन्द्रियों की सहायता सरलता से मिलती है तथा उसके बालक जल्दी समझता है। फर्मीनियस का कहना था कि बालक के ज्ञान के द्वार ज्ञानेन्द्रियाँ ही हैं, अतः शिक्षण में भी ज्ञानेन्द्रियों की सहायता अवश्य रहना चाहिए। इसके माध्यम-माध्य इन्द्रियों द्वारा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर जाने का सिद्धान्त भी उपयोग में लाया जाता है। इससे शिक्षण सुलभ तथा रोचक हो जाता है। इन्द्रिय-ज्ञान प्राप्त होने पर उसने कठस करने के बाद समझने तथा अन्त में निष्कर्ष निकालने की विधि को उपयुक्त माना।

फर्मीनियस का कहना था कि इन्द्रियों के माध्यम तथा उनकी सहायता से विज्ञान के क्षेत्र में संसार के अनेक तथ्यों की खोज की गई है। अतः हमारा शिक्षण में भी इन्द्रियों की सहायता से शिक्षण करके सही तथा सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार फर्मीनियस ने वेदों की एक-से परिणाम वाले अनेक उदाहरणों से सिद्धान्त की ग्यारना तथा स्वयं अनुभव से तथ्य जानने की विधियों को और परिष्कृत किया। फर्मीनियस के इन्द्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की विधि को परीक्षित करने में साटस के प्रयोग करके निष्कर्ष या सिद्धान्त प्रतिपादित करने की विधि से सहायता मिली। फर्मीनियस के विचारों को उसके बाद के अनेक शिक्षा साहित्यों ने आगे बढ़ाया तथा कुछ काल तक तो प्रत्यक्ष

वस्तुओं के द्वारा शिक्षा देने का बड़ा महत्व रहा। इसके परिणामस्वरूप शालाओं में जहाज, इमारतें, मशीनें तथा अनेक प्रकार के वस्तुओं के मॉडल एकत्रित किये जाने लगे। इतना ही नहीं, वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्यटन आदि के आयोजन भी प्रारम्भ हुए।

पर्यटन आदि के कारण शालाओं में चले आ रहे अनुशासन-सम्बन्धी विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ। अनेक शिक्षकों ने अनुशासन-सम्बन्धी धारणाओं में नम्रता का समावेश किया तथा शिक्षक को सहनशील, स्नेही तथा धैर्यवान होने का परामर्श दिया।

कमीनिषम तथा अन्य शिक्षा-शास्त्रियों के प्रत्यक्ष वस्तुओं या उनके मॉडल इत्यादि के द्वारा इन्द्रियजनित ज्ञान-प्राप्ति की विधि ने उस काल के समाज में एक क्रान्ति-भी उत्पन्न कर दी, क्योंकि इस विधि ने अभी तक चले आये अरल्लू के अनेक मिथ्यात्वों को अमत्य निरूपित किया। अतः विद्वानों ने सोचा कि जब इस विधि के द्वारा अभी तक मान्य सत्वों में सुधार किया जा सकता है तब इस विधि के द्वारा प्रतियादित यथार्थवाद का उपयोग समाज के दोषों को दूर करने के लिए भी हो सकता है। विशेषतः फ्रांस में इस विचारधारा ने बड़ी क्रान्ति पैदा की। विद्वानों ने यथार्थ को ही मूल्य माना और कहा कि हमारे मस्तिष्क में वर्तमान वस्तुओं का ही ज्ञान रहता है, अतः हमें प्रत्यक्ष सत्य की ओर ही जानना चाहिए। परिणामस्वरूप बालकों की शिक्षा के लिए गृह विचारों से प्रारम्भ होनेवाली विधि अनुस्यूक्त मानो जाने लगी।

फ्रांसीसैक नामक विद्वान ने भी इन्द्रिय-जनित ज्ञानविधि को अधिक महत्व दिया। उसने कष्टस्य करने की विधि को अनुस्यूक्त माना तथा कहा कि सच्चा ज्ञान केवल रटने से नहीं आता वह तो विचार करने से प्राप्त होता है।

रूसो का शिक्षा-दर्शन

अठारहवीं शताब्दी में जीवन को नये तथा स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखने तथा पुरानी परम्पराओं और संस्थाओं को मान्यता न देने का एक आन्दोलन-सा चला था। इस शताब्दी में अधिकार तथा व्यक्ति के दासत्व के विरुद्ध, जो मध्ययुग से चला आ रहा था, विद्रोह-सा हुआ। इतिहास हमें बताता है कि मध्ययुग की सामन्तशाही के विरुद्ध विद्रोह तथा विज्ञान की प्रगति ने पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, यथार्थवाद आदि को जन्म दिया। इनके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर बढ़ा तथा उसके अधिकार पुनः स्थापित हुए।

इस तरह हम देखते हैं कि अठारहवीं शताब्दी में राजनीति, सामान्य विचार तथा धर्म आदि सभी में क्रांति हुई। अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में विचारों और धर्मों के क्षेत्र में तथा अन्तिम पचास वर्षों में शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव बढ़ा; फलस्वरूप शिक्षा में भी यथार्थवाद का प्रभाव बढ़ा। इससे शिक्षा केवल कुछ धनी-मानी व्यक्तियों तक ही सीमित न रहकर सामान्य जनता के लिए भी उपलब्ध मानी जाने लगी तथा उसका आधार भी यथार्थ तथा प्रकृति हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थवाद तथा प्रकृति को अधिक महत्व देने वाले विद्वानों में रुसो (१७१२ से १७७८) प्रमुख हैं। यह २५ जनवरी १७१२ को इटली के जेनेवा नगर में उत्पन्न हुए थे। इनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था तथा इनके पिता पक्कड़ प्रकृति के थे। बचपन से ही रुसो संकष्टपूर्ण तथा अशुभ और गैर-जिम्मेदारी के वातावरण में रहे। इस वातावरण में रुसो भी प्रकृति के मौन्दर्य ने उन्हें बड़ा आकर्षण किया। सन् १७२० में रुसो के पिता ने रुसो को उनके मामा के पास चोगी गाँव में छोड़ दिया। यहाँ उनका प्रकृति-प्रेम और भो बढ़ गया। पर एक बार उन पर दुष्टा करने का गुत्रा आरोप लगाया गया तथा दण्ड भी दिया गया। इस दण्ड

का उसके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसका मन विद्रोह से भर गया और उसने परिणाम निकाला कि “मनुष्य की गति में नियमबद्धता, बाह्य-आडम्बर, उपदेश और दण्ड का प्रयोग करके जब उसे प्रकृति से दूर रखा जाता है तभी उसके स्वभाविक मन में विकार उत्पन्न होता है और उसकी सरलता एवं स्वभाविकता नष्ट हो जाती है।” रूसो ने इन्हीं विचारों को सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन का आधार भी माना और इसीलिए उसने अपनी ‘इमील’ नामक पुस्तक में लिखा है, “प्रत्येक वस्तु प्रकृति के हाथ में सुन्दर, स्वच्छ और पवित्र रहती है, परन्तु मनुष्य के हाथ में आते ही उसमें विकार आने लगता है।”

रूसो पर निरकुश तथा उदास जीवन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। उसके पुस्तक-जीवन के कारण उसे शिक्षा भी विधिवत् नहीं मिल पाई। उसके अनिर्दिष्ट जीवन तथा घुरी-घुरी संगति ने सभी प्रकार के कुकर्म सिखा दिये थे। उसका विवाह एक दुश्चरित्र स्त्री से हो गया था और दोनों में बड़ा झगड़ा होता था। इस तरह विविध प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ जब वह पेरिस में रहने लगा तब उसके हृदय पर उसके प्रारम्भिक जीवन की इतनी गहरी छाप लगी थी कि उसने कृत्रिमता, अमितव्ययता के विरुद्ध, जो उस समय के कुलीन लोगों में बहुत अधिक पाई जाती थी, अपनी आवाज बुलन्द की, तथा गरीबों के साथ सहानुभूति प्रकट की। सन् १७५० में उसने अपने लेख ‘विज्ञान और कलाओं की उत्पत्ति’ में लिखा था कि समाज की वर्तमान गरीबी हालत तथा उसकी उन्नति का प्रमुख कारण वर्तमान सभ्यता का विकास है। इसके बाद उसने जो लेख प्रकाशित कराये वे प्रायः समाज के प्रति विद्रोह की भावना में अनुप्राणित थे। उसने ‘सामाजिक समझौते’ (Social Contract) तथा ‘इमील’ नामक दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं। ‘इमील’ में उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचार तथा ‘सामाजिक समझौते’ में समाज और राज्य के सम्बन्ध में मत हैं। ‘सामाजिक समझौते’ में रूसो ने निम्न मत प्रकट किये हैं :

- (१) विज्ञान और कला ने मनुष्य के आचार तथा नीति को बड़ी हानि पहुँचाई है।
- (२) धन-संप्रद्व की प्रवृत्ति के कारण समाज में विषमता आ गई।

(३) राजा और प्रजा में आत्मीयता का सम्बन्ध होना चाहिए तथा यदि राजा जनता के सुख-दुःख का ध्यान नहीं रखता है तो जनता को उसे अपना राजा न मानने का पूर्ण अधिकार है।

इस प्रकार रुग्ने ने अपने विचारों के द्वारा राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में क्रांति मचा दी। इतना ही नहीं, उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी 'इमील' पुस्तक के द्वारा कृत्रिमता को दूरकर बच्चे के मन, दिमाग और शरीर को स्वतंत्रता से विकसित होने के अवसर पर बल दिया है। उसने "प्रकृति की ओर जाओ" का भी नारा लगाया तथा प्रकृति की शिक्षा को सर्वोच्च माना। उस काल में बालक और बालिकाएँ समाज के पुरुष और महिलाओं के समान कपड़े पहिने तथा उन्हीं के समान आचार-व्यवहार करते थे। शिक्षा में भी कठोर करने की विधि तथा लैटिन व्याकरण का अधिक महत्त्व था।

रुग्ने ने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचार, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'इमील' में, इमील बालक की शिक्षा का वर्णन करते हुए, संसार के सामने रक्ते। इस पुस्तक के पाँच भाग हैं, जिनमें से चार भाग में इमील के जन्म से ५ वर्ष, ६ से १२ वर्ष, १३ से १५ वर्ष तथा १६ से २० वर्ष, ऐसी चार अवस्थाओं की शिक्षा का विवरण है। पाँचवें भाग में इमील की स्त्री की शिक्षा के आधार पर बालिकाओं की शिक्षा का विवरण है। जन्म से ५ वर्ष तक की अवधि में शिक्षा स्वतंत्र प्राथमिक क्रियाओं के आधार पर दी गई है। ६ से १२ वर्ष तक की आयु में इमील की शिक्षा हाथ, पैर, आँख, कान आदि इन्द्रियों के द्वारा दी जाने की व्यवस्था है। तीसरी पुस्तक, जिनमें १३ से १५ वर्ष तक की आयु की शिक्षा का विवरण है प्रमुग्धता, यौनिक तथा विवेकी शिक्षा ही होगी। १६ से २० वर्ष तक की आयु की शिक्षा का स्वरूप नैतिक है। बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में रुग्ने के विचार उन्नत नहीं हैं, क्योंकि उमने स्त्रियों को पुरुषों पर निर्भर तथा उनकी आज्ञाकारी माना है।

रुग्ने द्वारा प्रकृति-पर्यवेक्षण विधि महत्त्वपूर्ण और मान्य

रुग्ने की 'इमील' पुस्तक में वर्णित शिक्षा-सम्बन्धी विचारों में फ्रांसीसी बाल्या है कि रुग्ने बालक की स्वतंत्र स्वाभाविक दृष्टि को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता था। रुग्ने के अनुसार जन्म के समय बालक निर्मल और रिक्तचित्त होता है,

अतः उसका निर्मल तथा स्वाभाविक विकास दूर रखने पर ही सम्भव है इसीलिए रूसो शिक्षक तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बालक की शिक्षा के पक्ष में न था। वह तो बालक की आवश्यकता और उसकी प्रकृति के अनुकूल शिक्षा चाहता था। उसका कहना था कि बालक के आचार-व्यवहार में उपदेश तथा शिक्षा से इतना मुधार नहीं हो सकता जितना कि बालक अपने स्वयं के अनुभव से कर सकता है, इसीलिए वह बालक की १२ वर्ष की अवस्था तक उसे प्रकृति के हाथ में स्वतंत्र तथा स्वाभाविक विचरण के लिए छोड़ देने के पक्ष में था, जिससे उसकी ज्ञानेन्द्रियों का विकास तथा सर्वाङ्गन हो।

चूँकि उसने बालक के चरित्र के विकास का आधार उसके स्वयं के अनुभव को माना है, इसलिए वह उसके स्वाभाविक विकास पर समाज की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहता है। रूसो ने प्रकृति, मनुष्य और पदार्थ इन तीनों को मानव का गुरु माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो ने पुरखों के लिए प्राकृतिक व्यक्तिवादी शिक्षा, तथा स्त्रियों के लिए आत्म-त्याग तथा आत्म-समर्पण की शिक्षा निर्धारित की है।

रूसो के इन शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को बर्नार्ड वास्टो उपयोग में लाया। वास्टो के मुताबिक से अनेक मानवीय विद्यालय खुले, जिनमें पाठन-विषयों को आधारित तथा पाठन-प्रणाली को खोल-कुद से रोचक बनाया गया। इन विद्यालयों में बालकों को प्रकृति और प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। इनमें योल्फ़-पठकर भाषा, बातचीत तथा नाटक आदि से लैटिन, मौखिक विधि से गणित, शुद्ध रेखाचित्र से रेखागणित तथा आसपास के वातावरण से महाद्वीप तारु के क्रम से भूगोल का ज्ञान कराया जाता था।

इस तरह हम देखते हैं कि रूसो की शिक्षण-विधि स्वयं ज्ञानार्जन के अनुरूप ही थी, पर यह सामाजिक रूप में स्वयं ज्ञानार्जन विधि नहीं कही जा सकती। यह नई रोज करने की विधि कही जा सकती है। हालाँकि इसमें नई रोज करनेवाले जो विधि अपनाते हैं वह नहीं अपनाते आती। रूसो की प्रकृति-पर्यवेक्षण विधि बहुत कुछ ह्यूई की प्रयोग-विधि से समानता रखती है, क्योंकि हमील को मनुष्य या ज्ञान का शिक्षण नहीं कराया जाता है, वह प्रकृति-पर्यवेक्षण विधि के द्वारा स्वयं ग्रांजता है।

पेस्टालाजी का शिक्षा-दर्शन

स्त्रों के, बालक को समझने की अनिष्ट महत्व देने के, आन्दोलन का फल यह हुआ कि शिक्षा-क्षेत्र में काम करनेवाले अनेक विद्वानों ने मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का उपयोग बालक के समझने तथा उसके सीखने की प्रक्रियाओं की जाँच-पड़ताल के लिए किया। शिक्षा के क्षेत्र में बालक को समझने के लिए इस मनोवैज्ञानिक आन्दोलन के कार्यकर्ताओं में पेस्टालाजी, हर्बर्ट तथा फ्रायेल प्रमुख हैं। मनोवैज्ञानिक आन्दोलन के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा देने तथा सीखने की प्रक्रियाओं को मनोविज्ञान की एकमेकी मशीन से यहीसे से देखा तथा जाँच-पड़तालकर शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रियाओं को मनोवैज्ञानिक आधार दिया। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग करनेवाले सर्वप्रथम विद्वान पेस्टालाजी थे। वे ज्यूरिच में मन् १७४६ में पैदा हुए थे। तथा अपने प्रारम्भिक जीवन में स्त्रों से प्रभावित रहे थे। पेस्टालाजी ने स्वयं अपने ही बच्चे को स्त्रों के दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण देकर परिणामों की जाँच-पड़ताल की। अपने बच्चे की शिक्षा के समय वह नए अनुभव निर्यता जाता था, परन्तुस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि स्त्रों के सिद्धान्तों में संशोधन करने की आवश्यकता है। उगने यह अनुभव किया कि बालक को स्वाभाविक वातावरण पर में ही मिलता है तथा पुस्तकों के आधार पर शिक्षा देना उचित नहीं है। यदि बालक को उचित शिक्षा दो जाये तो बालक की आजादिका तथा चरित्र का विकास सम्भव है।

पेस्टालाजी ने दसिठ बच्चों को अपने साथ न्यूहाह (नया ग्रेज) में रखकर वहाँ पर मो जन देकर शिक्षण करना प्रारम्भ किया। यहाँ बालकों को निम्ना-पठना, सीता और परिधम का कार्य कराया जाता था। यहाँ बालक मोती करने तथा चरित्रार्ण मोद काम और शिक्षण करके जीविकाजन भी करती थी। पर

पनाभाव के कारण पेस्टालाजी को इस शाला को बन्द करना पड़ा। पर पेस्टालाजी का उत्साह शिक्षा की तरफ बना ही रहा और उसने शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें से 'लेक्चरार्ट एण्ड गार्टिश्यूट' (१७८१) तथा 'हाऊ गार्टिश्यूट टीचेस इर चिल्ड्रेन' (१८०१) में उसने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को प्रतिपादित किया है।

पेस्टालाजी के अनुसार शिक्षा बालक की शक्ति तथा प्रवृत्तियों का स्वाभाविक विकासोत्सुक तथा व्याप्तक विकास या प्रगति है। इस प्रकार उसका तात्पर्य यह था कि बालक की शिक्षा में हाथ और हृदय के साथ-साथ मन के विकास का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। पेस्टालाजी रूसों के समान धार्मिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था कि शिक्षा सामाजिक उत्थान में अवश्य सहायक होनी चाहिए। वह रूसों के समान बालक के स्वभाव के अनुकूल स्वतंत्र शिक्षा के पक्ष में अवगत था, पर वह 'प्रकृति की ओर जाओ' के पूर्ण पक्ष में न था। हाँ, वह यह अवश्य मानता था कि मानव का विकास प्रकृति के नियमों पर आश्रित अवश्य है। पेस्टालाजी इस तरह से शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता था। इसलिए उसने बाल-स्वभाव के अध्ययन तथा शिक्षण-विधियों के विकास के लिए बड़ा परिश्रम किया। शिक्षण-विधियों के विकास के लिए उसने शिक्षा के सम्बन्ध में अभी तक चले आये मतों को मान्यता न देकर सभी बातों की नई गोज की। उसका विश्वास था कि ज्ञानेन्द्रियाँ ही ज्ञान का माध्यम हैं तथा उन्हीं के द्वारा बालक सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पदस्वरूप उसने शिक्षण में यथार्थ वस्तुओं का उपयोग उपरोक्त बतलाया। यथार्थ वस्तुओं की सहायता से ही शिक्षण 'वस्तु पाठ विधि' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

पेस्टालाजी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बड़ा बल दिया। उस काल में शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी। शिक्षकों का अच्छे डीग्रीड का होना तथा तेज आवाज से बोलने में समर्थ होना ही अच्छे शिक्षक के गुण माने जाने थे। पर पेस्टालाजी ने इस बात का अनुभव किया कि शिक्षक में खरं इस बात की योग्यता होनी चाहिए कि वह शैक्षणिक प्रक्रियाओं का निर्वाह अच्छी तरह कर सके। अतः उसने शिक्षकों के प्रशिक्षण को

मदन्तपूर्ण माना तथा 'बुर्सडोर्फ' तथा 'इवर्डन' में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इन केंद्रों में विभिन्न देशों में अनेक शिक्षक आते तथा शिक्षण-सम्बन्धी प्रशिक्षण पाते थे। कालान्तर में ये केंद्र मसार के प्रसिद्ध शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र हो गए।

पेस्टालोजी ने स्त्रियों के पूर्णतः स्वतंत्र तथा निर्बाध छांटू देने के सिद्धान्त की व्यवस्थित तथा स्पष्ट किया। उसने स्त्रियों के इस सिद्धान्त को शाळाओं में उपयोग के योग्य बनाया। इस प्रकार पेस्टालोजी ने शिक्षा के क्षेत्र में नये प्रयोग करके नये ढंग से सोचने विचारने तथा प्रयोग करने की विधि का निर्माण किया। इतना ही नहीं, उसने अन्य विद्वानों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग तथा अनुसन्धान करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पेस्टालोजी ने शाळाओं में अभी तक चढ़े आये फंडोर दूट में अनुमान रखने की प्रथा को भी अनुचित माना। उसका कथन था कि अनुशासन जिन प्रकार घरों तथा कुटुम्बों में दया, सहानुभूति तथा विवेक से रखा जाता है उसी प्रकार शाळाओं में भी अनुशासन रखा जाना चाहिए। शाळाओं में आवश्यकतानुसार फंडोरता तथा सहानुभूति, प्रेम आदि का व्यवहार होना चाहिए। पेस्टालोजी ने न केवल इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया बल्कि उसने अस्त्रों शाळाओं में इसे व्यावहारिक रूप देकर उन्हें घरों के वातावरण से आत-प्रोत कर दिया।

पेस्टालोजी ने स्त्रियों में प्रभावित होकर बालकों की प्रकृति तथा स्वभाव के आधार पर शिक्षा देना तथा शिक्षा को मनुष्य के अपने माँतर से ही स्वयं संवर्धन की क्रिया मानना तथा शिक्षण-पद्धति अनुभव पर रहने वाली तथा प्रयोगात्मक होना आवश्यक माना। इसी सिद्धान्तों के आधार पर पेस्टालोजी ने अपने संशोधन आदि सिद्धान्तों की रचना की। इन सिद्धान्तों ने फंडोर करने तथा पुस्तकों के महत्व को कम करके बालक को स्वयं प्रवेक मनुष्य को देखने, समझकर उसकी छानबीन करने तथा उसके सम्बन्ध में सर बातें जान लेने की अधिक मदन्तपूर्ण माना।

पेस्टालोजी के इस मनोवैज्ञानिक आधार को 'वैज्ञानिक मनोविज्ञान' के नाम से जाना जाता है। यह वैज्ञानिक मनोविज्ञान मन के यत्न-विभाग करता

है तथा उनके अलग-अलग मूल्यव विकास पर बल देता है। इन विभेदों को पैकली कहा जाता है। जैसे—स्मरण, विवेक आदि। वर्तमान काल में इस पैकली मनोविज्ञान को मान्यता नहीं दी जाती है, पर पेस्टालाजी के धैर्य, दया, महानुभूति तथा व्यक्ति के लिए आदर आदि गुणों ने उसे उस काल का बहुत ही बड़ा तथा अच्छा शिक्षक बनाया।

फ्रायबेल का शिक्षा-दर्शन

हरवार्ट ने बौद्धिकता को अधिक महत्त्व दिया। हरवार्ट तथा उसके समर्थकों ने माना कि रचि बहुमुखी होती है तथा उसका उद्देश्य नैतिक होता है। हरवार्ट की पंचपदी में यह मान्य किया गया है कि बालक की रचि दिये जानेवाले ज्ञान की ओर होना चाहिए। या उस ओर को जानना चाहिए तथा ज्ञान-प्राप्ति पर कुछ प्रयोगों द्वारा उसका उपयोग कराया जाना चाहिए। पर इन सब प्रक्रियाओं का उद्देश्य समाज की संवृत्ति से बालक को परिचित कराने का था। इन परिचय के लिए बालकों को ज्ञान देना आवश्यक माना गया था। न तो हममें पेस्टालोजी आदि के समान बालकों को रचि उद्योग की शिक्षा देकर आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया था और न बालक के विकास के लिए रूग्णों के समान बौद्धिकता में दूर प्रकृति की सौद में शिक्षण प्राप्त करने की बात थी। बालक के विकास तथा ज्ञानसर्पण के लिए इतिहास, साहित्य तथा अन्य विषयों का ज्ञान विविध रूप से देना ही हरवार्ट तथा उसके समर्थकों का उद्देश्य था। इनका उद्देश्य बालकों को नैतिक बनाना तो था पर वे नैतिकता के विकास के लिए पुस्तकों आदि का आधार ही उपयुक्त मानते थे। उन्होंने जीवन की यथार्थ परिस्थितियों को नैतिकता की शिक्षा का आधार नहीं बनाया। उन्होंने खेलों को गीगने का आधार भी नहीं बनाया। पर फ्रायबेल ने यथार्थ जीवन की शिक्षाओं तथा खेलों को गीगने तथा नैतिकता की शिक्षा का आधार बनाया।

फ्रायबेल का बच्चात्र दुःखों रहा। उनके विज्ञा की व्यंगता के कारण उनको शिक्षा प्रमत्त नहीं रह सकी। पर उनके घर का जीवन धार्मिक था जिसका प्रभाव मान्यता पर अधिक पड़ा। बचपन में मौन्य की उद्योग के कारण वह प्रकृति की सौद में रचिगत रहता रहा। प्रकृति के निर्माण तथा गणना से उनके

मन में एक रहस्य की भावना उद्भूत हुई तथा सगुण विद्व की अखण्ड अभिन्नता तथा एकता की शोच की प्रवृत्ति का उदय हुआ। उसने अनुभव किया कि संसार की समस्त वस्तुओं तथा पदार्थों में एक शाश्वत नियम व्याप्त है। यह सार्वभौम शाश्वत नियम सार्वभौमिक चेतना तथा अभिन्नता पर आधारित है। यही अभिन्नता तथा एकत्व ईश्वर है। संसार के सभी पदार्थ इसी एकत्व या ईश्वर से उत्पन्न हुए तथा सभी का जीवन इसी पर अवलम्बित है। प्रत्येक वस्तु में होने वाला दैवी सृजन ही उसका चेतन तत्व है। यही प्राय्वेण्ड का आध्यात्मिक सिद्धान्त है। इस प्रकार उसने संसार की प्रत्येक वस्तु में एक ही दैवी, सर्वशक्तिमान का आवास पाया तथा संसार की वस्तुओं में एकत्व की शक्ति देवी।

प्राय्वेण्ड के इसी आध्यात्मिक सिद्धान्त पर उसका शिक्षा-दर्शन आधारित है। उसका कथन है कि प्रत्येक जीव या प्राणी में मानवता का वास है, पर उसका विकास तथा उदय प्रत्येक प्राणी अपने ही ढंग से करता है। अतः उसका कथन है कि प्रत्येक प्राणी में विकसित चरित्र की एक सयुक्त सुसम्बद्ध योजना रहती है। यदि इसमें बाधा उत्पन्न न की जाये या उसे नष्ट न किया जाये तो वह स्वतः अपने-आप विकसित होती है। यद्यपि प्राय्वेण्ड इस तथ्य का निरूपण कट्टादं से नहीं करता है तथा कमी-कमी इस विकास के लिए प्रयत्न करने की सलाह देता है पर वह प्रस्तावतः स्मो के 'प्रकृति ही स्वयं है' के सिद्धान्त को मान्यता देता है। इसीलिए वह मृगप्रवृत्तियों के स्वतंत्र तथा पूर्ण प्रकाशन को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए वह शिक्षा को निर्बाध रूप, बिना किसी के द्वारा बधित तथा आयेरित, बाधक की स्वतः क्रिया से उद्भूत होने वाली मानता है। वह बालक के अनित विक्रम के लिए विधि का निरूपण करते हुए कहता है कि विक्रम अन्वयानुकरण न होकर सर्वात्म, आत्मप्रेरित स्वतः-क्रिया द्वारा होना उपयुक्त रहता है। पर इस स्वतः-क्रिया का तात्पर्य यह नहीं है कि शिक्षक या माता-पिता, बाधक जो कुछ भी बदे देना ही उसे करने दें, बल्कि वह चाहता है कि बालक स्वयं अपने मन में सक्रिय होकर अपनी प्रेरणाओं तथा भावनाओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राय्वेण्ड का 'स्वतः-क्रिया' का सिद्धान्त नये नये, विचारों आदि का निर्माण तथा सेट कराने वाली 'स्वतः-क्रिया' के सिद्धान्त

में सम्बन्धित है। इसीलिए उगने वाली तथा विचारों के साथ कर्म को करने के लिए महत्त्वपूर्ण माना है। उसका कथन है कि मिट्टी या अन्य पदार्थों से कर्म करा करके जीवन की अभिव्यक्ति बालक के द्वारा केवल भौतिक अभिव्यक्ति से अधिक विकाससामक तथा उन्नतिशील होती है। यही फ्रायवेल का 'स्वतः-क्रिया' तथा 'रचनात्मकता' के द्वारा अभिव्यक्ति का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है। यही सिद्धान्त फ्रायवेल की शिक्षा-प्रणाली का मूल आधार है, जिस पर उसने अपनी शिक्षा-पद्धति को आधारित किया है।

फ्रायवेल ने समाज को भी महत्त्व दिया है। यही उगनी विशेषता है। वेमे तो रूसो ने भी त्रियात्मकता को शिक्षा का आधार बताया था, पर वह इसील को समाज में दूर निर्जन शान्त प्रकृति की गोद में शिक्षित करने के पक्ष में था वह उसे समाज के सम्पर्क से दूर ही रखना चाहता था। पर फ्रायवेल शिक्षा के सामाजिक आधार को भी बहुत महत्त्वपूर्ण मानता है। बालक में वह चाहता है कि बालक की स्वतः क्रिया या आत्माभिव्यक्ति तथा व्यक्तित्व का निर्माण समाज के माध्यम से ही हो। वह मानता है कि व्यक्ति में सामाजिक प्रवृत्ति प्रमुख है तथा उसी शिक्षा समाज के सदस्यों के सम्पर्क तथा बीच में रहकर ही अच्छी तरह हो सकती है। इसीलिए उगना कथन है कि जीवन में व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज की गंधाओं, पर, कुटुम्ब, व्यवसाय-गण्डाओं आदि में हो रहना पड़ता है। ये ही उसके जीवनयापन के आधार हैं। उन्हीं के द्वारा उसे सामाजिक कर्तव्यों, नियमों, परम्पराओं आदि का ज्ञान होता है। उन्हीं के द्वारा उसे अपने वर्तमान तथा भविष्य के विकास की शिक्षा तथा आधार मिलता है। बालक गद्योग में विभिन्न क्रियाओं को करता तथा खेदता हुआ न केवल शारीरिक स्थिति प्राप्त करता है, परन्तु नैतिक तथा बौद्धिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करता है। समाज के समान फ्रायवेल का विचार था कि बालक क्रियाशील जीवन प्राप्त करे तथा बौद्धिक विकास के पूर्व उगना शारीरिक विकास होता है। इसीलिए फ्रायवेल की सिद्धान्तों में स्वयं क्रिया के साधनों एवं खेलों का बहुतोपास में समावेश किया गया है। 'बोर्डर' में उगने योग्य उठाने, खाने, सोने, पाने आदि अनेक खेद परिश्रम के कार्यों को करने की व्यवस्था की भी है।

फ्रायबेल का कथन है कि व्यक्ति को अपने स्वतः के आन्तरिक तथा बाहरी समाज के अन्य सदस्यों के साथ मानव-प्रकृति के अनुरूप साम्य स्थापित करना चाहिए। उसके जीवन का विकास उसकी प्रत्येक परिस्थिति में—घर, शाला, समाज—इसी प्रकार होना चाहिए। अपने इन विचारों को मूर्त रूप देने तथा राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति, सामाजिक आचरण तथा व्यावहारिक शिक्षा के लिए फ्रायबेल ने 'डिटरगार्टन शिक्षण-विधि' का निर्माण किया। इस प्रकार की विधि का उपयोग करनेवाली शालाओं के द्वारा उसने बालकों को शिक्षा के लिए ऐसा म्यान देने का प्रयत्न किया जहाँ बच्चों का राज्य हो तथा जहाँ शिक्षा नागरिक अपने अन्य साधनों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्वतंत्र क्रियाओं में रत रहें। वहाँ न तो युस्तक हो, न बंधे घंटे हों, न बौद्धिक पाठ हों। वरन् वहाँ स्वतंत्र खेल-कूद, विचरण तथा उदासमय गीत आदि हों। इस प्रकार फ्रायबेल ने स्वतंत्र, स्वतः-क्रिया, सामाजिक सहयोग आदि सिद्धान्तों का समावेश अपनी डिटरगार्टन-विधि में किया। इस विधि में क्रिया, खेल, गीत, कहानी, विभिन्न प्रकार की छोट्टी नियाओं आदि सभी का समावेश किया गया है। इस प्रकार बालका की शाला समाज का छोटा रूप बन जाती है। इस विधि में अभिव्यक्ति के परस्पर सम्बन्ध तीन रूप हैं—(१) गीत, (२) गति तथा (३) रचना। ये साधन अलग-अलग रहते हुए भी एक-दूसरे के सहयोग में चलते तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम मिलकर एक पूर्णता का प्राप्त होता है।

फ्रायबेल की रचनात्मक क्रियाएँ, जैसे मुद्र-भाग्य का कार्य, बुनना, कागज का कार्य, रेत-मिट्टी तथा रंगों आदि के कार्यों ने आगे चलकर इन्कार्य का एक आन्दोलन-का चरण दिया। इस आन्दोलन को कार्य रूप में परिणत करने वाला प्रथम देश निम्नलिखित था। इसके बाद स्वीडन ने इसे अपनाया। स्वीडन ने न केवल इसे मौखिक आधार बनाया, पर इसे आर्थिक आधार भी दिया। इसके बाद रूस तथा रूस के मापस से अमेरिका ने इसे अपनाया।

मैडम मांटेसरी का शिक्षा-दर्शन

१९वीं तथा २०वीं शताब्दियों में विज्ञान की बहुत प्रगति हुई। इस प्रगति ने संसार के विभिन्न देशों की दूरी को बहुत कम कर दिया। ये देश अब एक-दूसरे पर निर्भर भी रहने लगे। पल्लवरूप विश्व-मनुष्यत्व की भावना का उदय हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक रोज हुए। मनोविज्ञान के प्रयोगों तथा बुद्धि-परीक्षाओं ने अनेक तथ्यों का निरूपण किया। पल्लवरूप दी जाने वाली शिक्षा अपर्याप्त मानी जाने लगी। शिक्षा जनताधिक होने लगी। अब शिक्षा केवल धनी-मानी व्यक्तियों के बालकों तक सीमित न रही। 'सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए।' का नारा लगाया जाने लगा। अंग, विकलांग, मूढ़, रूंगे आदि की शिक्षा में अनेक डाक्टरों ने बड़ी शहायता पहुँचाई। मैडम मांटेसरी भी इन्हीं डाक्टरों में से एक थी, जिन्होंने मन्द बुद्धिवाले बालकों की चिकित्सा करने तथा सामान्य बालकों की शिक्षा की एक ऐसी विधि निर्माता जो आज संसार के अनेक देशों में प्रचलित है।

फ्राव्हेल तथा मांटेसरी की मृत्यु में लगभग १०० वर्षों का अन्तर है। फ्राव्हेल मन् १८५२ में तथा मैडम मांटेसरी १९५२ में स्वर्गवासी हुए; पर इन १०० वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए। फ्राव्हेल शिक्षा में बालक के विकास तथा बंधन-रक्षण को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। पर मांटेसरी वातावरण को प्रमुख मानती हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक 'The Secret of Childhood' में वातावरण की शिक्षण-विधि का केन्द्र माना।

मैडम मांटेसरी पर संसुदन की पुस्तक 'Idiocy : Causes and its Treatment by Psychological Methods' का बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने रोम में मन्द बुद्धिवाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के समय शिक्षण-विधियों-सम्बन्धी अनेक प्रयोग किये। इन प्रयोगों का इन मन्दबुद्धि वाले बालकों

र धन्दा असर हुआ। इन अनुभवों की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने एक जेजुन-विधि का निर्माण किया जिसे 'माटेसरी विधि' कहते हैं।

मन्द बुद्धिवाले बालकों की शिक्षा के समय माटेसरी ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले :

- (१) बालक को अन्य बालकों पर आश्रित न रहकर स्वतंत्र जीवन बिताने योग्य होने का प्रयत्न देना चाहिए।
- (२) मन्द बुद्धि बालक के मस्तिष्क की पहुँच के लिए सामान्य बालक के स्तर की अपेक्षा निम्न स्तर से पहुँच प्रारम्भ करना चाहिए।
- (३) मन्द बुद्धि बालक की क्रियाएँ एक इन्द्रिय को अन्य दूसरी इन्द्रिय का कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
- (४) सर्वा इन्द्रिय बहुत महत्त्वपूर्ण तथा प्रमुख है।
- (५) सर्वा-इन्द्रिय का विकास कम आयु में अधिक हो सकता है तथा इस आयु में दूसरी अपेक्षा करने से इसका उचित विकास नहीं किया जा सकता।

इन उपरोक्त निष्कर्षों का प्रभाव हम माटेसरी विधि में पाने हैं तथा ये निष्कर्ष हमें माटेसरी शिक्षा-दर्शन को समझने में सहायक भी होंगे।

पेराटावली ने शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार देने का प्रयत्न किया था। पर उनके समय में बाल-मनोविज्ञान का उतना विकास नहीं हुआ था। अतः वह शिक्षण-मंडलि का मुधार बरके ही रह गया था। पर माटेसरी ने अपनी विधि को स्वाभाविक रूप में मनोवैज्ञानिक बनाया तथा इस विधि को हम मनो-वैज्ञानिक कह सकते हैं। माटेसरी पर वैज्ञानिक मनोविज्ञान का प्रभाव अधिक है। वैज्ञानिक मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रक्रिया को बालक के मानसिक विकास तथा रुचियों के अनुकूल बनाने को महत्त्वपूर्ण मानता है। इसमें शैक्षणिक प्रक्रिया पाठ्यक्रम की या शिक्षक की पाठयोजना के आश्रित नहीं रहती। इसलिए माटेसरी का कथन है कि शिक्षा बालक के सामान्य विकास के लिए ही गर्द शक्ति सहायता है। तथा शैक्षणिक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक धन तभी आता है जब कि बालक स्वयं उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। इसलिए माटेसरी ने बालक के विकास की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रतिक्रियाओं को

अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका विश्वास है कि यदि बालक किसी प्रक्रिया को नहीं करता है या करना भूल जाता है या समझता नहीं है तो हमें यह समझना चाहिए कि अभी तक बालक उसे करने के लिए पूर्ण रूप से विरसित नहीं हुआ है, अतः शिक्षक को पाठ दुहराकर जरूरदस्ती बालक को उस प्रक्रिया को करने या समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

माटेगरी किसी भी प्रक्रिया की अवधि का निर्धारण घंटों या समय-विभाग-चक्र में दी गई सारिणी के अनुसार निश्चित करने के पक्ष में नहीं है। उसका कथन है कि बालक की रुचि को ही इस प्रक्रिया की अवधि को निश्चित करना चाहिए। यही कारण है कि माटेगरी-शालाओं में बालकों के लिए घंटा, समय आदि का बन्धन नहीं रहता है। वहाँ तो बालक किसी भी क्रिया को अपनी ही रुचि से करने तथा उसमें स्वतंत्रता से जितना चाहे समय लगा सकते हैं।

मैडम माटेगरी बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में हैं। उनका कथन है कि बालक की स्वतंत्रता अपने स्वयं के विकास के निर्यात का पालन करने में निहित है। अतः बालकों की स्वतंत्रता का प्रदर्शन उनकी स्वयं स्वतंत्र क्रियाओं द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि बालक अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहे। यही स्वतंत्रता माटेगरी शालाओं के अनुभागन की कुञ्जी है। माटेगरी शालाओं में ४०-५० बालक-बालिकाओं के होते हुए भी आपको पूर्ण शान्ति तथा बिना शोर-गुल का वातावरण मिलेगा। वहाँ बालक विभिन्न कार्य करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके अस्तित्व का पता भी आसपास वालों को नहीं लग पाता है।

माटेगरी का विचार है कि जिस प्रकार शिक्षण विधि को बालक के विकास के अनुकूल होना चाहिए, उसी प्रकार शाला का वातावरण भी उसके विकास में सहायक बननेवाला होना आवश्यक है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बालक को उसके अनुकूल होगा वातावरण, जिनमें सभी बातें, वस्तुएँ उसके विकास में सहायक बननेवाली हों, देने से बालक में एक ऐसे सक्रिय जीवन का विकास होता है जिसमें न केवल वे किसी प्रक्रिया या क्रिया को करने तथा देखते हैं बरन उसमें एक आध्यात्मिक जीवन के दर्शन होते हैं। इसलिए, उनका कथन है कि

इस प्रकार का वातावरण बालक को केवल स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है वह तो उसे स्वयं शिक्षा भी प्राप्त कराता है।

प्रसिद्ध दार्शनिक 'लॉक' ने इन्द्रियों को 'ज्ञान का द्वार' माना है। मांटेसरी ने भी इन्द्रियों की इस उपयोगिता को समझा है तथा बालक-बालिकाओं की इन्द्रियों को सश्रम तथा सख्त बनाने का महत्त्व प्रतिपादित किया है। इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा-विधि में इन्द्रियों की शिक्षा को बहुत महत्त्वपूर्ण माना है। इन इन्द्रियों के विकास के लिए उन्होंने वातावरण को भी एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में माना है।

मांटेसरी ने भ्रम को भी अधिक महत्त्व दिया है। वे भ्रम को बालक के मानसिक विकास को पूर्ण करनेवाला मानते हैं, क्योंकि वह सोलने तथा अंगों की पुष्टि, दोनों पर निर्भर है। भ्रम सोलने तथा अंगों की पुष्टि दोनों क्रियाओं को उत्तेजना देता है। भ्रम से बालक प्रतिभूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते हैं तथा उसे इसमें आनन्द भी आता है। अतः मांटेसरी भ्रम को स्वाभाविक मानती हैं।

मैडम मांटेसरी किसी कार्य को दृष्टता से करने को ही उसका पारितोषिक मानती हैं, अतः उन्होंने अलग से पारितोषिक देने की भर्त्सना की है। वे उसे अनुपयोगी मानती हैं।

ट्यूई का शिक्षा-दर्शन

१९वीं शताब्दी में विज्ञान की अधिक प्रगति हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान तथा विज्ञान की खोजों का प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के विद्यालय खोले गए। इन विद्यालयों में पेस्टालाजी, हर्बार्ट, मात्थेल्, मटिसरी आदि शिक्षा-शास्त्रियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। अपंग, अन्ये तथा मन्ड बुद्धिवाले बालकों के लिए भी अनेक स्थानों में विद्यालय खोले गए। विभिन्न प्रकार के विद्यालयों, विज्ञान की प्रगति और जीवन की जटिलता के कारण अनेक प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों उत्पन्न हुईं। पलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में नवीन दृष्टि से विचार करना आवश्यक हो गया। अभी तक शिक्षा-शास्त्रियों का मत था कि बालकों को मादी जीवन के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। पलस्वरूप शालाओं में बालकों को ऐसी ही बातों का ज्ञान दिया जाता था जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी होती थी। हममें बालकों के वर्तमान जीवन का कोई मूल्य नहीं था। हममें बालकों के भविष्य को उन्नत तथा पूर्ण बनाने के लोभ में अपने वर्तमान की उपेक्षा करके उगे कष्टप्रद बनाना पड़ता था।

जॉन ह्यूई ने इन विचारों का खंडन किया तथा शिक्षा एवं जीवन की सम्बन्धाओं पर दार्शनिक विधि से विचार किया। ह्यूई ने अपने विचारों को केवल आदेश में आकर ही प्रस्तुत नहीं किया था बल्कि ये विचार उगने स्वयं अपने साक्षात्करण तथा परिस्थितियों से प्राप्त किये गे; अतः उनमें स्थिरत्व, औन्नत्य तथा व्यावहारिकता है। सामाजिक जीवन तथा उन्नत बुद्धि के मन्ड को प्रदर्शित करते हुए उगने किया है कि उगने अपने विचारों का केवल आश्चर्य-माय ही नहीं किया है बल्कि उनके विचार तथा विस्तार से उगे उगने भाग्यमय के साक्षात्करण से प्राप्त हुए हैं।

जॉन ड्यूई का प्रारम्भिक तथा शैक्षणिक जीवन सादा तथा साधारण था। ईश्वर में उसकी आस्था थी। पर उसके विचारों पर इक्सले के भौतिकवाद तथा हार्विन के विकासवाद-सम्बन्धी सिद्धान्तों का बड़ा प्रभाव पड़ा था। ईश्वर में आस्था रखने के कारण उसका विश्वास था कि मानव-जीवन के विकास में भौतिकता का बहुत अधिक महत्त्व नहीं है। नैतिकता तथा भौतिकवाद और विकासवाद की खाई की पूर्ति के प्रयास ने जॉन ड्यूई को अपने शैक्षणिक जीवन के अन्तिम चरणों में एक नई दिशा की ओर मोड़ा तथा अपने कॉलेज जीवन से ही वह अच्छा दार्शनिक बन गया।

वाल्टीमूर में अध्ययन करते समय ड्यूई स्टेनलेहल पीयर्स तथा जॉर्ज सिन्वैस्टर मॉरिस के सम्पर्क में आया। मॉरिस हीगेल के विचारों का समर्थक था। पदस्वरूप उसका शिष्य जान ड्यूई भी हीगेल से प्रभावित हुआ। हीगेल आदर्शवादी था। उसके 'विपरीत में सन्लेषण' (synthesis of opposites), दैवी तथा मानवीय, आध्यात्मिक तथा भौतिक के सन्लेषण के सिद्धान्त का प्रभाव जॉन ड्यूई पर बहुत अधिक पड़ा। इस प्रकार जॉन ड्यूई का प्रारम्भिक दार्शनिक जीवन हीगेल से प्रभावित रहा, पर वह प्रयोजनवादी (pragmatist) बन गया तथा अन्त-अन्त में तो प्रयोगवादी (experimentalist) हो गया।

जॉन ड्यूई के अनुसार दर्शन का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि हम संसार को किस प्रकार जानते या समझते हैं, बल्कि यह बतलाना है कि हम लोग उसे किस प्रकार नियंत्रित और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर दर्शन का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक जीवन की प्रमुख शक्तियाँ विशेषतः लोबतंत्र, विज्ञान तथा उद्योग के सम्बन्धों का अध्ययन करना ही होगा। इस प्रकार दर्शन का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक तथा नैतिक समस्याओं का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अतः इसके लिए सामाजिक समस्याओं के हल के लिए प्रयोगवादी दृष्टिकोण अपना आवश्यक है। जॉन ड्यूई ने इसी प्रयोगवाद को महत्त्वपूर्ण बनाया है। इसीलिए जॉन ड्यूई हर वस्तु तथा तत्त्व को प्रयोगवादी दृष्टिकोण में देखता था। इसीलिए उसका कथन था कि संसार के किसी भी तत्त्व में स्थायित्व नहीं है। सम्पूर्ण संसार अस्थिर तथा अल्प-कालिक है। अतः किसी आदर्शवादी सिद्धान्त को स्थायित्व देना बहुत ही

अतः वह अलौकिक संसार को असत्य मानता तथा कहता है कि मानव को स्वयं अपना मार्ग निर्धारित करना चाहिए। उसका विश्वास था कि इस प्रयोगवादी दृष्टिकोण से अपनी सामाजिक समस्याओं को हल कर के ही मानव अपने सामाजिक जीवन को उन्नतिशील बना सकता है। जॉन ड्यूई संसार में परिवर्तनशील परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए मानव को अपनी सक्रिय बुद्धि का सदुपयोग करने के लिए उपयोगी मानता था। इस प्रकार वह दर्शन को मानव की वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों के सुधारने तथा उन्नतिशील बनाने योग्य मानता था। इसलिए उसने 'Reconstruction in Philosophy' में लिखा है कि दर्शन का प्रमुख प्रयोजन अनुभव, विशेषतः सामूहिक मानव-अनुभवों की सम्भावनाओं का विवेकीकरण है।

इसके लिए जॉन ड्यूई सोचने-विचारने को आवश्यक मानता है। पर उसके लिए वास्तविक परिस्थितियों में सोचना ही महत्त्व रखता है, क्योंकि मनुष्य वास्तविक परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव अपने जीवन-थापन के लिए सोचता-विचारता है। इस दृष्टि से जीवन को एक अमूर्त तथा आदर्श रूप में देखना उपयुक्त नहीं है, अतः समस्याओं के आदर्श हल को भोजन निरर्थक है। क्योंकि आनेवाली परिस्थितियाँ आज की परिस्थितियों से भिन्न होंगी तथा आज की परिस्थितियों के लिए उपयोगी गत्य काल के काम के लिए उपयोगी नहीं होंगे। कोई भी विचार सिंगी विशेष परिस्थिति के लिए उपयोगी होता है तथा उसके बदलते ही वह उतना उपयोगी नहीं रह जाता है।

ड्यूई ज्ञान को अनुभव के रूप में मानता है। उगमा विश्वास था कि अनुभव ही ज्ञान है तथा अनुभव क्रिया में प्राप्त होता है अतः क्रिया से अलग कोई ज्ञान नहीं है। आज हमारे पास जो भी ज्ञान संचित है वह अभी तक मानव के घर, चर, व्यवस्था, जीवन की रक्षा व भोजन पाने के लिए की गई क्रियाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः उगने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Democracy and Education' में लिखा है कि गत्य ज्ञान वही है जो हमारी ध्येयना में सामंजस्य स्थापित करके हमारी परिनिर्गतों को हमारी आवश्यकताओं-इच्छाओं तथा उद्देश्यों के अनुकूल बनाने में सहायक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं

कि ड्यूट मानवों की बुद्धि का उपयोग उसकी उन्नति तथा उसके जीवन का पूर्ण बनाने के लिए करने के पक्ष में था। इसके लिए वह प्रयोग-विधि का उपयोग मानता था। वह सिद्धान्तों तथा सत्य को भी परिश्रमपूर्वक मानता था। यह किसी भी विचार को परिश्रमपूर्वक तथा मानव-अनुभव से अलग नहीं मानता था। इसी तथ्य को जेम्स ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। जेम्स का कथन है कि आज जो सत्य प्राप्त होता है उसी के अनुसार हमें आज रहना है तथा वह भी उसी सत्य को असत्य कहने के लिए भी तैयार रहना है।

ड्यूट की दर्शन-सम्बन्धी उपरोक्त बातें उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि उसके दर्शन के सिद्धान्त सामाजिक मूल्यों, तथा शिक्षा-निदान्त इन्हीं मूल्यों को प्राप्त करने की विधियों को प्रतिपादित करते हैं। ड्यूट का विश्वास है कि शिक्षा हमें किसी शाश्वत सत्य की ओर नहीं ले जाती है। यह तो लगातार चलने वाली है। उसके अनुसार शिक्षा संग्रहीत अनुभवों का पुनर्निर्माण है (reconstruction of accumulated experience)। पर वह चाहता है कि अनुभवों का यह पुनर्निर्माण सामाजिक उत्थान की दृष्टि से होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया का रूप ले लेती है। अतः शाला सक्रिय तथा ऐसी होनी चाहिए जहाँ बालक अन्य साधनों के सम्पर्क में आकर अपने अनुभवों से सीखे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ड्यूट शिक्षा को जीवन ही मानता है। शाला में जीवन-यापन करते हुए बालक का विकास होता जाता है तथा विकास को एक इकाई आनेवाली विकास की इकाई के लिए सहायक होती है। हमने शिक्षा परिस्थितियों से लगातार साम्य स्थापित करने की प्रक्रिया हो जाती है। ड्यूट की शिक्षा की इस प्रक्रिया में दो पक्ष महत्वपूर्ण हैं : (१) मनोवैज्ञानिक और (२) सामाजिक।

हजारों वर्षों से हम पृथ्वी पर प्रभावशाली जीवन चल रहा है। व्यक्ति इस जीवन को जीनेवाला रहा है। अतः अभी तक के जीवन के विराम में मानव ने जो कुछ सीखा है वह अपनी गन्तव्य को भरोहर के रूप में मनोवैज्ञानिक पक्ष देता है। अभी तक जीवन के विकास-क्रम में जो कुछ होता रहा है वही मानव गन्तव्य के रूप में सुरक्षित है। इसी संस्कृति से आगे की परिश्रम-पूर्ण शिक्षा है। इसीलिए ड्यूट ने

शिक्षा को अनिवार्य क्रिया के रूप में माना है, पर वह बालक को महत्वपूर्ण मानता है—यह होते हुए कि पूर्वजों का ज्ञान तथा विवेक बालकों को दिये जाने वाले ज्ञान की मात्रा या पाठ्य विषय निश्चित करेंगे। तो भी ड्यूई बालक को अनोखा मानता है। उसका कथन है कि बालक का स्वयं का जीवन है तथा उसके भविष्य की नई तथा अपनी स्वयं को सम्भालें होती हैं। अतः शिक्षा बालक का पूर्ण ज्ञान करके ही दी जानी चाहिए। अतः बालक के मनोविज्ञान का दृष्टिपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उसकी रुचियों, शक्तियों, आदतों तथा क्षमताओं का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। ड्यूई ने बालक की चार रुचियों को बहुत महत्वपूर्ण माना है :

- (१) वार्तालाप तथा विचारों के आदान-प्रदान की रुचि।
- (२) वस्तुओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा या रुचि।
- (३) वस्तुओं को बनाने या निर्माण करने की रुचि।
- (४) कलात्मक प्रदर्शन की रुचि।

ड्यूई का विश्वास है कि मानव को इन चार प्रकारों की रुचियों का पाठ्यक्रम में बड़ा महत्व होना चाहिए। ड्यूई का कथन है कि गीगने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाने के लिए बालकों को अपनी सन्धृति में क्रियाओं का सुख करके उनको पुनः सुव्यवस्थित करना चाहिए। इतना ही नहीं, उमे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से क्रियाओं का चुनाव करके अपनी तथा इस परिवर्तनशील समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल उपयोगी बनाने के लिए स्वरूप प्रदान करना चाहिए। इसके लिए ड्यूई रचनात्मक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने को बड़ा महत्व देता है, पर वह क्रियाओं को अव्यवस्थित ढंग में करने के पक्ष में नहीं है। बालक को क्रियाओं को शिक्षक का उचित निर्देशन तथा सहायता भी प्राप्त होनी चाहिए, पर हमें यह न भूलना चाहिए कि बालक की क्रियाएँ फेवेल वैज्ञानिक ही नहीं होनी चाहिए, ये क्रियाएँ तो ज्ञान को समाज के लिए दिये जा रहे अपने माधुमियों के माध्यमों से दिये जा रहे प्रयत्नों तथा कार्यों के रूप में होनी चाहिए।

एक प्रकार हम देखते हैं कि ड्यूई यह मानता है कि बालक या व्यक्ति अकेला समाज में दूर फोरे प्राणी नहीं है। यह समाज से विच्छिन्न विलग नहीं

किया जा सकता, अतः उसका कथन है कि शिक्षा में समाज सामाजिक पक्ष में प्रचलित क्रियाओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। इतना ही नहीं, यह ती शैक्षणिक प्रक्रिया का प्रारम्भ ही समाज में प्रचलित इन क्रियाओं से कराये जाने के पक्ष में है। क्योंकि सामाजिक सम्बन्धों में युक्त इन क्रियाओं के द्वारा बालकों के व्यक्तित्व तथा वैयक्तिकता का विकास सरलता से किया जा सकता है।

‘प्रजातंत्र तथा शिक्षा’ में ड्यूरे शिक्षा को सामाजिक क्रिया मानता हुआ बतलाता है कि शिक्षा मानव-क्रियाओं की उद्येयता के तीन प्रमुख तत्वों का संगम है, क्योंकि यहाँ सद्भावना तथा प्यार का प्रतीक शब्द रहता है। यहाँ सच्ची तथा वास्तविक विधियों में समाज-कल्याण के प्रयत्न किये जाते हैं तथा यहाँ ज्ञान में सच्ची रुचि भी पाई जाती है। इस प्रकार ये तीन तत्व स्नेह, सामाजिक उन्नति तथा विकास एवं ज्ञान के लिए वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल एक स्थान में एकत्रित होकर क्रिया को प्रेरणा देते हैं। लोकतंत्र तथा स्वतंत्र बुद्धि के विकास के लिए इन तीनों तत्वों का संगठन आवश्यक है।

ड्यूरे वातावरण को बड़ा महत्व देता है। वह वातावरण को बड़ा शक्तिमान मानता है, क्योंकि वातावरण बालक का उन्नित या अनुन्नित विकास कर सकता है। वातावरण का बालक के वास्तव्य व्यवहार तथा चेतन-अचेतन मन पर गहन प्रभाव पड़ता है। यही वातावरण उसकी सफलता, असफलता, मान, अपमान तथा अन्य मार्गों का विकास करता है। वातावरण ही उसे भाषा सिखलाता है; उसकी रुचियों का विकास करता तथा उसके आचरण के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है।

इस प्रकार ड्यूरे के लिए वातावरण एक विशेष महत्व रखता है। उसने वातावरण का बड़ा व्यापक अर्थ लिया है। ड्यूरे को समाज की कल्पना भी हमारे समाज की कल्पना से भिन्न है। वह संगठन-विहीन एक-दुसरे की सहायता न करनेवाले लोगों के समूह को समाज नहीं मानता है। उसे वह ‘समूह’ ही कहता है। ड्यूरे का समाज तो सहयोग, सदानुभूति, समानता, स्वतंत्रता तथा नैतिकता के आधार को मान्यता देनेवाला है। ड्यूरे का विश्वास है कि शिक्षा के द्वारा इस प्रकार के समाज का निर्माण सरलता से हो सकता है क्योंकि

के मुनियोजित वातावरण में बालक को लोकतंत्र की शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा वातावरण अन्यत्र मिलना कठिन है, क्योंकि शाला में पुस्तकों आदि के द्वारा बालक का सम्बन्ध भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों से स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। कुटुम्ब आदि में तो बालक केवल दैनिक जीवन से सम्बन्धित बातों का ही ज्ञान प्राप्त करता है। शाला में ज्ञान की जटिलता दूर करके उसे बोधगम्य बना दिया जाता है। शाला वातावरण से स्वयं बात ही चुनकर बालकों के समक्ष प्रस्तुत करती है, अतः बालक समाज की गन्दगी तथा दुःखों से बच जाता है। शाला का जीवन एकामी नहीं होता, क्योंकि वहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से सभी प्रकार के अनुभवों को चुनकर बालक को देने का प्रयत्न किया जाता है।

इस प्रकार शाळा की सम्पूर्ण शिक्षा सामाजिक वातावरण में शिक्षा का रूप लेकर समाज के उत्थान में सहायक होती है। इसलिए ह्यूड् सम्पूर्ण शिक्षा को एक प्रकार का वातावरण (environment) मानता है। उसने शिक्षा को पय-प्रदर्शन के रूप में माना है। इस दृष्टि से शिक्षा के तीन कार्य होते हैं—(१) नियंत्रण (२) निर्देशन (३) पय-प्रदर्शन। निर्देशन बालकों का ध्यान जीवन के लिए आवश्यक बालकीय कार्यों की ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। इसके बालक अनावश्यक कार्यों में अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करते। बालकों को अपनी दुःप्रवृत्तियों पर अनुशासन रखना आवश्यक है। उनकी प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि की स्वतंत्रता का तात्पर्य मनमानी करने देना नहीं है। ह्यूड् बालकों के स्वयं आत्म नियंत्रण को अधिक महत्त्व देता है। योजना एक प्रकार से परीक्ष निपटण हो है, क्योंकि योजना के अनुसार कार्य करते रहने से बुरी भावनाओं तथा कार्यों के लिए बालकों को अलग नहीं मिल पाता है। ह्यूड् दृष्ट तथा मय को अनुपयुक्त मानता है। यह जरूरती विगी बात या काम को बालकों के ऊपर लादने के पक्ष में नहीं है। यह तो मुताय तथा सन्तुष्ट के द्वारा पय प्रदर्शन चाहता है। इसके लिए बालकों को अनुकरण प्रवृत्ति का लाभ उठाया जाना चाहिए।

ह्यूड् काठ नियंत्रण तथा निर्देशन को परस्पर सम्बद्ध मानता है। उसने 'संस्कार तथा शिक्षा' में सम्बन्धित विचारों को व्यक्त किया है। यह ह्यूड् के

मानने से प्रत्येक विद्यार्थी तथा प्रभावशाली अनुभवों को महत्व प्रदान करता है।
 ड्यूई का मत है कि बालक का सम्पर्क प्रत्यक्ष परिस्थितियों से करना जाना
 चाहिए, जिसे वह क्रियाशील रहे। पर बालक को भी जाने वाली क्रिया में
 रूचि रखनी चाहिए। ड्यूई रूचि को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि जब तक
 बालक किसी क्रिया में रूचि नहीं रखेगा तब तक उसे सीखने में उसे आनन्द
 नहीं आएगा, पर फिर भी ड्यूई रूचि तथा प्रयत्नों को मुख्य मानता है। क्योंकि
 बालक के मन में प्रयत्न किसी कार्य में आती तथा व्यावहारिक जीवन के विचार
 नहीं हैं। दूसरे शब्दों में हम यह मानते हैं, कि यदि किसी कार्य में बालक
 की रूचि है तो उससे वह प्रदग्धित होता है कि उस कार्य में साम्य व्याप्त है।
 रूचि है। ड्यूई ने सुनिश्चित किया कि भी महत्व दिया है। सुनिश्चित रूप किया
 निश्चित तथा प्रायोगिक रहती है। ड्यूई का मत है कि बालक क्रिया से सीख
 अच्छी तरह सीख सकता है जब कि क्रिया उसके लिए अनिश्चित हो। ड्यूई
 को विभाजित करने के पक्ष में नहीं है। प्रकृतिक मत है कि ड्यूई का विचार
 बन न करके उनका संश्लेषण करना चाहिए। प्रकृतिक सीखने का कार्य किया
 से, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित कार्य किया जाना आवश्यक है।
 शिक्षण-विधि के सम्बन्ध में ड्यूई का मत है कि बालक सामान्य विधि का
 कार्य सोचने विचारने की अच्छी आदतें खाना है। यह मानने की भी कि बालक
 अनुभव की विधि मानता है। इस प्रकार शिक्षण विधि के मूल सिद्धांत विचारण
 तत्वों से सम्मानता रखते हैं। शिक्षण विधि के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें साम्य हैं।

१. बालक का अनुभव की सामर्थ्य परिस्थितियों में परिष्कृत करनी चाहिए।
 लगातार ऐसी क्रिया में वह बड़े क्रियाओं तक ही सीखे।
२. की जानेवाली क्रिया बालक के विचारों का संश्लेषण सम्बन्धी
 शब्दों सम्बन्ध का निर्माण करे।
३. सम्बन्ध के हृदय के लिए आवश्यक है कि बालक सीखे तथा सीखने का
 प्राप्त करे।
४. बालक सम्बन्ध का हृदय विधिपूर्व तरीके से किया।
५. उपरोक्त विधि से प्राप्त क्रियाएँ बालक के लिए सम्बन्ध में।

अगर प्रदान किया जाये जिससे वह स्वयं प्राप्त ज्ञान की सत्यता की जाँच करे तथा उग्रता ज्ञान सृष्ट हो सके ।

इस शिक्षक को शिक्षा-रूपी नाटक का सूत्रधार मानता है तथा शिक्षण में उसे महत्वपूर्ण महत्ता है । शिक्षक चूँकि विद्वान्, अध्ययनशील, मनोविज्ञान का ज्ञाता होता है अतः वह बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन कर लेता है तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भूलों से बचाता है । योजना के कार्यान्वय में वह बालकों का उचित निर्देशन तथा पथ-प्रदर्शन करता है ।

इस सूत्रधार तथा ज्ञान में अन्तर मानता है तथा पाठ्य-सामग्री का चुनाव ज्ञान के आधार पर करने को उपयुक्त मानता है । वह वस्तुओं के साधारण ज्ञान तथा परिचय को सूत्रधार मानता है । उसके अनुसार सूत्रधार ज्ञानवर्धन की प्रेरणाएँ ही दे सकती हैं । पर वस्तुओं की वास्तविकता का ज्ञान सच्चा ज्ञान है । वस्तु की सत्यता या वास्तविकता का ज्ञान मुँहों में हजारों-खारों मनुष्यों के परीक्षणों द्वारा निर्धारित होता है । अतः हमारे पाठ्यक्रम में वास्तविक ज्ञान के विषय होना चाहिए । ये विषय ऐसे होना आवश्यक हैं जिनमें सत्य के शोध या जाँच करने के अवसर प्राप्त हों । अतः इस वैज्ञानिक तथा सामाजिक विषय को पढ़ाना उपयुक्त समझता है । वैज्ञानिक विषय बालक में जिज्ञासा, प्रयोग तथा मुक्त रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करते हैं । सामाजिक विषय बालकों को अभी तक चले आये सामाजिक जीवन के द्वारा सचित संस्कृति का ज्ञान कराते हैं । साथ ही-साथ बालक अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करते हैं ।

इसका वाक्य है कि कोई भी विषय पूर्णरूप से शैक्षिक या पूर्ण रूप से शारीरिक नहीं होता है । प्राचीन काल में चाहे हाथ में किये जानेवाले कार्य में बुद्धि का कम प्रयोग करना पड़ता हो पर आज के वैज्ञानिक युग में यह सम्भव नहीं है । साथ ही-साथ मनोवैज्ञानिक शीर्षों ने भी मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं में समीचे जानेवाले अन्तर को अग्र्य सिद्ध कर दिया है । अतः हमने शैक्षिक तथा शारीरिक कार्यों में तथा संयोग स्थापित करने के लिए कहा । इसके लिए हमने मानसिक या मद्-सम्बन्ध का विद्वान्त प्रतिपादन

दिना । वह ऊँच-नीच, धनी-निधन आदि का भेद-भाव नहीं मानता है । इस तरह वह समाज में प्रचलित भेद-भावों को दूर करने के पक्ष में है ।

वह शिक्षा में व्यावहारिक तन्त्रों को भी मान्यता देता है । हाँ, वह यह अक्षम मानता है कि बालकों को शुद्ध व्यावहारिक शिक्षा न दी जाये, पर वह बालकों की व्यावहारिक क्षमता के पक्ष में अवश्य है । उसका कथन है कि व्यवसाय में निपुणता आर्थिक सम्पन्नता तथा क्षमता की वृद्धि करती है और जीवन को सुखी बनाती है । साप-ही-साय आज के वैज्ञानिक युग में विशेषीकरण के होने से प्रशिक्षण भी आवश्यक हो गया है । अतः व्यावहारिक शिक्षा में शैक्षिक तथा सामाजिक तन्त्र अवश्य मिले होना चाहिए ।

गाँधीजी का शिक्षा-दर्शन

दर्शन को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा आवश्यक है तथा शिक्षा का मार्गदर्शन दर्शन ही करता है। शायद इसीलिए महात्मा गाँधी शिक्षा को न केवल सामाजिक बल्कि, राजनैतिक, आर्थिक आदि विकास के लिए आवश्यक मानते थे। इस दृष्टि से महात्मा गाँधी एक महान् शिक्षा-शास्त्री थे। उनके द्वारा निर्मित तथा प्रेरित विविध बुनियादी शिक्षा-योजना उनके शिक्षा-दर्शन का मूर्त रूप था। इस शिक्षा का उद्देश्य देश की जनता का हृदय तथा मन परिवर्तित करके एक शोषण-विहीन समाज की स्थापना करना था।

गाँधीजी का ईश्वर में अटल विश्वास था। वे मानव में ईश्वर का वास मानते थे। पलम्बरूप उन्हें ईश्वर तथा मानव के एकत्व में विश्वास था। इसी-लिए वे राम, रहीम, बुद्ध, ईसा तथा अन्नाह को ईश्वर के विभिन्न नाम ही मानते थे। वे जीवन की विभिन्नता में भी एकता का दर्शन करते थे। उनका कथन था कि जैसे सूर्य की किरणें अनेक हैं पर उनका स्रोत एक ही है, इसी प्रकार समाज में विभिन्नता के होते हुए भी उसका रचयिता एक ही है अतः वे समाज के भेद-भाव को दूर करने के पक्ष में थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे सच्चे मानवतावादी थे। वे ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण अनावश्यक समझते थे, क्योंकि उनका कथन था कि ईश्वर की तो अनुभूति ही की जा सकती है। वे सत्य को ही ईश्वर तथा समाज को माया या अज्ञान मानते थे। अतः वे ईश्वरप्राप्ति का मन्थन 'सत्य' को समझते थे। उनका विश्वास था कि सत्य का पालन अहिंसा के द्वारा ही सम्भव है। उनका कथन था कि सत्य ही ईश्वर है तथा उसकी प्राप्ति मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्ति अहिंसा के द्वारा ही की जा सकती है। इस प्रकार गाँधीजी सत्य एवं अहिंसा को एक दूसरे से सम्बन्धित मानते थे। चूँकि सत्य ही ईश्वर है तथा उसे अहिंसा के द्वारा

ही प्राप्त किया जा सकता है, अतः ईश्वर की अनुभूति शुद्ध हृदयवाले व्यक्ति को ही सम्भव है। हृदय की शुद्धि के लिए वे 'तप' को आवश्यक मानते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि तप या कष्ट आत्मा को सरल तथा शुद्ध बनाते हैं।

गौंधीजी समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्त्व का मानते थे। पर यह समझना भूल होगी कि गौंधीजी व्यक्ति को इतना महत्त्व देते थे कि वह सत्य की लोच स्वार्थी बनकर करे तथा समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान न रखे। वे तो सभी की स्वतंत्रता तथा बराबरी में विश्वास रखते थे। उनका उद्देश्य शोषण-विहीन ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें जाति, धर्म, रंग, धन आदि की असमानता तथा भेद-भाव न रहे। इस प्रकार वे विद्व-बन्धुत्व के समर्थक तथा माननेवाले थे। इसीलिए वह चाहते थे कि व्यक्ति अपने पूर्ण विकास के लिए ऐसे आध्यात्मिक समाज पर आश्रित रहे तथा इस प्रकार के समाज का आधार ऐसे सिद्धान्त, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा न्याय आदि हों, जो मानव को उसके देवी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों। इस प्रकार का समाज सभी प्रकार के शोषण तथा अन्याय से मुक्त होगा।

शोषणविहीन समाज की रचना के लिए गौंधीजी ने विवेन्द्रीकृत प्रामोद्योग तथा कृषि का सहारा लिया। गौंधीजी यंत्रों के विरुद्ध नहीं थे। उनका आशय यह था कि यंत्रों का उपयोग हुआ नहीं है। पर उन पर निर्भर या आश्रित होना बुरा है। प्रामोद्योग केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में धन एकत्रित न होने देंगे। छोटे उद्योग-धन्धों को अपनाकर व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपना जीवन निर्वाह करेगा तथा किसी प्रकार से शोषण का साधन न बन सकेगा।

गौंधीजी के इस प्रकार के शोषण-विहीन समाज में व्यक्ति की सेवा ही ईश्वर की सेवा होगी। इसीलिए गौंधीजी कहते थे कि मेरा उद्देश्य ईश्वर-सेवा है तथा इसीलिए मानव-सेवा भी; क्योंकि मानव में ईश्वर का वास है। उनका विश्वास था कि मानव का उद्देश्य अपनी सभी प्रकार की क्रियाओं, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक के द्वारा ईश्वर-प्राप्ति करना है। अतः व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्तियों की सेवा करना आवश्यक है, क्योंकि इसी एक विधि से वह ईश्वर को पा सकता है। मानव-सेवा करने का तात्पर्य है कि ईश्वर की कृति के साथ

तादात्म्य स्थापित करके उसकी अनुभूति प्राप्त करना, क्योंकि ईश्वर मानव से अलग नहीं है। उनके अनुसार व्यक्ति अपने माथियों की सेवा के अनुपात में ही उच्च बनता है।

गाँधीजी ने चरित्र को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनका कथन है कि हमारे साध्य एवम् साधन दोनों पवित्र होना चाहिये। केवल साध्य अच्छा और पवित्र होने में काम न चलेगा। इस पवित्र साध्य की प्राप्ति के साधन भी पवित्र रूपा सही होना आवश्यक है। इसीलिए गाँधीजी हमेशा सही मार्ग अपना देने को उचित मानते थे। उनका कथन था कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो—राजनीति, समाज, शिक्षा, धर्म—सत्य या सही मार्ग अपनाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए गाँधीजी ने अपने सभी कार्यक्रमों में अछूतों-द्वार, खादी-उत्पादन, स्वराज्य-प्राप्ति, आन्दोलन, नदावन्दी, शिक्षा, ग्राम-सुधार में अहिंसा-पूर्वक सत्य मार्ग का अनुसरण किया। पर हम सत्य मार्ग पर चलने के लिए अभ्यास आवश्यक है। बिना पूर्व-अभ्यास के व्यक्ति में इन गुणों का विकास होना कठिन है। अतः इन गुणों के विकास तथा शोषण-विहीन स्वयं नियमित समाज की रचना के लिए गाँधीजी ने सुनिवादी शिक्षा के रूप में एक ऐसी योजना बनाई जो उनके दर्शन के सिद्धान्तों का परम मूल रूप ही है।

गाँधीजी बालक की समस्त शक्तियों के समुचित विकास करनेवाली शिक्षा को ही सच्ची शिक्षा मानते थे। समुचित विकास में उनका सात्यक शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास में था। साक्षरता को वे नहीं शिक्षा का प्रारम्भ मानते थे और न अन्त। उसे बड़े व्यक्ति की शिक्षा का एक साधन मानते हैं। इसीलिए उनका कथन था कि साक्षरता कोई शिक्षा नहीं है। इसीलिए उन्होंने बिना पढ़े-लिखे किसान को, जिसका चरित्र ऊँचा है, श्रेष्ठ माना है और उसे उच्च नहीं माना जिसने आधुनिक शाला तथा महाविद्यालयों की डिग्रियों प्राप्त की हैं, पर जो चरित्रवान नहीं। इसीलिए श्री मधुबाला ने कहा है कि साक्षरता ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान का माध्यम भी नहीं है। वह तो ज्ञान-अज्ञान का गणेशात्मक प्रतीक है। हम प्रचार हम देखते हैं कि साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य तथा माध्यम कभी हो ही नहीं सकती है। गाँधीजी के शिक्षा-दर्शन में तो शास्त्र के सन्तान्त्रिक विचार ही प्रमुख विषय तथा अन्य साधन गौण हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधीजी ने पश्चिमी शिक्षा-शास्त्रियों के समान बालक को महत्त्वपूर्ण माना है। स्व० श्री महादेव देसाई ने लिखा है गाँधीजी का विश्वास था कि शिक्षा को बालक का समुचित विकास करके पूर्ण व्यक्ति बनाने में समर्थ होना चाहिए। जो शिक्षा बालक को पूर्ण उपयोगी नागरिक नहीं बना सकती वह अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती। यहाँ पूर्ण व्यक्ति का अर्थ व्यक्तित्व के चारों तत्वों, शरीर, हृदय, मन तथा आत्मा के समुचित विकास से है। इसलिए गाँधीजी कहते थे कि मूल्य शिक्षा वही है जो बालक के आध्यात्मिक, मानसिक या बौद्धिक तथा शारीरिक गुणों को उत्तेजित तथा उनका समुचित विकास करती है। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के अनुसार उपरोक्त तत्वों में से किसी एक तत्व पर बल देनेवाली या किसी एक का विकास करनेवाली शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का अपूर्ण एवं एकांगी विकास करेगी।

बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गाँधीजी ने उद्योग या दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा देने को उपयुक्त माना है। वह उद्योग जिसके सहारे बालक को सम्पूर्ण ज्ञान दिया जायेगा उसमें स्वावलम्बन का भाव उत्पन्न करेगा। २२ अक्टूबर सन् १९३७ को वर्षा शिक्षा-परिषद् में गाँधीजी ने भाषण देते हुए कहा था कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से शाळाओं में जो ज्ञान दिया जाता है वह न केवल निरर्थक है बल्कि बालकों के लिए हानिप्रद भी है। उससे गाँव को हानि होती है। बालक अपने घर तथा समाज से विलग हो जाते हैं। आज की प्राथमिक शिक्षा में कोई भी ऐसी बात दिललाई नहीं देती जो गाँव के बालक मीरों तथा उसका उपयोग अपने गाँव में ही कर सकें। अतः गाँधीजी ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का समन्वय कर उसे उद्योग के माध्यम से देने की सलाह दी।

पर उद्योग या दस्तकारी का आधार लेने का तत्पर्य यह नहीं था कि पढ़ाई के साथ-साथ एक उद्योग या धन्धा भी सिखा दिया जाये। उनका तात्पर्य था कि सम्पूर्ण शिक्षा का आधार उद्योग या दस्तकारी हो। हमारे देश में मध्ययुग में बालकों को केवल धन्धे सिखाए जाते थे। उस जमाने में इन उद्योगों या धन्धों के द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय उद्योग या उद्योग के लिए ही सिखाया जाता था। पर गाँधीजी उद्योग

या धर्मों की मदद से तथा उनके माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। पलस्वरूप उन्होंने केवल उद्योग या दस्तकारी की सिखाने पर बल न देकर बालकों को सम्पूर्ण शिक्षा उद्योग के द्वारा दिये जाने का महत्व माना।

बहुधा लोग तकली या चरखा या सूत-कतार्द को ही उद्योग बनाने के सम्बन्ध में आलोचना किया करते हैं। गाँधीजी ने तो ममाल में प्रचलित किसी भी उद्योग की शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कहा। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम बनानेवालों ने मुविधा के लिए ७ उद्योगों को चुन लिया तथा बुनियादी पाठ्यक्रम में उन्हें स्थान दिया। पर तकली-चरखा चलाने पर गाँधीजी ने बहुत जोर इसलिए दिया कि तकली चलाने में न आर्थिक खर्च पड़ता है और न अधिक व्यवस्था या तैयारी की आवश्यकता होती है। देश की गिरि हुई हालत को उठाने में भी तकली मदद कर सकती है। किसी भी अन्य धन्धे की व्यवस्था करने तथा गामान जुटाने में बड़ी कठिनाई होती है। इन सब बातों को सोचकर उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा तकली से ही प्रारम्भ की जाये। उन्होंने कहा कि पहले साल बालकों को मज-कुल तकली के ही बारे में बताया जाये। उनका विचार था कि बालक अपने लिए कपडा बना गेगा।

गाँधीजी के विचार से शिक्षा का पाठ्यक्रम ७ वर्षों का होना चाहिए तथा कम-से-कम १४ साल की आयु तक शिक्षा दी जानी चाहिए। शालाओं में धार्मिक शिक्षा को उन्होंने आवश्यक माना। गाँधीजी का ईश्वर में अटल विश्वास था, अतः उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा में ईश्वर-प्राथम्यता का विशेष स्थान रखा। पर उनका कथन था कि मुख्य उद्योग, जिनके माध्यम से सम्पूर्ण ज्ञान दिया जायेगा, बालकों में स्वावलम्बन का भाव पैदा करेगा। यही स्वावलम्बन का धर्म गिनाना हमारा उद्देश्य रहेगा। तथा गाँधीजी के विचारों से धर्मों या अम्ली रूप भी यही स्वावलम्बन गिनाना है।

सम्पूर्ण ज्ञान देनेवाले उद्योग तथा स्वावलम्बन के सम्बन्ध में लोगों में बड़ी झगड़ पैदा हुई। जैसा कि अभी दर्शाया गया है कि केवल उद्योग तथा अन्य विषयों का ज्ञान अल्प-अल्प देना बुनियादी शिक्षा में कोई महत्व नहीं रखता है। यह तो उद्योग के माध्यम में अन्य विषयों के ज्ञान पर बल देनी है। कुछ धार्मिक स्वावलम्बन के लिए उद्योग पर इतना महत्व देते हैं कि उनकी शान्ति

केवल उत्पादन करनेवाले कारखाने बन जाते हैं। बुनियादी शालाएँ कोई कारखाने थोड़े ही हैं, जहाँ बालक किसी उत्पादक उद्योग में लगे रहते हैं। गाँधीजी का मतलब तो यह था कि उद्योग के द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाये।

बुनियादी शाला के उद्योग का सम्बन्ध स्वावलम्बन से भी अधिक है। गाँधीजी यह अवश्य चाहते थे कि उद्योग बालक के सम्पूर्ण विकास के साथ-साथ शिक्षा का कुछ खर्च भी निकाले। इस प्रकार वे शिक्षा को कम खर्चीली तथा स्वावलम्बी बनाना चाहते थे। शिक्षा के स्वावलम्बन के दो रूप हो सकते हैं :

- (१) बालक के शाला के जीवन के बाद के जीवन को स्वावलम्बी बनाने योग्य; तथा
- (२) शिक्षा का सम्पूर्ण खर्च वहन करने योग्य।

गाँधीजी का कथन था कि शिक्षा बेकारी के बीमे के रूप में होना चाहिए। उत्पादक अग हो जाना चाहिए। इसके साथ-साथ उनका यह विश्वास था कि बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के मूल्य से शिक्षकों के वेतन का खर्च तो निकल ही आयेगा। इस प्रकार गाँधीजी शाला को कारखाना नहीं बनाना चाहते थे, वह तो उद्योग के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास तथा शिक्षकों के वेतन का खर्च निकालने के पक्ष में थे। वह श्रम को महत्त्व अवश्य देते थे पर श्रम का तात्पर्य बुली के समान कार्य करने का नहीं था। वह चाहते थे कि श्रम अपनी तथा शाला की आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में ही हो। इसीलिए उनका कथन था कि 'सभी काम समों के लिए' हैं। इस सिद्धान्त से समाज में पुआड़त तथा ऊँच-नीच के भेद-भाव को भी दूर किया जा सकता है।

टैगोर का शिक्षा-दर्शन

रवीन्द्रनाथ टैगोर ६ मई सन् १८६१ को कलकत्ते में उत्पन्न हुए थे। इन्हें बचपन से ही कविता करने में रुचि थी। इनकी अधिराश शिक्षा घर पर ही हुई थी। टैगोर की कविता का आदर उन्हें सन् १९१३ में उनकी 'गीताञ्जली' पर नोबल पुरस्कार देकर किया गया। टैगोर कवि के साथ-साथ उच्च कोटि के दार्शनिक, नाट्यकार, चित्रकार तथा शिक्षा-शास्त्री भी थे। अपनी लेखनी के द्वारा, उन्होंने न केवल बंगला साहित्य को धनी बनाया चरन् अंग्रेजी साहित्य का भंडार भी भरा। कवि तथा शिक्षा-शास्त्री आदि के अतिरिक्त टैगोर मानवता के उच्च कोटि के सन्त भी थे। मानव से प्रेम उनका धर्म था। उन्हें भारतीय परम्परा के अनुकूल आश्रम-पद्धति बड़ी प्रिय थी। इन्हीं उद्देश्य से उन्होंने शान्ति-निकेतन में लगभग ४० वर्ष की आयु में एक शाला की स्थापना की थी। उन्होंने 'My School' नामक रचना में अपने शिक्षा-नामधन्धी विचारों का प्रतिपादन किया है। उनका कथन था कि यदि हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को भलीभाँति समझते हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि हमारी शालाएँ पर का काम दे सकें। पढ़ाई के साथ शिक्षा की रीतियों का भी आनन्द ले सकें। इस प्रकार शिक्षाओं का काम 'विषयों का ज्ञान देना तथा बालकों के हृदयों को सुधारना' दोनों हैं।

केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ना ही शिक्षा नहीं है। अग्नि, वायु, जल तथा मिट्टी आदि से बने हुए जगत् को प्यारपूर्वक देखना, उनके महत्त्व को समझना ही वास्तविक शिक्षा है।

'शान्ति समुच्चों में साम्य' (harmony) टैगोर-दर्शन का प्रमुख सिद्धान्त है। इस साम्य के उन्होंने तीन रूप माने हैं—(१) प्रकृति में साम्य, (२) मानवीय व्यवहार में साम्य तथा (३) विश्व में साम्य। अतः टैगोर की दृष्टि में सर्व्वी

शिक्षा वही है जो व्यक्ति के जीवन का सृष्टि की सभी वस्तुओं से साम्य स्थापित करे। उन्होंने बचपन से ही शाला को छोड़ दिया था तथा उसी समय से वे तत्कालीन शिक्षण-विधि के विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस समय की शिक्षा सृष्टि की वस्तुओं से साम्य स्थापित करने में सहायक नहीं होती थी। टैगोर की दृष्टि से शैक्षणिक संस्था का प्रमुख उद्देश्य बालक की सभार तथा जीवन से एकरूपता या समता स्थापित करना होना चाहिए। टैगोर ने अपनी बोलपुर की शाला में इस उद्देश्य की पूर्ति की। इसी शाला ने आज विकसित होकर विश्वभारती का रूप धारण कर लिया है।

हम टैगोर के शिक्षा-दर्शन में तीन प्रमुख तत्व पाते हैं—(१) प्रकृतिवाद, (२) मानवतावाद तथा (३) विश्वबन्धुत्व।

प्रकृतिवाद

टैगोर मानव तथा प्रकृति में स्वाभाविक एकत्व का दर्शन करते हैं। इसीलिए वह चाहते हैं कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में सम्पन्न होनी चाहिए। टैगोर का विश्वास है कि प्राकृतिक वातावरण में दी जानेवाली शिक्षा के द्वारा संसार से बालक का सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। प्रकृति के दृश्य सामंजस्य तथा सम्पर्क से बालक उसके सगात्मक सम्बन्ध भी स्थापित कर सकता है। स्वच्छ आकाश, खुली वायु तथा फूल-पत्ते मानव के शरीर, मन और मस्तिष्क को उचित सौँचे में ढालने तथा उन्हें शक्ति देने के लिए बड़े आवश्यक हैं। जीवन के रक्षण में फँसने के पूर्व हमें प्रकृति में, जिसकी गोद में हम पैदा हुए हैं, सूख सगर्क स्थापित कर लेना चाहिए। माता के दूध की माँति उसके अमृत-रस चूमकर उसमें विशालता और अमय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने से ही हम सच्चे तथा पूर्ण मानव बन सकेंगे। टैगोर ने 'Religion of Man' में कहा है कि संसार के सगर्क में बालक अपनी इन्द्रियों की ताजगी से आते हैं। यह उनके लिए प्रथम देन है। अतः इसे उन्हें ज्यों-कान्हों ग्रहण करना चाहिए तथा उसमें अपना पनिष्ठ सगर्क स्थापित करना चाहिए। यही कारण है कि टैगोर बालकों की इन्द्रियों को शरीर वातावरण में दूषित नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें प्राचीन भारत की 'गुरुकुल पाली' बरी म्रिय है। अपने प्रकृति-प्रेम के कारण वे 'पाणिनयन मृगो' पुस्तक में बड़े प्रभावित हैं।

टैगोर को संस्था की अपेक्षा व्यक्ति में अधिक विश्वास है। इसीलिए वे शिक्षा में रगो के समान व्यक्तिवाद को अच्छा समझते हैं। वे बालक को शिक्षण-विधि के बोझ में दूर ही रगना अच्छा समझते हैं। उन्हें शिक्षण-विधि पुस्तक तथा शिक्षक से व्यक्तिगत बालक अधिक प्रिय थे। उनका विद्वान था कि आत्म-प्रकाशन, आत्म-विकास, आत्म-तुष्टि (self-salvation) सभी व्यक्तिगत हैं तथा व्यक्ति अकेले अपने प्रयत्नों से इन्हें पा सकता है। इसलिए वे शिक्षा में व्यक्ति को सर्वोच्च तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।

टैगोर के प्रकृतिवाद से सम्बन्धित उनका आध्यात्मवाद भी है। आध्यात्मवाद के विकास के लिए वे संगीत को उपयुक्त मानते थे। इसलिए वे जोरदार शब्दों में कहा करते थे कि प्राकृतिक वातावरण में शोलपुर में शाला स्थापित करते समय उनका उद्देश्य बालकों को आध्यात्मिक सस्कृति से परिचित कराना था।

मानवतावाद

टैगोर के लिए मानव ही सभी वस्तुओं के मूल्यार्जन का माध्यम था। अपने जीवन में वे इसी सत्य को प्रतिपादित करते रहे। गगार के सम्बन्ध में उनकी कल्पना भी मानवतावादी है। उनका कथन था कि सभी गुण तथा मूल्य मानव के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। सत्य, शिव तथा मुन्दर को मानव ही अनुभव करता है। उनका कथन था कि जब हमारी सृष्टि मानव से, जो अनन्त है, जिसे हम मत्स्य के रूप में जानते हैं, सम्यग् स्थापित करती है सभी मुन्दर की सृष्टि होती है। वे गगार को मानव गगार के रूप में मानते थे। टैगोर मानवता के सार्वभौमिक मन को भी मानते थे। यह सार्वभौमिक मन विभिन्न व्यक्तिगत मनों के परे है। टैगोर मानव को ईश्वर भी मानते थे। इसीलिए उनका कथन था कि ईश्वर अनन्त व्यक्ति है जो सभी मानवों में दिखाई देता है। उन्होंने कहा भी है कि ईश्वर वहीं है जहाँ सजदूर कड़ी भूमि ग्लोद रहा है तथा रगना कनानेवालय फगर की गिठी लोड रहा है। टैगोर गम्यता के विद्यालय को पैमानिक स्वोर्ज या आश्रमों की अधिपता में न आकर मानव को स्थित जाने वाले मूल्य या महत्व में आरगना उपयुक्त समझते थे। मानव के प्रति हम प्रेम में ही उन्हें शोलपुर में शाला स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

वे अपने जीवन-भर पूर्व तथा पश्चिम के वैपम्य को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे। वह चाहते थे कि पूर्व को अच्छाई पश्चिम वालों को मिले तथा पूर्ववाले पश्चिम की अच्छाई को ग्रहण कर। उनका विश्वास था कि संसार की समस्याएँ विश्व के सभी भागों के मेल से ही सुलझाई जा सकती हैं। अपनी विश्वभारती में भी उन्होंने इस मेल के प्रयत्न किये। इसीलिए विश्वभारती में जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि का कोई भेद-भाव नहीं पाया जाता।

टैगोर आदर्शवादी

टैगोर का दर्शन तथा शिक्षा-सम्बन्धी विचार आदर्शवादी थे। वे सृष्टि की एकता को प्राप्ति ईश्वर के माध्यम से उपलब्ध करना चाहते थे। जब वे कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सम्पूर्ण सृष्टि से साम्य स्थापित करना है तब वे सच्चे आदर्शवादी बन जाते हैं। टैगोर के लिए शिक्षा प्रेम तथा सार्वभौमिकता-प्राप्ति के लिए सनातन राज थी। इसीलिए उन्होंने अपनी संस्था का नाम 'विश्वभारती' रखा था।

पर टैगोर का आदर्शवाद शिक्षा तथा समाज को भुला देनेवाला नहीं था। वह चाहते थे कि शिक्षा का सम्बन्ध मानव-जीवन से अवश्य होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 'हमारी संस्कृति का केन्द्र-शिक्षा जीवन में विन्दु केवल भारतीय बौद्धिक जीवन का केन्द्र ही नहीं होना सम्बन्धित ब्यापित करना उनके आर्थिक जीवन का केन्द्र भी होना चाहिए।' यहाँ हम टैगोर के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों में प्रयोग-वादी दृष्टिकोण पाते हैं।

टैगोर का विश्वास था कि मानव का इस सृष्टि में समस्त शाश्वत राज के गरल रूप में सम्पर्क है। जन्म में ही उसे दुःख की मशयता तथा मर्दावना प्राप्त होती है। बाद में ही यह दुःखों के साथ अपने सम्बन्धों का उच्च पूर्ण जीवन में मन्देह करता है। पर अपने जीवन के साथ ही प्राप्ति के प्यतीन करें लिए उसे प्रेम में सृष्टि में साम्य स्थापित करना पड़ता है। इसीलिए टैगोर चाहते हैं कि बाल्य को अपने जीवन-काल में पूर्ण स्थापना प्रदान को जानो चाहिए। उनका विश्वास भी था कि बाल्य

को अपने जीवन को पूर्णतः तथा स्वतंत्रता से ध्येय बनाने की चाह भी रहती है। इसलिए टैगोर ऐसी वर्तमान शालाओं के, जो बालक को प्राकृतिक वातावरण से दूर करके सभ्य समाज के अन्याभाविक वातावरण में रग्न करके शिक्षा देती हैं, बड़े विरुद्ध थे। इसमें बालक के व्यक्तित्व का हनन होता है तथा मर्दान के समान एक-सी वस्तुएँ ही उत्पन्न होती हैं।

टैगोर को आमतौर पर बालक में विश्वास न था। वे प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व को भिन्न-भिन्न मानते थे तथा चाहते थे कि प्रत्येक बालक का अलग-अलग व्यवहार ध्यान रखा जाये। उनका कथन था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक विभिन्न केवल ज्ञान देना ही नहीं है क्योंकि ज्ञान मनुष्य को शक्ति तथा पूर्ण स्वतंत्र शाली अवश्य बना देता है पर वह उसे पूर्ण मानव नहीं बना सकता। उनका विश्वास था कि आधुनिक शालाएँ बालकों को ज्ञान देने के उन्माह में यह भूल रही हैं कि उन्हें (बालकों को) पूर्ण व्यक्ति बने बनाया जाये। उनका विचार था कि सद्भावना के द्वारा ही बालक पूर्णता की प्राप्ति हो सकता है। टैगोर सम्पूर्ण सृष्टि से साम्य स्थापित करने की ही सद्भावना मानते थे। इसलिए उनके अनुसार सर्व्वी शिक्षा वही है जो न केवल ज्ञान बढ़ाती है बल्कि जो व्यक्ति का सम्पूर्ण सृष्टि से साम्य स्थापित करती है। इस दृष्टि से टैगोर सद्भावना की शिक्षा को आवश्यक मानते थे।

टैगोर बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि बालक को किसी बात को आदत ही न डाली जाये। उसे प्रकृति से दूर भी न किया जाये। बालक प्रकृति-प्रेम से ही ज्ञान की प्राप्ति करें। विकास की वस्तुएँ बालक के लिए बोल ही अत्रः शिक्षा में भी इनका बौद्धिक स्थान नहीं होना चाहिए। वे बालक की स्वतंत्र स्वयं-निर्वाहों के पक्ष में थे, क्योंकि इनसे उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है।

टैगोर का कथन था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सत्य का एकत्र प्रदान करना है। यह एकत्र बौद्धिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक जीवन के सह-सम्बन्धों को प्रदर्शित करके प्राप्त करना ही शक्यता है। टैगोर आध्यात्मिक का एकत्र भिन्न संसार में विश्वास रखते थे तथा उनका यकीन था कि शालाओं में प्राग्भ से ही इनको उद्वेग की

मुल्यमा जाता है। अतः बालक को आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करके तथा धार्मिक शिक्षक के द्वारा इसकी प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार टैगोर शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सम्पूर्ण विकास तथा आत्मा की स्वतंत्रता मानते थे। हमारे देश की आश्रम-पद्धति ने इस धर्म की पूर्ति की। देश में धर्मों भी यह विद्यमान है तथा इसकी प्राप्ति करना हमारे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।

टैगोर का विश्वास था कि बालक का अचेतन मन चेतन की अपेक्षा अधिक सक्रिय रहता है। बालक अचेतन मन से बहुत अधिक सीगते हैं। अतः बालकों को अचेतन मन से अच्छी बातें सीगाने की प्रेरणा देने के शिक्षा स्वाभाविक लिए वातावरण अच्छा तथा शिक्षाप्रद होना चाहिए। उन्हें होनी चाहिए। पुस्तकों से सीगने के लिए भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें स्वाभाविक वातावरण में ही सीगने की प्रेरणा देनी चाहिए। रूसो के समान टैगोर भी विश्वास करते थे कि पुस्तकें बालक तथा सृष्टि के बीच में बाधक बनती हैं। अतः टैगोर चाहते थे कि बचपन में बालकों को सीधे व्यक्ति तथा वस्तुओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये इस पर इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने अपनी शाला में विचारों का वातावरण ही तैयार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्वयं शाला को अपना घर बनाया तथा बसों रहे। उनही वाद की कविताएँ वहीं लिखी गईं तथा वहाँ नाटक लिखे तथा खेले भी गए।

टैगोर के अनुसार मन की स्वतंत्रता शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह मन की स्वतंत्रता स्वतंत्रता से ही प्राप्त हो सकती है। मन मन ही स्वतंत्रता की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत प्रेम आवश्यक है। बालकों में प्रेम रखकर ही शिक्षक बालकों को मन की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है।

टैगोर का कथन था कि शिक्षक में त्रिभुज संतुलन होनी उतने अधिक यह बालकों को न दे सकें। पर आज त्रिभुज संतुलन में शिक्षक कार्य कर रहा है उतने अधिक देना तथा संतुलन से भी देना उतने काम से शिक्षक कैसे हों? संभव है। फेर-आवृत्तता इस बात की है कि शिक्षक में उचित विधियों में काम किया जाये तथा उतने अधिक प्रेरणा

दी जाये। लैब्रे पेट्टे का लाम प्रयोग करने की रीति के अनुसार कम या अधिक होता है, उसी प्रकार शिक्षक से लाम भी कम या अधिक होना उसके उपयोग पर निर्भर है। आजकल शिक्षक का उपयोग इस प्रकार होता है कि उनके मन तथा मस्तिष्क का बहुत थोड़ा भाग कार्यान्वित होता है। आज शिक्षक कल या मर्गान की तरह काम करने हैं। ग्रामोफी र मर्गान के साथ यदि हम एक छड़ी तथा थोड़ा-सा मस्तिष्क और जाँड दें तो वह शिक्षक का काम कर सकेगी। पर शिक्षक का काम केवल यही तक तो सीमित नहीं है। यदि उसे वास्तव में हमारी प्राचीन परम्परा के अनुसार गुरु बनना है तो अपनी सम्पूर्ण शक्ति तथा योग्यता को स्वाभाविक रूप से बालकों की ओर दीक्षाना आवश्यक है।

आजकल बात कुछ उल्टी हो रही है। बालक शिक्षक के पास न जाकर शिक्षक ही बालक के पास जाने हैं। इस प्रकार शिक्षक एक व्यापारी बन गया है तथा शिक्षा देना और विद्या पढ़ाना उसका व्यवसाय बन गया है। फलस्वरूप गुरु और शिष्य का पहिले के समान सम्बन्ध नहीं रहा है। शिक्षकों को तो यह समझना चाहिए कि वे गुरु के आसन पर बैठे हैं तथा उन्हें अपने जीवन द्वारा अपने बच्चों में जीवात्मा फैरानी है। अपने ज्ञान द्वारा उनके हृदय में ज्ञान और विद्या की ज्योति जगानी है—अपने प्रेम द्वारा बालकों का उधार करना है, उनके अमूल्य जीवन का सुधार करना है। ऐसा होने पर ही शिक्षक अपने रूप से स्वाभिमान के अधिकारी बन सकते हैं। तभी वे ऐसी वस्तुएँ बालकों को दे सकेंगे जो बेचो तथा खरीदी नहीं जा सकती हैं—जो दिलों में मूल्य में प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक धर्म के विधान और प्राकृतिक नियमानुसार पूज्य तथा सम्मान के पात्र बन सकेंगे।

विनोबाजी का शिक्षा-दर्शन

विनोबाजी का जन्म महाराष्ट्र की वीरभूमि में गानोदा में ११ सितम्बर १८९५ को हुआ था। सन् १९०१ में कुल की परम्परा के अनुसार इनका यज्ञो-पवीत हुआ। विनोबाजी पर उनकी माँ का प्रभाव बहुत अधिक था। विनोबाजी के जीवन में अच्छे-अच्छे सहकार डालने का भेय उनकी माँ को ही है। उच्च गणितों का जीवन में बड़ा महत्व है। वे जितने अधिक होते हैं, जीवन उतना ही सतेज बनता है। विनोबाजी इसीलिए जीवन को 'संस्कार-सचय' ही मानते हैं। विनोबाजी का हरिजन-प्रेम, ब्रह्मचर्य का महत्व आदि उनकी माँ की प्रेरणा से ही प्राप्त हुए। ९ वर्ष की आयु में विनोबाजी पढ़ने के लिए बड़ौदा आये। वे बचपन से ही पढ़ने में तेज तथा गणित में बहुत होशियार थे। वे कक्षा में हमेशा प्रथम आते थे। बचपन से ही उन्हें घूमने तथा घोलने का बड़ा शौक रहा है। घुरी आदतों में तो उन्हें स्वभावतः बड़ी शृणा रही है। इनके पर का चातावरण राष्ट्रीय था। अल्पयुवक में उनकी बचपन से ही रचि थी।

विनोबाजी का विद्यार्थी जीवन बड़ा बटोर तथा मती था। वे जमीन पर चटार्द पर सोने, पैरों में कुल नहीं पहनने और भीठी चोजे नहीं ग्याते थे। हार-हृन्त परीक्षा पाग करके वे कान्जेज में भरती हुए। अथ उनके विचारों में महार्द आने लगी थी, पर म्दमाव अभी भी बहुत तेज था। इस आयु में राष्ट्रीयता तथा आष्यात्मिक चेतना बनी तेजी से विरगित होने लगी। अपने मापियों में राष्ट्रीय चेतना भरने के लिए सन १९१४ में उन्होंने 'विद्यार्थी मण्डल' स्थापित किया। इसमें प्रति ग्नाह किमी न किमी विद्यार्थी का भागण होता था। इसके सभी सदस्य मरान्तिहारी विचारों के थे। 'विद्यार्थी मण्डल' में विनोबाजी के भागण सम्भीर, आनेन-मर्दित तथा उच्च कौटिक के होते थे।

विनोबाजी से उनके राष्ट्र भक्ति के विचार देश भक्ति की ओर से लगे

थे तथा उनका दर्शन-ग्रन्थों का अध्ययन वैराग्य की ओर। पर आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव अधिक था। एक दिन जब वे इटर में पढ़ रहे थे उन्होंने अपने सभी सार्टिफिकेट घर के चूल्हे में जला दिये। माँ ने पूछा तो कहा कि जब नौकरी करना ही नहीं है तब इनकी क्या जरूरत? इसी वर्ष जब वे दण्डर की परीक्षा देने बम्बई जा रहे थे तब रास्ते में ही उतर पड़े तथा सूरत से बनारस चले गये। घर उन्होंने पिताजी को पत्र लिखा कि मैं बम्बई परीक्षा देने न जाकर और कहाँ जा रहा हूँ। आपको यह तो विश्वास है ही कि मैं चाहे कहीं जाऊँ, मेरे हाथ से कोई अनैतिक बात नहीं होगी। यह १९१६ की बात है। बनारस से इस प्रकार विनोबाजी की साधना का जीवन प्रारम्भ हुआ। इन्हीं दिनों वे हिमालय-दर्शन के लिए भी गये। उन्होंने दादी बदा ही थी तथा घस्त्र भी कम-से-कम रखे थे। जब विनोबाजी काशी में थे तब हिन्दू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। इसी समय इन्होंने महात्मा गाँधी का ओजस्वी तथा प्रभाव-शाली भाषण सुना। इसका विनोबाजी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसी समय उन्होंने गाँधीजी को एक पत्र लिखा तथा कुछ शकाओं का समाधान करने की प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद इन्हे गाँधीजी का पत्र मिला, जिसमें उन्हें आश्रम में आकर सन्तुष्टि करने की बात लिखी थी। विनोबाजी अहमदाबाद गाँधीजी के आश्रम में आ गए। यहाँ आकर उनके जीवन की दिशा पूर्ण रीति से स्पष्ट हो गई।

आश्रम में वे एक साधक, तपस्वी की भौति रहते। उन्हें जो काम मिलता करते। विनोबाजी ने केवल कठोर परिश्रम ही नहीं किया बल्कि एक ब्राम्हिन्कारी विचार भी दिया। यह है, कोई काम छोटा नहीं है। पालाना उठाना भी पवित्र कार्य है। यह विचार विनोबाजी ने ही दिया।

आश्रम तथा छात्रावास में काम करते-करते उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षकों को यह प्रतीति होनी चाहिए कि वे सजीव देवताओं की ही सेवा कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों की डाँट-पटकार की प्रणाली की भूल का अनुभव किया। वे चाहते थे कि शिक्षकों को अपने हाथ से गन्दे बालों के हाथ-पैर भी धोना चाहिए, पटे कपड़े सी देना चाहिए तथा उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह स्वयं होगा व्यवहार करने लगे। बालों के विभाग पर इसका

अच्छा प्रभाव पड़ा। शिक्षा के सम्बन्ध में ये विचार उनके मन में गूँजते रहे तथा आगे चलकर गाँधीजी की जब नई तालीम चली तो उन्होंने उसमें गाँधीजी की बड़ी सहायता की। आज तो विनोबाजी नई तालीम के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। इस प्रणाली में उन्होंने एक बड़ी भारी प्रगति कर दी है। 'भवोदय अर्थात् सभी का उदय' करना नई तालीम का ध्येय है। यह विचार विनोबाजी का ही दिया हुआ है।

बुनियादी शिक्षा या नई तालीम में रचनात्मक कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। विनोबाजी ने अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा तथा स्वयं अध्यापन कार्य करके बुनियादी शिक्षा को मूर्त रूप देने में बड़ी सहायता की है। स्वयं गाँधीजी ने इनके सम्बन्ध में लिखा है 'स्वभाव से ही शिक्षक होने के कारण उन्होंने (विनोबाजी) श्रीमती आशादेवी को दम्नकारों के द्वारा बुनियादी तालीम की योजना का विकास करने में बहुत योग दिया है।' विनोबाजी ने कर्तारों को बुनियादी दम्नकारी मानकर 'मूल उद्योग कर्तार' नामक मौखिक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसके सम्बन्ध में गाँधीजी ने लिखा है कि 'इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने हँसी उड़ाने वालों को यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि कर्तार एक ऐसी दम्नकारी है जिसका उपयोग बुनियादी तालीम में बन्दूकी किया जा सकता है।' याम्य में विनोबाजी ने बुनियादी शिक्षा के द्वारा बालकों की शिक्षा को सही दिशा दिखाई है।

जीवन ही शिक्षा

'जीवन और शिक्षण' तथा 'शिक्षण विचार' पुस्तकों में विनोबाजी के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का संग्रह है। इनमें शिक्षा को जीवन ही माना है। ये जीवन और शिक्षा का अलग-अलग नहीं मानते। जीवन और शिक्षा के अलग-अलग होने से ही शिक्षा के बाद बालक रहनी, पर और समाज की जिम्मेदारों ठीक से नहीं निभा पाते हैं। विनोबाजी का कथन है कि विचारों का जीवन से नाता टूट जाने पर विचार निर्जीव हो जाते हैं और जीवन विचार-रहित हो जाता है। मनुष्य पर में जाता है और मदरसे में विचार गायब है, इसलिए जीवन और विचार का मेल नहीं बैठता। इसका उपाय मुझातें हुए उन्होंने कहा है कि एक ओर में पर में मदरसे का प्रवेश होना चाहिए और दूसरे ओर में मदरसे में पर मुग्ना चाहिए। इस प्रकार बौद्धिक पाठशाला ग्राहित को जगता चाहिए।

शाला के कौटुम्बिक जीवन के उन्होंने निम्न कार्य माने हैं :

ईश्वर-निष्ठा सार वस्तु है अतः दोनों वक्त प्रार्थना, सात्त्विक आहार, स्वयं खोदें बनाकर खाना, छुआछूत न मानना तथा पारवाना स्वयं उठाना, अछूतों को भी शाला में प्रवेश देना, स्नानादि मुबद्द ठण्डे ही पानी से करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, 'साय कर्म' करना, उद्योग की शिक्षा का आधार मानना, नियमित व्यायाम करना, नियमित कटाई करना, खादी पहिनना तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, रात-जागरण केवल मेवा के लिए ही करना, रात्रि-भोजन का त्याग करना, आदि ।

शिक्षक

विनोबाजी शिक्षक को आचार्य मानते हैं । आचार्य का अर्थ होता है आचार-दान अर्थात् स्वयं आदर्श जीवन का आचरण करते हुए राष्ट्र में उसका आचरण करानेवाला ही आचार्य है । ऐसे आचार्यों के पुरुषार्थ से ही राष्ट्र का निर्माण हुआ है । विनोबाजी का विचार है कि शिक्षकों में अग्नि में मानी जाने वाली दोनों शक्तियाँ 'स्वधा' तथा 'स्वाहा' होना चाहिए । 'स्वधा' का अर्थ होता है आत्म-धारण तथा 'स्वाहा' का अर्थ आत्म-श्राद्धि या आत्माहुति या आत्मत्याग । विनोबाजी का विचार है कि बिना 'स्वधा' के अर्थात् आत्मा की शक्ति के अन्य त्याग सम्भव नहीं है । अतः शिक्षक को पवित्र आदर्श जीवन व्यतीत करनेवाला स्वधा और स्वाहा की शक्तियों से पूर्ण होना चाहिए । तभी वह सच्चा आचार्य बनकर राष्ट्र-कल्याण कर सकेगा ।

शिक्षा का आधार

विनोबाजी जीवन तथा उद्योग को शिक्षा का आधार मानते हैं । उनका कथन है कि सच्चा शिक्षक शाला के बाहर ही होता है । शिक्षा जीवन-पर्यन्त अर्थात् जन्म से लेकर मृत्यु तक चलनेवाली प्रक्रिया है । वह उद्योग + शिक्षा के पक्ष में नहीं है । वह तो उद्योग = शिक्षा को उपयुक्त समझते हैं । सच्ची शिक्षा में वह विनय, धैर्य तथा ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होने की अपेक्षा करते हैं ।

शिक्षण-पद्धति

शिक्षण के लिए वह समसामी पद्धति को उपयोगी तथा प्रभावी मानते हैं । वह

उद्योग को शिक्षा का साधन ही नहीं बरन् अधिभाज्य अंग मानते हैं। प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में उनका विचार है कि इससे बालक के एक अंग— बुद्धि की ओर ही ध्यान दिया जाता है। यह उसका विकास न करके विलास करना है। उनका मित्रों का प्रसिद्ध उदाहरण तो अद्वितीय है। उनका कथन है कि :

‘घड़ा और मिट्टी एक है या दो ? अगर आप ‘दो’ कहेंगे तो हमारी मिट्टी हमें दे दीजिए और अपना घड़ा ले जाइए। घड़ा और मिट्टी ‘एक’ है, ऐसा अगर आप कहेंगे, तो वह मिट्टी का देर पड़ा है, भरिए पानी। मिट्टी और घड़े को समवाय कहते हैं। वर्षा-पद्धति को मैंने समवाय पद्धति नाम दिया है, क्योंकि इस पद्धति में उद्योग और शिक्षण का इस तरह का समवाय गृहीत है।

‘बच्चों के सारे शिक्षण की रचना किंगो एक मूल-उद्योग पर सड़ी की जाये। उद्योग से शिक्षण को गरमाहट भिरे और शिक्षण से उद्योग पर प्रकाश डाला जाये। इसका नाम है ‘समवाय पद्धति’।’

छुट्टियाँ, दण्ड आदि

विनोबाजी शालाओं में आये दिन छुट्टियों के दिये जाने के विरुद्ध हैं। उनका कहना है कि छुट्टियों की देखा-पेखा बंटी जाती है। यह ठीक नहीं। वह शिक्षकों के काम के घण्टे भी ठीक रखने के पथ में हैं। वह चाहते हैं कि शिक्षक कम से-कम १८ घण्टे अपने में पढ़ाय तथा ४० या ५० छात्रों से अधिक लगातार शिक्षण न किया जाये। वह छुट्टियों को स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार रखने के पथ में हैं।

यह बालकों को दण्ड देने के विरुद्ध विरुद्ध हैं। यह उन्हें बड़े खेद में शिक्षा देना आवश्यक मानते हैं।

परीक्षा-पद्धति

वर्तमान परीक्षा-पद्धति को वे दूरी बतलाते हैं तथा परीक्षा में निरीक्षणों की कड़ी देख-रेख की व्यवस्था में बालकों को चोरों के समान देतना अनुपयुक्त समझते हैं। वे गुण विभाग तथा मन या गुण परके उचित मनोवृत्ति रखने के पथ में हैं। ऐसा करने में निर देख-रेख तथा निगरानी आवश्यक न होगी। वे लगा-रखने के भी विरुद्ध विरुद्ध हैं।

मूलोद्योग अभ्यास

‘समवायी पद्धति’ में उद्योग द्वारा ज्ञान दिया जाता है। अतः उद्योग का उचित अभ्यास, इतना कि जिससे शारीरिक विकास हो सके, आवश्यक है। कचरे का उचित उपयोग, सौन्दर्य भावना, सामूहिक भावना, साधर्म्य-वैधर्म्य प्रक्रिया, शास्त्रीय बुद्धि, परिश्रम, निष्ठा, सातत्य-योग का अभ्यास आदि की ओर भी उद्योग-शिक्षण में ध्यान दिया जाना चाहिए। मूलोद्योग के चुनाव के सम्बन्ध में उनका विचार है कि वह पूर्णतः हमारी संस्कृति से मेल पाता हुआ अहिंसाभिहित होना चाहिए।

युनियादी शिक्षा का तत्त्व तथा आदर्श

विनोबाजी का कथन है कि ‘अगर कोई पूछे कि बच्चों की तालीम का तत्त्व क्या है, तो थोड़े में मैं यही कहूँगा कि तालीम देनेवाले शिक्षकों को बच्चे बनना है और तालीम लेनेवाले बच्चों को बड़े बनना है। शिक्षक अगर बच्चा नहीं बन सकता, तो वह तालीम नहीं दे रहा है और बच्चा अगर बड़ा नहीं बनता तो वह तालीम नहीं पा रहा है, यही समझना चाहिए।’

विनोबाजी का कथन है कि नई तालीम इतनी व्यापक है कि उसमें भारत की मेवा हर एक प्रकार आ जाती है। वे इसे म्याथ्रपी मानते हैं। वह शिक्षा में फेबल थोड़े हेर-फेर को युनिरादी शिक्षा नहीं मानते। नई तालीम को वह ‘सर्वोदयी समाज रचना करनेवाली, भूदान-यज्ञ-मूल्क, प्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक प्रान्ति’ मानते हैं। इसके लिए वह जन-संस्कार अति आवश्यक समझते हैं।

युनियादी शाला

विनोबाजी का विचार है कि हमारे शाश्वत हमारे समाज तथा संस्कृति का प्रतीक होनी चाहिए। आज की शालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। हमारे रमोर्दरों का हमारे प्रयोगशाखाएँ बन जाना चाहिए। युनियादी शालाओं में मूल-मूल की समझ, उमरा अनुचित ज्ञान और उपयोग सिखाया जाना चाहिए। इन्हे आरोग्य-ज्ञान से पूर्ण, राष्ट्रीय-विद्या का केन्द्र, सच्चे ज्ञान-दृष्टि देनेवाली, उद्योग में विश्वास, आत्मसाध की वस्तुओं की परस्पर की विज्ञान-शक्ति तथा अध्यात्म ज्ञान या आत्म-ज्ञान देनेवाली होना चाहिए। हमारी शाला में होने-

वाला हर काम हमारे ज्ञान का साधन बनना आवश्यक है। इसके लिए शाला को अच्छी तरह सजाना तथा उसमें अच्छे साधन जुटाना आवश्यक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा से सम्बन्धित प्रायः प्रत्येक बात के सम्बन्ध में उन्होंने अपने निश्चित व्यावहारिक मत दिये हैं। इन सुझावों के अनुसार ही हम अपनी बुनियादी शिक्षा को सर्वोदयी समाज की रचना करने योग्य बना सकते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज विनोबा हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक सभी प्रकार के जीवन की बहुत बड़ी शक्ति हैं। गांधीजी के समान वह जिम और पैर बढ़ा देते हैं, उधर करोड़ों पैर उनके पीछे चलने के लिए उठ गढ़े होते हैं। उनकी जिया और दृष्टि पड़ती है, उधर करोड़ों आँखें देखने लगती हैं। उनकी ईश्वर पर अवलम्ब, सामाजिक भ्रान्ति के पूर्व मानव मन में भ्रान्ति करने की बलवती आकाशा, ज्ञान और तप का अपार वैभव, निष्पक्ष, निष्काम भाव से विचार करने की शक्ति अन्यत्र रोजने से भी नहीं मिल सकती है। इसीलिए उन्हें युगपुरुष कहा जाता है। वास्तव में उन्होंने गांधीवादो धीम होती हुई आवाज को और बुलन्द बना दिया है। विनोबा हृदय-परिवर्तन चाहते हैं। वह लोक-मानस ही बदलना चाहते हैं। वह गरीब और अमीर दोनों के हृदय-परिवर्तन द्वारा सर्वोदयी समाज लाना चाहते हैं।



